खण्ड-346, अंक-5
सोमवार, 31 भाद्रपद, शक संवत् 1902
(22 सितम्बर, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 346 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	.. 545–548
प्रश्नोत्तर	.. 549–587
मुख्य मन्त्री की सदन में उपस्थिति	.. 587
मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश के सभी सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता बन्द किये जाने के आदेश से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 587–588
बेवरिया जनपद में झुलसा रोग से धान की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 588
जौनपुर जनपद में ट्यूबवेलों के बिजली के कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 588–589
जनपद जालौन में बसों, ट्रकों व रेलों में लूट मार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 589
बाढ़ की विभीषिका के कारण पूर्वांचल जिलों में रहने वाली कमेरा जाति को मजदूरी न मिलने से भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	.. 589–590
कृषि मन्त्री के विरुद्ध उठायी गई विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	.. 590–591
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (पुरः स्थापित किया गया)	.. 591–592
सदन की कार्यवाही टेप रिकार्ड कराने हेतु व्यवस्था किये जाने की मांग	.. 592–593
सदन की कार्यवाही गेट नं0 1 व 2 पर सुनने हेतु व्यवस्था किये जाने की मांग	.. 593
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	.. 593–594
1980–81 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 33–शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 108–शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 34–प्राविधिक शिक्षा विभाग तथा अनुदान संख्या 109–प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम (स्वीकृत)	.. 594–652
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	.. 652

जनपद लखनऊ, तहसील मलिहाबाद में बेहटा नाला नाव दुर्घटना में कतिपय छात्रों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 652–656

आलमबाग थाना कृष्ण नगर, लखनऊ निवासी श्री आर० के० शर्मा इन्जीनियर की पत्नी श्रीमती शीतल दानी की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य .. 657–659

उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, 1980 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 (जारी) .. 659–985

नत्थियां .. 687–692

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 22 सितम्बर, 1980

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 2 मिनट पर उपाध्यक्ष श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 305

अकबाल हुसैन, श्री (गोंडा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मोहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए0सी0 ग्राइस, श्री (नामनिर्देशितसदस्य)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला सहनी, श्रीमती (बस्ती)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
केदार सिंह, श्री (आजमगढ़)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
खवाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपीनाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चंचल सिंह, श्री (रामपुर)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री (पौड़ी गढ़वाल)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)

जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह बिष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जंराज गौतम, श्री (सुलतानपुर)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
धम्मन सिंह, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह श्री (जालौन)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन बन महन्थ, श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (बाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मधीर सिंह, श्री, (मेरठ)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू) (बलिया)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलराम सिंह यादव श्री (इटावा)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोंहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बृज किशोर मिश्र, डाक्टर (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मण्डलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)

मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
महाबीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्यक्ष, श्री (आगरा)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मारकण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्ताद अनीस, श्री (सीतापुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फर नगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रईस उद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमाकान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)

राधेश्याम पटल, श्री (इलाहाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम करन श्री (वाराणसी)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
डा0 राम कृष्ण उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
रामयश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (कानपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)

विजय प्रकाश, श्री (इलाहाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (बिजनौर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, श्री (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिवनारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बांदा)
शिव बालक, श्री (मैनपुरी)
शिवमंगल सिंह, श्री (रायबरेली)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुलतानपुर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुनील शास्त्री, श्री (गोरखपुर)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी) (गाजियाबाद)
सूरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुल्तान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हरगोविन्द सिंह वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरबंश प्रसाद पांडेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पान्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हुकुम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

नोट :—मुख्य मन्त्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 22 सितम्बर, 1980

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जिला परिषद्, फर्रुखाबाद के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को ग्रेच्युटी

*1—विमल प्रसाद तिवारी (अनुपस्थित)—

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, फर्रुखाबाद के 1968 से 1972 के बीच अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को अब तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इस देरी का क्या कारण है ?

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)—

जिला परिषद्, फर्रुखाबाद के वर्ष 1968 से वर्ष 1970 के बीच सात व्यक्ति सेवा निवृत्त हुये जिनकी ग्रेच्युटी का भुगतान जिला परिषद् द्वारा नहीं किया गया। इन अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की ग्रेच्युटी का भुगतान जिला परिषद् द्वारा बनाये गये रेगुलेशन द्वारा होता है। इससे सम्बन्धित मूल पत्रावली जिला परिषद् में उपलब्ध न होने के कारण भुगतान न हो सका। अब इस विषय से सम्बन्धित पत्रावली का निर्माण किया जा चुका है, सम्बन्धित अवकाश प्राप्त कर्मचारियों के अभिलेखों को पूर्ण कराया जा रहा है और यथाशीघ्र उनकी ग्रेच्युटी का भुगतान कर दिया जायेगा।

वर्ष 71 व 72 में पांच व्यक्ति रिटायर हुए जिसकी ग्रेच्युटी का भुगतान उत्तर प्रदेश जिला परिषद् कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ नियमावली, 1972 के अन्तर्गत किया जाता है। इनमें से एक कर्मचारी की ग्रेच्युटी का भुगतान किया जा चुका है और शेष चार व्यक्तियों के रिकार्ड पूर्ण कराकर परीक्षक/स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को भेजे जा चुके हैं।

ग्राम सभा अगानपुर तथा सुर्रा, जिला बाराबंकी में अन्त्योदय परिवार को दिये गये ऋण के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र

* 2—श्री प्रदीप कुमार यादव—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 22-2-80 को जिलाधिकारी, बाराबंकी को एक शिकायती प्रार्थना-पत्र श्री राम सुमिरन पांडे, निवासी रायपुर मजरे, अगानपुर विकास खन्ड दरियाबाद, जिला बाराबंकी का इस आशय का मिला था कि विकास खंड, दरियाबाद की ग्राम सभा अगानपुर तथा सुर्रा में अन्त्योदय योजनान्तर्गत जो ऋण दिया गया है, वह उन व्यक्तियों को नहीं मिला जिनके नाम ऋण अंकित हैं ? यदि हां, तो उपवर्णित प्रार्थना-पत्र में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह प्रश्न जो है, दो बार से बराबर स्थगित हो रहा है, तो क्या अब माननीय मंत्री जी से आशा करूं कि यह इस सत्र म ही सूचना मंगवा कर सदन में प्रस्तुत करने की कृपा करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, यह जिलाधिकारी को लिखा जा चुका है और चूंकि आजकल बाराबंकी जिला बाढ़ से काफी प्रभावित है, और उसका लगभग आधा हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, जिसके कारण इस सम्बन्ध में कुछ विलम्ब हो रहा है । फिर भी कुछ अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हो चुकी है । इसलिए मान्यवर, आपके द्वारा सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूं कि इसी सत्र में इसका जवाब मिल जायेगा ।

[दिनांक 22 सितम्बर, 1980 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न ।]

हार्टिकल्चर निदेशालय के ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षकों का नियमितिकरण एवं पदोन्नति

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश हार्टिकल्चर निदेशालय के अन्तर्गत 10 से 20 साल तक के ग्रुप एक में सेवारत ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षकों, जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, को न तो ग्रुप 1 में नियमित किया गया है और न उनको क्लास टू में प्रमोशन ही दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सही है कि इनको क्लास टू में प्रमोशन के लिए उपयुक्त नहीं समझा गया है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)--

जी हां । कुल 8 ज्येष्ठ उद्यान निरीक्षक ऐसे हैं जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इनमें से तीन को प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत आयोग से नियमित कराकर वर्ग 1 में स्थायी कर दिया गया है । शेष पांच को नियमित कराने की कार्यवाही की जा रही है । विभाग के श्रेणी 2 के पदों पर प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत की जाने वाली नियुक्तियां नियमानुसार श्रेष्ठता (मेरिट) के आधार पर की जाती हैं । ये कर्मचारी केवल हाई स्कूल के साथ कृषि डिप्लोमा शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हता के कारण कृषि स्नातक एवं स्नातकोत्तर अर्हता के कर्मचारियों की मेरिट की तुलना में वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण इनकी पदोन्नति श्रेणी-2 के पदों पर नहीं हो पाती है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, माननीय मंत्री जी कृपया अपना उत्तर देखें, जिसमें यह कहा है कि यह कर्मचारी केवल हाई स्कूल के साथ कृषि डिप्लोमा शैक्षिक एवं तकनीकी अर्हता के कारण कृषि स्नातक एवं स्नातकोत्तर अर्हता के कर्मचारियों की मेरिट की तुलना में वांछित स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के बारे में क्या अनुभव अवधि को भी आधार बनाकर कष्ट करेंगे, पदोन्नति के लिए ?

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय, नियमों में ऐसा नहीं है ।

कृषि विभाग एवं हार्टिकल्चर विभाग के कृषि सेवा वर्ग एक व दो की पदोन्नति

*2—श्री श्याम सूरत उपाध्याय (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री को ज्ञात है कि कृषि विभाग में ग्रुप तीन की 10 साल की सेवा पूरी होने पर ग्रुप दो तथा ग्रुप दो में पांच साल की सेवा पूरी होने पर ग्रुप एक में प्रोन्नति दी जाती है ? क्या यह भी सही है कि उसी विभाग के दूसरी शाखा हार्टिकल्चर में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं रखा गया है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? एक ही विभाग की दो विभिन्न शाखाओं के समान कार्य प्रणाली को देखते हुए उनमें समरूपता लाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

कृषि विभाग में अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग 3 से वर्ग 2 में तथा वर्ग 2 से वर्ग 1 में प्रोन्नति हेतु कोई समयावधि निर्धारित नहीं है ।

हार्टिकल्चर विभाग कृषि विभाग की दूसरी शाखा नहीं वरन् एक पृथक विभाग है । इस विभाग में भी पदोन्नतियों के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला परिषद् परामर्शदात्री समिति के गठन का प्रस्ताव

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या पंचायती राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जिला परिषदों में उपाध्यक्ष अथवा सलाहकार समिति नामित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिज़वी—

शासन द्वारा जिला परिषद् परामर्शदात्री समिति गठित करने पर विचार किया जा रहा है । उक्त समिति का एक उपाध्यक्ष नामित किया जाना भी प्रस्तावित है जो कि समिति के अध्यक्ष, जो कि जिलाधिकारी होगा, की अनुपस्थिति में समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा । उक्त समिति गठित करने पर विचार इसलिए किया जा रहा है ताकि जिला परिषद् के कार्य में गैर सरकारी प्रतिनिधियों का भी परामर्श जिलाधिकारी को प्राप्त होता रहे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, माननीय मंत्री जी ने जो कारण दर्शाये हैं, मैं उससे भिन्न यह जानना चाहता हूं कि जब जिला परिषदों का चुनाव टालने के लिये सदन में चर्चा हुई थी, उस समय स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि इस तरह की कोई

समिति का गठन नहीं किया जायेगा । अब कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई जिसके कारण शासन को ऐसी समिति का गठन करना पड़ रहा है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जिस समय इस पर सदन में विचार हुआ था, जहां तक मुझे याद है, मैंने कोई ऐसी कैटोगरिकल बात नहीं कही थी, इसके लिए कार्यवाही देखी जा सकती है । मान्यवर, एक जी० ओ० जनता पार्टी के शासन में हुआ था, उसमें यह व्यवस्था थी, मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं । उसमें यह था— सदस्यों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति, अध्यक्ष, प्रत्येक जिले के समस्त राज्य विधान मण्डल के सदस्य एवं संसद सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामांकित कम से कम 7 व अधिक से अधिक 15 गैर सरकारी (सदस्य) व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक हरिजन तथा एक महिला हो, विकास कार्यों से सम्बद्ध जिला स्तर के समस्त अधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक होंगे, तो मान्यवर, मैं कोई नई चीज नहीं कर रहा हूं बल्कि एक चीज पर विचार कर रहा हूं कि जो समय चुनाव और इसके बीच में है उसमें जन प्रतिनिधियों की एक समिति किस तरह से बनाई जा सकती है और उनके प्रयासों से किस तरह फायदा उठाया जा सकता है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी का ध्यान उस तरफ गया है जो स्पीकर कांफ्रेंस में एक फैसला हुआ था और स्पीकर ने बार-बार सभी माननीय सदस्यों को लिया है, उस समिति में आप लोग शामिल न हों जिनमें जिलाधिकारी या अन्य अधिकारी अध्यक्ष हो, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जिलाधिकारी इस समिति की अध्यक्षता करेंगे । जनता शासन में यह व्यवस्था थी कि माननीय सदस्यों में से उसी वक्त अध्यक्ष चुन लिया जाता था, तो क्या माननीय मंत्री जी स्पीकर कांफ्रेंस के निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनर्विचार करने का कष्ट करेंगे और जनता शासन में जो प्रथा थी उसी को लागू करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि माननीय सदस्यों को समिति के गठन पर कोई ऐतराज नहीं है । सिर्फ अध्यक्ष के ऊपर है, इस पर विचार किया जायेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया था उसी के आगे जानना चाहता हूं । उन्होंने जानकारी दी कि जनता पार्टी ने 78 में एक काम कर डाला था । मेरा यह निवेदन है जिस समय इस पर विचार हुआ था चुनाव तारीख बढ़ाने के बारे में, उस समय भी जनता पार्टी का प्रिसिडेन्ट था । जनता प्रशासन में भी जिस समय इस कमेटी के गठन की बात आई थी, उस समय भी मैं इसका विरोधी था और आज भी सिद्धान्ततः मैं इसका विरोधी हूं, जो स्थान निर्वाचन से से भरे जाने हैं उस पर नामांकन नहीं होना चाहिये । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कमेटी को मात्र एडवाइजरी पावर्स होगी या इक्जीक्यूटिव पावर्स भी होंगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक प्रश्न का पहला हिस्सा है मैं भी यह चाहता हूं कि निर्वाचन की जगह नामांकन न हो किन्तु कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं किसी वजह से देर हो जाती है, तो इन कमेटियों में नामांकन किया जाता है । जहां तक पावर्स की बात है, इक्जीक्यूटिव पावर्स होगी या एडवाइजरी । इन सारे मामलों पर विचार हो रहा है जैसे भाई रियासत साहब ने बहुत अच्छी बात कही अध्यक्ष, पब्लिक रिप्रजेन्टेटिव होना चाहिये अधिकारी नहीं होना चाहिये । इन सारी चीजों पर विचार होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं यह जानना चाहता था कि कमेटी को एडवाइजरी पावर्स होंगी या इक्जीक्यूटिव ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है इस पर विचार किया जा रहा है । अब जिस चीज पर विचार हो रहा है उस पर विचार करने हैं । आपके समक्ष कोई बात कह दूं, यह ठीक नहीं होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मुझे इनकी नियत के बारे में कुछ नहीं कहना है, मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा जिन सदस्यों का मनोनयन होना है, उनका आधार क्या है ? क्या संबंधित जिलों के विधायकों से इस संबंध में परामर्श करने का कष्ट करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी--

जहां तक मेरी नीयत का सवाल है, वर्मा जी मेरी नीयत के बारे में खुद जानते हैं और दिल की गहराइयों से सोच रहे हैं और जहां तक परामर्श का सवाल है केवल परामर्श ही नहीं, जहां पक्ष-विपक्ष का कोई प्रश्न नहीं है, जहां निर्माण कार्य होना हो, उसमें उनकी राय ली जानी चाहिये और उसमें बराबर की साझेदारी बनायी जानी चाहिये ।

श्री हुकम सिंह--

इन समितियों का गठन कब तक हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

समय निश्चित बताना, मान्यवर, हो सकता है उससे पहले चुनाव हो जायें, अगर चुनाव हो जायेंगे, तो ये हम बनायेंगे ही नहीं ।

श्री मन्जूर अहमद--

जिला परिषद् को कब, किस आधार पर भंग किया गया था और अब समिति का कब तक गठन हो जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

ये पिछले इलेक्शन 1974 नवम्बर में हुए और अक्तूबर 79 तक करना था। 10 अगस्त, 1977 को सुपरसीड कर दिया गया और जिलाधिकारी को, रियासत साहब भी थे, सारे अधिकार दे दिये गये। जहां तक कब-तक हो जायेगा, इनका उत्तर मैं दे चुका हूं।

श्री श्रीकृष्ण गोयल—

पिछली जो सलाहकार समितियां बनीं थीं किसी अधिकारी ने उनकी सलाह नहीं मानी, क्या अब विचार आप करेंगे कि जो उनका निर्णय हो, उनको मैण्डेटरी करके कि उनको अधिकारी माने ?

श्री अम्मार रिजवी—

बहुत ही अच्छा सुझाव है कि जो समितियां बनायी जायें उसके जो फैसले, जो निर्णय हों उनको माना जाना चाहिये। माननीय श्री श्रीकृष्ण गोयल जी ने जो बात कही है उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जायेगा।

कृषि उत्पादन सम्बन्धी मशीन, उर्वरक आदि को टैक्स से छूट दिये जाने पर विचार

*4—श्री राम स्वरूप वर्मा—

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कृषि उत्पादन में साधन रूप में प्रयुक्त किये जाने वाली (मशीनें, यन्त्र, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों जैसी) चीजों पर सभी प्रकार के टैक्स माफ करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और केन्द्रीय सरकार से इस सम्बन्ध में क्या सिफारिश करने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

सूचना किस विषय में एकत्र की जा रही है ? क्योंकि सवाल तो नीति का है।

श्री बलराम सिंह यादव—

यह मामला शासन के विचाराधीन है और शीघ्र ही इस पर निर्णय लेने जा रहे हैं।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है उसके लिए प्रतीक्षा करें या शासन के विचाराधीन हो, तो उसकी प्रतीक्षा करें। सवाल है कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव—

विचाराधीन है, शीघ्र ही निर्णय हो जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

शासन के विचाराधीन है, इससे स्पष्ट है कि सिद्धान्ततः यह छूट के मामले को स्वीकार करती है और उसका कार्यान्वयन कैसे होगा, यह विचाराधीन है ? या छूट का मामला ही विचाराधीन है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, छूट देने का मामला विचाराधीन है। सेल्स टैक्स का जहां तक सवाल है उस पर प्रदेश की सरकार को निर्णय लेना है और एक्साइज ड्यूटी आदि के बारे में केन्द्र सरकार को निर्णय लेना है। उसके लिए केन्द्र सरकार को लिखना पड़ेगा। कुल मिलाकर मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि केन्द्र का निर्णय तो पूरे देश की समस्याओं को सामने रखकर होता है और प्रदेश का निर्णय केवल अपने उत्तर प्रदेश की समस्याओं को सामने रखकर होता है। सेल्स टैक्स तो आपके अन्तर्गत आता है। क्या आपकी प्रदेश सरकार सेल्स टैक्स को छोड़ने पर जल्दी से जल्दी विचार कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह उन्होंने कहा कि सूचना इकट्ठी की जा रही है। 15 दिन बाद यह दुबारा आएगा ही।

श्री रियासत हुसैन--

15 दिन बाद यही आयेगा। सेल्स टैक्स की घोषणा कर दें, तो इसकी जरूरत ही नहीं होगी।

श्री बलराम सिंह यादव--

माननीय सदस्य की भावनाओं से मैं सहमत हूं। लेकिन अभी मामला शासन के विचाराधीन है लिहाजा स्पष्ट आश्वासन देना सदन को मुनासिब नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रैक्टर नहीं चलते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए कोई यंत्र बनाने की सोच रहे हैं ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिए पुकारा नहीं गया)

बस्ती जिले के ग्राम कादिराबाद में खाद पर छूट सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*5--श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ विधायक ने ग्राम कादिराबाद के 6 किसानों के खाद की छूट के सम्बन्ध में कोई प्रार्थना-पत्र जिला विकास अधिकारी, बस्ती को दिनांक 13-1-80 को दिया था ? यदि हां, तो अब तक उन किसानों को छूट क्यों नहीं दी गयी ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां।

अनुदान देने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह--

मान्यवर, आप मेरे प्रश्न में देखें । दिनांक 13-1-80 को माननीय सदस्य श्री कमाल यूसुफ साहब ने जिला विकास अधिकारी को पत्र लिखा था । आज 22-9-80 है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह अनुदान देने में, उन किसानों को, कितने दिन लगते है ? यदि इतना विलम्ब नहीं लगता है, तो इतना विलम्ब इस मामले में क्यों लगाया गया ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, ऐसा हुआ कि इस मामले में शासन ने अनुदान देने के सिलसिले में एक रेडियो ग्राम 8-11-79 को भेजा था । इसके बाद शासनादेश जो जारी हुआ वह 24 नवम्बर, 1979 को जारी हुआ, तो इस पीरियड के बीच में इन काश्तकारों ने खाद परचेज किया । वहां के डी0 डी0 ओ0 ने शासन को लिखा था कि शासनादेश 24-11 को आया है, लिहाजा इस मामले में क्या करें । यह स्पष्टीकरण शासन से चाहते थे । शासन ने निर्णय ले लिया है और 15-7-80 को शासनादेश जारी भी हो गया, जिसके अन्तर्गत यह जो काश्तकार हैं इनको अनुदान की सुविधा मिलेगी ।

कृषि बीज भण्डार, कौड़िहार, इलाहाबाद की कथित बन्दी

*6--श्री राम शिरोमणि दुबे (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मन्त्री को जानकारी है कि राजकीय कृषि बीज भण्डार, कौड़िहार, जनपद इलाहाबाद 3 माह से बन्द है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

राजकीय कृषि बीज भण्डार, कौड़िहार, जनपद इलाहाबाद बन्द नहीं है । उक्त भण्डार दिनांक 19-4-80 से 30-6-1980 तक अवश्य बन्द रहा था, क्योंकि बीज भंडार प्रभारी चिकित्सीय आधार पर अवकाश पर रहे ।

श्री राम कोल्ड स्टोरेज, बिसौली, जिला बदायूं में क्षतिग्रस्त आलू का प्रतिकर

*7--श्री शिवपाल सिंह (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम शीतगृह, बिसौली स्थित बदायूं रोड, जिला बदायूं ने 1979-80 का दोनों चैम्बरों का कोई विधिवत् लाइसेंस आलू भंडारण हेतु प्राप्त किया था ? क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1979-80 में उपरोक्त कोल्ड स्टोरेज में कितना आलू भंडारण किया गया और उसमें से कितना आलू सड़ गया जो किसानों को वापस नहीं किया गया और उपरोक्त कोल्ड स्टोरेज में भंडारण किये गये आलू में से जितना आलू सड़ गया उसमें से कितने आलू का प्रतिकर कानूनानुसार किसानों को दिलाया जा सका ।

श्री बलराम सिंह यादव--

श्री राम कोल्ड स्टोरेज, बिसौली बदायूं को वर्ष 1979 हेतु एक चेम्बर का लाइसेन्स दिया गया था, जिसकी भण्डारण क्षमता 2,640.00 घनमीटर है ।

वर्ष 1980 में दोनों चेम्बर जिनकी भण्डारण क्षमता 5,135.00 घनमीटर है, का लाइसेन्स दिया गया है । वर्ष 1979 म इस शीतगृह मे 18,008.60 कुन्तल आलू का भन्डारण किया गया, जिसमें से चेम्बर नं0 2 क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण 1,372.00 कुन्तल आलू सड़ गया जिसे किसानों को वापस नहीं किया गया । इसमें से 62-40 कुन्तल का प्रतिकर आपसी समझौते से दे दिया गया ह । शेष 1,309.60 कुन्तल का प्रतिकर दिलाने के सम्बन्ध में आदेश दे दिय गये हैं ।

*8--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[8वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*9--श्री केदार नाथ सिंह--

[12वें मंगलवार के लिये तारांकित प्रश्न संख्या 13 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

टिहरी गढ़वाल जिले की चम्बा-मन्सूरी पट्टी योजना के प्लाटों का आवंटन

*10--श्री राज किशोर राव (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद की चम्बा-मन्सूरी पट्टी योजना में वन विभाग के घने जंगल को कटवाकर जो प्लाट वर्ष 1972-73 में जिलाधिकारी को हस्तान्तरित कर दिए थे परन्तु उनका आवंटन आज तक क्यों नहीं हुआ था? तथा 7 वर्ष तक से अब तक के वृक्षारोपण में जो देरी एवं क्षति हुई उसके लिए कौन उत्तरदायी है ? कब तक इन प्लाटों का आवंटन हो जावेगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

वर्ष 1972-73 के बाद अवशेष 89 में से 50 प्लाटों का आवंटन माह जनवरी, 1980 में आवंटन समिति द्वारा कर दिया गया है । शेष 39 प्लाटों को आवंटन कर निर्णय विचाराधीन है । इसके लिए व्यक्तिगत रूप से कोई जिम्मेदार नहीं है ।

शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना, बाराबंकी में छटनी शुदा कृषि अमीनों की नियुक्ति की मांग

*11--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 12-6-80 को भूमि संरक्षण, शारदा सहायक, समादेश क्षेत्रीय विकास परियोजना, बाराबंकी मंडल के उक्त जनपदीय कार्यालय में 50 रिक्त पदों पर स्थानीय छंटनी शुदा कृषि अमीनों को न रखकर बाहर के अभ्यर्थियों को नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार स्थानीय छटनी शुदा कृषि अमीनों को उक्त पदों पर रखे जाने हेतु कार्यवाही करेगी और क्या सरकार सम्बन्धित दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां, बाराबंकी मंडल की नव सृजित मंडलीय/भूमि संरक्षण इकाईयों तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर क्रमशः 10 व 24 अभ्यर्थियों को नियुक्ति

की गई । कृषि विभाग के आदेशों के अनुसार छटनी शुदा कृषि अमीनों को केवल कृषि विभाग के अधीन खपाने की व्यवस्था है । शारदा सहायक समादेश क्षेत्र विकास परियोजना 'क्षेत्रीय विकास विभाग' के अन्तर्गत आती है । कृषि विभाग के उक्त आदेश परियोजना पर लागू नहीं होते हैं । अभ्यर्थियों का चयन इस हेतु निर्धारित नियमों के अनुसार किया गया है । अतएव संबन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि कृषि विभाग के आदेशों के अनुसार छटनीशुदा कृषि अमीनों को केवल कृषि विभाग में खपाने की व्यवस्था है, तो मैं जानना चाहता हूं कि यह आदेश जो हैं कृषि विभाग द्वारा कब दिए गये, किसके माध्यम से दिये गये और वह आदेश क्या थे ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, संख्या 2879(i)XII-(9)--1988(1)/76, दिनांक 27 जून, 1978 को एक जी0 ओ0 जारी हुआ था, जिसमें कहा गया था कि छटनीशुदा जो अमीन हैं, आज भी बेरोजगार हैं । अत: समस्या का निराकरण करने हेतु राज्यपाल महोदय आदेश देते हैं कि कृषि विभाग में समूह "घ" तथा समूह "ग" उन पदों को छोड़कर जो लोक सेवा आयोग की परिधि में आते हैं, के पदों में उपलब्ध रिक्तियों में नियुक्तियों के लिए सरकारी विज्ञप्ति संख्या 27/2--1974-कार्मिक, दिनांक 29 जुलाई, 1975 में निर्धारित चयन की प्रक्रिया से कृषि विभाग मुक्त रहेगा ।

केवल यह कृषि विभाग के लिए इक्जेम्पशन दिया गया है । अन्य विभागों में इससे इक्जेम्पशन नहीं दिया गया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं कि चाहे कृषि विभाग के छटनी शुदा कर्मचारी हों या अन्य विभाग के । प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए जब जगहें खाली हों, इस बात का ध्यान रखते हुए कि सन् 74 में छटनी से जो हजारों लोग बेकार हो गये थे, उनको नियुक्ति में वरीयता दिलाने का आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ।

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, जो प्रार्थना-पत्र मिले हैं, उसमें 289 कनिष्ठ लिपिकों के लिए, ड्राइवर के लिए 130, ड्राइवर्स के लिए 22, चपरासियों के लिए 268, इसके अन्दर छटनी शुदा अमीनों के जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं, 11 अनुरेखक पद के लिए प्राप्त हुए, 29 चपरासी पद हेतु प्राप्त हुए थे, साक्षात्कार के लिए 6 व्यक्ति आये और चपरासी के पदों के लिए 12 व्यक्ति साक्षात्कार में आये । इसमें 2 को लिया गया । यह कहना गलत है कि इनको नहीं लिया गया । आपने देखा कि बहुत थोड़े से लोग आये । अगर ज्यादा लोग आते, तो यह बात न होती ।

श्री प्रदीप कुमार यादव--

मान्यवर, अभी उत्तर तो मिला नहीं । जनरल आदेश होने चाहिए कि किसी भी विभाग के लोग हों अगर बेकार हो जायं, तो छटनी शुदा जो हों

उनको खपाया जाय । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाराबंकी जनपद में कुल कितने छटनी शुदा कृषि अमीन शेष बचे, जिनको काम पर लगाना बाकी है ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, बाराबंकी जनपद में इसकी मुझे जानकारी नहीं है । 3578 अमीन तथा 4245 चपरासी, यह 27 जून, 1978 को पूरे प्रदेश की संख्या थी । बाराबंकी के कितने हैं यह बताना संभव नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जैसा मैंने पहले पूछा था, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत बड़ी संख्या में अभी तक छटनी शुदा अमीन और चपरासी जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, बेरोजगार हैं । शासन क्या यह व्यवस्था नहीं कर सकता कि प्रदेश में कहीं भी किसी विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए स्थान रिक्त होते हैं, तो यह लोग जो सेवा कर चुके हैं इनको वरीयता दी जाय ?

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, यह जो आदेश हैं 27 जून, 1978 का है, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की राय उस जमाने में हो सकती थी, वह करवा सकते थे, बहरहाल यह अच्छी राय है । इस पर विचार किया जायगा ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में इतने चपरासी और अमीन कार्यरत हैं तो कितने प्रदेश में छटनीशुदा अमीन और चपरासी हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका तो उत्तर दे चुके हैं ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं आया है ।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, 27 जून, 1978 तक की यह संख्या थी । इस बीच बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है ।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर, इस समय की स्थिति क्या है । मैं जानना चाहता हूं कि छंटनीशुदा इस समय उत्तर प्रदेश में कितने बेकार हैं ।

श्री अम्मार रिजवी--

इसके लिए माननीय सदस्य से अलग प्रश्न कर लें, तो उनको सारी सूचना मिल जायेगी ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय, मैं जानना चाहता हूं कि छंटनी करने की इनको क्या जरूरत पड़ी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

जो काम था, उससे ज्यादा थे, इसलिए हटाये गये और उसके अलावा कोई तथ्य हमारे पास नहीं हैं ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट—

कितने अधिकारियों की छंटनी की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय सदस्य का सवाल बिल्कुल लाजवाब होता है, लेकिन वह सब अधिकारी थे और इनको हटाया गया ह । आगे चलकर इनको समावेश करने का प्रयास किया जायेगा ।

श्री रियासत हुसेन—

क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि इन छटनीशुदा फोर्थ क्लास की बद्दुआ से मंत्रिपरिषद् म भी छटनी होने जा रही है, तो क्या उसके पहले इनको काम देने की कृपा मंत्री जी करेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

किसी तरफ कोई यदि छटनी हो रही है, तो रियासत जी को घबड़ाने की जरूरत नहीं है, उनपर कोई असर नही होगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मंत्री जी बतायेंगे की कोई ऐसी क्या आशंका पैदा हो गयी है कि छटनी मंत्रि मंडल में होने जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे तालुक नहीं रखता है ?

श्री राम आसरे वर्मा—

माननीय, यह प्रश्न छंटनी से सम्बन्धित है ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय, आपकी आज्ञा से मैं यह उत्तर देना चाहता हूं कि जो छंटनी शुदा मन्त्री और छटनी शुदा विधायक, उस तरफ बैठे हैं, जब पहले उनको कोई व्यवस्था हो जायेगी, तो फिर इन लोगों पर विचार किया जायेगा । (हंसी)

(प्रश्न संख्या 12 तदुपरान्त 15 पुकारे जाने तथा सम्बन्धित सदस्यों के अनुपस्थित होन पर)

श्री उपाध्यक्ष—

यह अत्यन्त दुख की बात है कि लोग प्रश्न करते हैं और सदन में उपस्थित नहीं रहते हैं। माननीय सदस्य श्री दलगंजन सिंह मुझसे मिले थे लेकिन यहां सदन में इस समय नहीं हैं, यह दुख की बात है।

मण्डी समिति के कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित किये जाने की मांग

*12—श्री इन्द्रजीत (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्पादन मण्डी समिति के अधीनस्थ कार्यरत कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारी घोषित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*13—श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

[6ठें सोमवार के लिये स्थगित]

*14—श्री कदल—

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित]

जिला परिषद्, जालौन के कर्मचारियों का वेतन भुगतान

*15—श्री दलगंजन सिंह (अनुपस्थित)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को मालूम है कि जिला परिषद्, जनपद जालौन के कर्मचारियों को माह अप्रैल, मई, जून व जुलाई, सन् 1980 का वेतन अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उन्हे शीघ्र वेतन दिए जाने की व्यवस्था करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां। अप्रैल का वेतन भुगतान कर दिया गया है। मई, जून, जुलाई व अगस्त का वेतन भुगतान धनाभाव के कारण नहीं हो सका। जिला परिषद् द्वारा धन की व्यवस्था होते ही सब का भुगतान कर दिया जायेगा।

कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर में श्री ओम प्रकाश मथुरिया का सहायक एग्रोनोमिस्ट के पद पर नियुक्ति न होना

*16—श्री छत्तर सिंह—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा एग्रोनोमिस्ट के पद पर श्री ओम प्रकाश मथुरिया आदि का चयन हुआ था तथा उस समय लगभग एक दर्जन एग्रोनोमिस्ट आयोग द्वारा अयोग्य घोषित होने पर भी तदर्थ रूप से पदासीन थे और आज तक हैं ? यदि हां, तो आयोग द्वारा अयोग्य घोषित तदर्थ रूप से

पदासीन अधिकारियों को प्रत्यावर्तित न करने एवं आयोग द्वारा अनुमोदित श्री मथुरिया आदि को उक्त पद पर नियुक्त न करने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां, किन्तु शासन को इसकी कोई जानकारी नहीं है कि जो सहायक एग्रोनोमिस्ट उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर (अब चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय) में तदर्थ रूप से कार्यरत हैं, वे लोक सेवा आयोग द्वारा अयोग्य घोषित किए गए थे । श्री ओम प्रकाश मथुरिया को लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के पत्र दिनांक 19–12–74 द्वारा तत्कालीन कृषि विज्ञान संस्थान कानपुर के अन्तर्गत सहायक एग्रोनोमिस्ट के अस्थायी पद पर नियुक्ति हेतु 13 अभ्यर्थियों के साथ क्रमांक 7 पर संस्तुत किया गया था । आयोग द्वारा संस्तुत अभ्यर्थियों में से क्रमांक 1 से 6 की नियुक्ति आदेश शासनादेश दिनांक 11–6–75 के द्वारा प्रसारित किये गये । शेष 7 पदों के विरुद्ध संस्तुत किये गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति निम्न कारणों से नहीं की गई :

(1) विषय विशेषज्ञ (एग्रोनामी) के तीन पद नियुक्ति के पूर्व ही समाप्त हो गये थे ।

(2) दो पद गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर को स्थानान्तरित हो गये थे ।

(3) विज्ञापित दो पदों को कृषि निदेशक संगठन के दो अधिकारियों के स्थानान्तरण द्वारा, जो कि लोक सेवा आयोग से अनुमोदित थे, भर दिया गया था ।

शासन को यह जानकारी नहीं है कि कौन-कौन से अभ्यर्थी आयोग द्वारा प्रश्नगत चयन में अयोग्य पाये गये थे, जो उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान में (अब चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर) तदर्थ रूप से कार्यरत थे/हैं । उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर 1 जुलाई, 1975 से चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर को स्थानान्तरित हो चुका है और उक्त तिथि से ही तत्कालीन कृषि विज्ञान संस्थान के समस्त पद उक्त विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित हो गये हैं । विश्वविद्यालय के पदों पर नियुक्तियां उनके नियमों एवं परिनियमों के अन्तर्गत की जाती हैं ।

श्री छत्तर सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि उक्त संस्थान में आज भी सहायक एग्रोनोमिस्ट के 14 पद हैं तथा उन पर 14 अधिकारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो आयोग की चयन सूची के क्रम संख्या 7 पर चयन किए गए श्री मथुरिया को न रखने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, मेरी सूचना है कि 6 पद इस समय वहां पर हैं जिनमें से 4 पदों पर नियुक्तियां हैं और 2 पद अभी रिक्त हैं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि श्री फूल सिंह वर्मा, श्री खड़क बहादुर सिंह, श्री के0 के0 पाण्डे आदि को आयोग द्वारा अयोग्य घोषित

किये जाने और आयोग द्वारा उनका चयन नहीं होने के बाद भी शासन ने नियुक्ति पर रखा है और आज तक हैं । आयोग द्वारा चयन किए गए अभ्यर्थी श्री मथुरिया को नियुक्त न करने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

श्री फूल सिंह वर्मा नियुक्त हैं, विश्वविद्यालय में लेकिन यह बताया कि इनको लोक सेवा आयोग ने अनुपयुक्त घोषित कर दिया था मुश्किल है । लोक सेवा आयोग से वही सूचना आती है जिनको वह उपयुक्त घोषित करता है, उनकी लिस्ट आती है अनपयुक्त लोगों की लिस्ट नहीं आती है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मेरा सवाल मंत्री जी ने मोड़ दिया । मेरा कहना यह है कि जो 7वें नम्बर पर...

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, पहले आप बैठ जायं जब मैं आपको बुलाऊं तब आप प्रश्न पूछें ।

(श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि ये लोग जिनका अभी जिक्र किया गया है, वहां पर पदासीन हैं, इनकी लोक सेवा आयोग द्वारा कोई संस्तुति नहीं हुई है । 7वें नम्बर पर जो श्री मथुरिया थे, उनको न लिए जाने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मान्यवर, ऐसा हुआ कि कृषि विज्ञान संस्थान, कानपुर, जिस समय यह नियुक्तियां हुई थीं, उसके बाद ही विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था । जब विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया, तो शासन की तरफ से विश्वविद्यालय को लिखा गया कि अगर आपके पास रिक्तियां हों, तो उनमें इन लोगों को नियुक्ति कर ली जाय किन्तु विश्वविद्यालय ने शासन के इस निर्देश को नहीं माना ।

श्री छत्तर सिंह—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसा मंत्री जी ने कहा कि विश्वविद्यालय संस्थान को बना दिया गया था, तो के0 पी0 श्रीवास्तव, इंजीनियर को ट्रिब्यूनल के निर्णय के आधार पर पद से अपदस्थ किया गया, राज बहादुर गुप्त को श्रेणी 3 से श्रेणी 2 में प्रोन्नत किया गया व यह भी शासन के आदेश से तथा जे0 एस0 गर्ग को 58 वर्ष की उम्र में सेवा-निवृत्त कर दिया शासन के आदेश से...

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय छत्तर सिंह, आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है ।

श्री छत्तर सिंह—

मैं यह जानना चाहूंगा कि शासन के आदेश से के0 पी0 श्रीवास्तव को अपदस्थ किया गया, श्री राज बहादुर गुप्त को वनस्पति विज्ञान में श्रेणी 3 से श्रेणी

2 में प्रोन्नत किया गया और प्रोफेसर जे० एस० गर्ग को 58 वर्ष की आयु में ही सेवा-निवृत्त किया गया, तो क्या कारण है कि मथुरिया को नियुक्ति में शासन अपने आदेशों का पालन नहीं करवा पाई ?

श्री बलराम सिंह यादव--

निश्चित तिथि की सूचना अगर माननीय सदस्य दे देंगे, तो मैं इसको देख लूंगा ।

श्री छत्तर सिंह--

माननीय मंत्री की सूचना के लिए मैं बतलाना चाहता हूं कि यह कार्यवाही 79-80 में की गयी, तो क्या कारण है कि शासन मथुरिया की नियुक्ति कराने में असमर्थ है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

शासन ने उनकी नियुक्ति के लिए पहले ही यूनिवर्सिटी को लिख दिया था लेकिन उनकी गवर्निंग बाडी ने उसे नहीं माना । माननीय सदस्य चाहेंगे, तो हम दोबारा शासन की तरफ से यूनिवर्सिटी को लिख देंगे कि इस मामले पर वह सहानुभूतिपूर्वक विचार करे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मथुरिया की नियुक्ति न करने में शासन के निर्देशों की विश्वविद्यालय ने अवहेलना की तो शासन द्वारा विश्वविद्यालय के खिलाफ विधिक कार्यवाही न करने का क्या कारण है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्था है और उसकी जो गवर्निंग बाडी है, उसको सुप्रीम पावर है । हम उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, केवल निर्देश तथा सलाह दे सकते हैं ।

*17--श्री मित्रसेन--

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित]

*18--श्री मोहन सिंह--

[6ठें सोमवार के लिए स्थगित]

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

यमुना कलोनी, देहरादून में टिहरी व यमुना परियोजनाओं के कर्मचारियों का अनशन

**1--श्री गुलाब सिंह--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि देहरादून यमुना कालोनी में टिहरी व यमुना परियोजनाओं के कर्मचारियों ने किन-किन मांगों को लेकर 15 मई, 1980 से क्रमिक अनशन तथा 16-6-80 से आमरण अनशन कर रखा है ? सरकार ने उनकी मांगों की पूर्ति के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)—

यमुना कालोनी, देहरादून में टिहरी व यमुना परियोजनाओं के कर्मचारियों ने तीन वर्ष से अधिक सेवा वाले कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित किये जाने, तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत रेगुलर कर्मचारियों को स्थायी किये जाने, कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियमित अधिष्ठान के कर्मचारियों की भांति वेतन एवं अन्य सुविधायें दिये जाने तथा ऋषिकेश एवं चिल्ला में पर्वतीय विकास भत्ता दिये जाने एवं अनेक मांगों को लेकर 15 मई, 1980 से क्रमिक तथा 16-6-80 से आमरण अनशन कर रखा था। कर्मचारियों की मांगों पर यूनियन के प्रतिनिधियों से दिनांक 18-5-80, 22-5-80, 14-6-80 को अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (टिहरी एवं यमुना) द्वारा विस्तारपूर्वक वार्ता की गयी जो अनशन को समाप्त करने में सफल न हो सकी, क्योंकि मुख्यतः मांगों में कर्मचारियों की सेवा शर्तों का नीतिमूलक परिवर्तन तथा उदारीकरण निहित है। जिन मांगों का निराकरण स्थानीय स्तर पर किया जा सकता था, उनका निराकरण, कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 5-8-1980 को वार्ता के उपरान्त कर दिया गया है व भूख हड़ताल उसी दिन समाप्त हो गयी। शेष मांगे वर्तमान नियमों तथा आदेशों के अन्तर्गत मान्य नहीं हैं।

श्री गुलाब सिंह—

क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि यमुना तथा टेहरी परियोजना के कर्मचारियों की कुल कितनी मांगे थीं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

28 मांगें एक थी और 29 मांगें दूसरी थीं।

श्री गुलाब सिंह—

इनमें खास-खास मांगें कौन सी हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह—

खास मांगों में एक यह है कि वर्क चार्ज कर्मचारियों को रेगुलर किया जाय। दूसरी यह है कि 3 वर्ष से अधिक कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी घोषित किया जाय।

(3) वर्कचार्ज कर्मचारियों को विभिन्न नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन परिलब्धियों एवं समस्त सुविधायें समान रूप से प्रदान की जाय।

(4) डाक पत्थर बैराज के कर्मचारियों को साइट एलाउन्स परियोजना में कार्यरत अन्य कर्मचारियों की भांति समान रूप से दिया जाय, इस सम्बन्ध में व्याप्त असमानता एवं विभेदपूर्ण नीति को समाप्त किया जाय।

(5) ऋषिकेश एवं चिल्ला परियोजना में पर्वतीय विकास भत्ता प्रदान किया जाय।

(6) परियोजना पर कार्यरत कर्मचारियों को जो अपने अन्तिम वेतन पूर्ण कर लिये हैं उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ से वंचित रखा गया जो न्यायोचित नहीं है, अतः मांग है कि उनके वेतन क्रम बदलकर वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाय।

(7) डाक पत्थर बैराज के कर्मचारियों के वर्तमान समय में लिये जा रहे विद्युत् शुल्क को संशोधित करके नियमानुसार अन्य कर्मचारियों की भांति लिया जाय।

मान्यवर, इस तरह से 28 मांगें हैं।

श्री रियासत हुसेन--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कुछ मांगें तो आपने मान ली हैं और कुछ मांगें मानने के योग्य नहीं हैं तो वे कौन सी मांगें हैं जिन्हें शासन नहीं मान रहा है ? और उसके क्या कारण हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, चिल्ला और ऋषिकेश में पर्वतीय भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में है। इस पर अभी विचार हो रहा है। जब तक कोई बात इस बारे में तय न हो जाय, कहना सम्भव नहीं है।

दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि उन्हें रेगुलर कर दिया जाय। मान्यवर, करने के जो नियम रेगुलर हैं उसी के अनुसार काम हो रहा है। यह उनकी मांगें भी थी। और भी बहुत सी ऐसी मांगें थी जिनको लेकर उन्होंने हड़ताल कर लिया।

श्री मित्रसेन--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन कर्मचारियों की मांगों को मानने पर सरकार के ऊपर कितना वित्तीय भार पड़ेगा ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री गुलाब सिंह--

क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे जैसा कि उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कौन-कौन सी ऐसी मांगें हैं जो कर्मचारियों की सेवा शर्तों और नीति मूलक सिद्धान्तों के अनुसार अधिकारी स्तर पर तय नहीं की जा सकती हैं ? उनके सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मैंने निवेदन किया कि सरकार विचार कर रही है।

श्री रियासत हुसेन--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि भत्ते वगैरह के बारे में सरकार विचार कर रही है, क्या वे यह भी बतायेंगे कि उन्होंने अपने सिंचाई विभाग के स्तर से उन मांगों को वित्त विभाग के पास भेज दिया है या अभी अपने स्तर पर ही विचार कर रहे हैं ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, यह नीति का सवाल है और पूरी गवर्नमेंट से मतलब रखता है। ये सारी बात वित्त विभाग, सिंचाई विभाग से मंत्रणा करने के बाद होगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य आपस में बात बन्द करें।

श्री गुलाब सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जब हड़ताल समाप्त हो गई, तो कुछ लोग भूख हड़ताल के समय में, जेल में भेजे गये थे और परसनल बांड पर रिहा कर दिये गये थे, इस शर्त के साथ कि सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगी। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने भी रिपोर्ट भेजी है, तो क्या सिंचाई मंत्री उनके खिलाफ कोई कार्यवाही न करने के लिये आश्वासन देंगे ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

मान्यवर, अगर कोई शर्त रखी गई थी और वह भेजी गई है कि उसमें कोई दिक्कत हो, तो उसको देखा जायेगा और उस पर विचार कर लिया जायेगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने इन अनशनकारियों से या उनके प्रतिनिधियों से कोई वार्ता की है ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

यहां उनके प्रतिनिधि आकर अपनी बात बता चुके हैं किन्तु जब हड़ताल टूट गई तब से कोई मिलने नहीं आया।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अधिकतर क्रमिक अनशन और हड़तालें न्यायोचित मांगों को लेकर होती हैं। क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि कौन-कौन सी मांग साधनों को देखते हुये मान ली गई हैं और कौन सी मांगें वित्तीय साधनों के अभाव में स्वीकार नहीं की गई हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह--

जो मांगें स्थानीय अधिकारियों के स्तर की थीं, उनके अधिकार क्षेत्र में आती थीं, उनको मान लिया, लेकिन जो शासन के स्तर की बात थी, जिसमें वित्तीय समस्यायें थीं, उनको यहां भेजा गया।

श्री गुलाब सिंह--

जो अधिकारी स्तर की बात थी, उसके संबंध में मैं जानना चाहता हूं क्योंकि 15 मई को हड़ताल शुरू हुई और 16 जून को भूख हड़ताल शुरू हुई और जो वार्ता हुई वह 18·5, 22·5 और 14·6 को हुई। इसके बाद हड़ताल 5-8-80 को समाप्त हुई। इतने दिन हड़ताल समाप्त होने में लग गये। कर्मचारियों की जो मांगें थी, वह उचित थीं उसमें अधिकारियों ने विलम्ब किया जिस कारण इतना समय लग गया, तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिनके कारण हड़ताल होने की वजह से इतना नुकसान हुआ ?

श्री वीर बहादुर सिंह--

इसमें कहा गया है कि जो वहां के स्तर की थी, वहां पर मान ली गयी, लेकिन यह बात सही है कि हड़ताल चलती रही, अनशन चलता रहा, लेकिन इसमें कुछ बातें जिनके लिए अधिकारियों को यहां से विचार-विमर्श करना था, इसलिये उनमें देर हुई।

रामनगर, वाराणसी की डेयरी की बन्दी

**2--श्री ऊदल (अनुपस्थित)--

क्या पशुधन मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि रामनगर, वाराणसी में डेयरी मार्च सन् 80 से बन्द पड़ी है और लाखों रुपयों का घाटा हो चुका है और हो रहा है ? यदि हां, तो इसको ठीक करन के लिये क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह सत्य है कि 3 करोड़ रुपया लगा देने के बाद भी पावडर, दुग्ध, मक्खन आदि का उत्पादन भी नहीं हो पाया ह ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

डेयरी को सुचारु रूप से चलाने हेतु निम्न कार्यवाही की जा रही है :--

1--आपरेशनल डेफीसिट को पूरा करने के लिये शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

2--दुग्ध की उपलब्धि बढ़ाने हेतु प्रारम्भिक दुग्ध सहकारी समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है ।

3--पशुपालन विभाग द्वारा दुधारू पशुओं के इलाज, दुधारू पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान इत्यादि कार्यक्रमो को प्रभावी रूप से प्रारम्भ कर दिया गया है ताकि दूध का उपार्जन बढ़ सके ।

4--डेयरी के स्टाफ को मिल्क शेड क्षेत्र में दुग्ध उपार्जन बढ़ाने के लिये लगाया गया है ।

5--विभिन्न विभागों का उचित समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मण्डल आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है ।

जी नहीं ।

श्री भीखा लाल--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि डेरी कब से बन्द है ? जिस समय बन्द हुई थी, उस समय कितना घाटा था ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, डेरी में वर्ष 1978-79 में 35.25 लाख और 1979-80 में 47.80 लाख रु0 का नुकसान हुआ है ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी यह देखते हुए कि मिल्क फेडरेशन पूरे सूबे में चार करोड़ रुपये के घाटे पर चल रहा है, जिसका एक पार्ट यह बनारस की डेयरी है । सन् 75 से यह मामला सदन में आता रहा है और आश्वासन मिलता रहा

**नोट :--प्रश्नकर्ता के अनुपस्थित होने पर अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 श्री भीखा लाल ने पूछा ।

है कि इस पर कार्यवाही की जायेगी, इन्क्वायरी की जायेगी और कोई तरीका निकाला जायेगा । म जानना चाहता हूं कि अब वह कोई स्पष्ट रूप से आश्वासन देंगे कि इतने समय के अंदर जो भी कार्यवाही होगी, कर दी जायेगी ताकि डेरी फेडरेशन फायदे में चल सके ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, निश्चित समय देना बहुत मुश्किल बात है, किन्तु शासन का निश्चित मत है कि शीघ्र ही जो कमियां हैं, उनको दूर किया जाय ताकि डेयरी व्यवस्था प्रदेश भर में सुचारू रूप से चल सके ।

श्री मोतीलाल देहलवी--

यह देखते हुए कि डेयरियां अक्सर घाटे पर चल रही हैं और सरकार को इनसे करोड़ों रुपये का नुकसान होता है और यह चीज सरकार की जानकारी में भी है, तो क्या सरकार ने इसके लिए कोई सर्वेक्षण करने का इरादा किया है कि यह घाटा क्यों होता ह ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस डेयरी में घाटे का मुख्य कारण यह था कि इस डेयरी को यहां पर स्थापित कर दिया गया, किन्तु जो वर्किंग कैपिटल और आपरेशनल डैफिशिट की जो व्यवस्था होनी थी, वह नहीं हो पाई थी, इस वजह से डेयरी में नुकसान हुआ । अब धन का इन्तजाम किया जा रहा है तथा मामला शासन के विचाराधीन है । मेरा ख्याल है कि धन का इन्तजाम हो जाएगा, तो यह डेयरी सुचारू रूप से चल जाएगी ।

श्री हुकुम सिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डेयरी बन्द होने के कारण, वहां के पशुओं से अब कितना उत्पादन हो रहा है और डेयरी बन्द होने पर उस उत्पादन को क्या और कहां खपत है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इस समय करीब सवा पांच सौ लीटर दूध प्रति दिन मिल रहा है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या वहां पर अच्छे किस्म के गाय और भैंस के विकास के लिए भी कोई व्यवस्था थी, यदि हां, तो वह योजना क्या थी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, यह व्यवस्था की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन--

इस दुग्ध संघ और पूरे प्रदेश के दुग्ध संघ के कर्मचारियों ने जब हड़ताल की थी, उस वक्त तत्कालीन मिल्क कमिश्नर, श्री भोलानाथ तिवारी के साथ 19 अक्टूबर, 1979 को जो समझौता हुआ था, उसमें सारी चीजें निहित थीं, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त समझौते के ऊपर क्या कार्यवाही हुई हैं या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं हुई ?

श्री बलराम सिंह यादव—

इसकी तो जानकारी नहीं है, यदि इस तरह का कोई सुझाव आया है या समझौता हुआ है, तो उस पर अवश्य सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और उसको लागू करन का प्रयास किया जाएगा ।

श्री भीखालाल—

इस डेयरी में किसानों की अंश पूंजी कितनी है और सरकार का कितना पैसा लगा है और जब डेयरी के पास वर्किंग-कैपिटल की कमी थी, तो घाटा किस कारण से हो गया ?

श्री बलराम सिंह यादव—

यहां पर घाटा इसलिए हुआ कि जब वर्किंग कैपिटल नहीं थी, तो किसानों को दूध का पेमेंट समय पर नहीं हो पाया, जिससे उनके द्वारा दूध की सप्लाई नहीं हो पाई । इसमें राज्य सरकार ने 117.65 लाख रुपया और इंडियन डेरी कारपोरेशन ने 83.05 लाख रुपया लगाया है ।

श्री मित्रसेन—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सारी डेरियां घाटे पर चल रही हैं, तो क्या स्थापना होते समय इस बात का विचार नहीं किया जाता कि इनको कहां लगाया जाए, जिससे घाटा न हो सके ?

(मुख्य मंत्री के सदन में आने पर विरोध पक्ष की ओर से भेजे थपथपाई गई ।)

श्री बलराम सिंह यादव—

इस बात का तो जवाब आप लोग ही दे सकते हैं क्योंकि इसकी स्थापना आप लोगों के समय में ही हुई थी ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

राज्य में जितने भी संगठन सरकार की ओर से संचालित किये जा रहे हैं, सबमें घाटा है और मुझे यह भी जानकारी मिली है कि यह अधिकारियों की मिली भगत से घाटा हो रहा है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह इसके लिए क्या रास्ता निकालने जा रहे हैं ?

श्री बलराम सिंह यादव—

माननीय सदस्य को मायूस होने की आवश्यकता नहीं है । प्रयास किया जायेगा और जो घाटा हो रहा है उसको लाभ में परिवर्तित किया जायेगा ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

माननीय, मुझे सबसे अधिक दुःख है और मैं सूख भी इसीलिए रहा हूं कि अरबों खरबों रुपये का राष्ट्र को नुकसान पहुंच रहा है और इसका भार जनता पर पड़ता जा रहा है, इसको माननीय मंत्री जी को कोई चिन्ता नहीं है और सरकार इस पर विचार नहीं कर रही है ।

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, सरकार को बहुत ज्यादा चिन्ता है। जितनी चिन्ता माननीय सदस्य को है, उससे कम सरकार को नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या माननीय सदस्य के लिए दूध की कोई खास व्यवस्था हो सकती है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

प्रयास किया जा रहा है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

यदि हमारे शरीर की मंत्री जी से तुलना की जाय, तो क्या कारण है कि वे इतने मोटे हैं।

अतारांकित प्रश्न

विकास खण्ड, गोसाईगंज, जिला लखनऊ के सहायक खण्ड विकास अधिकारी की खण्ड विकास अधिकारी के पद पर पदोन्नति

1--श्री सन्त बख्श रावत--

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के विकास खण्ड गोसाईगंज एवं माल में कौन-कौन सहायक खण्ड विकास अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी दिनांक 14-7-80 के पूर्व स्थानापन्न रूप में कार्य कर रहे थे ? क्या यह सही है कि ज्येष्ठ सहायक खण्ड विकास अधिकारी, गोसाईगंज को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और कनिष्ठ सहायक खण्ड विकास अधिकारी, माल को कार्यरत रखा गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

2--श्री नन्द किशोर सिंह तथा श्री कुबेर भण्डारी--

[15-9-80 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3 द्वारा उत्तरित]

सहायक कृषि निरीक्षक, श्री राम सुन्दर सिंह शेरे, जिला हरदोई का शिकायती-पत्र

3--श्री मोहन सिंह तथा श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि हरदोई जनपद के एक सहायक कृषि निरीक्षक (राम सुन्दर सिंह शेरे) द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को प्रेषित प्रतिवेदन दिनांक 28-2-77 पर उपेक्षित जांच कार्यवाही के फलस्वरूप शासन को विधायकों के पत्र दिनांक 29-9-77 एवं 9-7-80 आवश्यक जांच हेतु प्राप्त हुआ है ? जिसमें 16 आरोपों की जांच हेतु मांगें प्रस्तुत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिवेदन के साथ अविलम्बनीय जांच कराने के 16 आरोपों को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जी हां । श्री राम सुन्दर सिंह शेरे, भूतपूर्व सहायक कृषि निरीक्षक के प्रतिवेदन में जिन 16 आरोपों का उल्लेख है, उसका संक्षिप्त विवरण संलग्न सूची म दिया गया है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 687 पर)

प्रतापगढ़ जिले के ग्राम पणवासी में हरिजन कूप निर्माण सम्बन्धी शिकायती-पत्र

4---श्री राम आसरे वर्मा---

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक सदर, ग्राम पणवासी में एक हरिजन कूप विकास खण्ड की ओर से सन् 1971-72 में बनवाया गया ? क्या यह सही है कि उक्त कुएं का निर्माण निजी तौर पर उसी गांव के हरिजन श्री रमई एवं श्री मथुरा ने अपने पैसों से बनाया किन्तु प्रधान एवं विकास खण्ड के अधिकारियों ने कुएं के निर्माण के नाम पर पैसा निकाल लिया ? क्या इस सिलसिले में एक शिकायती-पत्र 7 फरवरी, 1975 को डी० पी० ओ० को दिया गया ? यदि हां, तो डी० पी० ओ० द्वारा की गयी जांच की रिपोर्ट क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी---

वर्ष 1971-72 में पेयजल योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड सदर, जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम पणवासी में श्री बचई राम पुत्र श्री रामसुचित को कूप निर्माण हेतु दिनांक 21-8-1972 को 2,200 रुपये का अनुदान तत्कालीन अध्यक्ष जिला परिषद् और मुख्य अधिकारी द्वारा 3,367 रुपया के व्यय के विरुद्ध स्वीकृत किया गया । गांव में कुआँ बना है, जिसके निर्माण कार्य पूर्ति का सत्यापन, ग्राम प्रधान पणवासी और सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), विकास खण्ड सदर, ने किया है । इस बात की जानकारी नहीं है कि नव निर्मित कूप निजी तौर पर उसी गांव के हरिजन श्री रमई एवं श्री मथुरा ने अपने पैसों से बनाया । प्रश्नगत कूप के निर्माण के सम्बन्ध में अनुदान की धनराशि का भुगतान श्री बचई राम को उनके द्वारा प्रस्तुत 3,367 के व्यय के वाउचर्स के आधार पर ग्राम प्रधान एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के सत्यापन पर किया गया है ।

प्रश्न में कथित दिनांक 7-2-1975 का शिकायती-पत्र जिला विकास कार्यालय की सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध नहीं है । अतः उक्त शिकायती-पत्र के आधार पर जांच रिपोर्ट का प्रश्न नहीं उठता ।

बीज गोदाम, डिडई, जिला बस्ती के सहायक कृषि निरीक्षक के विरुद्ध शिकायती-पत्र

5---श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि कृषि बीज गोदाम डिडई, विकास खण्ड रुधौली, जनपद बस्ती के इंचार्ज सहायक कृषि निरीक्षक के विरुद्ध उस क्षेत्र के किसानों ने खण्ड विकास अधिकारी रुधौली को कोई शिकायती-पत्र माह मई-जून, 1980 में दिया था ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का शिकायती-पत्र भी 7-6-80 को कृषि मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या खण्ड विकास, अधिकारी, रुधौली के कोई जांच आख्या जिला विकास अधिकारी, बस्ती को

माह जून, 1980 में प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो खण्ड विकास अधिकारी की जांच आख्या क्या है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

आजमगढ़ जिले में भूतपूर्व योजना मंत्री श्री डी० पी० धर के नेतृत्व में हुए सम्मेलन में पारित प्रस्ताव

6--श्री दल सिंगार यादव--

क्या सरकार 1972-73 में आजमगढ़ जनपद के विकास हेतु भूतपूर्व योजना मंत्री श्री डी० पी० धर के नेतृत्व में विकास सम्मेलन हुआ था जिसमें प्रदेश एवं देश के मंत्री व अधिकारीगणों ने भाग लिया था ? यदि हां, तो विकास सम्मेलन में प्रस्तावित प्रस्ताव क्या था और उन प्रस्तावों के आधार पर आजमगढ़ जनपद में क्या कार्य सम्पन्न हुआ क्या सरकार उसकी प्रगति रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां । परन्तु प्रश्नगत सम्मेलन चूंकि अशासकीय था अतः उसके प्रस्तावों पर शासन स्तर पर कार्यवाही सम्पन्न किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

7--श्री दल सिंगार यादव--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त]

गोरखपुर जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कूपों का कथित निर्माण

8--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1979-80 में गोरखपुर जिले में खाद्यान्न योजना में कितने कूपों का निर्माण व कितने की सफाई की गयी ? क्या कुछ कूपों की सफाई न करने और खाद्यान्न में घपला किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो सरकार जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1979-80 में गोरखपुर जनपद में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत न तो पेय कूपों का निर्माण कराया गया और नहीं कूपों की सफाई की गई है । कूप की सफाई न करने तथा खाद्यान्न में घपला किए जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । प्रश्न के अन्तिम भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

9--श्रीमती गौरी देवी--

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फैजाबाद जिले के ग्राम सैदपुर भितरी में हरिजन कालोनी का निर्माण

10--श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अकबरपुर, जिला फैजाबाद के ग्राम सैदपुर भितरी में हरिजन कालोनी बनी है ? यदि हां, तो उक्त कालोनी में कितने

[श्री प्रियदर्शी जेतली तथा श्री जियाराम शुक्ल विकल साकेती---]

मकान बनने मंजूर हुये थे और अब तक कितने बने हैं? क्या यह सही है कि जो मकान बने हैं वह भी रहने के काबिल नहीं हैं ?

श्री अम्मार रिजवी---

जिला फैजाबाद, तहसील अकबरपुर के ग्राम सैदपुर भितरी में 19 मकानों की हरिजन कालोनी प्रस्तावित थी जिसम से अब तक केवल 2 मकान बने हैं। जांच में मौके पर बताया गया कि उक्त दोनों मकान टपकते हैं।

नारायण कोल्ड स्टोरेज, जिला मुरादाबाद में आलू का भण्डारण एवं प्रतिकर का भुगतान

11---श्री शिवपाल सिंह---

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नारायण कोल्ड स्टोरेज स्थिति स्टेशन रोड बिलारी, जनपद मुरादाबाद ने 79-80 का कोई विधिवत् लाइसेन्स आलू भंडारण हेतु प्राप्त किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि 79-80 में उपरोक्त कोल्ड स्टोरेज में कितना आलू भंडारण किया गया औ उसमें से कितना आलू सड़ गया जो किसानों को वापस नहीं किया गया ? उसमें से कितने आलू का प्रतिकर कानून के अनुसार किसानों को दिलाया जा सका ?

श्री बलराम सिंह यादव---

जी हां।

वर्ष 1979 में 16,349·39 कुंतल आलू भण्डारित किया गया। कोई आलू सड़ने की सूचना नहीं मिली। परन्तु 5680 कुंतल आलू एक भाण्डारणकर्त्ता द्वारा नहीं उठाया गया। जिसका प्रतिकर दिलवाने की कार्यवाही की जा रही है।

वाराणसी जिले में मत्स्यपालन हेतु तालाब निर्माण के लिये दिया गया ऋण

12---श्री ऊदल---

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 79-80 में स्थानीय योजना के अन्तर्गत तालाब खोदने हेतु मत्स्यपालन के उद्देश्य से जिला परिषद् वाराणसी ने 12 व्यक्तियों को करीब 4 लाख रुपया दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि एक व्यक्ति को छोड़कर शेष 11 लोगों ने अभी तक तालाब खोदाई का कार्य शुरू नहीं किया है ? उक्त 12 व्यक्तियों के नाम तथा पता क्या हैं ?

श्री अम्मार रिजवी---

वर्ष 1979-80 में स्थानीय विकास योजना के अन्तर्गत मत्स्य पालन हेतु जिसमें तालाब की खोदाई भी सम्मिलित है, जिला परिषद् वाराणसी ने 13 व्यक्तियों को कुल 2,27,000 रु0 ऋण स्वीकृत किया है। जिसमें 1,97,700·00 का भुगतान हो चुका है। इसमें से 5 व्यक्तियों की परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा चुका है, शेष 8 व्यक्तियों का मूल्यांकन अभी किया जा रहा है। उक्त 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने ऋण का सदुपयोग किया है। एक ने ऋण का सदुपयोग नहीं किया है, जिनसे एक मुश्त ऋण के वसूली का आदेश जारी कर दिया गया है। तथा 3 व्यक्तियों ने अभी कोई व्यय नहीं किया है, किन्तु इनके

मामले में अभी कुछ जांच और चल रही है । इन 13 व्यक्तियों के नाम व पते संलग्न सूची "क" में अंकित हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 689 पर)

13--श्रीमती गौरी देवी--

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 39 के द्वारा उत्तरित]

14--श्रीमती गौरी देवी--

[2रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 40 के द्वारा उत्तरित]

लघु कृषक विकास अभिकरण, गोरखपुर के प्रशासन पर व्यय की गयी धनराशि

15--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर लघु सीमान्त कृषक विकास अभिकरण द्वारा गत वर्ष प्रशासनिक व्यय के नाम पर लगभग दो लाख 25 हजार रुपये की भारी रकम खर्च की गई ? यदि हां, तो उक्त धनराशि किस-किस मद में किन-किन वस्तुओं के लिये कहां-कहां खर्च की गई ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां

गत वर्ष लघु कृषक विकास अभिकरण, गोरखपुर के अन्तर्गत प्रशासन मद में हुए 2·25 लाख रुपये के व्यय के विवरण निम्न प्रकार हैं :

व्यय के मद का नाम	धनराशि
	लाख रु0 में
1--वेतन तथा भत्ते	1·80
2--कार्यालय व्यय जिसमें मकान किराया, बिजली चार्जेज, कार्यालय सामानों का क्रय आदि सम्मिलित हैं	0·32
3--पेट्रोल (अभिकरण एवं विकास खण्डों की जीप गाड़ियों पर)	0·13
योग . .	2·25

16--श्रीमती गौरी देवी--

[6ठें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 60 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

गोरखपुर जिले में लघु कृषक विकास अभिकरण द्वारा कृषकों को दी गयी धनराशि

17--श्रीमती गौरी देवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर लघु सीमान्त कृषक विकास अभिकरण द्वारा गत वर्ष लघु व सीमान्त कृषकों को कितने धनराशि की सहायता दी गई ? इस वर्ष 80 में माह जून तक कितनी सहायता दी गई ? क्या यह सही है कि गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष कार्य में ह्रास हुआ है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी--

वर्ष 1979-80 में लघु कृषक विकास अभिकरण, गोरखपुर के अन्तर्गत कुल 22·00 लाख रुपया व्यय हुआ । वर्ष 1980-81 में जून, 1980 तक केवल 0·43 लाख रु0 व्यय हुआ । उक्त अभिकरण में गत वर्ष जून, 1979 तक हुई वित्तीय प्रगति की तुलना में इस वर्ष प्रगति में ह्रास हुआ है । प्रगति में सुधार लाने हेतु जिलाधिकारी, गोरखपुर को निर्देश भेजे जा रहे हैं ।

वाराणसी जिले के कतिपय विकास खण्डों में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण

18--श्री ऊदल--

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक पिंडरा एवं चोलापुर हरहुआ तथा बड़ागांव जिला वाराणसी, में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कितने किलो मीटर किन-किन मार्गों का निर्माण किया गया और उस पर कितना खाद्यान्न बांटा गया ? क्या यह भी सही है कि अभी भी मजदूरों की मजदूरी बकाया पड़ी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

विकास खण्ड पिंडरा, चोलापुर, हरहुआ तथा बड़ागांव, जिला वाराणसी में खाद्यान्न के अन्तर्गत 31 अगस्त, 1980 तक निर्मित मार्गों की संख्या, लम्बाई तथा वितरित खाद्यान्न की मात्रा का विवरण विकास खण्डवार निम्न प्रकार है :--

	विकास खण्ड	निर्मित मार्गों की संख्या एवं लम्बाई (कि0 मी0)		वितरित खाद्यान्न की मात्रा (कुन्तल में)
		संख्या	लम्बाई	
1	पिंडरा	6	12·051	731·51·000
2	चोलापुर	10	12·101	538·01·578
3	हरहुआ	7	10·990	660·90·560
4	बड़ागांव	9	27·620	2480·40·891
	योग ..	32	62·762	4410·84·029

निर्मित मार्गों पर मजदूरों की मजदूरी का वितरण शेष नहीं है ।

गोरखपुर जिले में लघु कृषक विकास अभिकरण द्वारा कृषकों को दी गयी धनराशि

19--श्रीमती गौरी देवी ---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर लघु सीमान्त कृषक विकास अभिकरण द्वारा गत वर्ष लघु कृषकों को 19 लाख रुपये के लगभग सहायता दी गई जबकि इस वर्ष जून 80, तक मात्र 43 हजार को सहायता दी गई तथा सीमान्त कृषकों को उक्त अवधि तक 4 हजार रुपये को सहायता दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी जिला परिषद् के कन्या प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल एवं इन्टर कालेज के शौचालय निर्माण हेतु दिया गया अनुदान

20---श्री ऊदल--

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 68 से सन् 72 तक परिषदीय विद्यालयों के भवन निर्माण एवं लड़कियों के प्राइमरी, जू0 हा0 स्कूल एवं इन्टर कालेजों में शौचालय निर्माण हेतु 10 लाख रुपया जिला परिषद्, वाराणसी को दिया गया है ? यदि हां, तो कितने भवन के निर्माण किये गये और कितने शौचालयों का निर्माण कन्या स्कूलों में किया गया ? कितना रुपया खर्च हुआ और शेष कितना बचा है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जिला परिषद्, वाराणसी को वर्ष 1967-68 से वर्ष 1971-72 तक विद्यालय भवन के निर्माण, सुधार मरम्मत आदि के लिए (शौचालय निर्माण हेतु 1,200 रुपये की धनराशि शामिल करते हुये) कुल 23,88,700 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई थी ।

इस धनराशि से 221 विद्यालय भवनों का निर्माण, 586 विद्यालय भवनों की मरम्मत/सुधार एवं 2 शौचालयों का निर्माण हुआ ।

कुल 24,53,707 रुपये की धनराशि जिला परिषद् द्वारा इन कार्यों पर व्यय की गई है जो प्राप्त अनुदान से अधिक है । अतः धनराशि अवशेष होने का प्रश्न नहीं उठता ।

21--श्री मित्रसेन---

[6ठें सोमवार के लिये स्थगित]

विधान सभा क्षेत्र बस्ती, जिला बस्ती के अन्तर्गत खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों एवं पुलियों का निर्माण

22--कुमारी अलमेलू अम्माल--

क्या पंचायत राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले के विधान सभा क्षेत्र बस्ती के अन्तर्गत काम के बदले अनाज योजना में बनी सड़कों में पानी के

[कुमारी अलमेलू अम्माल--]

निकास के लिए पुलिया न बनाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र की जगह-जगह कटी सड़कों पर पुलिया बनाकर उन्हें यातायात के योग्य बनाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत बनी सड़कों पर पानी के निकास के लिये पुलिया बनवाये जाने के निमित्त विकास क्षेत्र बस्ती सदर, साऊंघाट बनकटी में हयूम पाइप की आपूर्ति की जा चुकी है । विकास क्षेत्र, बनकटी में एक मार्ग पर 2 पुलियों का निर्माण क्षेत्र निधि के धन से किया जा रहा है । विकास क्षेत्र साऊंघाट में तीन मार्गों पर पानी के निकास हेतु 6 हयूम पाइप अस्थायी तौर पर लगाये जा चुके हैं । पुलियों का निर्माण धनराशि की व्यवस्था होने पर ही करना सम्भव हो सकेगा ।

मैनपुरी जिले में ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत किया गया कार्य

23--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में भूमि संरक्षण कार्यक्रम तथा ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत अब तक किन ग्राम सभाओं की भूमि पर कार्य हुआ है तथा यह भूमि किन किसानों को आवंटित की गयी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मैनपुरी जनपद की 57 ग्राम सभाओं की भूमि पर ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत कार्य चलाया गया तथा यह भूमि 798 किसानों एवं एक शिक्षा संस्था को आवंटित की गयी ।

मैनपुरी जिले के सिरसागंज, धिरौर तथा बेवर में मन्डी स्थल के निर्माण की मांग

24--श्री लल्लू सिंह चौहान--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मैनपुरी जनपद में सिरसागंज, धिरौर, बेवर और शिकोहाबाद मन्डी स्थलों के लिए स्थान चयन किया जा चुका है ? यदि हां, तो मन्डी स्थल बन चुकने के बाद भी कार्य प्रारम्भ क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद मैनपुरी की मंडी समिति सिरसागंज धिरौर तथा बेवर के मंडी स्थल निर्माण हेतु भूमि का चयन अभी अन्तिम रूप से नहीं किया जा सका है । मंडी समिति, शिकोहाबाद के मंडी स्थल निर्माण के लिये भूमि का चयन किया जा चुका है किन्तु अर्जन का प्रस्ताव शासन को अभी जिलाधिकारी ने नहीं भेजा है केवल कुछ ग्राम सभा की भूमि के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है जिस पर यथोचित कार्यवाही की जा रही है ।

चूकि मंडी स्थलों के लिये प्रस्तावित भूमि अभी अधिग्रहीत/पुनर्ग्रहीत नहीं की जा सकी है, अतः मडी स्थल के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री बाबूराम, पौन्डकीपर, जिला परिषद्, हरदोई की पुनर्नियुक्ति

25--श्री भीखा लाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या शासनादेश 131 ज0प्र0/33-1--44-बी (5)-78, दिनांक 21 नवम्बर, 1978 द्वारा श्री बाबूराम, पौन्डकीपर की सेवाऐं जिला परिषद्, हरदोई के अन्तर्गत बहाल की गयी थीं ? यदि हां, तो उपरोक्त शासनादेश का पूर्ण रूप से क्रियान्वयन हो गया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

श्री बाबू राम, पौन्डकीपर, जिला परिषद्, हरदोई की सेवाएं स्टाफ में कमी के कारण समाप्त की गई थीं उसकी पुनर्नियुक्ति के आदेश शासनादेश संख्या 3366-क/33-1--44-बी(5)/77, दिनांक 5 जून, 1978 में अध्यक्ष, जिला परिषद्, हरदोई को दिए गए। शासनादेश संख्या 131 ज0प्र0/33-1--44-बी (5)-78, दिनांक 21-11-78 द्वारा जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परिषद्, हरदोई को यह आदेश भी दिए गए कि श्री बाबूराम की पुनर्नियुक्ति उनके आसन्न कनिष्ठ की पुनर्नियुक्ति की तिथि से मानी जायेगी। जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद्, हरदोई ने अपने पत्रांक 456/अधि0 लि0, दिनांक 26-12-78 द्वारा सूचित किया कि श्री बाबूराम ने अपनी सेवा समाप्ति आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण में याचिका दायर कर रखी है। अतः अग्रिम कार्यवाही याची द्वारा लोक सेवा अधिकरण में प्रस्तुत याचिका के निर्णय तक स्थगित रखी जाय।

मेरठ जिले में आलू के कारखाने के निर्माण का प्रस्ताव

26--श्री मन्जूर अहमद--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार मेरठ में आलू उत्पादकों की सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आलू का कोई कारखाना बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो यह कारखाना कब तक तैयार हो जायगा ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां। औपचारिकताओं के पूर्ण होने पर।

27--श्री मित्र सेन--

[6ठे सोमवार के लिये स्थगित]

28--श्री शिलभिट राम--

[6ठे सोमवार के लिये स्थगित]

आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सुविधा दिए जाने पर विचार

29--श्री श्याम लाल वाजपेयी--

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान सरकार आरक्षण नीति का आधार जाति के बजाए आर्थिक पिछड़ेपन के मापदण्ड पर करने का सोच रही है ? यदि हां, तो आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण नीति कब से लागू हो जाने की सम्भावना है ?

श्री अम्मार रिजवी--

यह विषय शासन के विचाराधीन हैं ।

30--श्री नन्द किशोर सिंह--

[6ठे सोमवार के लिए स्थगित]

मथुरा विकास क्षेत्र एवं गोवरधन विकास क्षेत्र, जिला मथुरा में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत किए गए कार्य

31--श्री कन्हैया लाल--

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछले वर्ष जनपद मथुरा के मथुरा विकास क्षेत्र एवं गोवरधन विकास क्षेत्रों के अन्तर्गत अलग-अलग काम के बदले अनाज योजना एवं सूखा योजना के अन्तर्गत कुल कितना कार्य हुआ (वर्ग मीटरों में) एवं इस कार्य के बदले कुल कितना खाद्यान्न वितरित हुआ ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्रित की जा रही ।

32--श्री राम लाल--

[6ठे सोमवार के लिए स्थगित]

पंचायत सेवक एवं ग्राम सेवकों का यात्रा भत्ता

33--श्री बलबीर सिंह--

क्या पंचायत राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत सेवक, ग्राम सेवक को साइकिल भत्ता व यात्रा भत्ता दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

पंचायत सेवक तथा ग्राम सेवक को नियत मासिक भत्ता अपने क्षेत्र के अन्दर यात्राओं हेतु दिया जाता है । क्षेत्र के बाहर यात्रा हेतु नियमों के अनुसार अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति यात्रा भत्ता दिया जाता है ।

माधुरी कुण्ड फार्म, जिला मथुरा का क्षेत्रफल एवं पशुओं की संख्या

34--कन्हैया लाल--

क्या कृषि मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला अन्तर्गत माधुरी कुण्ड फार्म कुल कितने एकड़ भूमि पर स्थित है और कितनी भूमि पर कृषि होती है एवं कितनी भूमि चरागाह के लिए सुरक्षित है ? क्या मंत्री जी कृपया बतायेंग कि उक्त फार्म में इस समय विद्यमान पशुओं (गाय, भैंस या संतति) की संख्या क्या है तथा उक्त फाम का पिछले 3 वर्षों का आय-व्ययक का लेखा भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मथुरा जिले में स्थित माधुरी कुण्ड फार्म का कुल क्षेत्रफल 1396.29 एकड़ है तथा प्रक्षेत्र के 722.88 एकड़ भूमि पर कृषि होती है और 623.62

एकड़ भूमि चरागाह के लिए सुरक्षित है। इस प्रक्षेत्र में इस समय 897 पशु हैं।

इस प्रक्षेत्र का वर्ष 1977–78, 1978–79 तथा 1979–80 का आय–व्यय का लेखा इस प्रकार है––

वर्ष	आय (रुपयों में)	व्यय (रुपयों में)
1977–78	9,05,119.36	12,64,468.22
1978–79	10,28,510.74	13,50,553.18
1979–80	9,71,762.15	12,06,500.10

बहराइच जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत किये गये विभिन्न कार्य

35– श्री राज किशोर राव––

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बहराइच जनपद के विकास खण्डों में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कितने जलाशयों, कुओं एवं सड़कों की पटाई एवं खुदाई दिनांक 10 जून, 1980 तक हुई है ? क्या यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड कैसरगंज में उक्त योजना के अन्तर्गत कितने पोखरों, कुओं की खुदाई एवं सड़कों का निर्माण दिनांक 10 जून, 1980 तक किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में इकौना विकास खण्ड में कार्य की प्रगति अत्यन्त मन्द है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या किसी दोषी अधिकारी एवं कर्मचारी को दंडित किया गया, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी––

जनपद बहराइच के विकास खण्डों में श्रम हेतु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 10 जून, 1980 तक किए गये विभिन्न कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है––

कार्य विवरण	संख्या	लम्बाई
1––सम्पर्क मार्ग	180	344–230 कि0 मी0
2––जल निष्कासन के नाले	4	3.590 कि0 मी0
3––तालाबों की खुदाई (गहरा करना)	3	1.6 हेक्टर क्षेत्रफल

विकास खण्ड कैसरगंज में 10 जून, 1980 तक 48.000 कि0 मी0 लम्बाई के 26 सम्पर्क मार्ग तथा 1 हेक्टर क्षेत्रफल में 2 तालाब गहरे किये गये हैं।

जी नहीं। इकौना विकास खण्ड में उपलब्ध मजदूरों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, 17.632 कि0 मी0 लम्बाई के 12 सम्पर्क मार्गों को पूर्ण कराना सम्भव हो सका था। प्रश्न के अन्य भाग का प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र, इकौना, जिला बहराइच में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण

36—श्री राज किशोर राव—

जिला बहराइच में इकौना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विगत खाद्यान्न योजना से कौन-कौन सड़कों पर कार्य खत्म हो चुका है और किन-किन स्थानों पर पानी के निकास की पुलिया तैयार हो चुकी है ? यदि नहीं, तो मार्ग और पुलियों का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद बहराइच के इकौना विधान सभा क्षेत्र में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची में अंकित सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है । इन मार्गों पर पुलियों का निर्माण धनराशि की व्यवस्था होने पर ही किया जा सकेगा ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 690 पर)

37—श्री मोहन सिंह—

[6ठे सोमवार के लिये स्थगित ।]

पोलैण्ड की सहायता से आलू के कारखाने के निर्माण पर विचार

38—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने 4 वर्ष पूर्व निश्चय किया था कि आलू पर आधारित दो कारखाने लगाये जायेंगे ? क्या यह भी निश्चय किया गया था कि पोलैण्ड की सरकार से कारखाना स्थापित किया जाय जिसमें काफी प्रगति हो चुकी थी ? यदि हां, तो अब उस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव—

जी हां । एक कारखाना एग्रोज पोलैण्ड के सहयोग से स्थापित किया जाना है, जिनसे इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार हो रहा है । उनका उत्तर प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जाएगी ।

39—श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

[4थे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 35 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

झांसी जिले में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

40—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

क्या पंचायत राज मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में झांसी जनपद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कितनी सड़कें बनाई गईं ? माह जुलाई व अगस्त, 1980 की वर्षा में कितनी सड़क पानी में बह गईं तथा उसके प्रति शासन ने अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री अम्मार रिजवी—

झांसी जनपद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 एवं 1979-80 में 98 सम्पर्क मार्गों का निर्माण किया गया, जिनकी लम्बाई 253 कि० मी०

हैं । माह जुलाई व अगस्त, 1980 में अति वृष्टि के कारण सड़कें पूर्ण रूप से नहीं बही हैं । बल्कि 5 से 10 प्रतिशत क्षतिग्रस्त हुई हैं । वर्षा समाप्त होते ही क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार किया जायेगा ।

दुधारू पशुओं के क्रय हेतु अन्त्योदय परिवार को दी जाने वाली सहायता

41--श्री बलबीर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि अन्त्योदय द्वारा गरीबों को दी जाने वाली सहायता में दुधारू पशुओं को खरीदने को कतई मना कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

अन्त्योदय कार्यक्रम के अन्तर्गत दुधारू पशुओं को खरीदने को कतई मना नहीं किया गया है बल्कि यह निदेश दिए गए हैं कि दुधारू पशुओं के अतिरिक्त अन्य छोटे पशुओं जैसे भेंड़, बकरी, सूकर के विकास पर भी विशेष ध्यान दें । दुधारू पशुओं के क्रय के सम्बन्ध में अनियमितता न हो इसलिए एक गाइड लाइन्स निर्धारित की गई है ।

इलाहाबाद मिल्क बोर्ड पर व्यय की गयी धनराशि एवं दुग्ध का उत्पादन

42--श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी--

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद सहकारी मिल्क बोर्ड में कितनी धनराशि लगाई गई ह ? तथा इस बोर्ड में दुग्ध का उत्पादन कितना है ? क्या यह सही है कि उक्त बोर्ड में दुग्ध का उत्पादन कम है ? यदि हां, तो क्यों और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बलराम सिंह यादव--

इलाहाबाद मिल्क बोर्ड में निर्माणाधीन नई डेरी पर रु0 40,84,511.79 का व्यय हो चुका है । सहकारी वर्ष 1979-80 में औसत दुग्ध उत्पादन 2372 लीटर प्रतिदिन रहा ।

जी हां ।

इस समय मिल्क बोर्ड का कार्य वर्ष 1952 में स्थापित पुरानी डेरी की मशीनों पर किया जा रहा है जो अब जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं पुरानी डेरी के प्रांगण में नई डेरी के निर्माण तथा मशीनरी की स्थापना हेतु शासन द्वारा रु0 53.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है । इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु 6 चयनित भागों पर दुग्ध सहकारी समितियों के पुनर्गठन एवं विस्तार का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । सघन पशुधन विकास योजना के अन्तर्गत चयनित सघन क्षेत्र में दुग्धशाला विकास विभाग तथा पशुपालन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भाधान आदि का कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है ।

आलमबाग, लखनऊ में मत्स्य विभाग द्वारा अंगुलिका उगाने हेतु लिये गये कथित तालाब

43—श्रीमती प्रेमवती तिवारी—

क्या पशुधन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मत्स्य विभाग के अन्तर्गत जो प्रस्तुत बजट में अंगुलिकाओं को उगाने हेतु जो तालाब लिए गए हैं, उसमें आलमबाग, लखनऊ क्षेत्र के भी कुछ तालाब हैं ? यदि हां, तो कितने ?

श्री बलराम सिंह यादव—

मत्स्य विभाग की मत्स्य पालन योजना के अन्तर्गत अंगुलिका उगाने हेतु अभी तक आलमबाग क्षेत्र में कोई तालाब नहीं लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोरखपुर जिले के बरही–बोहाधार मार्ग का निर्माण

44—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर जिले के ब्रह्मपुर विकास खण्ड द्वारा निर्मित बरही–बोहाधार मार्ग के निर्माण में की गई अनियमितताओं की जांच सतर्कता विभाग द्वारा की जा रही है ? यदि हां, तो जांच कब तक पूरी कर ली जायगी ? क्या जांच रिपोर्ट सरकार सदन के पटल पर प्रस्तुत करेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी नहीं ।

प्रश्न के दूसरे तथा तीसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

मुरादाबाद जिले के विकास क्षेत्र, राजा का सहसपुर, गजरौला व धनौरा में विकास कार्य हेतु दी गई धनराशि

45—श्री जीराज सिंह मौर्य—

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद के विकास क्षेत्र बनियाडेढ़ पुन्दरकी राजा का सहसपुर, गजरौला, धनौरा को वित्तीय वर्ष 1977–78, 1978–79 तथा 1979–80 में विकास हेतु किस–किस मद में कितनी–कितनी धनराशि आवंटित की गई थी ?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 692 पर)

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, तुलसीपुर, जिला गोण्डा द्वारा नचौरा–जहदरिया मार्ग का निर्माण

46—श्री अकबाल हुसैन—

क्या कृषि मन्त्री को मालूम है कि जनपद गोंडा, विकास खंड गैंसड़ी में नचौरा–जहदरिया सम्पर्क मार्ग तुलसीपुर कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा जनवरी,

सन् 1978 से निर्माणाधीन है जिस पर अभी तक मिट्टी के अलावा पुलिया तथा खड़ंजा का कार्य शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस मार्ग पर पुलिया तथा खड़ंजा शीघ्र लगवाएगी ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जनपद गोंडा के विकास खंड गैंसड़ी में कृषि उत्पादन मंडी समिति, तुलसीपुर द्वारा नचौरा जहदरिया सम्पर्क मार्ग पर मिट्टी का कार्य पूरा हो गया है परन्तु पुलिया निर्माण तथा खड़ंजा लगाने का कार्य शुरू नहीं हुआ है । पुलियों का निर्माण अक्तूबर, 1980 में प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है किन्तु इस मार्ग पर फिलहाल खड़ंजा लगाने का प्रस्ताव नहीं है ।

देवरिया जिले के कतिपय विकास खंडों में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

47--श्री नन्द किशोर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास पंचायत राज मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया के ब्लाक गोरी बाजार, बैतालपुर, देसही-देवरिया में दिनांक 31 जुलाई, 1980 तक खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत कौन-कौन कितनी लम्बी सड़कें बनी है ? उस पर कितनी लागत लगी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

देवरिया जनपद में खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत ब्लाक गौरी बाजार, बेतालपुर, देसही-देवरिया में 31 जुलाई, 1980 तक कुल 342.342 किलोमीटर सम्पर्क मार्गों का निर्माण हुआ है और इन पर कुल 24,32,798.70 रु० व्यय हुए हैं ।

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलपति, डा० अतर सिंह यादव के विरुद्ध शिकायतों की जांच

48--श्री मान बहादुर सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लोकदल शासन में नियुक्त नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलपति डा० अतर सिंह यादव के विरुद्ध जातिवाद, वर्गवाद के आधार पर व्यापक नियुक्तियां, वित्तीय अनियमितताओं एवं प्रशासनिक अधिकारों के दुरुपयोग आदि की शिकायतें राष्ट्रपति शासन काल 1980 में शासन को प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री बलराम सिंह यादव--

जी हां ।

शासन ने नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में हुई प्रशासनिक एवं वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच कराने का निर्णय लिया है । कृषि सचिव को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है । जांच आख्या प्राप्त होने पर मामले में यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

49---श्री मान बहादुर सिंह--

क्या कृषि मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या 2003, दिनांक 6 नवम्बर, 1977 द्वारा अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों की नियुक्ति हेतु क्रमशः 18 प्रतिशत एवं 15 प्रतिशत पद आरक्षित हैं, नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के कुलपति द्वारा मात्र पिछड़ी जातियों को 80 से 85 प्रतिशत (विशेषकर अहीर, कुर्मी, मौर्या) पद प्रदान किए गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सुविधा अनुसूचित जातियों, जन जातियों, के सदस्यों को भी प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बलराम सिंह यादव---

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद के परिनियम के चैप्टर XIII के प्राविधानों के अनुसार योग्यता के आधार पर नियुक्तियां करने का प्राविधान है, किन्तु विश्वविद्यालय ने कुछ नियुक्तियां आरक्षण के आधार पर भी की हैं। स्थापना के पश्चात् विश्वविद्यालय में विभिन्न श्रेणियों की जो नियुक्तियां हुई हैं उनकी कुल संख्या 297 है जिनमें से 119 पद पर पिछड़े वर्ग और 28 पद पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार उक्त नियुक्तियों में पिछड़ी जाति के 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के 9 प्रतिशत व्यक्ति हैं। शासन की आरक्षण नीति के अनुसार विश्वविद्यालय ने परिनियम में अभी तक संशोधन नहीं किया है। नियुक्तियों में हुई गड़बड़ियों की शिकायतों की जांच कृषि सचिव द्वारा कराई जा रही है।

दीन दयाल शोध संस्थान, गोन्डा द्वारा लगाये गये नलकूप

50---श्री मान बहादुर सिंह--

क्या यह सही है कि कृषि मन्त्रालय भारत सरकार ने दीन दयाल शोध संस्थान, गोंडा को 17.8 लाख रुपए 1977 से 1980 तक 20,000 ट्यूबवेल गोंडा में लगाने के लिए दिए थे ? यदि हां, तो वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में जिले में राज्य सरकार और दीन दयाल शोध संस्थान, गोंडा द्वारा प्रत्येक वर्ष कितने नलकूप लगाए गये ? तथा वर्ष 1975-76 और 1976-77 में राज्य सरकार द्वारा जिले में कितने नलकूप लगाए गये ?

श्री अम्मार रिजवी---

जी नहीं, कृषि मन्त्रालय भारत सरकार के नियंत्रणाधीन भारतीय विकास लोक कार्यक्रम द्वारा प्रकल्पगत संस्थान को गोंडा जनपद में 20,000 ट्यूबवेल लगाने हेतु 11.80 लाख रुपये जून, 1978 में सीधे दिये गये थे। वर्ष 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 में राज्य सरकार द्वारा गोंडा जिले में क्रमशः 17, 23 तथा 21 नलकूप लगाये गये। दीन दयाल शोध संस्थान से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके द्वारा जिले में मई, 1978 से 31 मई, 1980 तक कुल 372 नलकूप लगाये गये तथा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1975-76 में शून्य तथा 1976-77 में 9 नलकूप लगाये गये।

झांसी जिले की मरगढ़िया बन्धी के मरम्मत की मांग

51---श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कोछागांवर, जनपद झांसी की मरगढ़िया बन्धी के जीर्णोद्धार हेतु पिछली सरकार ने कितनी

धनराशि स्वीकृत की थी ? क्या कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जनपद झांसी की मरगढ़िया बन्धी के जीर्णोद्धार के लिए पिछली सरकार से किसी धनराशि की स्वीकृति नहीं दी गयी है । जिला परिषद् झांसी द्वारा, स्थानिक विकास योजना के अधीन, जिला परिषद् की एजेन्सी के रूप में, लघु सिचाई विभाग द्वारा इस कार्य को कराया जाना प्रस्तावित है । किन्तु लघु सिचाई विभाग द्वारा रख-रखाव का दायित्व न लेने तथा सेन्टेज चार्जेज मांगे जाने के फलस्वरूप उक्त विभाग को अभी तक धन आवंटित नहीं किया जा सका है ।

52—श्री जटा शंकर सिंह—

[सोमवार के लिए स्थगित ।]

(मुख्य मंत्री की सदन में उपस्थिति)

[11 बजकर 58 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 301 के अन्तर्गत 9 सूचनायें आयीं थीं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, आज सूर्य पूर्व से पश्चिम की ओर निकला है । हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी कई दिनों से सदन से गायब थे । नैतिकता का दावा करने वाले आज वे अनैतिकता की कुर्सी पर बैठ गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप जैसे वरिष्ठ सदस्य यह जानते हुए कि जब मैं खड़ा हूं तो आपको खड़ा नहीं होना चाहिए । तो मैंने यह जान लिया है कि सूर्य पूर्व के बजाय पश्चिम में उदय हुआ है ।

मुख्य सचिव द्वारा प्रदेश के सभी सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता बन्द किये जाने के आदेश से उत्पन्न असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

मैं यह कह रहा था कि नियम 301 में आज 9 सूचनायें प्राप्त हुयीं थीं जिनमें से मैंने 5 को स्वीकार किया है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

गत सप्ताह सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग-1 के उप सचिव तथा प्रदेश के मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी 55 सार्वजनिक निगमों के कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता की धनराशि न भुगतान किए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं । आदेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

में यह भी लिख दिया है कि जहां भुगतान किया जा रहा है वहां तत्काल बन्द कर दिया जाये ।

प्रदेश के सभी सार्वजनिक निगमों में यह व्यवस्था है कि मंहगाई भत्ता उन्हीं दरों, नियमों एवं शर्तों के अधीन देय होगा जैसा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को समय-समय पर दिया जायेगा । इसी के अनुरूप सभी निगमों में कार्यवाही हो रही है ।

जिन निगमों के सेवा नियमों को राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के पश्चात् लागू किया गया है तथा उनमें महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में उपरोक्त पैरा एक के अनुसार व्यवस्था है । क्या मुख्य सचिव के इस आदेश से वह सेवा नियम रद्द या शिथिल हो जायेंगे जिन पर राज्यपाल महोदय ने स्वीकृति प्रदान की था ?

मान्यवर, महंगाई राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ ही निगमों के कर्मचारियों के लिए भी वही है ।

इस आदेश में निगमों के कर्मचारियों में भी भीषण असंतोष है । अतएव लोक महत्व की यह समस्या आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाकर तत्काल उचित कार्यवाही की मांग करता हूं ।

देवरिया जनपद में झुलसा रोग से धान की फसल को क्षति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, अतिवृष्टि एवं बाढ़ के बाद पूरे देवरिया जनपद में झुलसा रोग से 20 हजार एकड़ धान की फसल रोग ग्रस्त हो गयी है । फसलें सूख रही हैं, जिला स्तर पर दवा की कोई व्यवस्था नहीं है । जो कुछ भी दवा है उसका प्रयोग करने पर भी रोग नहीं रुक रहा है । पूरे जनपद में हाहाकार मच गया है कृषि विभाग के समस्त कर्मचारी हाथ पर हाथ रख कर बैठे हुये हैं । देवरिया जनपद इस झुलसा रोग से पूरी तरह प्रभावित हो गया है ।

अस्तु इस माननीय सदन के संज्ञान में इस लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कर माननीय कृषि मंत्री जी से मांग करता हूं कि तत्काल झुलसा रोग की दवा का प्रबन्ध कराके इस रोग पर काबू करके फसल को बचाने की व्यवस्था करें अन्यथा 20 हजार एकड़ से ऊपर धान की फसल बरबाद हो जायेगी और पूरा जिला मे अकाल पड़ जायेगा ।

जौनपुर जनपद में ट्यूबवेलों के बिजली के कनेक्शन काटे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*डाक्टर राम कृष्ण उपाध्याय--

मान्यवर, जौनपुर जनपद में ट्यूबवेलों की बिजली के कनेक्शन काटे जाने से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है । बाढ़ की चपेट से बुरी तरह ग्रस्त जौनपुर वासियों के लिये इस आपदा से अगली रबी फसल के लिये भी संकट पैदा हो गया है । अगस्त, 1980 में केन्द्रीय सिंचाई मंत्री श्री केदार पांडेय एवं प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री वीर बहादुर सिंह ने भी जनपद में जाकर यह आश्वासन दिया था कि इस क्षेत्र के किसानों की बिजली बकाया अदा न कर पाने के कारण नहीं काटी जायेगी । किन्तु

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

अधिकारियों ने इसके बावजूद कनेक्शन काटने की कार्यवाही जारी रखी है। सरकार से निवेदन है कि वह तत्काल जौनपुर जनपद बाढ़ के संकट को देखते हुये बकाये की वजह से बिजली कनेक्शन न काटे जाने का निर्देश जारी करे ताकि किसानों को राहत मिल सके। जब कि हर तरह का बकाया वसूल करने की सरकार ने स्थगित कर रखा है, बिजली बकाये पर इतनी कड़ाई कृषि की दृष्टि से संकल्प हानिकारक सिद्ध होगी। अतः इसे भी तत्काल स्थगित किया जाये।

जनपद जालौन में बसों, ट्रकों व रेलों में लूट मार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री शंकर सिंह--

माननीय, मैं आप के माध्यम से माननीय सदन के संज्ञान में यह लाना चाहता हूं कि जनपद जालौन में आये दिन बसों-ट्रकों तथा रेलों की लूट-मार होती रहती है और शासन अभी तक इन वारदातों को रोकने में सक्षम नहीं हुआ है।

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 16 सितम्बर, 1980 की रात हमीरपुर से झांसी जाने वाली रोडवेज बस जब राष्ट्रीय मार्ग पर जनपद जालौन में कालपी तथा उरई नगर के बीच चमारी गांव के पास पहुंची तो 10-12 सशस्त्र डाकुओं के गैंग ने, जो बन्दूक से लैस थे, बस को जबरन रोकवा लिया, फायर करके यात्रियों को आतंकित करते हुए पूरे बस के यात्रियों की लूट की। उसी समय दो ट्रक और आ गये। इनको भी डाकुओं ने रोक लिया और इनको भी लूट लिया। एक ट्रक, जिसके ड्राइवर ने स्थिति को देखते हुए ट्रक नहीं रोका और भगा कर ले जाने का प्रयत्न किया, उस पर धुआंधार गोलियों की बौछार की गई इससे ट्रक के टायर तथा इंजन को क्षति पहुंची और ट्रक थोड़ा दूर जाकर रुक गया।

उरई कालपी के बीच लूट-मार की यह पहली घटना नहीं है। दो महीने पहले भी इसी स्थान पर दो ट्रकों को लूट लिया गया था। इसके पहले मई के महीने में भी फायर करके बस को रोकने का प्रयत्न किया गया था। लेकिन किसी तरह ड्राइवर गाड़ी भगा ले गया था। इस अवपर पर पीछे आते हुए ट्रैक्टरों पर भी फायर किये थे जिसमें कुछ किसानों को गोली लगी थी। करीब दो माह पहले ही उक्त घटना स्थल से 4-5 कि० मी० ऊपर ग्राम उसरगांव के समीप ही राष्ट्रीय मार्ग पर भी एक प्राइवेट बस ड्राइवर राजेन्द्र दुबे की गाड़ी न रोकने के कारण गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इसके फलस्वरूप गाड़ी बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। अगस्त की 29 तारीख को जनपद में चलने वाली कोंच से एटा तक चलने वाली रेल को बदमाशों ने रोक कर लूट लिया था।

उक्त घटनाओं से पूरे जनपद में असुरक्षा का वातावरण व्याप्त है। लोग शाम से ही रास्ते में चलने से डरते हैं। आप के माध्यम से शासन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं।

बढ़ का दिभ.षिक' के कारण पूर्वांचल जिलों में रहने वाली कमेरा जाति को मजदूरी न मिलने से भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दूधनाथ राजभर--

माननीय मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री दूधनाथ राजभर--]

गत वर्ष के सूखे तथा इस वर्ष की बाढ़ की प्रलंयकारी विभीषिका का सबसे अधिक शिकार समाज का निर्बल वर्ग भूमिहीन खेतिहर मजदूर तथा रोज का रोजी कमाने वाला कमेरा जातियों के लोग हो रहे हैं । प्रदेश के पूर्वांचल के जनपदों जैसे आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ तथा सुल्तानपुर आदि में आज भी बड़े किसानों के यहां भूमिहीन खेतिहर मजदूर खेती के काम में लगे हुए हैं । रोज कमाते हैं और रोज खा जाते हैं ।

समाज के कमजोर वर्गों, सर्वाधिक पिछड़ी जातियों के लोग रोज की रोजी कमाने तथा उससे अपने परिवार का पेट पालने के लिए रिक्शा चलाना, पल्लेदारी करना, ठेला खींचना, मिट्टी ढोना, राजगीरी का काम करके बड़ी तादाद में अपनी जीविका चलाते हैं । जो उपरोक्त जनपदों में बाढ़ की विभीषिका के कारण ठप पड़ा हुआ है । परिणाम-स्वरूप इन कमेरा जातियों तथा मुख्यतया रोज की रोजी कमाने वाले दिहाड़ी मजदूरों के समक्ष प्राण रक्षा की विकट समस्या उत्पन्न हो गई है, लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं । इन कमेरा जाति के मासूम बच्चे भूख-भूख चिल्ला कर सो जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं ।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त जनपदों में समाज की कमेरा जातियों तथा निर्बल वर्ग के लोगों की प्राण रक्षा हेतु विशेष राहत कार्य दस्ता भेजकर उनकी प्राण रक्षा की जावे, तथा समाज के गरीब भूमिहीन खेतिहर मजदूरों एवं समाज के निर्बल वर्ग के लोगों को भूखमरी से बचाया जावे ।

कृषि मंत्री के विरुद्ध उठाई गई विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

विशेषाधिकार का एक प्रश्न श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा उठाया गया था, जिस पर मेरा निम्नलिखित निर्णय है :

श्री माता प्रसाद पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा में 15 सितम्बर, 1980 को माननीय कृषि मन्त्री श्री बलराम सिंह यादव के विरुद्ध नियम 63 के अन्तर्गत विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी । माननीय सदस्य का कहना है कि उन्होंने दिनांक 9 जुलाई, 1980 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 (एक) के सम्बन्ध में एक अनुपूरक प्रश्न किया था कि कृषकों को जो छूट देने की व्यवस्था की गई है वह केवल सरकारी गोदामों या प्राइवेट डीलरों से भी देने की व्यवस्था है । जिसके उत्तर में माननीय कृषि मन्त्री ने कहा था यह सभी जगह व्यवस्था है । माननीय सदस्य का कहना है कि 15 सितम्बर, 1980 को अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के संदर्भ में माननीय कृषि मन्त्री ने यह कहा है कि प्राइवेट डीलरों से खरीदे गए खाद पर शासन द्वारा कोई छूट नहीं दी जा रही है और न देने का प्रस्ताव विचाराधीन है । माननीय माता प्रसाद पाण्डेय का कहना है कि उक्त दोनों उत्तर परस्पर विरोधी हैं और माननीय सदन को जानबूझ कर गुमराह करने की कोशिश की गई है । मैंने माननीय कृषि मन्त्री से इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की जानकारी देने के लिए कहा । माननीय कृषि मंत्री ने बताया कि 15

सितम्बर, 1980 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में जो सूचना दी गई है कि "प्राइवेट डीलरों से खरीदे गए खाद पर शासन द्वारा कोई छूट नहीं दी जा रही है और न देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है" यही वास्तविक स्थिति है । माननीय कृषि मन्त्री ने 9 जुलाई, 1980 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में जो यह कहा था कि "यह सभी जगह व्यवस्था है" उसका तात्पर्य यह था कि छूट की व्यवस्था सूखे से पीड़ित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में है । माननीय कृषि मन्त्री का कहना है कि उन्होंने दिनांक 9 जुलाई, 1980 को ही श्री रियासत हुसैन द्वारा पूछे गए एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में पहले ही यह स्पष्ट कर दिया था कि यह छूट सरकारी गोदामों व सहकारी गोदामों के जरिये उपलब्ध कराई जा रही है । माननीय कृषि मन्त्री ने अपने पत्र में यह कहा है कि माननीय प्रश्नकर्ता अथवा माननीय सदन को किसी प्रकार गुमराह करने अथवा गलत सूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता । फिर भी यदि इस बिन्दु पर कोई शंका अथवा भ्रम उत्पन्न हो गया हो तो वे उसके लिए खेद प्रकट करते हैं ।

शब्द "यह सभी जगह व्यवस्था है" एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में कहे गए थे और इस सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनुपूरक प्रश्न को ठीक से न सुनने एवं समझ पाने के कारण भ्रमवश ऐसा उत्तर दिया गया हो ।

विशेषाधिकार की अवहेलना अथवा सदन के अवमान का प्रश्न तभी उत्पन्न होता है जब जानबूझ कर सदन को गलत सूचना दी जाय । इस मामले में ऐसी कोई बात प्रतीत नहीं होती है और न ही माननीय श्री माता प्रसाद पांडे ने कोई ऐसा प्रमाण उपस्थित किया है जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि माननीय कृषि मन्त्री ने सदन को गुमराह करन के लिए जानबूझ कर कोई असत्य बात कही । अतः मैं इस मामले को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980†

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)--

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(श्री राम स्वरूप वर्मा के खड़े होने पर) आप बैठ जायें ।

---

†दिनांक 23 सितम्बर, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मेरी आपत्ति है । हम को इसकी प्रतियां नहीं मिलीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब प्रश्न उपस्थित कर दिया तो कोई आपत्ति का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मैंने समझा आप अवसर देंगे । हमें प्रतियां नहीं मिली हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य, मेरी काया आपसे स्थूल है । आपके उठने में विलम्ब हुआ । उसके पहले मैं उठ गया था । आप विराजें । अब तो प्रश्न उपस्थित हो गया ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

एक दिन पहले मिलनी चाहिये थीं । आज हमको मिली हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप विराजें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अम्मार रिजवी--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करता हूं ।

सदन की कार्यवाही टेपरिकार्ड कराने हेतु व्यवस्था किये जाने की मांग

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, हम आपसे एक व्यवस्था चाहते हैं । लोक सभा में तरीका है कि वहां पर टेपरेकार्डर रहता है । जो माननीय सदस्य बोलते हैं, जो भी बोला जाता है, सब टेपरेकार्ड हो जाता है । लिखने वाले होंगे, आशुलिपिक अगर पूरी बात नहीं लिख पाते हैं तो टेप से सुन कर सही लिख देते हैं और जो भाषण प्रभावहीन हो जाता है वह भी अंकित होता है । जब हमने सदन को एयर-कंडीशन करने में इतना पैसा खर्च किया तो मान्यवर, यह सरकार के पक्ष से, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि टेपरेकार्डर की व्यवस्था यहां भी कर दी जाये ताकि भाषण ठीक से अंकित हों । जो बहुत सी बातें छूट जाती हैं वह ठीक हो सके । लेकिन इन आशुलिपिक के काम में कमी नहीं है । हम लोग बोलते ही इतना शीघ्र हैं और अगर बोलने में नियंत्रण करें तो विचार खिसक जाते हैं । इसलिए मान्यवर, आपसे निवेदन है कि यहां भी लोक सभा की भांति टेपरिकार्डर की व्यवस्था कर दी जाये ।

श्री उपाध्यक्ष --

आपकी यह व्यवस्था का प्रश्न सदन की तत्काल व्यवस्था से सम्बन्धित नहीं है, वैसे बात आपकी विचारणीय है, इसलिए इस पर अलग से बैठ कर विचार कर लेंगे । इस विषय में सरकार की मजबूरियां और सुगमता को भी देखना होगा । इन सारी बातों पर विचार कर इसका कोई हल निकाला जायेगा ।

सदन की कार्यवाही गेट नं0 1 व 2 पर सुनने हेतु व्यवस्था किये जाने की मांग

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, सन् 1949-50 में सदन के बाहर भी माईक लगाये जाने की व्यवस्था थी, इसलिए कि यहां की कार्यवाही को बाहर के लोग भी सुन सकें और आपने दर्शकदीर्घा तो बना दी, जिसमें कुछ ही लोग यहां की कार्यवाही देख और सुन पाते हैं, इसको आम आदमी नहीं सुन पाता है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अगर आप बाहर फाटक नं0 1 और 2 पर यदि इसकी व्यवस्था करा दें, तो माननीय मन्त्री जो जो प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वह बाहर का आदमी भी सुन सके ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या माननीय सदस्य आपके मन में यह बात आती है कि यह प्रश्न सदस्य की व्यवस्था से सम्बन्धित है और इसको यहां पर उठा जाना चाहिये ?

(शोर)

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, टेलीविजन भी लगा दिये जायें, ताकि बाहर के लोग देख भी सकें यहां की कार्यवाही को और कौन माननीय सदस्य उपस्थित है और कौन नहीं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 में कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई थीं, जिसमें से एक सूचना श्री मोहन सिंह जी की है जो

18 सितम्बर, 1980 से लखनऊ कलेक्ट्रेट तथा मुन्सिफी दीवानी और फौजदारी अदालतों के वकीलों तथा संबंधित विभागों के कर्मचारी जिसमें आपूर्ति विभाग भी सम्मिलित है, आपसी संघर्ष के कारण जनपद के सम्पूर्ण कामकाज के ठप होने से उत्पन्न संकट के संबंध में है । इसे अस्वीकार कर दिया गया है किन्तु शासन से अनुरोध किया गया है कि वह अपना वक्तव्य इस विषय पर दे । इसी व्यवस्था के विषय से संबंधित श्री प्रदीप कुमार यादव की भी सूचना थी और इसी के मुताल्लिक श्री फखरे आलम की भी सूचना थी । इसलिए इन दोनों की सूचनाओं को भी उसी से सम्बन्द्ध किया जाता है ।

श्री दलगंजन सिंह, श्री कुबेर भंडारी और श्री राधे श्याम द्वारा दिनांक 17-9-80 को स्थान बलदाऊ चौक कोतवाली, उरई, जनपद जालौन में छात्रों के बीच हुए संघर्ष में पुलिस द्वारा पिटाई से एक व्यक्ति की मृत्यु से उत्पन्न असंतोष के सम्बंध में सूचना दी गयी थी, यह भी अस्वीकार की गयी है ।

[श्री उपाध्यक्ष—]

श्री हर गोविंद वर्मा द्वारा "लोकरस' पत्रिका के सम्पादक श्री "झा" द्वारा गत 7 दिनों से भूख हड़ताल किये जाने के संबंध में सूचना दी गयी है, इस पर पहले बात हो चुकी है, इस लिए इसे भी अस्वीकार किया गया है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त द्वारा प्रदेश में हुयी भीषण वर्षा से हजारों मकानों के गिरने से घायल व्यक्तियों को उचित चिकित्सा व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी गयी थी, को भी अस्वीकार किया गया।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस बिजली वालों की हड़ताल की वजह से अस्पताल में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी और जिनके शव 4 दिन तक पड़े रहे (व्यवधान) कानपुर पनकी पावर हाउस के हड़ताल के कारण यह सब हुआ, जिसकी जिम्मेदारी शासन पर आती है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सूचना जो आपने दी है यह काम रोको प्रस्ताव की परिधि में नहीं आती है (व्यवधान)।

आप अपना आसन ग्रहण करें, जो सदस्य बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

(व्यवधान)

1980–81 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 33–शिक्षा विभाग, अनुदान संख्या 108––शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम, अनुदान संख्या 34–प्राविधिक शिक्षा विभाग तथा अनुदान संख्या 109–प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम

[12 बजे कर 20 मिनट]

*शिक्षा राज्य मंत्री––(श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)––

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33–शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,45,57,58,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 108–शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या 34–प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,02,56,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 109–प्राविधिक शिक्षा विभाग–ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,08,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, प्राविधिक शिक्षा के अनुदान को में आपके सम्मुख बड़े हर्ष के साथ रख रही हूं । आयोजनेत्तर पक्ष में इस अनुदान में 8 करोड़ 8 लाख 55 हजार रुपया बजट में है और योजनागत पक्ष में एक करोड़ 31 लाख 49 हजार है । मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूं पहले आप इसको सुन लें । योजनागत पक्ष के अन्तर्गत चालू और नई योजना दोनों के लिये प्राविधान हैं । यह आप के लिये खुशी का समाचार है । नम्बर एक, राजकीय पालीटेक्नीक, गोंडा व कानपुर में हम अभियंत्रण पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं जिसके लिए 40 हजार रुपये का प्राविधान है । नम्बर दो, हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ में आटोमोबाइल्स अभियंत्रण का पाठ्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं । महिला पालीटेक्नीक, लखनऊ में स्टेटेनोग्राफी व सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस डिप्लोमा कोस शुरू करने जा रहे हैं इसके लिए 41 हजार रुपया है । एटा में पालीटेक्नीक की स्थापना, इसके लिए एक लाख रुपया । भवनों के निर्माण के लिए जो प्रावधान है, लखनऊ, गोरखपुर, में विद्यार्थियों की सुविधा हेतु 50 हजार रुपये । मुद्रण, प्रौद्योगिकी हेतु 50 हजार रुपये । बस्ती पालीटेक्नीक के छात्रावास के लिए एक लाख 50 हजार, कानपुर, गोरखपुर में 25 हजार । महिला पालीटेक्नीक, लखनऊ के लिए एक लाख, केन्द्रीय आवास संस्थान, कानपुर के लिए 2 लाख, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के लिए 50 हजार । ये नई स्कीमें हम शुरू करने जा रहे हैं ।

हमारे प्रदेश में जब तक हम श्रम, तकनीक, जन शक्ति का आवाहन नहीं करेंगे, उसको मोबलाईज़ नहीं करेंगे, हम अपने देश की तरक्की किसी प्रकार नहीं कर पायेंगे क्योंकि हमारा आधुनिक समय एक तकनीकी समय है और औद्योगिक युग में हम को श्रम को भी तैयार करना है जिसके लिए अच्छी तरह से इंतजाम है । हमारे यहां इस समय 8 इंजीनियरिंग कालेज हैं उत्तर प्रदेश में और डिप्लोमा कोर्स में 24 राजकीय और 18 प्राइवेट मान्यता प्राप्त हैं । 5 विशिष्ट संस्थान हैं और 12 माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय हैं । हमारा सिंचाई विभाग, विद्युत, सार्वजनिक निर्माण और रेलवे में हम को तकनीकी जनशक्ति की नितान्त आवश्यकता है और हम कैसे उनको सप्लाई कर सकते हैं, उन्हें संस्थानों द्वारा सप्लाई कर सकते हैं । इसलिए यह हमारे देश और औद्योगिक विकास के लिए परम आवश्यक है ।

सवाल यह है कि जो लड़के ट्रेनिंग लेते हैं 3–4 साल के जो कोर्स हैं उसके बाद उनका क्या होगा, इसको ध्यान में रख कर इन्टीग्रेशन आफ रिलेवेन्ट मैनेजमेंट कोर्स लिया गया है जैसे 3 साल का तीसरे साल चार साल का चौथे साल अपनी परीक्षा

[श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी---]

समाप्त कर के वह कैसे फील्ड में आये, प्रैक्टिकल शेप दे सक अपनी शिक्षा का कहां उपयोग कर सकें, कैसे पैसा लें और जब कोई उद्योग शुरू हो जाये तो उसकी खपत, कैसे माकेट की व्यवस्था हो, इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद ही कैसे उद्योग धन्धा चला सकें और उसमें सफलता प्राप्त कर सकें । इसके लिए हमने 80 हजार रुपये का प्राविधान किया है ।

माननीय, सबसे बड़ा प्राब्लम हमारे गांव के अशिक्षित लोगों की है । गांव की ओर हम जा रहे हैं । आप ही लोगों ने कहा गांव की ओर चलो, तो हम भी गांव की ओर चल पड़े । तो गांव में जहां पर ट्रैक्टर इस्तेमाल होता है । ट्यूबवेल इस्तेमाल होते हैं, जहां पर बसों में सामान आता जाता है । तो किस प्रकार उनको इस योग्य बनाया जाये कि इन सुविधाओं को, जो तकनीकी सामान है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें । जितने हमारे स्कूल हैं, इंजीनियरिंग कालेज हैं, उनमें इसको अटैच कर दिया है । कुछ गांव एडाप्ट किये जायेंगे । जिसे गोद लेना कहते हैं । तो 4-5 आस-पास के गांवों को, एडाप्ट करते हैं । ट्रीचर्स, स्टूडेन्ट्स गांव में जाकर जो युवा शक्ति है उसको कंजुवल छात्र के रूप में ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि वह ट्यूबवेल की तकनीक को ट्रैक्टर की तकनीक को समझ सकें । ट्यूबवेल में खराबी हो जाये, ट्रैक्टर में खराबी हो जाये तो उसको वहीं पर ठीक कर सकें । इसके ऊपर 55 हजार रुपये का प्राविधान है ।

इसके अतिरिक्त दूसरी स्कीम है ट्रेनिंग आफ रूरल यूथ (व्यवधान) इसके अन्तर्गत यह प्रशिक्षण देते हैं गांव में जाकर, इसका पैसा रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेन्ट से मिलता है । इसमें इस साल चार हजार विद्यार्थियों को तकनीकी ट्रेनिंग देने का प्राविधान है । यह जो लड़के करेंगे इनके लिए आकर्षण हो । इसमें जो कंजुवल स्टुडेन्ट्स होंगे हर छात्र को 100 रुपये मिलगे । जो लड़के इसमें होंगे उनको 50 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से मिलेगा । यह लोग गांव में जाकर वहां पर तकनीकी श्रम की ट्रेनिंग देंगे । यह सब गांव की बात है । इसके लिये सेन्ट्रल की तरफ से पैसा मिला है । इसको स्वीकृति दी है ।

इसके अतिरिक्त कम्यूनिटी प्रोडक्ट की स्कीम है । इलाहाबाद, चन्दौसी, काशीपुर में यह स्कीम चल रही है । इसमें गांवों में जाकर उन संसाधनों को जो इसके अन्तर्गत आते हैं तकनीकी शिक्षा दें । अब और हमने इसमें प्राविधान किया है जो हमारे स्कूल हैं उनके बच्चों को और उनकी एकमोडेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने 30 हजार रुपये रखा है । जो प्रतिभावान छात्र हैं उनको अनुदान देने के लिए या यदि वह बाहर जाना चाहें, विदेश जाना चाहें उच्च शिक्षा के लिए तो उनके लिए पैसे की जरूरत है, उनके लिए 5 लाख रुपये का प्राविधान किया । कमजोर छात्रों के प्रवेश का प्राविधान है । पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति के छात्रों को, उनका रिजर्वेशन है, हम लेते हैं । लेकिन जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके साथ वह कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकते । उनके लिए विशेष प्रशिक्षण का हमने प्राविधान किया । इसके लिए 80 हजार रुपये का प्राविधान है । अलग से क्लासेज होंगे, डिसीजन ले लिया है ।

तकनीकी शिक्षा को अप-टु-डेट करने के लिए, वह मजाक न रहे उसकी सीरियस तरीके से प्रगति हो, इसके लिए जितने भी पालीटेक्नीक हैं उनमें प्रवेश हेतु परीक्षा का आयोजन किया जायेगा । अगले साल केन्द्र की ओर से इसका इंतजाम होगा । अब भी ऐसा है कि जिनके अधिक नम्बर्स होते हैं उसके अनुसार उनको भर्ती होती है । लेकिन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का एक मापदंड होता है और तकनीकी शिक्षा का दूसरा मापदंड होता है । तकनीकी शिक्षा के प्वाइंट

आफ ब्यू से अब प्रतियोगिता परीक्षा प्रवेश हेतु ले रहे हैं और केन्द्र की ओर से इसका इंतजाम होगा और उसी के अनुसार प्रवेश किया जायगा। यह 1981–82 से हम शरू करेंगे। यह सिस्टम कुछ इंजीनियरिंग कालेजेज में लागू है। मोतीलाल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग गोरखपुर, एच0 बी0 टी0 आई0 कानपुर, के0 एन0 आई0 सुल्तानपुर में यह लागू हैं। इस साल पन्तनगर इंजीनियरिंग कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, दयालबाग आगरा में प्रवेश हेतु कंपटीटिव इक्जामिनेशन कर रहे ह। इस साल हमारे यहां जो छात्र हैं उनकी संख्या में आपको बता दूं। 1 हजार 120 डिग्री में हैं और 8320 डिप्लोमा में ह। 860 प्रमाण पत्र स्तर पर परीक्षाओं में हैं। तो यह मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस बजट को आप पास कीजिये और प्राविधिक शिक्षा के विकास में आप सम्पूर्ण योगदान दीजिये।

अब हमारे सामने है शिक्षा का बजट। मुझे यह सूचित करते हुये हर्ष हो रहा है कि हमने शिक्षा के अन्तर्गत 1980–81 में 336 करोड़ 74 लाख 71 हजार रुपये की व्यवस्था की है। इसमें 321 करोड़ 30 लाख 5 हजार रुपया आयोजनेत्तर पक्ष में और 15,44,66,000 रुपया आयोजनागत मद में है। मुझे बड़ा गर्व है यह कहते हुये कि सम्पूर्ण बजट का यह 21·6 प्रतिशत है। 1946–47 की फीगर्स से यदि हम इसकी तुलना करें तो उस समय बजट केवल 3·18 करोड़ रुपये का था और टोटल बजट का 11 प्रतिशत था। अब टोटल बजट का 21 प्रतिशत ले रहे हैं। मान्यवर, इसके अन्तर्गत हम प्राथमिक शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। प्राथमिक शिक्षा पर 51 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा पर 29 प्रतिशत, उच्च शिक्षा पर 10 प्रतिशत हम खर्च कर रहे हैं।

मान्यवर, अब आइये प्राथमिक शिक्षा के ऊपर। प्राथमिक शिक्षा के विषय में कुछ बातें कहने से पूर्व पहले तो मैं आपके सामने फीगर्स पेश कर दूं कि क्या फीगर्स हैं। आज हमारे पास जो बेसिक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वह स्टूडेन्ट्स 93 लाख के लगभग हैं। स्कूल हमारे पास बेसिक शिक्षा के 70 हजार के लगभग हैं। अध्यापक ढ़ाई लाख हैं। जूनियर हाई स्कूल 13127 हैं और उसमें 27·92 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। मान्यवर, जो हमारा ध्येय है, जो हमारा लक्ष्य है, वह सार्वभौमिकरण है। हम जितने भी उत्तर प्रदेश में बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले हैं, हम चाहते हैं कि शतप्रतिशत वह छात्र अपनी शिक्षा ग्रहण करें। तो हिसाब हमने लगाया सर्वेक्षण के प्वाइंट आफ व्यू से कि यदि हम 12,835 प्राइमरी स्कूल खोल दें और 5,967 और खोल दें तो हम शिक्षा का सार्वभौमिकरण कर सकेंगे। हमारा लक्ष्य है जहां तक प्राइमरी स्कूलों का सम्बन्ध है तो इस साल डेढ़ किलोमीटर और 300 आबादी पर खोलने का है और उसमें 40–50 बच्चे तो होंगे ही एक प्राइमरी स्कूल में और 3 किलोमीटर पर जहां 800 की आबादी है वहां एक जूनियर हाई स्कूल खुले, यह हमारा लक्ष्य है। छठी पंच वर्षीय योजना में मैं समझता हूं कि हम अपने स्वप्न को साकार कर सकेंगे। इस वर्ष प्रबन्ध किया है 245 प्राइमरी स्कूल गांवों में और 31 शहरों में तथा 166 मिडिल स्कूल इस साल खोलने का निर्णय हमने लिया है।

मान्यवर, प्राइमरी स्कूल के बारे में बहुत परेशानियां हैं। आप लोग कहेंगे कि टाट–पट्टी, अध्यापक, ब्लैक बोर्ड स्कूल में नहीं हैं। कुछ कहेंगे कि अध्यापक है लेकिन वह स्कूल में जाता नहीं है। इसलिये हर मर्ज की अलग-अलग दवाईयां

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---]

हैं । आधुनिक युग में ऐसी दवाईयां निकली हैं कि एक दवाई कई मर्जों में काम आती है । और यहां देखें कि बत्ती जला दें तो चारों तरफ रोशनी हो जाती है । इसलिये आप लोग ऐसा इलाज बतायें कि हर मर्ज दूर हो जाय । मैं प्राइमरी शिक्षा में आपको सहायता चाहती हूं कि ऐसा कौन सा उपाय है कि जिसके करने से सारी समस्यायें हमारी कुछ हद तक हल हो जायं । जैसे कि बत्ती जलाने से सारा अंधकार दूर हो जाता है तो वैसा ही आप लोग उपाय बतायें । इसमें मैं विपक्ष की सहायता चाहती हूं । और मैं बताना चाहती हूं कि इन सब प्रश्नों का एक जवाब है अध्यापक ।

श्री उपाध्यक्ष---

शिक्षा मंत्री जी, आप अध्यक्ष पीठ की तरफ मुखातिब हों, सदस्य की तरफ नहीं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

तो जहां अध्यापक होगा चाहे वह पेड़ के नीचे बैठा हो तो वह हमारा स्कूल है । यदि भवन नहीं है तो स्कूल हम समाप्त नहीं करेंगे चूंकि वहां अध्यापक है । मान्यवर, अध्यापकों के लिये हमने व्यवस्था किया है । यदि अध्यापक योग्य है तो हमारा स्कूल भी सुन्दर ढंग से चलेगा ।

(श्री मोहन सिंह द्वारा मुख्य मन्त्री के पास जाकर कुछ बातें करने पर)

श्री उपाध्यक्ष---

क्या मोहन सिंह जी, आप इधर (सत्ता पक्ष) आ गये हैं ?

(हंसी)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

मान्यवर, हमारे प्राइमरी स्कूलों में लगभग ढाई लाख अध्यापक हैं । ये ढाई लाख हमारे जिलों में हमारे दीपक हैं । परेशानी यह है कि भवन नहीं है । हमने यह निश्चय किया है कि इस साल जो हम नये स्कूल खोलेंगे, जैसा मैंने पहले कहा, 245 प्राइमरी, 31 प्राइमरी और 166, मैं खुश खबरी देना चाहती हूं, उन्हें भवनों के साथ खोला जायगा । जो पुराने हमारे स्कूल हैं उन के बारे में 260 प्राइमरी स्कूलों को हम नया बनायेंगे और 66 जूनियर हाई स्कूलों के भवनों का हम पुनिर्माण करायेंगे । बहुत से हमारे स्कूल के भवन खस्ता हालत में हैं, टूटे हुये हैं, उनके मरम्मत की व्यवस्था हमने की है । पिछले वर्ष 36 लाख रुपया हमने मरम्मत में खर्च किया था । इस वर्ष भी हम 35 लाख रुपया जो पुराने, टूटे हुये भवन हैं, उनकी मरम्मत में खर्च करने का इरादा रखते हैं, हालांकि हमारे काफी स्कूल भवनहीन हैं जैसा मैंने निवेदन किया था ।

अब इनरोलमेन्ट का सवाल आता है । इनरोलमेन्ट में हमने एक नई बात शुरू की है । हमने देखा है कि पहली जमात में जितने बच्चे आते हैं पांचवी जमात तक जाते-जाते उनका प्रतिशत घटता चला जाता है और काफी घट जाता है, 20 प्रतिशत तक रह जाता है पांचवी जमात में । इसको सुधारने के लिए हम यह कर रहे हैं कि पहली, दूसरी और तीसरी को हमने एक यूनिट माना है । परीक्षा तो हर वर्ष होगी लेकिन पहली जमात में यदि बच्चा फेल

होता है तो उसे फेल नहीं करेंगे, उस को प्रमोशन देंगे । केवल उसकी कमजोरी जानने के लिए परीक्षा लेंगे । इस प्रकार वह बच्चा तीसरी जमात तक पहुंच जायेगा । चौथी और पांचवीं जमात को एक इकाई मानेंगे और पांचवी जमात में उसकी परीक्षा होगी । इस प्रकार हमें उम्मीद है कि हमारी शिक्षा का इनरोलमेंट बढ़ेगा । इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए हमने एक तरकीब और सोची ह । वह है अनौपचारिक शिक्षा । कुछ बच्चे इसलिए रेगुलर स्कूलों में नहीं आते क्योंकि घर पर वे अपने माता-पिता की मदद करते हैं, लड़कियां हैं वे घर पर मां की मदद करती हैं और लड़के हैं पिता की मजदूरी में मदद करते हैं, कमाते भी हैं । अनौपचारिक शिक्षा के 7,200 केन्द्र हम खोलने जा रहे हैं । इन 7,200 केन्द्रों में जो कोर्स प्रपोज किया है वह है पहली से पांचवी कक्षा तक 3 साल का कोर्स और 6वें से 8वें तक 2 साल का कोर्स ताकि जो बच्चे औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं वे इन स्कूलों में जा कर अपना अध्ययन कर सकें । यह उनके समय के अनुकूल किया जायगा । सबेरे आना चाहें, शाम को आना चाहें, उसके लिहाज से इसे सेट करेंगे । तीन घंटे रोज उन को शिक्षा दी जायगी । मान्यवर, इससे हम समझते हैं कि हम अपने इनरोलमेंट को बढ़ा सकेंगे ।

बेसिक शिक्षा में सुधार लाने के लिए, मान्यवर, हमने कुछ निर्णय लिये हैं । एक तो यह है कि जो एस० डी० आई० हैं वह हर स्कूल का एक साल में दो बार निरीक्षण अवश्य करेंगे । इस निरीक्षण से मैं समझती हूं कि काफी इम्प्रूवमेंट होगा । दूसरा, बेसिक शिक्षा के टीचर्स की ट्रेनिंग को रेगुलर करने के लिए हम एक नया सिस्टम इस साल शुरू करेंगे जिसमें बेसिक शिक्षा के जो शिक्षक हैं वहां पर ट्रेनिंग ले सकेंगे, स्थायी होंगे । बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की ट्रेनिंग इनमें होती रहेगी ताकि प्रशिक्षण इम्प्रूव हो सके । कुछ अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें आई हैं जिन्होंने प्राइमरी सेक्शन में भ्रष्टाचार किया है । कुछ के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है । सुल्तानपुर में एक बेसिक शिक्षा अधिकारी निलम्बित भी हुआ है । उसके खिलाफ काफी शिकायतें थीं । और भी कुछ अधिकारियों के खिलाफ हम ऐक्शन लेने जा रहे हैं ।

जहां तक माध्यमिक विद्यालय है उनकी संख्या 4953 है सरकारी या गैर सरकारी और उनमें लगभग 18·84 लाख बच्चे शिक्षा पा रहे हैं । उनमें भी सुधार की जरूरत है और यह नई बात हम अगले साल से शुरू करने जा रहे हैं कि प्राइवेट तथा रेगुलर स्टूडेंट्स का अलग-अलग इम्तिहान हो क्योंकि देखा यह गया कि इसमें अब तक बड़ा कंफ्यूजन होता था । 1981 में यह अलग हो जायगा ।

दूसरी बात यह है कि जो प्रबन्ध समितियां हैं उनकी बड़ी शिकायतें हैं । किसी-किसी जिले में दो प्रबन्ध समितियां हैं । कहीं पर किसी का बस चला तो सारी जायदाद बेच खाई या टेनेन्सी बदल कर अपने नाम कर ली । मौजूदा कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने में दो तीन साल लग जाते ह । एक विधेयक अब आपके सामने आयेगा । परिषद् में वह पास हो चुका है । उसके द्वारा प्रबन्ध समितियों पर ज्यादा कंट्रोल होगा । अगर कहीं दो प्रबन्ध समितियां होंगी तो डी० डी० आर० जिसे रिकगनाइज करेगा, वही प्रबन्ध समिति काम करेगी और जब तक कोर्ट से फैसला नहीं हो जायगा तब तक वह कार्य करती रहेगी और कोर्ट के फैसले को माना जायगा । इससे जो प्रापर्टी बिकने वाली होगी वह बच जायगी और जो अराजकता होगी वह समाप्त हो जायगी । इस विधेयक के पास होने से माध्यमिक शिक्षा के कार्य

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

में काफी सुधार हो सकेगा ।

एक बात यह है कि हाई स्कूल की गणित की किताबों का हम राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं । इसके अलावा बेसिक शिक्षा में जैसा हम रख रहे हैं माध्यमिक शिक्षा में भी प्रशिक्षण केन्द्र हम खोलने जा रहे है इसमें विज्ञान वाले केन्द्र अलग होंगे ताकि हम उनको उचित ट्रेनिंग दे सकेंगे । इस प्रकार शिक्षा में जो मार्डन साइंस में नये-नये आविष्कार हो रहे हैं, उनको हम बच्चों तक पहुंचा सकेंगे । रही टीचर्स की सेवाओं के केन्द्रीकरण की बात तो यह विचाराधीन है और उनके चयन की बात भी विचाराधीन है । इसके अलावा 29 राजकीय हाई स्कूल का पर्वतीय इलाकों में और 3 राजकीय हाई स्कूल का मैदानी इलाके में हम इंटर तक उच्चीकरण करने जा रहे हैं और जूनियर हाई स्कूल को हाई स्कूल करने के लिये हमने 33 स्कूल चुन है जिनमें से 8 मैदानी और 25 पर्वतीय स्कूल हैं । इस तरह से 33 स्कूलों का उच्चीकरण हो जायेगा ।

मान्यवर, इसके अलावा हम प्रतिभावान छात्रों में बहुमुखी विकास के लिये एक नई योजना चालू करने जा रहे हैं और उसके लिये हम केन्द्र खोलने जा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के लिये एक अभूतपूर्व घटना होगी । दर्जा 6 से 12 तक के प्रतिभावान छात्रों के हम ऐसे स्कूल खोलने जा रहे हैं जहां उनके लिये आवासीय व्यवस्था भी होगी । ये ऐसे छात्र होंगे जो कम्पटीशन में उत्तम होंगे । जो छात्र ऐसे होंगे उनको वहां रहने की भी सुविधा होगी और जो उसको पे कर सकें वे पे करेंगे और जो गरीब होंगे उनसे कुछ नहीं लिया जायेगा । हमने यह देखा है कि जो गरीब हैं और प्रतिभावान हैं वे फीस नहीं दे सकते हैं, उन्हें खाने-पीने की परेशानी होती है और इसी वजह से वे आगे बढ़ भी नहीं पाते हैं । इस व्यवस्था को हम एक नई योजना के अन्तर्गत ला रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त योग्य छात्र और छात्राओं के लिये हमने पैसा भी बढ़ा दिया है । पहले 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को 5 रुपया मिलता था अब उसे 10 रुपया कर दिया गया और इसी तरह से 11वीं और 12वीं में जो 25 रुपया मिलता था उसे बढ़ाकर 40 रुपया कर दिया है ।

हायर एजूकेशन के बारे में हम इस साल विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं और उसमें सुधार हो रहा है । इस समय हमारे पास 13 यूनिवर्सिटी हैं, 380 डिग्री कालेजेज हैं जिनमें गवर्नमेन्ट कालेजेज भी शामिल हैं । पिछले साल 10 डिग्री कालेज नये खोले गये थे । उन पर हम डिसिप्लिन रख सकें और शिक्षा का पूरी तरह से विकास हो, इसके लिये बजट में प्राविधान किया गया है ।

जहां तक डिग्री कालेजेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं का सवाल है, मुझे यह सूचित करते हुये हर्ष हो रहा है कि हमारी 6-7 यूनिवर्सिटीज में परीक्षायें सुचारु रूप से चल रही हैं और कई यूनिवर्सिटीज में सत्र शुरू होने वाला है और किसी में आज से ही सत्र शुरू हो जायेगा ।

श्री मोहन सिंह—

इलाहाबाद के बारे में बताइये ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैंने इलाहाबाद का नाम तो नहीं लिया। जैसे लखनऊ है, गोरखपुर, नैनीताल, अवध, आगरा आदि यूनिवर्सिटीज के बारे में मैंने कहा।

श्री मोहन सिंह--

क्या इलाहाबाद की पिछले वर्ष की परीक्षायें इस वर्ष सम्पन्न हो जायेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इलाहाबाद की परीक्षायें भी हो जायेंगी।

(व्यवधान)

इलाहाबाद के बारे में तो आप बतायें। तीन वर्षों से आपकी हुकूमत थी। इसका जवाब आप दीजिए। हम तो सब ठीक कर ही रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहती हूं कि सारी कर्जदारी धीरे-धीरे उतार दूंगी।

(व्यवधान)

(श्री मोहन सिंह के कुछ कहने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मोहन सिंह जी, आप चिंता न करें माननीया मंत्री जी आपको ठीक कर देंगी।

[1 बजे अपराह्न]

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं परीक्षा केन्द्रों की बात सच कहती हूं कहीं पर भी गोलीकांड नहीं हुआ, बड़े शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षायें हुई हैं, कहीं मास कापीइंग नहीं हुआ। बाहर सड़कों पर हुआ तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, स्कूल और कालेज के प्रांगण में नहीं हुआ। मास कापीइंग हमने बिलकुल रूट आउट कर दिया है। मैंने खुद परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण किया, एक अध्यापक और प्रिंसिपल के तरीके से वहां गई हूं। कानपुर, अवध, लखनऊ आदि कहीं पर मास कापीइंग नहीं हुई। कुछ चार, छः कहीं पर पकड़े गए हैं।

श्री मोहन सिंह--

लखनऊ में इतने छात्र पकड़े गए जो कि एक रिकार्ड है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

गलत है, मास कापीइंग नहीं हुई, शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा हुई, कहीं पर कोई फसाद नहीं हुआ, जो दंगे फसाद हुए उसमें छात्र और टीचर्स इनवाल्व नहीं थे। मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से इस सदन के माध्यम से अध्यापकों, अभिभावकों

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---]

और छात्रों एवं वाइसचांसलर्स को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने पूरे तौर पर कोआपरेट किया । हमारा लक्ष्य है कि 1981 में सभी यूनिवर्सिटीज में दो-चार को छोड़कर सबको नियमित रूप से शुरू कर सकेंगे । मैं चाहती हूं कि पक्ष और विपक्ष दोनों ओर के माननीय सदस्य इसमें सहयोग देंगे । आपके बच्चे, हमारे पोते-पड़पोते इन्हीं कालेजों म पढ़ेंगे, इनकी रक्षा करना, इनको आर्डर पर लाना, बच्चों को अनुशासित रखना सभी की जिम्मेदारी है । मैं विश्वास दिलाना चाहती हूं कि अगले साल तक सभी यूनिवर्सिटीज नियमित हो जायेंगी। इस सत्र को हमने अनुशासित ढंग से मास कापीइंग खत्म करके शुरू किया है ।

(व्यवधान)

पिछले तीन सालों में जो कुछ हुआ और जो हमें मिला उसको ब्रेन वाशिंग करने में टाइम लगेगा ।

हमारे यहां काफी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं इनमें कुछ ऐसी हैं जिनको यू0 जी0 सी0 से अनुदान नहीं मिलता है । तो अगली छठी योजना जो है उसमें हम चाहते हैं कि रुहेलखंड, बुंदेलखंड और अवध यूनिवर्सिटीज को यू0 जी0 सी0 की ग्रांट में लाने का प्रस्ताव हमारे विचाराधीन है ।

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी, अभी आप कितना समय और लेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

दो-चार प्वाइंट्स और हैं, पांच मिनट में खतम करती हूं । इतना कर्जा है धीरे-धीरे उतरेगा । एक खुशखबरी मैं सुनाना चाहती हूं कि बरसरी रेट बढ़ा दिया है । जो छः सौ रु0 साल दिया जाता था उसे एक हजार कर दिया है । बुक एड भी बढ़ा दी गई है । 150 रु0 से दो सौ कर दिया है, 75 रु0 जिसको मिलता था 150 रु0 हमने कर दिया है । लड़कों की वरसरी हमने बढ़ा दी है ।

एक बात और है जो हम नई शुरू करने जा रहे हैं । आपको मालूम है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज में थ्री ईयर डिग्री कोर्सेज हैं । इस पर हमने बहुत सोचा क्योंकि हमारे जो बच्चे यहां से डिग्री लेकर बाहर जाते हैं, उनको बहुत परेशानी होती है । हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे किसी भी विश्वविद्यालय में चले जायं, वे वहां पर सर्वोत्तम छात्र रहें और हमारे सूबे का नाम रोशन करें और सफलता भी प्राप्त करें । थ्री ईयर डिग्री कोर्स को हमको ऑनर्सरी करने की आवश्यकता नहीं है । हम आनर्स कोर्स के रूप में आप्शनल रखेंगे । हमारे जो प्रतिभावान बच्चे हैं और वे आनर्स कोर्स करना चाहें, उसके लिए हम प्रविधान कर देंगे ।

एक सदस्य---

फीस माफी की छोटी सी घोषणा भी कर दीजिए ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

पहले का कर्जा तो अदा हो जाय, पुरानी लाइबिलिटीज जो हैं, वे तो अदा हो जायं ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप माननीय मोहन सिंह जी के लिए कोई विशेष क्लास की व्यवस्था कर देंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उनके लिए अवश्य कर देंगे ।

(हंसी)

श्री भीखा लाल--

माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए सुपीरियर क्लास की व्यवस्था कर देंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अब मैं अपने खिलाड़ियों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहती हूं । हमने अपनी माध्यमिक शिक्षा की ओर से खिलाड़ियों के लिए सेन्टर्स खोले हैं जिनमें क्रीड़ाओं में कम्पीटिशन और ट्रेनिंग दोनों होंगी ।

जहां तक प्रौढ़ शिक्षा का सम्बन्ध है इस समय हमारे 32 केन्द्र चल रहे हैं । इस सम्बन्ध में हमें केन्द्र से सहायता मिलती है । पिछले वर्ष हमने 2 लाख 15 हजार 562 लोगों को शिक्षा दी जिसमें से 64,202 महिलायें हैं, 66,801 लोग अनुसूचित जाति के और 7,291 लोग जन-जाति के लोग हैं । इस साल भी हम अपने रिसोर्सेज के अनुरूप 2 और केन्द्र खोलने जा रहे हैं 2 जिलों में जिनमें कुल 600 लोगों को 300 व्यक्ति प्रत्येक सेन्टर के हिसाब से शिक्षित करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष--

शिक्षा बड़ा ही विशद् विषय है । यदि जीवन भर शिक्षित किया जाय तो भी शिक्षा बाकी रह जायगी ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, मैं तो शिक्षा देने में हमेशा राजी हूं । जब चाहिए हमको शिक्षक बना दीजिए ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री को भी शिक्षित करना पड़ेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जहां तक उर्दू का सम्बन्ध है पहली से पांचवी जमात तक किसी स्कूल में अगर 10 बच्चे होंगे या पूरे स्कूल में 40 होंगे और वे उर्दू के माध्यम से पढ़ना चाहेंगे तो हम उनको पढ़ाने का प्रबन्ध करेंगे । 6ठीं कक्षा से वैकल्पिक के रूप में उर्दू के पढ़ाने की व्यवस्था है । फिलहाल हमारे प्रदेश में

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--]

6,000 उर्दू के अध्यापक हैं । एक निर्णय लिया गया है कि कुछ अध्यापक ट्रेन्ड नहीं थे जिसके कारण यह बात हुई कि उनको निकाल दिया जाय ।

लेकिन फिर हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी भी उर्दू अध्यापक को, ट्रेन्ड या अन्ट्रेन्ड को हटाया नहीं जाएगा और उनको ट्रेनिंग के लिए फिर से और सुविधाएं दी जाएंगी । बाकी उर्दू के संस्करणों का हमने इंतजाम किया है । कक्षा 6 से 8 तक की जितनी उर्दू की कोर्स की पुस्तकें हैं वे छपेंगी और वे उसी दाम पर बिकेंगी, जिस दाम पर हिन्दी की पुस्तकें छपकर बिकेंगी । बहुत से उर्दू अध्यापकों, लेखकों और तमाम दूसरे लोगों को भी सहायता देने का हमारे पास प्राविधान है । मुझे एक खबर और देनी है 46 जिलों में हमने उनके लिए फीस माफ कर दी है ।....(व्यवधान)

एक सदस्य--

मेरी समझ में नहीं आया, मन्त्री जी फिर एक बार घोषणा कर दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इन शब्दों के साथ में आपके सामने अपने बजट को प्रस्तुत करती हूं और आपसे अपील करती हूं कि सर्वसम्मति से यह पास हो ।

श्री विजय सिंह राना--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 33--शिक्षा विभाग के अधीन सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 108--शिक्षा विभाग ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

(इस समय 1 बजकर 13 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखा लाल पीठासीन हुए ।)

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 109--प्राविधिक शिक्षा विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

"असतो मा सद् गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतम् गमय" के मूल मंत्र के साथ जिस देश की सभ्यता का बीजारोपण किया गया हो । जब

धरती पर सभ्यता के सूरज ने अपनी आंख खोली थी, इस आदिम युग में महान भारत देश ने बाल्मीकि, बाणभट्ट, पाणिनि, कालिदास और भवभूति जैसे साहित्यकार, नागार्जुन, आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे वैज्ञानिक, चरक व धन्वन्तरि जैसे चिकित्साशास्त्री और वशिष्ठ, विश्वामित्र, महाकवि व्यास और गौतमबुद्ध और महावीर स्वामी जैसे धर्माचार्य पैदा किये हों, उस देश में शिक्षा का अधःपतन देखकर हृदय मर्मान्तिक वेदना से कराह उठता है। हम चाहे जिस राजनैतिक दल से हों उससे परे हटकर हमारी राजनैतिक आस्थायें चाहे किसी राजनैतिक दर्शन के साथ जुड़ी हो हमें इस गम्भीर विषय पर विचार करना चाहिए। महोदय, इस देश के वासियों ने अपने जीवन–दर्शन में ही सिद्धान्त रूप से यह माना है कि—

विद्यानाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं,
विधा भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूकं गुरुः।
विद्या बन्धुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता,
विद्या राजसु पूज्यते नहि धनं विद्या विहीन पशु।

उस देश में आज शिक्षा की स्थिति यह है। इस देश के अन्दर आज यदि आंकड़े इकट्ठा किये जाएं, तो देश में साक्षर संख्या कुल मिलाकर 29.45 प्रतिशत और आज उत्तर प्रदेश की स्थिति उससे भी दयनीय है। शिक्षा में हमारे प्रदेश का 18वां स्थान है सारे देश के राज्यों में 4 प्रान्त हमसे नीचे हैं और वे हैं––बिहार, राजस्थान, सिक्किम और जम्मू–काश्मीर।

मान्यवर, शिक्षा की नीति के सम्बन्ध में मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूंगा जिससे सारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगा। उत्तर प्रदेश में मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं की संख्या विश्वविद्यालयों की 1973–74 में 14, 1976–77 में 19, 1977–78 में 19। महाविद्यालयों की संख्या—1973–74 में 304, 1976–77 में 351 और 1977–78 में 364। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की संख्या—1973–74 में 4,165, 1976–77 में 4,537 और 1977–78 में 4,644। सीनियर बेसिक शिक्षा विद्यालयों की संख्या 1973–74 में 10,076, 1976–77 में 10,783 और 1977–78 में 11,396। जूनियर बेसिक विद्यालय 1973–74 में 63,695, 1976–77 में 65,647 और 1977–78 में 68,824। नर्सरी विद्यालय–1973–74 में 129, 1976–77 में 125 और 1977–78 में 124। इस प्रकार आप देखेंगे कि एक वर्ष में लगभग 30 महाविद्यालय, 250 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 650 सीनियर बेसिक विद्यालय और 5,000 जूनियर बेसिक विद्यालय बढ़े हैं।

उत्तर प्रदेश में विद्यार्थियों की भर्ती के भी आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं—कक्षा 1 से 5 तक में 1973–74 में 11,79,000। कक्षा 6 से 8 तक में 24,28,000। कक्षा 9 से 12 तक में 14,53,000। वर्ष 1975–76 में कक्षा 1–5 में 11,96,400। कक्षा 6 से 8 तक में 24,87,000, कक्षा 9 से 12 में 15,47,000। वर्ष 1976–77 में कक्षा 1 से 5 में 11,96,5000, कक्षा 6 से 8 में 25,11,000 और कक्षा 9 से 12 में 17,12,000। वर्ष 1977–78 में

[श्री विजय सिंह राना—]

कक्षा 1 से 5 में 12,08,6000, कक्षा 6 से 8 में 26,75,00 और कक्षा 9 से 12 में 15,21,000 विद्यार्थी भर्ती किये गये । इस प्रकार एक वर्ष में लगभग 1 से 5 कक्षा में 1,21,000 तथा 6 से 8 तक की कक्षा में 1,64,00 और कक्षा 9–12 तक में 2,00,000 लड़के बढ़े हैं ।

महोदय, प्रदेश की आबादी 1979 में 10 करोड़ 20 लाख के करीब थी और प्रति वर्ष 20 लाख जन संख्या बढ़ जाती है । इस हिसाब से पता चलता है कि 150 बर्ष में भी हम लोगों को शिक्षित नहीं कर पायेंगे ।

मान्यवर, अब व्यय के आंकड़े भी प्रस्तुत करना चाहता हूं । प्राथमिक शिक्षा पर वर्ष 1975–76 में 11,466 लाख रुपये, 1976–77 में 10,226 लाख रुपये, 1977–78 में 11,619 लाख रुपये और 1978–79 में 11,77,96 लाख रुपये खर्च हुये । 1975–76 में माध्यमिक शिक्षा पर 4986 लाख । 1976–77 में 5288 लाख । 1977–78 में 6466 लाख और 1978–79 में 7322 लाख । उच्च शिक्षा के ऊपर 1975–76 में 1189 लाख, 1976–77 में 2348 लाख, 1977–78 में 2780 लाख, 1978–79 में 2912 लाख । विशेष शिक्षा पर 1975–76 में 215 लाख । 1976–77 में 212 लाख, 1977–78 में 261 लाख और 1978–79 में 371 लाख और अन्य प्राविधिक शिक्षा पर 1975–76 में 4052 लाख, 1976–77 में 2464 लाख, 1977–78 में 2767 लाख, 1978–79 में 1072 लाख । यह स्थिति है मान्यवर । अगर 1977–78 के आंकड़ों को हम एक आधार मान लें, तो इसमें एक वर्ष में शिक्षा के बजट पर कुल बढ़कर 28 करोड़ रुपया दिया है, उसकी स्थिति यह है कि मान्यवर, अध्यापक, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की वार्षिक वृद्धि व टी० ए०, डी० ए० की वृद्धि के अलावा जो स्कूल के ऊपर रख–रखाव होता है, जैसे आपकी पुस्तकें हैं, विज्ञान सामग्री है आदि सब का खर्च बढ़ता है और आपके कार्यालय का भी खर्च बढ़ता है और इन सारे आंकड़ों को मिला कर देखें कि जो 28 करोड़ रुपया जो साल में बढ़ा कर देते हैं, वह तो इन बढ़ोत्तरियों पर चला जाता है और बृद्धि आप कहां से करेंगे ।

तुलनात्मक आंकड़े अब मैं दूंगा केरल का महोदय । जो केरल प्रान्त है अपनी शिक्षा के ऊपर बजट में 16,931 लाख रुपया खर्च करता है । केरल की आबादी कुल मिला कर ढाई करोड़ की है उस पर वह 16,931 लाख रुपया खर्च करता है और उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी दस करोड़ की है वह 25,749 लाख खर्च करता है । अगर अधिष्ठाता महोदय, आप देखें थोड़ा–बहुत हेरफेर करके देखें तो शिक्षा पर केरल द्वारा खर्च किये जाने वाली और उत्तर प्रदेश के द्वारा खर्च किये जाने वाली धनराशि करीब–करीब बराबर ही पड़ती है । जितना केरल खर्च करेगा उतना ही अगर यह प्रदेश भी खर्च करेगा तो कौन सी बढ़ोत्तरी की बात है । आप जो शिक्षा के ऊपर इस प्रदेश को देते हैं, उससे डेढ़ सौ वर्ष में भी इस प्रदेश को शिक्षित नहीं कर सकते ।

मैं अब प्रतिशत खर्च के ऊपर आता हूं, हम एक व्यक्ति के ऊपर जो प्रतिशत खर्च करते हैं उसकी बात है श्रीमन् । महोदय, उत्तर प्रदेश हमारे बजट के ऊपर जो खर्च करता है, उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ता है 25.5 रुपया और केरल प्रति व्यक्ति व्यय है 68.3 रुपया इस देश के अन्दर उत्तर प्रदेश का स्थान 18वां है और केवल चार प्रान्त साक्षरता में उत्तर प्रदेश से पीछे हैं । वह चारों प्रान्त भी प्रति व्यक्ति खर्च करने में आगे हैं ।

सिक्किम जिसकी साक्षरता की प्रतिशत उत्तर प्रदेश से कम है, उसका भी शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च 115·00 रुपया ह अगर प्रति व्यक्ति का खर्च माना जाय, तो हम हर प्रदेश से पीछे हैं। इसके साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में, इसका कारण क्या रहा है ? इसका कारण यह है कि आज हम लोगों की पिछड़ी शिक्षा के ऊपर शिक्षाविदों की दृष्टि कभी भी प्रदेशों के आंकड़ों को मिलाकर, इस देश की प्रगति को मिलाकर, आगे चलने की नहीं रही। हमारे सोचने विचारने का तरीका इतना पिछड़ा हुआ है जितना पहले था। इसलिए शिक्षा की प्रगति नहीं हो सकी। जब हमारे राष्ट्रनायक संविधान का निर्माण कर रहे थे तो अनुच्छेद 45 में हमने यह वादा किया था कि हम 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को 1960 तक शिक्षित बना देंगे और यह अवधि बढ़ा कर 1970 की गई फिर 1976 तक कर दी गई है। पर 1976 के बाद भी यह संख्या पूरी नहीं हो सकी और जैसा मैंने कहा कि डेढ़ सौ वर्ष तक यह अवधि निरन्तर बढ़ती चली जायगी। उसका अन्त दिखायी नहीं देता। इसका कारण यह रहा है कि हमारे यहां जितने स्कूल खोले जाते रहे उनमें गुणात्मक रूप से परिवर्तन की बात कभी नहीं सोची गयी। आज बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जो प्रबन्धक के लाभ के लिए चल रहे हैं। वास्तविक रूप में विद्यालय हैं ही नहीं। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जिनका अस्तित्व केवल कागज पर है। बहुत से विद्यार्थी और अध्यापक एसे हैं जिनकी संख्या केवल कागज पर है। जो सरकार द्वारा विद्यालय खोले गये हैं उनकी स्थिति यह है कि केवल नाममात्र के विद्यालय हैं, नाममात्र के अध्यापक और विद्यार्थी हैं। यह आपके विद्यालयों की कुल मिलाकर स्थिति है, जो आंकड़ों के हिसाब से हमें मालूम पड़ती है।

अब मैं आता हूं आपके विद्यालयों की उस स्थिति के ऊपर जिसमें विद्यालय तो हैं पर उनकी आन्तरिक स्थिति क्या है ? आपने हिसाब लगाकर देखा होगा, जो विद्यालय नहीं हैं, उनकी बात मैं नहीं कहता। जो विद्यालय हैं और जिनमें पढ़ाई होती है प्रदेश में एसे आपके सभी विद्यालय 125 दिन पढ़ाते हैं 365 दिनों में। 125 दिन इसलिए पढ़ाते हैं कि दो महीने का करीब ग्रीष्म अवकाश होता है, 15 दिन का शरदकालीन अवकाश होता है, 52 रविवार 25 त्योहार व अन्य अवसर आ जाते हैं, 8 दिन विद्यालय खुलने पर पढ़ाई नहीं होती और जब विद्यालय बन्द होते हैं उससे 15 दिन पहले प्रिपरेशन लीव हो जाती है। 7 दिन तक वार्षिकोत्सव और अन्य प्रकार के उत्सव होते रहते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 365 दिन में 125 दिन पढ़ाते हैं। इसके अलावा 125 दिनों में भी एक अध्यापक को 14 दिन का आकस्मिक अवकाश, 10 दिन मेडिकल अवकाश और तीन अर्जित अवकाश मिलते हैं और जिस दिन अध्यापक अवकाश पर रहता है उस दिन भी पढ़ाई का कोई इंतजाम होता नहीं। उस संख्या को और घटा दें तो कुल मिलाकर 99 दिन मिलते हैं और दिन भी 8 घंटे का और घंटा 35 मिनट का। आपकी सारी शिक्षा का बजट 99 दिनों पर खर्च होता है।

अध्यक्ष महोदय, सातवीं प्राक्कलन समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन में पृ0 40 पर कहा है—"आज भी हजारों की संख्या में ऐसे विद्यालय चलाये जा रहे हैं जिनका न तो भवन है न ही अन्य सामग्री। विद्यार्थी खुले में, फटी हुई टाट पट्टियों पर बैठते हैं। अधिकांश अध्यापकगण नियमित रूप से विद्यालय नहीं आते ह, उनमें अपने कार्य के प्रति निष्ठा का अभाव परिलक्षित होता है अतः समिति का निश्चित मत है

[श्री विजय सिंह राना---]

कि प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में विद्यालयों की स्थिति में जब तक गुणात्मक सुधार नहीं किया जाता तब तक केवल विद्यालयों, शिक्षकों अथवा छात्रों की संख्या बढ़ाने से ही शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता ।' रिपोर्ट में जैसा भी कहा गया ह । हम तो एक अनुभव की बात करते हैं । जब कि भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य था और हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तब हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञ अक्सर यह कहा करते थे कि इस तरह की शिक्षा द्वारा केवल अंग्रेज़ों का ध्येय लोगों को क्लर्क बनाना है और हम आज आपसे पूछते हैं कि आपकी शिक्षा आज के नवजवान को क्या बना रही है,—सड़क राम । इस देश के विद्यार्थी के पास बी० ए०, एम० ए० व तकनीकी डिग्रियां हासिल कर लेने के बाद सिवाय सड़क राम बनने के और कोई रास्ता उसके सामने नहीं है । ऐसी स्थिति को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है । तो महोदय, आज हमारी शिक्षा का हाल यह है कि पढ़ाई के नाम पर केवल डिग्रियां बांटी जाती हैं । पर श्रीमन्, बड़ा बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि परीक्षा में नकल होती है, पर क्यों ? जब प्रमाण-पत्र ही शिक्षा की चरम प्राप्ति है तो प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का साधन हेय क्यों समझे जायें और समझते रहें हम उसे हेय। जनता को तो जब कोई शार्ट-कट मिल जायेगा, तो वह उस पर निश्चित ही चलेगी । जब केवल प्रमाण-पत्र प्राप्त करना ही लक्ष्य है तो वर्ष भर मोटी-मोटी टैक्स्ट बुक पढ़कर प्राप्त करे तब भी वही बात है या फिर शार्ट-नोट या उसका भी कोई शार्ट 'इन ए आवर' या 'इन ए मिनट' पढ़कर तीन घंटे में परीक्षा पास करके प्राप्त कर लें, तब भी वही बात है । आज बाजार में जो शार्ट-नोट छप रहे हैं और बिक रहे हैं और उस पर पैसा खर्च कर जब छात्र लेता है, तो उन शार्ट नोट्स को लेकर शार्ट कट क्यों न चले । इसी में उसको ज्यादा आसानी होती है ।

श्री अधिष्ठाता---

अब आपका समय समाप्त हो रहा है । आपके लगभग 23 मिनट पूरे हो रहे हैं ।

श्री विजय सिंह राना---

महोदय, अभी मैं बोला ही क्या हूं ? अभी तो शुरू किया है । तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि परीक्षा की यह स्थिति है । आज परीक्षा आपको क्या रह गयी है ? पर आज के हालात को देखकर यह प्रतीत होता है कि अब आप यह प्रमाण-पत्र देने का काम भी ज्यादा दिन नहीं कर सकते क्योंकि अब तो स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अध्यापक की परीक्षा लेने की हिम्मत तक छूट गयी है । कक्ष-निरीक्षक के कार्य का नाम सुनते ही अध्यापक का दिल निकलकर बाहर आ जाता है बिना पुलिस के आज परीक्षा हो ही नहीं सकती और इस पुलिस की मदद से भी मार्च की परीक्षा अगस्त में होती है, क्योंकि परीक्षा लेने की हिम्मत अब अध्यापक में नहीं रही और जब आप परीक्षा ही नहीं लेंगे तो प्रमाण-पत्र कहां से बाँटेंगे ?

दूसरी बात अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हमारी शिक्षा सामान्य जीवन के साथ नहीं जुड़ेगी तब तक आपके यह छात्र शिक्षा से आकर्षित नहीं होंगे, जैसे एक मोटर साइकिल का कारखाना है, उसमें कोई काम सीखने वाला लड़का यदि मोटर खोलते वक्त ध्यान से नहीं देखेगा तो वह दुबारा उसे ध्यान से बांध नहीं सकता, इसलिए वह जानता है कि उसको अटन्टिव रहना है, यदि नहीं रहा तो भूल जायेगा । इसलिए वह हर समय अपने काम में ध्यान बांधे बैठा रहता है । हमें शिक्षा को ऐसा

ही बनाना चाहिए कि हम अपने आप उसमें व्यवस्थ हों। शिक्षा का एक-एक शब्द हमारे जीवन के साथ बंध जाय तब हम अपने आप शिक्षा के साथ बंधकर चलेंगे। इसलिए महोदय, केवल एक बात और कहना ह एक उदाहरण देकर इस शिक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में ताकि बात स्पष्ट हो सके। आगरा में मेरे एक दोस्त हैं : बहुत ही धनी व्यक्ति ह। करोड़पति पार्टी हैं। बड़ी-बड़ी कारों में घूमता है, शराब पीता है और बड़े-बड़े होटलों में उसका आना-जाना है और हाई स्कूल भी उसने पास नहीं किया ह। मैंने उसे झेंपाने के लिए उससे पूछा कि तुम क्या करते हो ? मैंने सिर्फ इसलिये पूछा था कि जिससे उसे अपनी करतूत पर लज्जा आवे किन्तु उसने बड़ गर्व से कहा कि मुझे क्या करना है साहब दो डी० एम० साहब मेरे पैर के नीचे रहते हैं एक साला इस पैर के नीचे और एक साला इस पैर के नीचे। मान्यवर, उसने ऐसा इसलिये ऐसा कहा क्योंकि जिस मकान में वह ऊपर रहता है उसके नीचे के दोनों पोरशन दो-दो हजार रुपये पर उठे हुये हैं। और मान्यवर, यहां पर डी० एम० की तनख्वाह दो हजार रुपये है। धिक्कार है। आपकी ऐसी शिक्षा को। जिस शिक्षा के रहते उत्तर प्रदेश का पूंजीपति का बेटा जो न डाक्टर बन सकता है, न इंजीनियर बन सकता है और न ही शिक्षा के द्वारा कोई उच्च पद प्राप्त कर सकता है वह अपने पैसे के बल पर कहता है कि दो डी० एम०, एक इस पैर के नीचे और एक इस पैर के नीचे रहता है। मैं पूछता हूं आपसे इस शिक्षा के रहते कौन माई का लाल होगा जो ऐसी शिक्षा के प्रति आकर्षित होगा। माननीय शिक्षा मंत्री ने हर्ष के भाषण से मेरी झोली भर दी। जसे खिसियानी बिल्ली खम्भा नोचती है यह भी कुछ दिनों के बाद खम्भा नोचने लगेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय शिक्षा के बारे में आज तक कई शिक्षा गोष्ठियों एवं कमीशन नियुक्त हुये। सबसे पहला हन्टर कमीशन नियुक्त हुआ, दूसरा यूनिवर्सिटी कमीशन, सेडलर कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, मुदालियर कमीशन और कुठारी कमीशन ये सब कमीशन शिक्षा पर नियुक्त हुये। मान्यवर कोठारी कमीशन का उद्घाटन 2, अक्तूबर, 1964 को जब दिल्ली में विज्ञान भवन में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री राधा कृष्णन कर रहे थे तो उन्होंने कहा था :—

'It is my earnest desire that the Commission will survey all aspects of education. Primary, Secondary, University and Technical—and make recommendations which help to improve out educational system at all levels.

मान्यवर, उनकी यह अभिलाषा थी कि कुठारी आयोग शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार करे ऐसे सुझाव दें जिससे हमारी शिक्षा व्यवस्था को अपनी सभी स्तरों पर उन्नति करने में सहायता मिले। मान्यवर, मेरा स्पष्ट मत है कि इन कमीशनों में शिक्षा के बारे में तो कोई विचार नहीं हुआ केवल इस बात पर विचार किया गया कि कैसे अध्यापकों का वेतन बढ़े। वेतन बढ़ जाने से अध्यापक भी सन्तुष्ट हो जायेंगे और सरकार भी मान जायेगी। मान्यवर, उन कमीशनों की रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। केवल अध्यापकों की तनख्वाह बढ़ाने का काम किया गया।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं आता हूं शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में। जब तक आप शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे तब तक शिक्षा की समस्या का हल कोई नहीं है। मैं चाहता हूं जिला विद्यालय निरीक्षक के नीचे जितने भी

[श्री विजय सिह राना---]
पद हैं चाहे पुरुषों के हो या महिलाओं के, उनको समाप्त कर शिक्षा का राष्ट्रीय-करण कर दिया जाना चाहिये और हर विद्यालय म प्रबन्ध को समाप्त कर अभिभावकों का एक संघ बना दिया जाय । मैनेजर फंड को विद्यालय फंड में बदल दिया जाय । जिसे प्रधानाचार्य, अध्यापक संघ और अभिभावक संघ मिलकर चलायें । साथ ही शिक्षा के क्षेत्र से भेदभाव का विषैला बीज जड़ से खींच लिया जाना चाहिए । महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ है बजट में पैसा भी देते ह, छात्र भी हैं शिक्षक पर शिक्षा की मांग ज्यों की त्यों है कवि के शब्द में---

बादल भी है, बिजली भी है,
पानी भी है सामने ।
मेरी प्यास अभी वैसी है,
जैसी दी थी राम ने ।

श्री दामोदर शर्मा---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं शिक्षा के बजट का पूर्ण समर्थन करता हूं । जो माननीय मंत्री जी ने टेक्निकल शिक्षा की बात कही है मैं उनका ध्यान टेक्निकल शिक्षा की ओर ले जाना चाहता हूं । टेक्निकल शिक्षा या टेक्नालाजी किसी देश के विकास का अच्छा परिणाम है चाहे जर्मनी हो, जापान, हो, जिन देशों में तकनीकी शिक्षा उच्चकोटि की है उन देशों ने अवश्य प्रगति की ह । मैं तकनीकी शिक्षा पर विशेष बल दे रहा हूं मैं, उनका इस पर आभार प्रकट करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश या देश की तरक्की करना है तो तकनीकी शिक्षा के स्कूल है उनके स्तर को उठाना पड़ेगा और वह स्तर तब उठ सकता है जब तकनीकी जन शक्ति का प्रयोग करें । दूसरी बात तकनीकी शिक्षा के नाम पर उत्पादन केन्द्र खोले गये हैं तो कभी ग्रामीण विकास योजनायें चलायी गयीं । मैं उनका ध्यान उन शिक्षा संस्थानों की ओर ले जाना चाहता हूं कि उनमें अलावा अराजकता के वातावरण के कोई परीक्षा सुचारु रूप से नहीं हुई । पिछले ढाई वर्ष के शासन में शिक्षा संस्थाओं में और विश्व-विद्यालयों में हालत यह रही है कि अराजकता का वातावरण रहा है और उसमें वाइस चान्सलर और चाहे प्रिंसपल हों, वे उसको सम्हालने में मेरा निश्चित मत है कि कामयाब नहीं हुए ।

मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि प्रधानाचार्य हो जिन स्कूलों में, डिग्री कालेजों में प्रिंसपल हों, वाइस चांसलर हों, उनको परीक्षा प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए पूरा प्रोटेक्शन दें । विभाग के जो तकनीकी शिक्षण संस्थाओं के मूलभूत भवन हैं उनके साथ-साथ उनमें उचित सामग्री, साज-सज्जा जब हम तकनीकी विकास की ओर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं तो वह सब जिन प्रयोगों को हम कर सकें, उनका सामान पहुंचाने का कष्ट कर जिससे जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो देश के भविष्य है, उनके जीवन से हम खिलवाड़ न कर सके । दूसरी बात पालीटेक्निक में प्रवेश की है और उनकी पाठ्य पुस्तकों का मैं चाहता हूं कि सभी पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण करें । सरकार छठें से 12 वें तक और टेक्नालाजी शिक्षा में जो किताबें चल रही हैं उन सब का राष्ट्रीयकरण करें । जिससे वे किताबें जो आज हम विभिन्न प्रकार के गेस पेपर चलते हैं उनके माध्यम से वह छोटे रास्तों पर न चल सकें ।

मान्यवर, जो इनमें अध्यापक हैं उनकी सेवा नियमों की जो बात है उसके सम्बन्ध में प्रशासनिक स्थिरता के हित में विभाग के जो उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्तियां हैं उनकी अविलम्ब कार्यवाही की जाये और प्राविधिक शिक्षा परिषद् का पुनर्गठन किया जाये । शिक्षा संस्थाओं में स्टाफ जो कम है उसकी माननीय मंत्री जी अतिशीघ्र पूर्ति करावें । नई

तकनीकी शिक्षण संस्थायें ही खोलने से हम इस प्रदेश का विकास नहीं कर सकते जो पुरानी तकनीकी शिक्षण संस्थायें हैं उनमें भी हम साज-सज्जा का सामान पहुंचायें। सन् 1974 में एक प्राविधिक शिक्षा का ऐक्ट पास हुआ था। उस ऐक्ट के पास होने के बाद भी आज तक सरकार ने उस पर कोई रिगुलेशन नहीं बनाये हैं। मैं निवेदन करूंगा कि प्राविधिक शिक्षा का जो ऐक्ट बना था उसके रिगुलेशन आदि शीघ्र बनाये जायें।

माननीय राना जी ने जो बात कही मैं उस बात पर आना चाहता हूं। मेरा यह निश्चित मत है कि जितने भी प्राइवेट कालेजेज हैं यह शिक्षण संस्थायें नहीं हैं बल्कि जाति बिरादरी और मजहब के अड्डे हैं। मांग करता हूं कि प्राइवेट मैनेजमेंट खतम किया जाये। प्राइवेट मैनेजमेंट जब तक खतम नहीं होगा प्रदेश की शिक्षा क्या देश की शिक्षा में कोई सुधार नहीं कर सकते। जब तक इन शिक्षण संस्थाओं का मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में रहेगा और वहां जाति बिरादरी, मजहब की बात होती रहेगी प्रदेश की शिक्षा का विकास नहीं होगा।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त हो गया।

श्री दामोदर शर्मा—

एक मिनट मान्यवर, गरीब किसान का बेटा उन स्कूलों में पढ़ता है जहां झोपड़ियां हैं, जहां वर्षात में पानी टपकता है, दूसरी तरफ इस प्रदेश में और देश में पब्लिक स्कूल चल रहे हैं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि यह पब्लिक स्कूल बन्द किये जायें। पूरे प्रदेश में शिक्षा में एकरूपता लायी जाय।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये। आपका समय समाप्त हो गया।

श्री दामोदर शर्मा—

मान्यवर, एक मिनट। जो इस बजट पर आज 145 करोड़ रुपये का खर्च आया है उससे अवश्य प्रगति होगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को यह भी बता देना चाहता हूं कि शिक्षण संस्थाओं और शिक्षा के दफ्तरों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। चाहे वह डी0 आई0 ओ0 एस0 का दफ्तर हो चाहे डी0 डी0 आर0 का, सब जगह भ्रष्टाचार है। कोई गरीब अध्यापक किसी कार्य के लिए जाता है तो उसे 50,100 रुपये डी0 आई0 ओ0 एस0 के दफ्तर में देना पड़ता है। डी0 आई0 ओ0 एस0 और डी0 डी0 आर0 के दफ्तर से भ्रष्टाचार खतम किया जाये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

माननीय अधिष्ठाता जी, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय राना साहब ने रखा है उसके समर्थन में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, कोई 5-6-7 बजट भाषण सुनने का मौका मिला किन्तु इतना निराशाजनक और इतना दिशाहीन बजट भाषण मुझे कभी सुनने को नहीं मिला।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

पहला मौका है क्या ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मौका तो आपकी दुआ से चौथा है लेकिन बजट भाषण जो माननीय शिक्षा मंत्री ने पेश किया है, ऐसा निराशाजनक भाषण सुनने को नहीं मिला । मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कोई एक बात वह बता दें जो नई हो और वह प्रदेश को देने जा रही हों । पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों स्कूल हैं जिनके पास भवन नहीं हैं, उनके भवनों को बनाने जा रही हैं । बड़ा लम्बा भाषण हुआ 224 स्कूल बन रहे हैं, एक जिले में 4 । जिले में हजारों प्राइमरी स्कूल हैं, लड़के छतों के नीचे पढ़ते हैं, अध्यापक आता नहीं, बरसात में एक भी भवन बनाने जा रही हैं । कोई जवाब नहीं ।

जनता पार्टी की बात आपने की, जनता पार्टी के शासन में मुझे याद है कि 12 हजार बी० टी० सी० पास बेरोजगार अध्यापकों को रोजी दी गयी थी । आप 12 सौ को ले लीजिये, मैं कहता हूं 12 को ही ले लीजिये, इनका क्या होगा इसके बारे में कोई जवाब आपका नहीं है । यह जो प्राइमरी स्कूल तक की शिक्षा है इसका सुधार तब तक नहीं होगा जब तक कुछ मौलिक चीजें आप नहीं करेंगे । प्राइमरी स्कूलों के जो अध्यापक हैं इनका स्थानान्तरण आप दूसरी तहसील में कीजिये । इनको वेतन वृद्धि दीजिये और इनको टी० ए० दीजिये । जब तक यह नहीं करेंगी तब तक कोई सुधार नहीं होगा । माननीय राम सिंह और पंचानन राय जी बैठे हुये हैं । हाई स्कूल सेकेण्डरी टीचर्स एसोसिएशन के यह अध्यक्ष रह चुके हैं । बहुत कहा करते थे, मैं पूछना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा का आप राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं ? आपकी सरकार जो बिहार में है उससे कुछ सबक सीखिये । बिहार में कर दिया गया है । अगर इतना नहीं कर सकतीं तो प्रधानाचार्यों की सर्विसेज को ट्रांसफरेबिल कर दीजिये, भ्रष्टाचार दूर हो जायगा । अगर यह सब नहीं कर सकतीं तो वहां पर आपको बैठने का कोई हक और अधिकार नहीं है । पंचानन राय और सिंह जी जो हैं यह लोग नारा लगाते हैं, मैं इनके साथ रहा हूं । आज यह जो स्कूल हैं इनके प्रधानाचार्यों की सर्विसेज का राष्ट्रीयकरण करें । नहीं कर सकते हैं तो इस्तीफा देकर बाहर चले जायें ।

आज शिक्षा के नाम पर कोई चीज प्रदेश में नहीं है । आप देखें 3 लाख विद्यार्थियों का परीक्षाफल रुका पड़ा है । यह क्यों रुका पड़ा है, इसका जवाब दें । इनका एडमीशन कहां होगा ? (माननीय शिक्षा मंत्री की ओर संकेत करते हुए) माननीय मंत्री जी यह दफ्तर यहां भी चला रही हैं, दफ्तर में आप बैठती ही नहीं हैं, मान्यवर, आप इंगित कीजिये । तो मैं कहना चाहता हूं कि यह जो 3 लाख छात्रों का परीक्षाफल रुका हुआ है इनका क्या होगा, इसकी जिम्मेदारी किस पर है ? जो फार्म दाखिल करने का समय है वह भी खतम हो रहा है । आप आश्वासन दें कि इन लोगों का परीक्षाफल कब तक घोषित होगा । मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं, उर्दू के सवाल पर, उर्दू का सवाल यहां उठाना ज्यादा मुनासिब नहीं है । इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों को उर्दू के नाम पर ज्यादा गुमराह मत कीजिये । या तो कुछ कर दीजिये वरना गुमराह करने की बात छोड़ दीजिये । आपने इनको कुछ भी नहीं दिया, जो भी उर्दू के अध्यापकों को पिछली सरकार ने दिया है उसका भी पालन नहीं कर रही है ।

मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । यह हर रीजन में जो क्लर्क आपके, डी० आई० ओ० एस० डी० डी० आर०, बेसिक शिक्षा परिषद् के आफिस में बैठे हैं, इनको आप जिला बदर कीजिये । जब से यह सर्विस शुरू करते हैं और जब तक

रिटायर नहीं हो जाते हैं तब तक यह डी0 डी0आर0,डी0 आई0ओ0एस0, आफिसों में इधर-उधर होकर फिर आ जाते हैं । इस तरह भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा । अगर आप भ्रष्टाचार को दूर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जिला बदल कीजिये । पहले कहा जाता था कि इर्रीगेशन विभाग में भ्रष्टाचार है, पी0 डब्ल्यू0 डी0 में भ्रष्टाचार है, अब आम आदमी कहता है कि शिक्षा विभाग से ज्यादा भ्रष्ट और कोई विभाग नहीं है । वह गरीब आदमी अपने ग्रेच्युटी और प्राविडेन्ट फंड के लिए घूमता फिरता है और वहां पैसे के बिना उसकी कोई बात नहीं सुनता है ।

मान्यवर, अब मैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी की बात कहना चाहता हूं । वहां एक रिटायर्ड आई0 ए0 एस0, वाइस चांसलर, श्री पी0 एन0 चतुर्वेदी को भेज दिया जो 30 दिन में 28 दिन बाहर रहते हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी वहां क्या आवश्यकता है ? वहां का 20 हजार पुस्तकों की चोरी करने वाला पुस्तकालयाध्यक्ष को रिटायर कर दिया गया है और उसको छोड़ दिया गया है । परीक्षायें रोज चल रही हैं । जब चाहते हैं तब परीक्षायें टाल दी जाती हैं । आखिर आप क्या करना चाहते हैं ? पूर्वी जिले चीनी मिलों का इलाका है और बुनकरों का इलाका है, इसलिए वहां एक शुगर टेक्नालोजी और एक टेक्स्टाइल टेक्नालोजी की संस्था मंत्री जी खोलने की कृपा कर ।

श्री शम्भूनाथ--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान पूर्वान्चल के आजमगढ़ जनपद की ओर दिलाना चाहता हूं । आजमगढ़ जनपद में विश्वविद्यालय खोलना अति आवश्यक है क्योंकि वह पिछड़ा जनपद है और वहां की 36 लाख की आबादी है ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं मंत्री, जी का ध्यान प्रौढ़ शिक्षा की ओर दिलाना चाहता हूं । प्रौढ़ शिक्षा उत्तर प्रदेश में 1976-77 में माननीय भूतपूर्व मुख्य मंत्री, श्री नारायण दत्त तिवारी द्वारा स्वयं सेवी संस्था, जो ग्रामीण स्तर पर केवल एक है--युवक मंगल दल, उत्तर प्रदेश में 50 हजार गांव सभाओं में संगठित है, के माध्यम से श्री संजय गांधी के 4 सूत्री कार्यक्रम, वृक्षारोपण, सफाई अभियान, प्रौढ़ शिक्षा और दहेज समाप्ति प्रथा, संचालित किये जा रहे थे ग्रामीण स्तर पर, लेकिन जनता पार्टी के आते ही एक अरब रुपया प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर जनता पार्टी का एक मात्र संगठन, आर0 एस0 एस0 शहरों में है, उसके माध्यम से सारा पैसा समाप्त कर दिया गया और प्रौढ़ शिक्षा का महत्व समाप्त कर दिया गया । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि प्रौढ़ शिक्षा जो ग्रामीण स्तर पर है, ग्रामों के असहाय और कम पढ़े-लिखे लोगों के लिये युवक मंगल दल स्टार्ट करके एक हजार रुपये का अनुदान, 1976-77 में किचेन गार्डेन, युवक मिलन केन्द्र और क्रीड़ा स्थल आदि कार्यक्रमों के लिय सोसाइटी ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कराकर केन्द्र सरकार से अनुदान दिया जा रहा था, पुनः युवक मंगल दल के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा युवकों और महिलाओं को शिक्षित करने का कदम उठाया जाय ।

मान्यवर, अब मैं आजमगढ़ के जिस क्षेत्र, अतरौलिया से चुनकर आया हूं वहां प्राइमरी स्कूल, राजकीय जूनियर हाई स्कूल और लड़कियों के स्कूल नहीं के बराबर हैं । इसलिए मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि अतरौलिया क्षेत्र में 30 राजकीय जूनियर हाई स्कूल, 60 प्राइमरी स्कूल और लड़कियों का एक

[श्री शम्भू नाथ---]

इंटर कालेज खोलने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में आज प्राइमरी स्कूल, जहां गांव के गरीब बच्च पढ़ते हैं उनके बैठने के लिए वहां टाट-पट्टी नहीं हैं, अध्यापकों के लिये कुर्सी नहीं हैं और वह चारपाई पर बैठते हैं ।

[2 बजे अपराह्न]

उनको पढ़ाने के लिए व्यवस्था की जाय । प्राइमरी स्कूल के बच्चों को किताबें, कापियां, मुफ्त देने की व्यवस्था की जाय । जहां तक सवाल विद्यालय भवनों का है, जो विद्यालय भवन हैं वे इस प्रकार के बने रहते हैं कि सारा पानी चू करके कमरों में आता है । बच्चे गांवों में चले जाते हैं जब पानी बरसता है । 45 फीसदी बिल्डिंग नहीं हैं । बच्चे कहां पढ़ें । उनके लिए कोई जगह नहीं होती है । इसकी व्यवस्था की जाय ।

माननीय मन्त्री जी का ध्यान में इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद बहुत बड़ा जनपद है । वहां कम से कम तीन लड़कियों के इंटर कालेजों की और व्यवस्था की जाय । वहां पर पूर्वान्चल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय ।

जहां तक प्रौढ़ शिक्षा का प्रश्न है, इसके माध्यम से गांव के नौजवानों को शिक्षित करने के लिए इस कार्यक्रम को मजबूती से चलाया जाय । महिलाओं की शिक्षा के लिए एक संगठन है महिला मंगल दल जिसे आप जानते होंगे । प्रादेशिक विकास दल के माध्यम से इसे चलाया जाना चाहिए । जिला अध्यक्ष इसका आर्गनाइजर होता है उसके माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा को चलाने के लिए माननीय मंत्री जी व्यवस्था करें ।

मैं इन शब्दों के साथ शिक्षा बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री थ्रमन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, वास्तव में इस बजट भाषण में कोई भी ऐसा सुझाव नहीं है, इस प्रकार की बात नहीं है, जिससे ऐसा लगता हो कि शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष परिवर्तन किया जायगा । मैं माननीय ओझा जी के सुझाव और शिकायतों का समर्थन करने के अतिरिक्त यह कहना चाहता हूं कि हमारी शिक्षा स्वतंत्र होने के 33 साल बाद भी बिल्कुल निरर्थक है और आदमी को अपने पैरों पर खड़े होने योग्य नहीं बना सकती है । शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति तो मात्र क्लर्क बन कर रह जाता है, जो प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, आई0टी0आई0 हैं, वहां शिक्षा प्राप्त करने वाले जो नवयुवक हैं वे उस प्रशिक्षण के बाद अपना रोजगार शुरू नहीं कर पाते और नौकरी की तलाश करते हैं । यह कमी दूर करनी चाहिए । शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् अपना स्वयं का व्यवसाय, रोजगार, खड़ा कर सके जिस विषय में वह शिक्षा लेता है । इस प्रकार की व्यवस्था की जाय ।

मान्यवर, अभी भी शिक्षा का प्रचार, प्रसार इस प्रदेश के अन्दर बहुत कम है । जो धनराशि इसके लिए रखी गयी है वह अपर्याप्त है । जो शिक्षा विद्यालय खोलने की बात कही गयी है, वे कम ह । ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में, प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों की स्थिति बड़ी हास्यास्पद है । एक कमरा होता है उसमें कई कक्षायें लगती हैं । कई बार कई अध्यापक होते हैं और कई बार एक अध्यापक कई कक्षाओं को पढ़ाने के लिए रहता है । कैसे यह सम्भव है, यह देखना चाहिए । तो मैं आप के माध्यम से शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि नये विद्यालय तो खोलने की बात तो है लेकिन जो पुराने विद्यालयों के टूटे भवन हैं उनकी मरम्मत की व्यवस्था होनी चाहिए । उनमें टाट, पट्टी की व्यवस्था होनी चाहिए ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं मेरा क्षेत्र रुहेलखंड विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आता है । मेरे क्षेत्र धामपुर में एक आर० एस० एम० डिग्री कालेज है जो सारे रुहेलखंड विश्वविद्यालय में बी० एस० सी० (एग्रिकल्चर) की शिक्षा देता है जिससे विद्यार्थियों का वहां जमघट रहता है। हम उनको प्रशिक्षण नहीं दे पाते हैं, उनका एडमिशन नहीं हो पाता है । प्रथम वर्ष में ही 650 प्रार्थना-पत्र आये जबकि 120 के प्रवेश की व्यवस्था है । इसके लिये दो सेक्शन अविलम्ब खोलने की अनुमति प्रदान की जाय ताकि छात्रों को यह विषय पढ़ने की सहूलियत हो सके । गन्ना उत्पादकों ने गन्ना मूल्य मिल द्वारा कटौती करा कर 10 लाख रुपये से यह विद्यालय खड़ा किया है लेकिन आज उन्हीं के बच्चे पढ़ने से वंचित हैं । उनको प्रवेश पाने में बड़ी कठिनाई होती है । दो सेक्शन खुलने से उनको बहुत राहत मिल जायगी ।

इसके अलावा कुछ विसंगतियां भी हैं। शिक्षा विभाग में निदेशालय कुछ कहता है और विश्वविद्यालय कुछ कहता है । उदाहरण के लिये विश्वविद्यालय यह कहता है कि एग्रिकल्चर एक संकाय है । यह सही भी है जैसे कामर्स अथवा विज्ञान एक संकाय है । उसी तरह से एग्रिकल्चर भी एक संकाय है लेकिन इलाहाबाद में निदेशालय कहता है कि यह एक विषय है। इस कारण परेशानी यह है कि निदेशालय यह कहता है कि जितने पीरियड हैं उनको 24 से भाग कर उतने अध्यापक दो जब कि विश्वविद्यालय यह कहता है कि प्रत्येक विषय के लिये अध्यापक होना चाहिये । इस विकट के कारण हमारे आर० एस० एन० डिग्री कालेज में दो प्रवक्ताओं की नियुक्ति नहीं मिल रही है एक जीव रसायन विज्ञान तथा एक उद्यान विज्ञान के लिये । यह ऐसे विषय हैं जो दूसरे लोग नहीं पढ़ा सकते । विश्वविद्यालय कहता है रख लो । निदेशालय कहता है कि नहीं रख सकते । इससे उन बच्चों की शिक्षा पूरी नहीं हो पाती है । बच्चे हड़ताल पर आमादा हो जाते हैं । इस तरह की विसंगतियों को दूर किया जाय और विश्वविद्यालय तथा निदेशालय में सामंजस्य स्थापित होना चाहिये तथा जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करना चाहिये । इसके लिये मैनेजमेंट तथा प्रध्यापकों के प्रतिनिधि को बुलाया जा सकता है जिससे ऐसी परेशानियां दूर हो जायं ।

इसी तरह बिजनौर जिले में धामपुर एक व्यापारिक केन्द्र है । वहां कन्याओं के लिये बी० ए० तक की शिक्षा के लिये एक सुन्दर विद्यालय है । माननीय मंत्री धामपुर पधारें इसके लिये मैं उनको निमंत्रण देता हूं । वे आकर देखें कि छात्राओं का परीक्षाफल कितना अच्छा है और कितना सुन्दर अनुशासन है । वहां एम० ए०

[श्री थम्मन सिंह--]

की कक्षा खोलने के लिये उस विद्यालय ने प्रयास किया। मेरा निवेदन है कि छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रख कर धामपुर में इस सौभाग्यवती बनई दानी डिग्री कालेज में एम0ए0 तक की शिक्षा देने के लिये अविलम्ब मान्यता प्रदान की जाय।

*श्री ए0 सी0 ग्राइस--

मान्यवर, मैं सबसे पहले मन्त्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं उनके भाषण के लिये। उन्होंने बहुत सारे प्वाइंट्स शिक्षा के सम्बन्ध में उसके सुधार के लिये निकाले हैं। मैं भी आपके द्वारा उनसे कुछ कहना चाहता हूं। आनर्स डिग्री कालेज की व्यवस्था यानी तीन साल का डिग्री कोर्स करने की बात कही गयी। मद्रास में यह चलता है। इसमें मेरा सुझाव यह है कि सेलेक्टेड कालेजेज में आप इसका प्रोविजन कर दें और इन कालेजेज के साथ ही साथ 3 इयर्स डिग्री कोर्स आर्ट और साइन्स में आनर्स का भी कर दें और एम0 ए0 और एम0 एस-सी0 कर दें तो ठीक हो जायेगा। मद्रास और कलकत्ता में इस तरह के कालेजेज चल रहे हैं इसलिये यहां पर भी उनको चलाने में कोई डिफीकल्टी नहीं होगी बशर्ते कि वह सेलेक्टेड कालेजेज में ही करें। बाद में आप उसको आटोनामस कालेजेज में भी कर सकते हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हिम्मत करके फीस बढ़ा दें। सन् 1922 में फीस जो लगाई गई थी वह आज तक चल रही है। उसके बाद उसको बढ़ाने की किसी ने हिम्मत नहीं की। जब कहा जाता है कि फीस बढ़ाओ तो बड़ा शोर होता है कि नहीं बढ़ाओ। जब कि टैक्स का पैसा जितना है वह स्कूलों में चला जाता है। शहरों में ही स्कूलों पर ग्रांट खत्म हो जाती है देहातों के लिये नहीं रह पाती है। सारा पैसा शहरों में लग जाता है। मेरा सुझाव है कि कवाल टाउन्स में कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा और लखनऊ में स्कूलों में आप एक ग्रेड कर दें और वहां फीस बढ़ा दें। इससे सरकार के पास काफी पैसा हो जायेगा खर्च करने के लिये। इसी तरह से हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट में सन् 1922-23 में फीस बढ़ाई गई थी लेकिन जो आज खर्चा होता है उससे आज का कोई कम्पैरिजन नहीं है। पहले 4-5 रुपये पेपर देते थे और अब 25-30 रुपया देते हैं। कोई एक्जामिनर तैयार नहीं होते। लड़कों को बुलाकर काम करते हैं। जो सेन्ट्रलाइजेशन हुआ है वह भी ठीक नहीं चल रहा है। इसलिये जब तक आप फीस नहीं बढ़ायेंगे तब तक ऐसा ही चलेगा। सारी ग्रान्ट शहरों में ही लग जायेगी।

हमको एक डिफीकल्टी यह है कि इन्टरमीडिएट कालेजेज के जो एक्जामिनेशन्स फार्म्स हैं उनकी प्रिंटिंग में बड़ा भ्रष्टाचार है। उसमें बड़ा करेप्शन है। इसलिये कि उसमें सारा अरेन्जमेंट रजिस्ट्रार करता है। वाइस चांसलर से कोई मतलब नहीं है। इसलिये बड़ा करेप्शन है।

मैं सरकार के सामने एक बात लाना चाहता हूं कि माइनोरिटीज इंस्टीट्यूशन्स में ऐक्ट के पालन करने में डिफीकल्टी हो रही है। जब तक मैजोरिटी माइनोरिटी को हेल्प नहीं करेगी तब तक उसको सैकिन्ड क्लास सिटीजन माना जाता रहेगा। जैसे मुसलमान हैं, कायस्थ हैं, और हैं। इस तरह से हम लोगों की हालत बहुत खराब है। आज यूनिवर्सिटी ऐक्ट के सेक्शन 28 के तहत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया :

जो हैं उसको लागू करने की कोशिश नहीं की गई । यह 1974-75 में ऐक्ट बना था । इसको लागू करने की कोशिश 1980 में कर रहे हैं । जो इससे मुस्लिम कालेजेज हैं, क्रिश्चियन कालेजेज है हम लोग अपनी च्वाइस के स्टूडेन्ट नहीं रख पाते हैं । हम लोगों का कालेज चलाना गैर मुमकिन हो जाता है । इससे टीचर्स भी नहीं रह जायेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं रह जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । थैंक्यू ।

* श्री राम सागर—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । शिक्षा समाज का आभूषण है और शिक्षा से ही समाज का स्तर ऊपर उठ सकता है । लेकिन मान्यवर, यदि आप देखें तो पिछले कुछ वर्षों को छोड़ कर 33 वर्षों में जो यह वर्तमान सरकार है हुकूमत करती चली आ रही है आधे से ज्यादा लोग गांवों में आज भी अंगूठा छाप देखने को मिलेगें । यदि पूछा जाय तो यह किस की जिम्मेदारी है कि इन 33 वर्षों में प्राइमरी शिक्षा की व्यवस्था भी ठीक नहीं हो पायी । गांधी जी ने कहा था कि मैं देश के बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहता हूं कि वह पढ़ लिखकर अपनी रोजी रोटी के लिए किसी के सामने हाथ न पसारे । लेकिन वह बातें तो दूर हैं आज उनको अपने हस्ताक्षर करने के लिए भी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पायी है । आज शिक्षा उसी प्रकार की है जैसे सैकड़ों वर्ष पहले थी । बड़े-बड़े लोगों के बच्चों, राजें महाराजों के बच्चों के लिए गुरुकुल होते थे जहां पर उनकी शिक्षा होती थी उसी तरह आज भी है । जो बड़े लोग हैं आई० ए० एस० और पी० सी० एस० या मंत्री, उनके बच्चों के लिए विशेष स्कूल चल रहे हैं और दूसरी तरफ गांवों में जो किसान हैं उनके बच्चों की क्या हालत है । उनके लिए कोई भवन नहीं है खुले आकाश में बैठ कर वे शिक्षा ग्रहण करते हैं । इन पब्लिक स्कूलों में यदि हाथी के बारे में पढ़ाना होगा तो जो कई हजार रुपये में हाथी मिलता है उसको सामने लाकर पढ़ाया जायेगा लेकिन गांवो में पढ़ने वाले बच्चों के लिए श्यामपट् भी नहीं हैं जिसमें लिख कर उसे साक्षरता का ज्ञान कराया जाय । न वहां पर टाट पट्टी है न दूसरे साधन । जो समस्या पहले थी वही आज भी हैं । मेरा सुझाव है कि जो पब्लिक स्कूल हैं उनको समाप्त कर दें और बड़े लोगों के बच्चों के लिए तथा किसानों के बच्चों के लिए एक ही स्कूल हों । जब ऐसा होगा तो उसमें जो मंत्रियों, आई० ए० एस० और पी० सी० एस० के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे और दोपहर में जब नाश्ते की छुट्टी होगी तो उसमें दोनों तरह के बच्चे होंगे बड़े लोगों के बच्चे जब मालपुवा खायेंगे और मजदूरों के बच्चे सूखी रोटी खायेंगे तो वे एक दूसरे का खाना देखेंगे और जब किसान का बच्चा बढ़ कर अधिकारी होगा तो वह अनुभव करेगा कि हमारे गांव के बच्चे कितने गरीब हैं और उनकी समस्यायें क्या हैं जिनको कि नमक के साथ रोटी खाने को भी नही मिलती है ।

मंत्री जी जब भाषण कर रही थी तो कह रही थी कि आप बताइये कि शिक्षा में कैसे सुधार किया जाय । वह हमसे प्रश्न कर रही थी । आप जानते

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राम सागर---]

हैं कि गांवों में जो स्कूल चल रहे हैं उनकी जांच के लिए उन्होंने कहा एस0 डी0 आई0 साल में दो बार निरीक्षण करेंगे । आप जानते हैं कि वे व्यक्ति विशेष के यहां बैठ कर मुआयना कर लेते हैं कभी स्कूल में नहीं जाते हैं ।

यह मैं आपकी जानकारी देना चाहता हूं । यदि वे स्कूल में जाएं और उसकी दुर्दशा को देखें तो उसमें कुछ सुधार हो सकते हैं । लेकिन वे केवल कागजी मुआयना करते हैं । मंत्री जी ने बताया कि प्राइमरी स्टेज पर केवल कक्षा 5 की परीक्षा होगी । लेकिन स्कूल में पढ़ाई-वढ़ाई तो होती नहीं, एस0 डी0 आई0 प्रति छात्र 5 रुपया लेकर विद्यार्थियों का परीक्षाफल बना देते हैं । यदि किसी का लड़का---किसान मजदूर का लड़का स्कूल में पढ़न न भी जाए तब भी यदि वह चाहे तो एस0 डी0 आई0 को पांच रुपया देकर अपने बच्चे का मनमाना परीक्षा-फल बनवा सकते हैं ।

मान्यवर, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, मंत्री जी ने कहा हैं कि जिस गांव में 3 सौ की आबादी है, उसमें स्कूल की व्यवस्था वह करने जा रही हैं, उस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अहमदपुर एक गांव है, जिसमें 4 हजार की किसानों और बुनकरों की आबादी है, लेकिन उसमें स्कूल की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है । अतः वहां स्कूल अवश्य खोला जाए । मान्यवर, हमारे जिले में हदरगढ़ और रामसनेही घाट नामक दो तहसीलें हैं, जिनमें एक भी डिग्री कालेज नहीं है । तो आपसे अनुरोध है कि कम से कम दो तहसीलों के बीच रामसनेही घाट में एक डिग्री कालेज खोलने की व्यवस्था की जाए । मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने समय दिया और मैं माननीय सदस्य के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री प्रवीन कुमार शर्मा---

मान्यवर, आपने शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । हमारे लिए यह बड़े गौरव की बात है कि पूरे देश में शिक्षा की जो स्थिति है, उसमें हमारे प्रदेश में 16.5 प्रतिशत बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है, अर्थात् उत्तर प्रदेश शिक्षा का बहुत बड़ा भार अपने ऊपर वहन करता है । जो बजट हमारी शिक्षा मंत्री जी ने पेश किया है और जिसमें हमारे विरोध पक्ष ने एक कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, यदि आप बजट के तथ्य को देख लें तो मालूम होग कि यह बजट थोड़ा है, इसको और बढ़ाया जाना चाहिए, यह बढ़ा दिया जाए, यह आपको मानना होगा । जब से यह शासन आया है, हमारे यहां शुरू शुरू में कापियों किताबों की जो दिक्कत थी, वह अब नही है । मैं स्वयं प्रधानाचार्य हूं, महसूस कर रहा हूं कि 15/15 कापियां हमारे यहां लड़कों को मिली हैं और हमारे यहां इसकी कोई दिक्कत नहीं है । हो सकता है कि किसी जगह कुछ ज्यादा दिकत हो । इसको मैं मानता हूं ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सन् 71 से हमारी सरकार ने कालेजों तक के अध्यापकों के वेतन का भार अपने सिर पर ले रखा है और उसके बाद उसने डिग्री कालेज के अध्यापकों के वेतन का भार भी अपने ऊपर ले लिया है । उसने परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलवाया है, हमारी तनख्वाहें समय पर दीं । लेकिन हमने देखा है कि इस तरक्की में पिछले 28 महीनों के दरम्यान

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

थोड़ा बहुत व्यवधान आ गया था। हमने यह भी देखा था कि परीक्षाएं सुचारू रूप से नहीं चल रही थीं और यह भी देखा कि यूनिवर्सिटी के छात्र मायूसी की हालत में बैठे रहते थे और उस समय मुझ एक शेर याद आया था, वह मैं आपके सामने आज दोहरा रहा हूं--

आपका इंतखाब कर बैठे, अमां जिन्दगी खराब कर बैठे। हमें हमारा वेतन कांग्रेस शासन में मिला लेकिन इक के जमाने में तो हमको जेलों में ठूंस दिया गया जेलों में। गोरखपुर में हमें इस कदर मारा गया कि कहा नहीं जा सकता। इसको सब लोग जानते हैं। इमके शासन काल में फिरोजाबाद में इतनी जबरदस्त फायरिंग हुयी कि वहां पर 7 वीं या 8 वीं क्लास के बच्चे को मार दिया गया। इसकी गवाही हमारे उन दिनों के अखबार हैं। चूंकि समय कम है इसलिए मैं चन्द सुझाव देना चाहता हूं।

मेरा पहला सुझाव यह है कि जूनियर स्तर पर बच्चों को पौष्टिक आहार मुफ्त में दिया जाना चाहिये। दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि हमारे संविधान में एक निर्देश दिया हुआ है कि 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी। मेरी प्रार्थना है कि यदि उनका पूरा प्रबन्ध न हो पाया हो तो उसे पूरा करने का प्रबन्ध किया जाय। इसके अतिरिक्त मेरी यह प्रार्थना है कि शासन को कुठारी आयोग की सिफारिशों को अध्यापकों के लिए लागू करना चाहिए। कांग्रेस के शासन काल में हम को एक सुविधा दी गयी थी कि शिक्षा के विषय को कान्करेन्ट लिस्ट में रखा गया था लेकिन वह भी छीन लिया गया, राष्ट्रीयकरण तो, जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे, क्या होगा।

एक दोष हमारे शिक्षा निदेशालय में अवश्य है कि कुछ गिने चुने स्कूल और कालेज हैं जिनको भवन के लिए, साइन्स के सामान के लिए और फर्नीचर आदि के लिए बारम्बार ऐड उन्हीं को मिल जाती है। मेरा माननीय शिक्षा मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे लिस्ट उठाकर देखें वे कौन से स्कूल और कालेज हैं जिनको 50-50 लाख रुपये दिए गये हैं। आज भी सैकड़ों और हजारों ऐसे स्कूल और कालेजेज हैं जिनको किसी प्रकार की ऐड आज तक नहीं मिली है। मैं अपने 24 वर्ष के शिक्षा जगत के अनुभव पर बोल रहा हूं। आज भी अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों के जो सस्पैन्शन राइट्स हैं, समितियों को मिले हुए हैं। आपने 60 दिन का सस्पेन्शन लिमिट जरूर फिक्स कर दिया है लेकिन उसको आप हटा दें। यदि हमारे मस्तिष्क साफ नहीं होते, हम आजाद नहीं होते तो हम शिक्षा जगत के अन्दर बच्चों को ज्यादा नहीं पढ़ा सकते हैं। हमारी शिक्षा, जौब ओरियेन्टेड होनी चाहिये। दक्षिणी अमेरिका में ब्राजील नाम का एक देश है वहां पर कानून का विषय हाई स्कूल तक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है। मेरी मन्त्री जी से यह मांग है कि कानून को चाहे संक्षेप में, ब्रीफ में ही पढ़ाया जाय उसका ज्ञान बच्चों को कराया जाना चाहिये ताकि उनको अपने हकूक और ड्यूटीज मालूम हो जायं।

मुझे यह भी निवेदन करना है कि हमारे अनूपशहर में एक अरबी मदरसा है। अभी तक उसको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिली हुयी है जब कि उसमें बाहर के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। मेरी प्रार्थना है कि उस मकतब को

[श्री प्रवीन कुमार शर्मा--]

अवश्य पैसा मिलनी चाहिए । पिछले जमाने में उसे 600 रुपये प्रति वर्ष मिलता था लेकिन वह भी अब बन्द हो गया है । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि बिल्ली के भाग से छींका ही टूट गया । उसी के सिलसिले में मुझे एक शेर याद आ गया जो इस प्रकार से है :

एजा एंसल इन्सानों तालानिसा न हूं,
कसिन नौके मगूलविन, यसूलो अलल तल्ब ।।

यह दशा आप लोगों की है और आप विरोधी लोग तो बिल्लियों की तरह खम्भा नोचते हैं । धन्यवाद

श्री मित्र सेन---

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । मैं माननीया शिक्षा मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत शिक्षा बजट पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश की शिक्षा प्रणाली एक फैक्टरी की तरह पुर्जों को ढालती चली जा रही है जो पुर्जे एक जगह जाकर इकट्ठा हो जाते हैं और बाद में वे किसी कबाड़ी के हाथों बेच दिये जाते हैं । हमारे विद्यालयों से ऐसे ही विद्यार्थी निकल रहे हैं जो पढने लिखने के बाद बेकार होकर समाज में घूमते हैं, समाज को तो दूषित करते ही ह स्वयं उनकी कार्यक्षमता भी गिरती है ।

माननीया शिक्षा मन्त्री जी ने तक्नीकी शिक्षा की बात कही है । जब तक हमारी शिक्षा रोजगार पूरक नहीं होगी तब तक किसी का भी भविष्य निश्चित नहीं होगा । हमको अपनी शिक्षा को रोजगार से जोड़ना पड़ेगा, तभी विद्यार्थी शिक्षा में रुचि लेगा और उससे परिवार तथा समाज लाभान्वित हो सकेगा ।

आज छात्र शिक्षण संस्थाओं में आन्दोलन किया करते हैं । बहुत से छात्र तो 10-10 वर्षों तक फेल होते रहते हैं, रोजगार न होने के कारण, बार-बार विश्वविद्यालय में दाखिला लेते हैं और अपनी नेतागीरी किया करते हैं । वहां आन्दोलन किया करते हैं । इसलिये जब तक शिक्षा में बुनियादी परिवर्तन नहीं होगा तब तक समाज में सुधार नहीं हो सकता । शिक्षा के माध्यम से ही एक अच्छे समाज की संरचना की जा सकती है । अगर शिक्षा दूषित होगी तो समाज का विकास नहीं होगा । शिक्षा के दौरान ही आज छात्र गरीबी और अमीरी का ज्ञान कर लेता है । वे यह जान जाते हैं कि हमारे क्या अधिकार हैं, और क्या कर्तव्य हैं ।

मान्यवर, आज यह भी आवश्यक है कि किसी स्तर तक शिक्षा की गारन्टी होना चाहिये, चाहे हाई स्कूल तक निःशुल्क शिक्षा की गारेन्टी दी जाये, चाहे जूनियर हाई स्कूल तक हो, लेकिन संविधान के अनुसार कुछ गारन्टी होना चाहिये ।

प्रौढ़ शिक्षा की बात कही जा रही है । आज कहीं भी प्रौढ़ शिक्षा नहीं चल रही है । न कहीं प्रौढ़ शिक्षा दी जा रही है और न कहीं वे पढ़ा ही

रहे हैं। हमारे यहां तो बच्चों की ही शिक्षा नहीं चल रही है। प्रौढ शिक्षा का सारा धन, आपको चाहिये कि आप प्राइमरी भवनों में लगायें और प्राइमरी शिक्षा की पहले उचित व्यवस्था करें। प्रौढ शिक्षा को समाप्त करना चाहिये।

इसके अलावा बच्चों को उसी प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिय जिसमें उसकी रुचि हो। आज यह देखा जाता है कि छात्रों पर बहुत से ऐसे विषयों का भार लाद दिया जाता है जिसमें उसकी रुचि नहीं है और इस कारण वे कई-कई वर्ष तक फेल होते रहते ह। इसलिये शिक्षा मनो वैज्ञानिक टेस्ट के आधार पर दी जाना चाहिये। और दूसरे मान्यवर, हमारे क्षेत्र में एक कृषि विश्व-विद्यालय है और उसको चलाने के लिए और उसकी फीडिंग के लिए आवश्यक है कि उसके पास-पड़ोस में विद्यालयों कों एग्रिकल्चर की मान्यता मिले। उस विद्यालय को छात्र उपलब्ध कराने के लिये मान्यता आवश्यक है। इसलिये जो फैजाबाद जनपद में कृषि विश्वविद्यालय चल रहा है उसके क्षेत्र में विशेष रूप से कृषि विषय की मान्यता दी जानी चाहिये। विज्ञान की शिक्षा हाई स्कूल तक अनिवार्य की जानी चाहिये। लेकिन अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है। लोगों की साइंस से जिन्दगी जुड़ी हुई है। इसलिये साइंस की शिक्षा हमें हाई स्कूल तक अनिवार्य करनी चाहिये इस विषय की मान्यता लेने में जो कठिनाई है, जो सहायता प्राप्त विद्यालय हैं, वह कभी प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि 50 हजार का सामान तथा लाखों की बिल्डिग इसके लिये देना पड़ता है, जिसको कि यह पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिये हाई स्कूल तक की साइंस की शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिये ताकि विद्यार्थियों को हाई स्कूल तक साइंस की शिक्षा प्राप्त हो सके।

आज कल शिक्षा संस्थाओं में बड़ी अव्यवस्था है। परीक्षा प्रणाली में जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, और तरीके की वह दूषित हो गयी है, किसी को यह विश्वास ही नहीं है कि विद्यार्थियों को ज्ञान के अनुसार नम्बर मिलेगा। इसलिये शिक्षा विभाग को चाहिये कि अपनी दूषित प्रणाली को निकाल कर परीक्षा के प्रति आस्था बढ़ायें और शिक्षा को रोजगार परक बनाया जाय। मैं इन शब्दों के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

(श्री राम समुझावन के पुकारे जाने पर)

श्री श्याम लाल वाजपेयी--

मान्यवर, वहां पर नाम जाता है जिनका, उन्हीं को पुकारा जाता है। अच्छा तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री राम समुझावन--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। पिछले तीस सालों में हमारे देश और प्रदेश में, स्वतन्त्रता के बाद, जो प्रगति हुई है' वह काफी हुई ह लेकिन उसमें जो शिक्षा का माध्यम है या स्तर है वह इस किस्म का है जिसे देख कर और सोच कर ऐसा लगता है कि जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाई होती है, पहले से अब कितना अन्तर हो गया है कि जो भी विद्यालय देखा जाय या तो वहां भवन नहीं है या वहां लड़के पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। उनको बैठने के लिए टाट-पट्टी नहीं है। अध्यापक स्वयं नहीं आते हैं

[श्री राम समुझावन--]

खासकर तो उसी गांव के अध्यापक हैं, वे तो अपने घर का कार्य करके ही आते हैं। अध्यापक अपने गांव में तो रहें ही नहीं, उनको कुछ दूरी पर रखना चाहिए। साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जितने मांटेसरी और नर्सरी स्कूल आदि हैं, उनमें जो पढ़ाई होती है, काफी अच्छी होती है। लेकिन गांव की पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। उनको देख कर आदर्श विद्यालय खोला जाय। हर जगह एक व्यवस्था होनी चाहिए तो शायद इससे देश का भला हो सकता है और उन लड़कों का जो हमारे भविष्य के कर्णधार होंगे वे पढ़-लिख करके अच्छे तयार हो सकते हैं। आज स्कूलों में पढ़ाई नहीं के बराबर होती है। वहां पर अध्यापक मनमानी करते हैं। निरीक्षण का कार्य इतना ढीला हो गया है कि अध्यापक अपने को यह समझते ही नहीं हैं कि नौकरी करते हैं। यदि इन विद्यालयों की जिला परिषदों को दे दिया जाय तो पढ़ाई में सुधार हो सकता है। जिला परिषदों को जैसे पहले अधिकार दिया गया था आज भी दे दिया जाय और आज उन पर अंकुश रखा जाय तो निश्चय ही प्राइमरी क्लास की पढ़ाई अच्छी हो सकती है। जब तक प्राइमरी क्लास की शिक्षा ठीक नहीं होगी, तब तक कालेज की शिक्षा ठीक नहीं हो सकती।

आज जो परीक्षा की पद्धति है, उसमें विद्यार्थी चाकू ले कर परीक्षा देते हैं और जो निरीक्षक उसको देखते हैं वे कतई उस ओर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि बाहर निकलने पर उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। इसलिए आवश्यकता है कि प्राइमरी शिक्षा अच्छे ढंग से चलायी जाय। साथ ही साथ एक और सलाह देना चाहता हूं। प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल या हाई स्कूल तक की कक्षाओं का निरीक्षण का अधिकार विधायकों को भी दिया जाय। और उनकी सलाह को भी सरकार मान्यता दे। तभी शिक्षा में अधिक से अधिक सुधार हो सकता है।।

ऐसे बेरोजगार अध्यापक बैठे हैं जिनका प्रशिक्षण हो चुका है उनको जगह नहीं मिल रही है। उन शिक्षित बेरोजगारों को स्थान देना चाहिये या उनकी ट्रेनिंग बन्द कर दें, जब जगहें खाली हो तभी ट्रेनिंग दे। जूनियर हाई स्कूल में इतने विषय हो गये हैं, 13 विषय हैं। आवश्यकता इस बात की है कि कम से कम विषय रख जायं। उतने ही विषय रखे जायं जिनसे बच्चों की बुद्धि प्रकाश में आय वे जीवन में उपयोगी सिद्ध हों। जहां तक साइंस का सवाल है जूनियर हाई स्कूल में साइंस का विषय खोल दिया गया हैं लेकिन सामग्री का कोई प्रबन्ध नहीं है जिससे साइंस की पढ़ाई ठीक से हो सके। केवल किताबों द्वारा पढ़ाई होती है। विषय खोला जाय तो निश्चित रूप से उनको समुचित सामग्री होनी चाहिये और अध्यापकों को प्रशिक्षण देकर ही उनसे काम लेना चाहिए। प्राइमरी शिक्षा से लेकर हाई स्कूल तक देखते हैं कि व्याकरण का बिलकुल प्रचलन नहीं है। लेकिन व्याकरण की शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। परीक्षा पद्धति में परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो जिस तरह की परेशानी हो रही है शिक्षा में, कोई सुधार नहीं हो सकता है परीक्षा केवल परीक्षा होती है वह ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है।

भ्रष्टाचार का जहां तक सवाल है इसके पहले शिकायत होती थी कि पुलिस में, पी० डब्लू डी० या दूसरे विभागों में भ्रष्टाचार है लेकिन आज मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि शिक्षा के कार्यालयों में और शिक्षा विभाग में जितना

भ्रष्टाचार है वह किसी से कम नहीं है । वहां क्लार्क से लेकर अधिकारियों तक बिना चाय पिलाये, खर्च किये हुए, किसी प्रकार उनसे सहायता पा सकें यह नामुमकिन है। उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है । प्राइमरी शिक्षा से लेकर हाई स्कूल तक परीक्षा में सुधार होना चाहिए, पढ़ाई के लिए समुचित सामग्री देनी चाहिए, साथ ही साथ निरीक्षण भी होना चाहिए। जब तक निरीक्षण नहीं होगा तब तक शिक्षा में सुधार नहीं आ सकता है ।

श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे जो शिक्षा अनुदान पर विचार व्यक्त करने का समय दिया उसके लिए अनुगृहीत हूं । आज हम इस माननीय सदन में एक गम्भीर विषय पर विचार कर रहे हैं । शिक्षा का एक ऐसा विषय है जो मानव को मानव और मानव को दानव भी बना सकता है, यदि उसकी पालिसीज और कार्यकलाप ठीक नहीं होता है । अभी माननीय विजय सिंह राना ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसके विरोधाभास को देख कर बड़ा आश्चर्य हो रहा है । वह स्वयं भी एक विद्यालय के प्राचार्य हैं । उन्होंने शिक्षा पर एक रुपया व्यय करने का प्रस्ताव रखा है साथ ही साथ कहा है केरल में बहुत अधिक व्यय हो रहा है, इसके अनुसार ही विरोधाभास है । वह चाहते हैं कि यहां पर मात्र एक रुपया व्यय हो और इस देश और प्रदेश का विकास हो यह कैसे हो सकता है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमें देखना यह है कि शिक्षा किस प्रकार की हो जिससे इस देश और प्रदेश का भला हो । स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अपने विचार व्यक्त किये थे उनका सपना साकार हो, समाजवादी व्यवस्था यहां स्थापित हो और उसके लिए परमावश्यक है कि विद्यालय एक प्रकार के हों और हमारे राष्ट्र के हर बच्चे को समान शिक्षा और समान अवसर को मार्ग प्रशस्त किया जाय ।

आज आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो देहरादून में सेन्ट वेहलम जैसे विद्यालय हैं जहां पर उन अभिभावकों के बच्चे पढ़ते हैं जो 5 सौ 7 सौ रुपया प्रतिमाह खर्च कर सकते हैं दूसरी तरफ गांवों में जो बच्चे पढ़ते हैं जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा गांवों के बच्चों पर 5, 6 रुपये भी प्रति बच्चा व्यय नहीं होता । शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें तीनों एच का समान विकास हो, हेड का, हार्ट का और हैन्ड का सर्वांगीण विकास होना चाहिए । इसलिए मेरा निवेदन है माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि शिक्षा में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा में इस बात की आवश्यकता है कि तीनों एच का एक समान विकास हो, तीनों एक साथ काम करें और सर्वांगीण विकास हमारे छात्रों का हो ।

शासन ने एक निर्णय लिया है कि बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों के वेतन का भार शासन ने अपने जिम्मे ले लिया है, वहां पर भवनों और दूसरी सामग्री की इतनी दुर्दशा है कि सारी शिक्षा व्यवस्था चराशायी हो रही है । जिला परिषद और नगरपालिकायें जो थी वह इनकी मरम्मत और दूसरी व्यवस्था कराती थी लेकिन आज हम देखते हैं उन विद्यालयों की दुर्गति हो रही है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जहां शासन ने उनके वेतन का भार लिया है वहीं उन विद्यालयों की बिल्डिंग और दूसरी व्यवस्था का उत्तरदायित्व शासन ले ।

[श्री राम सिंह (सहारनपुर)—]

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शिक्षा के राष्ट्रीयकरण पर काफी दिनों से विचार चल रहा है । पंडित कमला पति त्रिपाठी जब यहां पर मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा था कि हम शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं । इस विषय म मान्यवर, बिहार राज्य ने निर्णय भी ले लिया है और 2 अक्तूबर से राष्ट्रीयकरण करने जा रहा है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है इन विद्यालयों के अध्यापकों की सेवा के साथ साथ बिल्डिंग का भी राष्ट्रीयकरण किया जाय । क्योंकि आप जानते हैं कि वहां पर ऐसे विद्यालय बहुत कम हैं । कार्यरत अध्यापक जो हैं उनके वेतन का पूर्ण दायित्व आप उठा रही हैं और जहां पर प्रबन्धक विद्यालय के कोष से पैसा नहीं खाते हैं और न ही विद्यालय को एक पैसे का कन्ट्रीब्यूशन देने का तो प्रश्न नहीं है किन्तु जो पैसा खाते हैं उनकी व्यवस्था बहुत ही सड़ी गली है आप इस व्यवस्था को समाप्त करें और निश्चित रूप से इस व्यवस्था को पूरी की पूरी सरकार अपने ऊपर ले । मान्यवर, आज बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और मान्यवर न फर्नीचर है न भवन है क्योंकि मैनेजमेंट एक भी पैसा कन्ट्रीब्यूशन देने को तयार नहीं है । आज बच्चों की संख्या एक हजार की जगह ढाई हजार हो गई है एक-एक सेक्शन में 110 लड़के हैं । मान्यवर, जब एजूकेशन कोड के अनुसार एक सेक्शन में 45-46 बच्चे होने चाहिए आज वहां पर 110 बच्चे पढ़ाये जा रहे हैं । अन्त में एक बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं गढ़वा विश्वविद्यालय एक राष्ट्रीय मोन्यूमेन्ट है परन्तु इस को समुचित ग्रान्ट नहीं मिल रही है आई० आई० टी० कानपुर जबकि इससे कम इन्जीनियर पैदा करती है परन्तु इससे ढाई गुना ग्रान्ट पा रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है ।

श्री राम सिंह (सहारनपुर)—

इस सब चीजों को आप देखें ताकि प्रदेश का विकास हो सके ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

(माइक के खराब होने पर)

एक सदस्य—

माइक खराब है, आपका ।

श्री प्रदीप कुमार यादव—

जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ह, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर इस देश को जो शिक्षा नीति है वह इतनी लचर है कि उसके होते हुए कुछ होने वाला नहीं है । हिन्दुस्तान में कई सूबे हैं और उत्तर प्रदेश इन सूबों में सबसे बड़ा है और जहां तक शिक्षा का ताल्लुक है इसका 13वां स्थान है और इस, प्रदेश में लगभग 10 करोड़ की आबादी है । इसमें से 2 करोड़ 10 लाख जो हैं वह शिक्षित हैं और 7 करोड़ 90 लाख अशिक्षित हैं । यह शिक्षा की प्रगति है 33 सालों की । इनमें से मान्यवर, अंग्रेजों के जमाने के पढ़े लिखे लोग शामिल हैं और जनता के शासन के लोग हैं । हिसाब किताब जो लगाया गया है, सरकारी आंकड़े जो हैं उसके मुताबिक 21.70 लोग शिक्षित हैं । मान्यवर, अगर यह सरकार

केवल 10 करोड़ लोगों में से 7 करोड़ 90 लाख लोगों को शिक्षा की व्यवस्था करना चाहे तो जो शिक्षा की प्रगति और व्यवस्था है उस लिहाज से 125 साल निरन्तर पढ़ाई करनी होगी तब जाकर जो गैर पढ़े लिखे हैं उनकी व्यवस्था हो सकेगी। साथ ही साथ सम्पूर्ण तरीके से परिवार नियोजन लागू हो तब हो सकता है।

दूसरी चीज मुझे कहनी है कि जो बजट माननीय शिक्षा मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है उसमें पिछड़ों के लिए कुछ नहीं कहा गया है। जनता सरकार के जमाने में पिछड़ों को शिक्षा के विशेष अवसर दिये गय थे। उसके तहत वजीफा दिये गय। मैं सदन में बताना चाहता हूं कि पिछड़ों के नाम पर लोग भड़क जाते हैं केवल अहीर और कुर्मी को पिछड़ा समझते हैं। इनमें 58 जातियां कुल हैं। हिन्दुओं में 37 और मुसलमानों में 21। तो मैं कहना चाहता हूं कि भड़कें नहीं, जो पिछड़े लोग हैं ये देश की रीढ़ हैं। यदि इनको विशेष अवसर नहीं दिया जाता है तो देश का विकास नहीं कर सकते हैं।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान बाराबंकी जनपद में एक कालेज की ओर खींचना चाहता हूं। इनको भी बाराबंकी जाने का मौका मिला होगा, वहां दो पाली टेक्नीक है और इमारत नाम की कोई चीज नहीं है। सारी इमारत टपकती है। बच्चों की सुरक्षा नहीं है, अध्यापकों की सुरक्षा नहीं है।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा की तरफ बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हम 1.5 कि0 मी0 पर प्राइमरी स्कूल खोलेंगे। इसी प्रकार 3 कि0 मी0 पर मिडिल स्कूल खोलने की बात की। हिसाब किताब लगाया गया, सरकारी आंकड़े शासन के नियत हैं, 13,400 प्राइमरी स्कूल खोलने होंगे। इसके लिए 49 साल तक बराबर इसी प्रकार की शिक्षा नीति जारी रहे तो शिक्षा की प्रगति हो सकती है। 6 हजार मिडिल स्कूल खोलने की बात की गयी उसके लिए 47 साल तक शिक्षा मन्त्री जी को मेहनत होगी बशर्ते कि वह शिक्षा मन्त्री बनी रहें।

मान्यवर, अगर वास्तव में यह सरकार शिक्षा के स्तर को दुरुस्त करना चाहती है, सुधारना चाहती है तो उसके लिए एक ही तरह की शिक्षा प्रणाली अपनानी होगी। यह अपने देश और प्रदेश में दो तरह की शिक्षा प्रणाली का इन्तजाम किया गया है। एक बड़े आदमियों के बच्चों के लिए और दूसरी छोटे आदमियों के बच्चों के लिए। मिनिस्टर के बच्चे के लिए, कलेक्टर के बच्चे के लिए, कप्तान के बच्चे के लिए देहरादून में स्कूल खुला है। पहली से पांचवे तक तीन सौ, चार सौ रुपये महीने खर्च होते हैं। दूसरी तरफ गांव के प्राइमरी स्कूल हैं उनकी हालत देखें। प्राइमरी स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए टाट–पट्टी का इन्तजाम नहीं है। अध्यापकों को बांटने के लिए वेतन नहीं है। बरसात के दिनों में बच्चा पढ़ने जाता है तो छत टपकती है और उसको घर लौटना पड़ता है। मान्यवर, मेरा शिक्षा मन्त्री जी से निवेदन है कि अगर वह चाहती हैं कि विकसित शिक्षा की व्यवस्था हो तो सबसे जरूरी होगा कि दो तरह की दुकानें जो स्कूलों की खुली हुई हैं उनको तोड़ा जाये। तब जाकर कुछ हो सकेगा

श्री अधिष्ठाता––

आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री पंचानन--

मान्यवर, देश में जो शिक्षा दी जा रही है इसके क्या लक्ष्य हों, यह स्वयं अपने को देखना है। किसी भी देश के अन्दर शिक्षा राष्ट्रीय लक्ष्यों की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय उद्देश्यों के अनुरूप दी जाती है। हमारे देश में यह उद्देश्य धर्म निर्पेक्षता, समाजवाद और जनतन्त्र के आधार पर निर्धारित किया गया है। आप विचार करें कि जो शिक्षा हमारे प्रदेश में व्यक्तिगत प्रबन्ध से चल रही है उससे साम्प्रदायिकता का जहर पैदा हो रहा है, इससे जातिवाद का प्रोत्साहन और प्रसार होता है क्योंकि कान्यकुब्ज स्कूल खुलेगा, भूमिहार स्कूल खुलेगा, कायस्थ पाठशाला खुलेगी। तो क्या इन संस्थाओं के रहते हुए इस देश में धर्म निर्पेक्षता ला सकेंगे ? यह समझना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है।

दूसरा उद्देश्य जनतन्त्र का है। जिस तरह की विभाजित शिक्षा व्यवस्था है, दो तरह के स्कूल हैं। प्राइवेट मैनजमेंट को लेकर अगर हम जनतन्त्र की कल्पना इस मुल्क में करें तो यह हमारी बड़ी भारी भूल है। जब देश की शिक्षा में जनतन्त्र नहीं होगा तो विधान मन्डलों से हम जनतन्त्र का प्रचार नहीं कर पायेंगे। इन शिक्षण संस्थाओं को जनतन्त्र की शिक्षा देनी होगी।

तीसरी बात समाजवाद की है। इस तरह से समाजवाद को ला पाना बड़ा कठिन है। जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने कहा कि गरीब और अमीर के लिए दो तरह की शिक्षण संस्थायें आज भी हैं और यह पृथक्कीकरण जोरों से आज भी बढ़ता चला जा रहा है। गरीब आदमियों के लिए बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। गांवों में जो स्कूल हैं उनमें भवन नहीं, छत नहीं है दूसरी तरफ पूंजीपतियों के स्कूल हैं।

[3 बजे अपराह्न]

हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था आज बड़े स्कूलों पर आधारित है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था के रहते हुए हमारी समाजवाद की कल्पना पूरी नहीं हो सकती है। आज हम बड़ी ही गम्भीर हालत में हैं। अगर यही हाल बना रहा तो मजबूरन यहां का हर आदमी क्रांति पर उतर सकता है और आज शिक्षा के माध्यम से इस देश में पूंजीपति और पैसे वाले ही आगे बढ़ रहे हैं। यह इस प्रकार की शिक्षा की देन है इसलिए मैं कहता हूं कि व्यक्तिगत प्रबंधकीय शिक्षा व्यवस्था को अविलम्ब समाप्त किया जाना चाहिए। इस व्यक्तिगत प्रबन्धकीय शिक्षा व्यवस्था से न केवल जातिवाद और साम्प्रदायिकता का जहर फैल रहा है, बल्कि सारे देश में इस व्यवस्था से एक प्रकार से व्यापार का जाल सा फैला हुआ है और इन संस्थाओं के चलाने वालों की कोठियां खड़ी हो रही हैं और दूसरी तरफ गरीब का बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, क्योंकि उनके संरक्षक एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी होने के नाते कुछ भी पढ़ने से सम्बन्धित चीजें उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। इसलिए इस प्रबन्ध को समाप्त किया जाना चाहिए और दूसरा सुझाव मान्यवर मेरा यह है कि शैक्षिक सामग्री तथा पाठ्य पुस्तकें छात्रों को आसानी से मिल सकें इसके लिए एक निगम की स्थापना की जाए हमारे प्रदेश के लिए। ताकि कालाबाजारी बन्द हो सके और हमारे देश के छात्रों को इस ओर कोई परेशानी न उठानी पड़े। इसलिए इस नीति की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

तीसरी बात मैं भ्रष्टाचार के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि आज वह हमारे जीवन का एक अंग है। चाहे वह इधर के बैठने वाले हों या उधर के। जो भी इधर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आयगा, उसकी यही हालत होगी, वह कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आज सोचना यह है कि इस क्षेत्र में जितनी भी अराजकता फैल रही है, वह सब के जिम्मेदार हम ही हैं क्योंकि जब कहीं अंकुश नहीं रहता तब यही हाल होता है। जिस प्रकार से कमिश्नर कलेक्टर का और कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर का और डिप्टी तहसीलदार का निरीक्षण करता है हर महीने तब कुछ व्यवस्था ठीक–ठीक चलती है। लेकिन इस क्षेत्र में कुछ पता नहीं कि कहीं कोई मुआयना करता भी है या नहीं। यह व्यवस्था हमारे उधर के साथियों की देन है। जब से वे इस प्रदेश में अये सत्ता में तभी से हमारी शिक्षा की गाड़ी अपनी पटरी पर उतर गयी और तभी से इस ओर अराजकता भी खूब बढ़ती नजर आ रही है। इसी से मैं कहता हूं कि इस ओर आज ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। जो परिस्थिति आज हमको दिखाई दे रही है उसमें अमूल परिवर्तन की आवश्यकता ह। लेकिन आज हो क्या रहा है। आज डिग्रियां नीलाम हो रही हैं एम० ए०, बी० ए० और एच० टी० सी० की डिग्रियां 10 और 15 हजार में बिकती हैं।

(शेम–शेम की आवाजें)

यह शेम हमारे आपके दोनों के लिए है। क्योंकि हम दोनों लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय, माध्यमिक शिक्षा परिषद् के बारे में, इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स के बिल्डिंगों के बारे में जो इनके हाल 1958 में थे वही आज हैं। उसी जमाने की बिल्डिंग हैं इनके पास और वही स्टाफ भी आज काम कर रहा है। जो 14 हजार लड़कों की परीक्षा का इंतजाम उतना ही स्टाफ करता था और आज 3 लाख विद्यार्थियों का भी इंतजाम उतना ही स्टाफ कर रहा है। इसलिए आज आवश्यकता है इस ओर भी ध्यान देने की उसके 2–3 दफ्तर खोल दिये गये हैं, सारनाथ में खोला गया है, दफ्तर तो खोल दिया गया है लेकिन आटोनामी नहीं दी गयी है। इसी तरह से मेरठ में भी दफ्तर खोल दिया गया है लेकिन आटोनामी नहीं दी गयी है। चूंकि समय समाप्त हो रहा है इसलिए मैं एक मिनट और लेते हुये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज इस बात की जरूरत है, इस प्रदेश की सरकार यह फैसला करे कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रबन्ध व्यवस्था समाप्त की जाय। अमीर और गरीब के बच्चों के लिये एक ही तरह की शिक्षा का इंतजाम किया जाय।

श्री ख्वाजा हलीम––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं इस वजह से कि यह जो बजट अब पेश किया गया है यह सिर्फ प्रदेश की जनता की आशा के खिलाफ ही नहीं है बल्कि श्रीमती इंदिरा गांधी और संजय गांधी ने इलेक्शन मैनीफेस्टों में जो वायदे किये थे उसके भी खिलाफ है। उन्होंने अपने हर इलेक्शन मीटिंग में तकरीर की थी और कहा था कि अगर हमारी हुकूमत बनेगी तो उर्दू को दूसरी जुबान बनायेंगे इस प्रदेश की। लेकिन उर्दू के लिये सरकार ने कोई बात नहीं कही है और न उर्दू को दूसरी जुबान बनाने के बारे में ही कहा गया है बल्कि जब उर्दू को दूसरी जबान बनाने का बिल

[श्री ख्वाजा हलीम--]

काउंसिल में पेश हुआ तो सत्ता दल ने गिरा दिया और आज भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है । मैं कहना चाहता हूं कि बाबू बनारसी दास के समय में जब लोकदल की सरकार इस प्रदेश में थी और चौधरी चरण सिंह की सरकार जब दिल्ली में थी तो यहां उर्दू के लिये एक फारमूला बनाया गया था जिससे सैकड़ों उर्दू पढ़ने वालों को सहायता मिलती और लोग उर्दू पढ़ते । लेकिन उस फारमूले को हमारे यहां जो गवर्नर के एडवाइजर थे उन्होंने इंदिरा गांधी के इशारे पर, एक चुनी हुयी सरकार के फारमूले को रद्द कर दिया और कहा कि जब नयी सरकार आयेगी तो कार्यवाही करेगी । वह फारमूला उर्दू को दूसरी जबान

(इस समय 3 बजकर 6 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्रीकृष्ण गोयल पीठासीन हुए ।)

बनाने के मुताल्लिक था । मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार जानबूझकर धोखा दे रही है यहां की जनता को । बाबू बनारसी दास की लोकदल की सरकार ने जो उर्दू को दूसरी जबान बनाने की बात की थी उसको आपने खत्म करा दिया और उस पर आगे कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । उर्दू टीचर नाम के लिये जरूर हैं लेकिन जब उर्दू पढ़ने वाले नहीं होंगे तो सरकार उनको भी खत्म कर देगी ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो आपने 32 सालों के अन्दर यहां पर इतिहास बनाया है वह फिरका परस्ती का इतिहास है । आपने यही सिखाया कि यहां हिन्दू और मुसलमानों की लड़ाई थी । औरंगजेब और शिवाजी की जो तस्वीर आपने पेश किया है वह तमाम फिरकापरस्ती का इतिहास, हिन्दू और मुसलमान के रूप में दिखाया है । जब तक हमारा पूरा इतिहास दोबारा सही तरीके से नहीं लिखा जायगा और बदला नहीं जायेगा, उसी फिरकापरस्ती के इतिहास का नतीजा है कि आज जिले-जिले और पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर यह हाल हो रहा है । यह इतिहास जो आज 32 सालों में आपने किया है अगर आपने इसे बदला होता तो आज यह झगड़े और फसादात नहीं होते ।

सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आज शिक्षा के अन्दर दोरुखी पालिसी है । एक गरीब को शिक्षा देने के लिये टाटपट्टी की शिक्षा है और दूसरी तरफ बड़े लोगों के लिये देहरादून और बड़े-बड़े स्कूलों की आपने व्यवस्था की है । मेरी निश्चित राय है कि कम से कम 5वीं कक्षा तक शिक्षा एक ही तरह के गवर्नमेंट के स्कूलों में होनी चाहिये, चाहे एम0 एल0 ए0 का बच्चा हो, चाहे मंत्री का बच्चा हो और चाहे डी0 एम0 का बच्चा हो 5वीं कक्षा तक एक सी शिक्षा कंपलसरी कर दी जाय । 5वीं कक्षा तक तमाम एक ही तरह के स्कूल होने चाहिये । इसको आप बड़े लेविल तक नहीं कर सकते तो पांचवी कक्षा तक अवश्य कर दीजिये ।

सबसे बड़ा मुझे संदेह ही नहीं विश्वास है कि इस बजट का जो रुपया है उसका दुरुपयोग जरूर होगा । हमारी मंत्री जी जो हैं उन्होंने खुद एक 8 लाख का घपला किया है जिसके लिये मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं :--

"उत्तर प्रदेश आवास और विकास की ओर से तालकटोरा हाउसिंग स्कीम के लिये 550 एकड़ के लगभग भूमि का अधिग्रहण किया गया और मुआवजा चुकाने की व्यवस्था की गयी । कहा जाता है कि यह अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिकारी श्री चिंतामणि त्रिपाठी ने किया । इसमें कुछ भूमि श्री राजा बख्शी की भी थी, जिसका मुआवजा कुल बासठ हजार रुपया आंका गया । इसमें से राजा ने अपने जीवन काल में ही लगभग

तीस हजार रुपये का भुगतान ले लिया था। श्रीमती स्वरूप कुमारी उस समय कांग्रेस की एम0 एल0 ए0 थीं और अब कांग्रेस (ई) यानी इंदिरा कांग्रेस की विधायक हैं और अब मंत्री हैं। उन्होंने ग्राम आलमनगर के फार्म-2 में अपने पति के जीवनकाल में ही उनको मृतक लिखवाकर स्वयं को उनका वारिस लिखवा लिया था। इतना ही नहीं 3 मई, 1976 को जब राजा जीवित थे, तभी मृतक वारिस स्वरूप (कुमारी) रानी बख्शी ने तीस हजार आठ सौ ग्यारह रुपये और 31 पैसे की रकम सरकारी खजाने से वसूल कर ली। इस रकम के भुगतान के साथ ही राजा की जमीन का मुआवजा लगभग पूरा हो जाता है, मगर सरकारी खजाने के दस्तावेज यह बताते हैं कि मृतक वारिस स्वरूप रानी बख्शी ने 12 जनवरी, 1977 को डेढ़ लाख रुपया, 23 जनवरी, 1977 को साढ़े पांच लाख रुपया, और 7 मई, 1977 को 1 लाख रुपया यानी इस तरह कुल आठ लाख तीस हजार आठ सौ ग्यारह रुपये और 31 पैसे वसूल किये। इस रुपये के रिकवरी का नोटिस भेजा गया है डी0 एम0 के वहां से। लेकिन इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करके उसको रुकवा रखा है।"

मान्यवर, इसमें 'माया' 1979, अगस्त से मैं इनके मंत्री बनने का फारमूला जो इसमें लिखा हुआ है उसको भी पढ़ना चाहता हूं।"

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त, आप बैठें।

*श्री भोला पाण्डेय--

मान्यवर, शिक्षा बजट पर हो रही बहस में भाग लेने के लिये मुझे जो आपने अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैकाले ने इस बात की कल्पना की थी और जिस शिक्षा पद्धति को सोचा था वह यह है कि हिन्दुस्तानवासियों को अंग्रेजी वेशभूषा से लेकर अंग्रेजी शिक्षा की तालीम हासिल करायेंगे। मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि ब्रिटिश काल की जो व्यवस्था थी वही शिक्षा में आज भी मौजूद है। मान्यवर, सामाजिक संरचना से लेकर देश की आर्थिक प्रगति तक शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा दायित्व होता है, लेकिन कांग्रेस के हुकूमत के 30 वर्षों में शिक्षा विभाग में सुधार, विश्वविद्यालयों माध्यमिक शिक्षा संघों की तरफ और प्राइमरी एजूकेशन की तरफ व्यापक पैमाने पर ध्यान दिया गया लेकिन 3 वर्ष के जनता शासन में जो हुआ जिससे वह भी इंकार नहीं कर सकते हैं, शिक्षा विभाग में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार बढ़ा। मैं इस बजट का समर्थन करते हुए मान्यवर, आपके माध्यम से मन्त्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सबसे पहले विद्यालयों पर जो सरकार खर्चा वहन करती है वह 80 प्रतिशत है और कुल खर्चे का 20 प्रतिशत खर्चा प्रबन्ध समितियां विद्यालयों को वहन करती हैं। इसलिए मैं जोरदार तरीके से सरकार से मांग करता हूं कि जनता पार्टी के शासन में जो माध्यमिक शिक्षा के तमाम शिक्षकों का एक आंदोलन यहां राजधानी में आया था और एक दर्दनाक घटना घटित हुई थी कि हमारे पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लाठी चार्ज किया गया और उनको जेलों में बन्द किया गया, तो उन शिक्षकों की जो सही मांगें थीं, उनका जो अहिंसावादी आंदोलन था कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाये, तो मैं मांग सरकार से करता हूं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाये और व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भोला पान्डेय--]

मान्यवर, दूसरी बात छात्र संघों की आती है। चौधरी चरण सिंह जब यहां मुख्य मन्त्री थे तो छात्र संघों के ऊपर उन्होंने व्यापक पैमाने पर हमला किया था।

श्री मोहन सिंह--

आपकी पार्टी भी उसमें शामिल थी।

श्री भोला पाण्डेय--

मान्यवर, मैं 3-4 दिन पहले बनारस गया था तो वहां पाया कि छात्र संघों और विद्यार्थियों के साथ एक कुठाराघात किया गया और उनके साथ दमनात्मक रवैया सरकार अपना रही है। इसलिए मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि काशी विद्यापीठ, छात्र संघ के अध्यक्ष के ऊपर जो कुलपति के निर्देशों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और वहां जो राजनीतिक भ्रष्टाचार व्याप्त है उसको दूर करने की, मैं सरकार से जोरदार शब्दों में मांग करता हूं और यह भी मांग करता हूं कि वहां के कुलपति को तत्काल हटायें और जिससे काशी विद्यापीठ का प्रबन्ध अच्छे तरीके से चले।

मान्यवर, शिक्षा विभाग के अन्दर गैर बराबरी का दर्जा है। समाजवाद की बात हम करते हैं लेकिन समाजवाद लाने के लिए, समाजवाद की संरचना के लिए, सब से पहले इस बात की जरूरत है कि गैर बराबरी के दर्जे को समाप्त करें। एक तरफ तो गांवों में पढ़ने वाले किसानों के बेटे हैं जो चटाईयों में बैठकर पढ़ते हैं, कोई भवन नहीं है और दूसरी तरफ शहरों में बड़े-बड़े पूंजीपतियों के बेटे, अफसरों के बेटे पढ़ते हैं। इस प्रदेश और देश के अन्दर यदि समाजवाद की संरचना करनी है और सही में उसे अमली जामा पहनाना है तो मैं माननीय मन्त्री जी से गुजारिश करूंगा कि शिक्षा विभाग के अन्दर जो गैर बराबरी का दर्जा है उसे समाप्त करें।

मान्यवर, सरस्वती शिशु मन्दिर विद्यालय हमारे पूरे प्रदेश में चला करते हैं। किस तरह के संगठन के लोग इन बाल विद्या मंदिरों को सरस्वती शिशु मंदिरों के नाम पर चला रहे हैं, किस तरह का घोटाला, भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता का काम इनके द्वारा किया जा रहा है, मैं शिक्षा मन्त्री जी से मांग करता हूं कि जो जगह-जगह पर सरस्वती शिशु मंदिर चलाये जा रहे हैं उनको तत्काल समाप्त करके जो इनको स्कूल के नाम से फन्ड दिया जाता है उसे गांव में खेती करने वाले गरीब किसान के बेटों में वितरित किया जाये।

अभी कुछ दिन पहले हमारी प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में कुछ विचार विमर्श शिक्षा शास्त्रियों के साथ किया। तकनीकी आधार पर, अनुभव के आधार पर इस बात की कोशिश हमारी सरकार कर रही है कि शिक्षा को श्रम से कैसे जोड़ा जाए। मैं शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे विद्यार्थी जो विश्वविद्यालयों, कालेजों में शिक्षा हासिल करते हैं उनकी शिक्षा को श्रम से जोड़ने का प्राविधान किया जाए जिससे रोजगार परक शिक्षा हो सके।

जिस जनपद से मैं आता हूं आप जाकर देखें विद्यार्थियों के लिए न कोई स्कूल है, न कालेज और न कोई भवन। बलिया जनपद के दोआबा क्षेत्र से मैं आता हूं। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी के द्वारा अपनी सरकार से मांग करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ शिक्षा विभाग के अन्दर है यदि उसको आगे बढ़ाना है तो बलिया जनपद के अन्दर एक विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाये जिससे वहां के लोग शिक्षा हासिल कर सकें। हमारे क्षेत्र में

कई स्कूलों की जरूरत है । शिक्षा मन्त्री जी से मैंने कहा प्रबन्ध समितियों के बारे में.....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य, आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री भोला पाण्डेय--

आपने जो समय दिया उसके लिए आभारी हूं ।

*श्री सुरेन्द्र कपिल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप ने मुझे इस चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर दिया उसके लिए मैं आप का आभारी हूं ।

मान्यवर, शिक्षा एक ऐसा अहम मामला है जो किसी देश की नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है । इस विषय पर उतनी ही गंभीरता से विचार हमें करना चाहिए जिस तरह से किसी नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका हमें अदा करनी होती है । एक तरफ जहां सरकार बजट रखती है वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल के माननीय सदस्य इस बात को अपनी इज्जत का प्रश्न बना कर बैठ जाते हैं कि सरकार ने जो बजट रखा है उसका हर हालत में विरोध करना है और किसी तरह से उसमें कटौती की जाए और सरकार के सामने जो महत्वपूर्ण विभाग का कार्यक्रम है उसमें अवरोध पैदा किया जाए । हमारे माननीय मन्त्री ने जो बजट रखा है उसका मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और जो विरोधी दल के सदस्य हैं उनसे मैं यह निवेदन करता हूं कि बजाए व्यवधान डालने के अगर वह रचनात्मक सुझाव दें कि इस बजट में जो धनराशि हमने रखी है उसका सदुपयोग कैसे हो सकता है तो ज्यादा लाभ होगा । अगर सत्तारूढ़ दल के लोग बजट को सही बताते रहे और विरोधी पक्ष के लोग उसका विरोध करते रहे तो इससे कोई रचनात्मक सुझाव सरकार के सामने नहीं आ सकेंगे । विरोधी दल के सदस्य इस बजट पर गम्भीरता से विचार करें ताकि इस बजट के अन्दर जो योजनायें सरकार ने रखी हैं उनको साक्षात रूप दिया जा सके ।

आप देखें कि पिछले तीन साल के शासन में जो योजनायें रखी गई उनमें कोई पैसे की कमी उस समय के अनुसार नहीं थी लेकिन उसके बावजूद हमने यह देखा कि पैसे का सदुपयोग कहीं भी नहीं किया गया । जिन बच्चों को देश का भविष्य संभालने के लिए हम तैयार करते हैं उनके साथ किस तरह से खिलवाड़ किया गया यह इस बात से स्पष्ट हो जायेगा कि पिछले तीन साल के शासन में पौष्टिक आहार के ऊपर प्रदेश की सरकार ने जो धनराशि रखी थी उसका दुरुपयोग किया गया । एक तरफ समाजवाद की बात कही जाती थी दूसरी तरफ जो भारी धनराशि उस समय प्रदेश की सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए रखी थी और उसके लिए विस्तृत योजना भी तैयार की थी उस सारी धनराशि को सरकारी कर्मचारी डकार गए जिसके फलस्वरूप वह पौष्टिक आहार उन बच्चों तक पहुंच नहीं पाया । आप देखें, कि आज ये शिक्षण संस्थायें राजनीति का अड्डा बनी हुई हैं और उनमें राजनीतिक विचारधाराओं का प्रचार होता है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुरेन्द्र कपिल---]

इसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि वे सब प्रबन्ध समितियां जो कांग्रेस से सम्बन्धित थीं उनके लिए डी० आई० ओ० एस० एवं असिस्टेंट डायरेक्टर्स को यह आदेश दे दिये गए थे कि उनको समाप्त कर दिया जाये और उनके स्थान पर लोक दल या जनता पार्टी से सम्बन्धित प्रबंध समितियां रख दी जायें। इतने महत्वपूर्ण विभाग को अगर राजनीतिक संरक्षण इस तरह से दिया जायेगा तो उसकी गंभीरता पर हम और आप विचार कर सकते हैं ? मेरा इसके लिए यह सुझाव है कि इन शिक्षण संस्थाओं का तत्काल राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये ताकि उनका राजनीतिक स्वरूप खत्म किया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री चेत राम गंगवार--

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उनकी शिक्षा का उद्देश्य कुछ बनियों का पोषण करना है या इस देश में चरित्रवान नागरिक पैदा करके प्रदेश की प्रगति में उत्थान करके योगदान करना है ? आप देखें कि उनकी शिक्षा में दोहरी नीति चलते 30, वर्ष हो गए। इस प्रदेश में एक तरफ जैसा कि बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा तमाम किंडर गार्टेन, सिटी मांटेसरी और देहरादून आदि के पब्लिक स्कूल्स चलते हैं जिनमें बड़े-बड़े लोगों के ही बच्चे पढ़ पाते हैं जिनकी आमदनी बहुत ज्यादा होती है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिनके पास नम्बर दो का पैसा है चाहे वह आई० ए० एस० हो, पी० सी० एस० हो, एम० पी० हो, एम० एल० ए० हो, या धनाढ्य हो वही इन स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा दिला पाते हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर आप प्रदेश के लोगों का मन जीतना चाहती हैं तो आज ही इसी फ्लोर पर यह घोषणा कर दें और उत्तर भाषण में यह कह दें कि माननीय कमलापति जी ने जो सपना देखा था प्रदेश में सबके लिए एक जैसी शिक्षा होगी और स्कूल भी एक ही जैसे होंगे। सारे पब्लिक स्कूल समाप्त कर दिए जायं।

मान्यवर, प्राइमरी शिक्षा को पिछले 33 सालों में रेढ़ मार दी गई है। स्कूलों में बच्चों के लिए टाट पट्टी नहीं हैं, स्कूलों के भवन नहीं हैं। अध्यापक आपके पास हैं। उनको आप तनख्वाह देते हैं लेकिन वे पढ़ाने का काम नहीं करते हैं। इलेक्शन में वे आपका काम करते हैं। उनके लिए कोई समय की पाबन्दी नहीं है। मैं माननीया मंत्री जी से कहूंगा कि वे मेरे साथ किसी समय बरेली चलें मैं उनको दिखलाऊंगा किस तरह से स्कूलों में काम होता है। 5 रुपये से लेकर 25 रुपये तक बच्चों से लिया जाता है। बंधा हुआ है कि चौथी कक्षा के बच्चों से 10-10 रुपया, 5वीं कक्षा के बच्चे से 20-20 रुपये लेकर एक अच्छी खासी रकम एस० डी० आई० को दे दी जाती है। आज से 20 साल पहले हम देखते थे कि प्रदेश में अध्यापकों का स्थानान्तरण आसानी से हो जाता था लेकिन आज वह बहुत मुश्किल हो गया है। एक स्थानान्तरण के पांच-पांच सौ रुपये लिए जाते हैं। हमारे रुहेलखंड में तो तब तक तबादला होता ही नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसकी तरफ भी देखें।

इसके साथ ही जो कुरीतियां आपकी प्राइमरी शिक्षा में आ गई हैं उनकी तरफ भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मैं राष्ट्रीयकरण की नीति को नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मानता हूं जैसे कि अभी कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि यदि आपके पास पैसा नहीं है, राष्ट्रीयकरण कर दो । तो पहले आप 1 से 5 तक को राष्ट्रीयकरण करो और आज ही इसी फ्लोर पर पब्लिक स्कूलों की समाप्ति की घोषणा करो । काफी स्थिति सुधर जायेगी ।

दूसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके यहां एक योजना चलती है "बालाहार योजना" या "विशेष पौष्टिक आहार योजना" । इसके माध्यम से आप 1 करोड़ 42 लाख रुपये खर्च करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने इसी फ्लोर पर यह भी कहा 80 हजार रुपया अत्यधिक पिछड़े वर्ग के लोगों के ऊपर खर्च किया जायेगा । इसके अतिरिक्त आपने यह भी कहा कि हम 40 हजार बच्चों को स्कूल की ड्रेस और पोशाक देंगे । इस तरह से आप इसमें लगभग 2 करोड़ रुपया खर्च कर देंगे । मान्यवर, हमारे यहां बहेड़ी और शीषगढ़ दो ब्लाकों में यह योजना चल रही है प्रौढ़ शिक्षा की । आप बच्चों को तो शिक्षा नहीं दे पा रही हैं और वर्ग बनाया है आपने 15 से लेकर 55 और 60 वर्ष तथा 80 वर्ष तक के बुड्ढों के लिए शिक्षा देने का । तो यह सब पैसे का दुरुपयोग है, बंगलिंग है आप देखते हैं यहां पर आये दिन सवाल आते रहते हैं कि इतना रुपया जो बालाहार में दिया गया था उसका क्या हुआ । मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप चाहें तो हम विपक्ष के लोगों को उसमें न लें, जिला परिषद् के मेम्बर्स को या प्रमुखों को यह कह दें कि वे ऐसे गरीबों की लिस्ट आपको दे दें और उनके गार्जियन्स के नाम रुपया जमा करा दें जिससे कि वह रुपया ठीक से वितरित हो सके और जो बिचौलिये हैं, वे न पा सकें...

(लाल बत्ती होने पर)

मान्यवर, मुझे अभी चार मिनट हुआ है । 10 मिनट आपने सबको दिया है ।

श्री अधिष्ठाता––

ठीक है ।

श्री चेतराम गंगवार––

मैं यह कहना चाहता हूं कि इससे बिचौलिये समाप्त हो जायेंगे । नकद पैसा आप गार्जियन्स को दे दें । जहां तक कापी, किताबों का प्रश्न है माननीय सदस्य बाराबंकी बोल रहे थे, उन्होंने भी कहा । हमारे बरेली में जे० पी० एन० इन्टर कालेज है जिसके प्रधानाचार्य मिस्टर मेहरोत्रा हैं । उनको जो हिस्सा मिला, ब्लैक में जो कापियां बेचीं वह पकड़े गये और उसके बाद जेल गये । इसलिए कापियों और किताबों को ठीक से मुहैया करने के लिए अलग से कोई संस्था का निर्माण करें चाहे वह कोआपरेटिव में हो या दूसरी संस्था हो । ऐसा करने से ठीक वितरण हो पायेगा जो आपकी व्यवस्था है उसमें उपभोक्ताओं को वह चीज नहीं पहुंच पाती है । तो इससे बड़े शर्म और कलंक की बात आपको क्या हो सकती है कि उन तक वह पहुंच नहीं पाती । यह जो आपकी मशीनरी है यह खराब है ।

मैं आखीर में एक बात कह कर अपनी बात खत्म करता हूं कि बरेली में एजूकेशन का जो प्रतिशत है वह सबसे कम है । बदायूं, रामपुर, बरेली में शिक्षा

[श्री चेतराम गंगवार--]

का प्रतिशत 12'60 और 12'48 है इसी तरह मिर्जापुर और बहराइच में हैं। इसके विपरीत देहरादून में 43 प्रतिशत हैं। तो जो विशेषरूप से पिछड़े हुए जिले हैं उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे यहां औरतों का प्रतिशत 4.00 प्वाइन्ट कुछ है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप उनके लिए क्या कर रही हैं। इसको भी आप अपने उत्तर में बतायें कि लड़कियों के लिए क्या कर कर रही हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री चेतराम गंगवार--

मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता--

नहीं आपका समय अब समाप्त हुआ।

श्रीमती कमला साहनी--

माननीय, शिक्षा मंत्री जी द्वारा सदन के पटल पर रखे गये शिक्षा के बजट का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव रखना चाहती हूं। जिस तरह अंधेरे कमरे के लिए रोशनी जरूरी होती है उसी तरह देश की बहबूदी के लिए, देश की तरक्की के लिए, देश के उत्थान के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा की रीढ़ जो है वह प्राइमरी शिक्षा है लेकिन वही दोषपूर्ण है। हर जिले में हर जगह प्राइमरी स्कूल खुले हैं लेकिन आप जाकर देखें तो पायेंगे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं के बराबर होती है। अध्यापक जो हैं वह वहां नहीं रहते हैं, समय से वह स्कूल नहीं जाते हैं, बच्चों से घर में काम कराते हैं, खेतीबाड़ी कराते हैं, पैर दबवाते हैं। अगर शिक्षा में सुधार करना है तो यह जरूरी है कि प्राइमरी शिक्षा पर ध्यान दिया जाय। इसके लिए मेरे दो सुझाव हैं एक तो यह कि गांवों के जो प्रधान हैं और जो अभिभावक हैं उनको मिलाकर एक प्रबन्ध समिति बनाई जाय जो हर विद्यालय के लिए हो और उसी समिति की देख-रेख में वह स्कूल चलें।

दूसरा सुझाव यह है कि भले ही आप अध्यापकों को एक सौ रुपया ज्यादा दे दें लेकिन उनको अपने जिले से बाहर भेज दें ताकि वह जिले में रह कर राजनीति न करें और अपने घर का काम न करे। मेरा शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि हर गांव में जो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं उनको तहसील और ब्लाक से बाहर भेज दें।

तीसरा सुझाव बालिकाओं की शिक्षा के बारे में है। मैं कहना चाहती हूं कि जब बालिका का जन्म होता है तो उसी दिन से उसके माता पिता अपनी एक-एक चीज में कटौती करते हैं, खाने-पीने में कटौती करते हैं, कपड़े में कटौती करते हैं। वह इसलिए नहीं करते हैं कि अपनी कन्या को डाक्टर बनायें, अपनी कन्या को इंजीनियर बनायें, अपनी कन्या को प्रशासक बनायें बल्कि इसलिए करते हैं ताकि उसको दहेज के अजगर के निगलने से बचा सकें। कोई अभिभावक अपनी कन्या को खुशी से नहीं पढ़ाता वह समझता है कि यदि उच्च शिक्षा दी गयी तो उसका लाभ उसको नहीं मिलेगा और दूसरी बात कन्या अगर शिक्षित होगी तो उस हिसाब से वह दहेज

नहीं कर सकेगा। दहेज को देकर उसकी ससुराल वालों को सन्तुष्ट कर सकता है, इसलिए बचाता है। इसलिए इस सन्दर्भ में मेरा निवेदन शिक्षा मंत्री जी से और इस सदन से यह है कि कन्याओं की शिक्षा के लिए पूरी शिक्षा मुफ्त दी जाए और बालिकाओं की शिक्षा पर वैसे ही ध्यान दिया जाए, जैसे अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा पर ध्यान दिया जाता है। आप जानते हैं और सभी जानते ह कि अनुसूचित जाति के लोग इस तरह से सताए हुए हैं और वे सभी लाभों से वंचित रहे हैं, उसी तरह से देश की महिलाएं भी सभी लाभों से वंचित रही हैं और सदियों से सताई गई हैं। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में उनको भी उतना ही आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए जितना अनुसूचित जाति के लोगों को।

शिक्षा के राष्ट्रीयकरण के बारे में भी कुछ कहना चाहती हूं। जिन-जिन चीजों का देश में सरकारीकरण या राष्ट्रीयकरण होता है, वह चीज बीमार हो जाती है। मिलों की हालत देखिए, सब सरकारी संस्थाओं की हालत देखिए, स्पष्ट है कि वहां पर काम नहीं होता है, करोड़ों का घाटा होता है और समय-समय पर उन की शिकायतें मिलती रहती हैं। यह एक आम बात हो गई है, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो या अन्य कोई सरकार हो। सरकारी चीजों का हश्र यही होगा। इसलिए शिक्षा का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए और कुछ सुधारों के साथ प्रबन्ध समिति की देखरेख में ही हम शिक्षा का काफी विकास कर सकते हैं, शिक्षा को काफी आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा।

गांधी जी ने एक सपना देखा था कि देश को बुनियादी शिक्षा दी जाए, ताकि देश के लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकें, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आज भी देश में मेकाले की शिक्षा प्रणाली चली आ रही है और उसी के अनुसार उसके परिणाम भी हमारे सामने उपस्थित हैं। गांधी जी की शिक्षा के बारे में कोई ध्यान नहीं देता है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे समय दिया और मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं।

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बड़ी प्रतीक्षा के बाद आपने बोलने का समय दिया, मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मान्यवर, इस प्रदेश की माननीया शिक्षा मंत्री ने जो बजट आज सदन में पेश किया, मैं उसका स्वागत और समर्थन करता हूं। साथ ही मैं, विरोध पक्ष द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव आया है, उसकी घोर निन्दा भी करता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीया शिक्षा मंत्री के समक्ष कुछ सुझाव भी प्रस्तुत हैं।

मान्यवर, जब आपका पेट दुरुस्त होता है, हाजमा दुरुस्त है तभी आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। उसी तरह से, जिस शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो शिक्षा का बजट रखा गया है, उस मंत्रालय का संचालन करने वाली मशीन जब सही होगी, तभी शिक्षा का सही और उन्नत संचालन हो पाएगा। मंत्री जी प्रदेश की शिक्षा मंत्री हैं और कोई नहीं। उनको समझना होगा कि उनके शिक्षा मंत्रालय का निदेशक उनका 'सर' नहीं, मातहत है। जब वह प्रिंसिपल थीं, तब तो वह उनका 'सर' हो सकता था। लेकिन आज तो मातहत

[श्री श्याम लाल वाजपेयी--]

हैं । इसलिए उनसे मेरा निवेदन है कि उस पर अंकुश रखो । आपका शिक्षा मंत्रालय निकम्मों की जमात है, उसमें काम कुछ नहीं होता है ।

मैंने ग्रामीण-प्राइमरी स्कूलों की शिक्षा से लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय में 14 साल बिताया है, इसलिए मुझे सब जगह का पता है, सब जगह का पूरा अनुभव है । किसी पक्ष को लेकर चलें, जिस पक्ष को लेकर चलें, मुझ पता है । पहले तो मैं दोनों पक्षों को सुन रहा था, आज सबसे बड़ी आवश्यकता शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की है और उसके पहले आवश्यक है कि इस प्रदेश की प्रारम्भिक शिक्षा सही हो । उसका स्वरूप यह है, मंत्री जी मुझे क्षमा करेंगी, ग्रामीण बच्चे अपनी पाठशालाओं में कितनी दीन-हीन और जर्जर अवस्था में बैठते हैं, मंत्री जी को इसकी कल्पना नहीं है । बच्च अपने माता-पिता से बोरी मांगते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि कहां गए आपके टाट-पट्टी और कहां गया आपका अनुदान ? इस सरकारी मशीनरी को राष्ट्र का शोषण करने का अधिकार किसने दिया ? क्या आप शिक्षा के साथ मजाक कर रहे हैं और देश और प्रदेश के साथ विश्वासघात कर रहे हैं ।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं वहां पर एक जूनियर हाई स्कूल है लेकिन पेड़ के नीचे पढ़ते हैं पुखरा में । दयालगंज में भवन देने के लिए तैयार हैं लेकिन उसे कोई मान्यता देने को तैयार नहीं है । मैंने प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा था कि हैदरगढ़ में एक डिग्री कालेज हो और त्रिवेनीगंज में एक पोलीटेक्निक हो, सुवेहा में हाई स्कूल हैदरगढ़ ब्लाक सतरिख में हाई स्कूल हो और त्रिवेदीगंज ब्लाक में परेवा में एक जूनियर हाई स्कूल खोला जाय लेकिन पता नहीं कब तक इस क्षेत्र का भाग्य उदय होगा ।

बाल आहार योजना के सम्बन्ध में बड़ी टीका-टिप्पणी की गई लेकिन मैं अपनी शिक्षा मंत्री जी को जानता हूं । वे बड़ी ही शिष्ट महिला हैं परन्तु वास्तव में यह बाल आहार योजना एक इस प्रदेश के साथ धोखा है । अध्यापकों ने इसे खाने का धन्धा बना रखा है । इन स्कूलों में पौष्टिक तेल के नाम से एक तेल दिया जाता है लेकिन ये अध्यापक और प्रधानाध्यापक सब मिलकर इसको खा जाते हैं । इस विभाग के डी० आई० जिला परिषद् में बैठते हैं । मैं खुद जानता हूं कि बिना 200-400 रुपया दिए तबादला नहीं होता है इन अध्यापकों का । इस विभाग में एस० डी० आई० नाम की चीज का स्टाफ है । यह भी सरकार की मशीनरी का एक धोखा है । जैसा अभी एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि वे लोग घर में बैठकर मुआयना करते हैं । इनके लिए पैसा, शकर आदि सब बंधे हुए हैं । बेसिक शिक्षा अधिकारी, डी० आई० ओ० एस० सब का एक रकम बंधा हुआ है । मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि अगर आपको यह प्रदेश प्यारा है तो आप अफसरशाही को देखें । आज से नहीं, बरसों-बरस से इसका शोषण करते चले आ रहे हैं । मैं स्वयं डबल एम० ए० हूं, पी-एच० डी० हूं, मुझे उच्च शिक्षा का भी ज्ञान है । आज आपने उच्च शिक्षा को भी राजनीति का अड्डा बना रखा है । विद्यार्थी पढ़ना चाहता है लेकिन आपके अध्यापक उन्हें खिलवाते हैं । मेरी प्रार्थना है कि आप सबसे पहले शिक्षा निदेशक को चाहे वह माध्यमिक शिक्षा का हो या प्राइमरी शिक्षा का हो, देखें जो इलाहाबाद में बैठा हुआ है, वह अपनी जाति बिरादरी के नाम पर लोगों का तबादला करता है । माननीय मंत्री जी के आदेशों क उपेक्षा करता है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया।

में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष की ओर से प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव की भर्त्सना करता हूं ।

श्री धरम पाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती का प्रस्ताव पेश करने वालों की तरफ से खड़ा हुआ हूं । मन से तो नहीं चाहता हूं कि इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करूं और चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री ने जो बजट के नाम पर मांग की है सदन से वह उन्हें दी जाय लेकिन माह अप्रैल में । उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है । हमारे प्रदेश के अन्दर शिक्षा विभाग द्वारा आने वाली पीढ़ी के साथ मजाक किया जा रहा है ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में आज 3 स्तर से पढ़ाई की जा रही है । पहले तो पब्लिक स्कूल्स हैं । दूसरे हैं नगरों में फैले हुए मान्टेसरी स्कूल्स और तीसरे हैं नगरपालिका और जिला परिषदों के स्कूल । पब्लिक स्कूलों में आप देखें कि वहां 500.00 रुपये प्रतिमाह फीस ली जाती है । साधारण और मध्यम वर्ग के बच्चे तो इसमें पढ़ ही नहीं सकते । दूसरे यह मान्टेसरी स्कूल्स हैं जो शहरों में, गलियों में, व्यावसायिक दूकानों की तरह फैले हुए हैं । इनके पास न अच्छे भवन होते हैं, न बच्चों के खेल के लिए मैदान आदि ही होते हैं । मगर यह पैसे कमाने के लिए खुले हुए हैं । इनमें मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं । इनके द्वारा जो फ्राड किया जा रहा है इसको बन्द किया जाना चाहिए । अगर इन स्कूलों को कोई ग्रान्ट भी दी जाती है तो वह भी बन्द कर दी जानी चाहिए ।

जो नगरपालिका और जिला परिषदों के स्कूल हैं इनमें गरीबों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं । इन स्कूलों के पास न तो इमारतें हैं और न ही उपयुक्त साधन हैं और उनका संचालन बी० एस० ए० के माध्यम से होता है । किसी स्कूल की भी हालत जाकर देख लीजिये, एक दिन पानी बरसता है तो उस इमारत से 4 दिन तक पानी टपकता है । वहां पढ़ने वाले बच्चों की हालत ऐसी होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते । ऐसा लगता है कि पता नहीं उस स्कूल की इमारत कब गिर पड़ेगी । इसलिए मेरा अनुरोध है कि नगरपालिकाओं और जिला परिषदों से जो शिक्षण संस्थायें ले ली गई हैं उनको उन्हें ही वापस कर देना चाहिए और उनके द्वारा ही उनका संचालन होना चाहिए । उन स्कूलों की इमारतों का निर्माण कराया जाना चाहिए । प्रत्येक किलोमीटर पर बालकों का एक विद्यालय होना चाहिये, प्रत्येक दो किलोमीटर की परिधि में 11 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए स्कूल होना चाहिए । बहराइच में 19 लाख की आबादी वाले शहर में बालिकाओं के लिए कोई साइन्स का स्कूल नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्रीमती कुदसिया बेगम--

जनाबेवाला, मैं मुबारकबाद देती हूं शिक्षा मन्त्री जी को उनके बजट के ऊपर, उन्होंने बहुत गौर के साथ यह शिक्षा का बजट तैयार किया है और तमाम दृष्टिकोण से उन्होंने अपने यहां, हमारे सूबे में तालीम का इन्तजाम का ख्याल रखा है । जनाबेवाला, उसके बावजूद भी अफसोस से यह कहना पड़ता है कि

[श्रीमती कुदसिया बेगम—]

हमारी रियासत बहुत पीछे है अब भी हिन्दुस्तान के तमाम सूबों से, सिवाय राजस्थान और बिहार, जम्मू और काश्मीर को छोड़कर, हमारा सूबा सबसे कम है । हमें बहुत ही इस बात का अफसोस है कि हमारे यहां शिक्षा का परसेंटेज 30 से भी कम है और लड़कियों का परसेंटेज और भी कम है । लड़के का लिटरेसी 21–22 फीसदी है और लड़कियों का 11 फीसदी के करीब है । तो इसके लिए सोचना पड़ेगा कि इसका क्या इन्तजाम किया जाय । कहा जाता है कि अगर लड़के को पढ़ाओ तो एक आदमी पढ़ता है और अगर लड़की को पढ़ाओ तो पूरा खानदान उससे फायदा उठाता है । खासतौर से हमारे गांवों की हालत जो है, 30–35 सालों से वही है, जो पहले था । हमारे गांवों की औरतों की हालत में किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है । तो जनाबवाला इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा ।

हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने कुछ पालीटेक्निक स्कूलों का भी इन्तजाम किया है, लेकिन वह समुद्र में कतरे के बराबर है । तालीम हासिल करने से कोई फायदा नहीं है सिवाय इसके कि बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है । हमें ऐसी तालीम की जरूरत है ताकि कुछ फायदा वह अपने को भी पहुंचा सकें और समाज में भी कुछ कर सकें । जनाबेवाला, मैं यह पूछना चाहती हूं कि हमारी तालीम का इस वक्त मयार क्या है ? स्टैंडर्ड क्या है ? हम इस बात पर फखर करते हैं कि हमारे सूबे में सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज की तादाद हैं, डिग्री कालेजेज हैं, तालीम फैलाने की ज्यादा कोशिश की जा रही है । लेकिन इस तरफ देखें कि तालीम का क्या मयार है । क्या वह सच्चे माने में, सही तालीम है ? तालीम का मतलब है कि इन्सान को इन्सान बनाना, वरना जानवर और इन्सान में कोई फर्क नहीं होता है । इन्सान को तालीम मिलती है, वह इन्सान बनता है । तालीम हासिल करने से वह अपनी जिन्दगी को बना सकता है और अपने मुल्क की सही मानों में खिदमत कर सकता है । जनाबेवाला, मैं पूछना चाहती हूं, क्या यह दोनों चीजें हासिल हुआ या नहीं ? हमारे सामने है हमारे मुल्क का नक्शा, हमारा क्या कार्य है । हमारी काबिलियत का क्या मयार है । अभी चन्द दिन हुआ मैं एक कालेज का रेजल्ट देख रही थी, मैं वहां के प्रिंसिपल को मुबारकबाद दे रही थी, तो उन्होंने कहा "इसमें क्या मालूम कि कितनी कापींग थी और कितनी अपनी काबिलयत पर इस तरह का रेजल्ट आया है ।" उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते । तो जनाबेवाला, हमारी तालीम की यह हालत है कि लड़के कापींग करके पास होते हैं । तो उनकी क्या काबिलियत हो सकती है । सबसे बड़ा यह जो कापींग का मर्ज है उसका जरूर इन्तजाम करें । उसका इन्तजाम उसी वक्त होगा जब कि हमारे शिक्षक जो हैं, उनकी मयार ऊंचा किया जायेगा । वह अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे ।

मैं एक खास बात को तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं । वह यह है कि हमारे संविधान में आर्टिकिल 30 (1) के अनुसार माइनारिटीज के लिए यह इजाजत दी गयी है और उनको यह हक दिया गया है कि वह अकलियत के तालीमी इदारे कायम कर सके । हमारा यू० पी० युनिवर्सिटीज ऐक्ट में सेक्शन 28 इस बात की कैद लगाई गयी है कि यूनिवर्सिटीज और कालेजों में जो दाखिले होंगे वह मेरिट पर होंगे । इसको साफ नहीं किया गया है कि माइनरटी स्कूलों में उससे बरी रहेंगे । इस लिए मैं सरकार का ध्यान दिलाऊंगी कि माइनारिटीज के इंस्टीट्यूसंस को इस क्लाज से बरी किया जाय ताकि माइनारटीज के बच्चों को ओपेन कम्पटीशन का सामना न करना पड़े । मेरा फर्ज था कि मैं इसको आपके माध्यम से सामने

लाऊं और यह दरख्वास्त करूं कि सेक्शन 28 की तरमीम की जाय ।

एक औरअर्ज करना चाहती हूं कि जब हमारे यहां तालीम की इतनी बढ़ोत्तरी हो रही है, बच्चे इतने ज्यादा तालीम पाने के लिए आ रहे हैं और बिल्डिंग कम हैं तो दो शिफ्ट्स में क्यों नहीं किये जाते ? कई जगह इस बात की मांग है कि दो शिफ्ट्स में पढ़ाया जाय, लेकिन सरकार की तरफ से इजाजत नहीं है । सरकार इसकी बाबत भी जरूर इंतजाम करे । चूंकि वक्त नहीं है इस लिए मैं ज्यादा न कहते हुए आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने मुझे इजाजत दी चन्द अलफाज कहने की ।

श्री मुईद अहमद—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपका आभारी हूं तथा बजट का समर्थन करता हूं । मुझे अपनी बात जरूर कहनी है । शिक्षा देश की नींव है । अगर देश के हर आदमी के चरित्र का निर्माण करना है, देश को बनाना है, तो शिक्षा विभाग को दुरुस्त करना होगा और जैसा हमारे एक साथी ने बताया कि जो आपका शिक्षा विभाग है उसकी ब्युरोक्रेसी इतनी खराब है, मैं समझता हूं कि यह देश के साथ द्रोह है, वे देशद्रोही हैं । यह ऐसा विभाग है, जिस का शिक्षा से सम्बन्ध है जिस पर पूरे देश का कल्याण, पूरे देश का चरित्र निर्भर करता है । इसमें आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए, यह सब कहते हैं लेकिन यह सुझाव किसी तरफ से नहीं आया कि क्या आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए ।

आज शिक्षा जगत की जो हालत है उसको सुन कर तकलीफ नहीं होती बल्कि रोना आता है । आज मैं अपने एक साथी से बात कर रहा था । मैं एक उदाहरण दे दूं । एक लड़का आया उसने कहा कि मुझे नौकरी चाहिए । वह लड़का बी० ए० पास था । मैंने कहा कि एक चिट्ठी लिखिए । मैं लिखवा रहा हूं फलां आदमी को दे देना । वह चिट्ठी नहीं लिख सका । बी० ए० पास लड़का था । मैंने कहा कि क्या पढ़ा है ? उसने कहा कि बी० ए० का इम्तहान मैंने नहीं दिया था, मेरे नाम पर किसी और ने दिया था । आपकी यह देन है । अब तक हाजिरी बाई प्राक्सी होती थी अब एग्जामिनेशन बाई प्राक्सी होने लगा । आज किसी भी विद्यार्थी का स्टैंडर्ड देख लीजिये, न लिख सकता है न पढ़ सकता है । न इससे देश का निर्माण हो सकता है । जिस विभाग में वे जायेंगे वह विभाग भी चौपट ही होगा ।

सबसे जरूरी बात यह है कि प्राइमरी शिक्षा पर उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए, जितना विश्वविद्यालय या डिग्री कालेज की शिक्षा पर । अगर बच्चे की प्राइमरी शिक्षा में नींव मजबूत नहीं होगी तो आगे चल कर कमजोर बना रहेगा । प्राइमरी शिक्षा की हालत यह है कि बच्चे टाट ले कर जाते हैं । किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं या छप्पर के नीचे बैठ जाते हैं । प्राइमरी स्कूलों की इमारतें टूटी हुई हैं । इसलिए नये स्कूल खोलने के बजाय पुराने स्कूलों को दुरुस्त कराया जाय, उनकी इमारतों को दुरुस्त कराया जाय । स्थिति यह है कि दूसरों के घरों में बैठ कर वह पढ़ते हैं ।

[4 बजे अपराह्न]

[श्री मुईद अहमद---]

यह प्राइमरी स्कूल्स की स्थिति है । मैं आपसे एक बहुत ही सही बात बता रहा हूं कि आज का प्राइमरी स्कूल का अध्यापक अपने घर का काम करता है, खेत और दुकान का काम करता है, उसे स्कूल जाने की फुर्सत ही नहीं है और महीने में एक-दो दिन के लिए चला जाता है सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए और पूरे महीने भर राजनीति के काम व अन्य दूसरे काम करते रहते हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास जाते हैं और उसे काम के बारे में वे अध्यापकगण निर्देश देते हैं और सारा काम बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय का इनके द्वारा बताये रास्ते पर होता है । इसलिए हमारे बहुत से साथियों ने कहा है कि यह शिक्षा परिषद् को जिला परिषद् के पास कर दिया जाये और यह सुझाव आये हैं कि इन अध्यापकों का ट्रांसफर किसी दूर स्थान पर कर दिया जाए चाहे इसके लिए उन्हें 100 रु0 अधिक वेतन देना पड़े ताकि यह रीति समाप्त हो जो आज दिखाई पड़ रही है कि अध्यापक स्कूल न जाकर घरों और खेतों में काम करते रहते हैं, वह समाप्त हो सके । क्योंकि दो-दो जगहों पर काम एक साथ नहीं किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा करने से देश के बच्चों को न तो कोई लाभ हो सकता है और न ही देश का, इससे दोनों का नुकसान हो रहा है ।

अंत में एक बात और कहनी है जैसा कि हमारे शिक्षा मन्त्री जी ने अभी कहा कि उत्तर प्रदेश में 10 जिलों में टीचर्स कालोनी के लिए ग्रांट मन्जूर हो गयी है । तो उन 10 जिलों में से एक जिला हमारे यहां का भी है । सुल्तानपुर में गर्वनमेंट इन्टर कालेज के पास लगभग 6-7 एकड़ भूमि एक अलग है और लगभग 8 एकड़ भूमि अलग है । इस पर शिक्षा विभाग द्वारा टीचर्स कालोनी बनाने के लिए पैसा एलाट हुआ था, एक लाख तैंतालिस हजार ऐसा ही कुछ पैसा एलाट हुआ था और पी0 डब्लू0 डी0 वालों से टेन्डर मांगे गये थे और वह टेण्डर स्वीकार भी हो गये थे परन्तु अभी तक हमारे यहां कोई कालोनी की बिल्डिंग तैयार नहीं हो पायी । इसी के साथ में अपनी बात को खत्म करता हूं और जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बजट पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं ।

*श्री रियासत हुसैन---

मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा केवल इतना कहूंगा जो श्री पंचानन राय जी ने स्पीच दी है, उस स्पीच को अपना ही अंग मानता हूं क्योंकि मुझे भी यहां हिदायत करते-करते काफी अर्सा हो गया है, दाढ़ी के बाल भी सफेद हो रहे हैं । इस सिलसिले में मैं तीन सुझाव दूंगा जिसमें से पहला यह कि हर स्कूल में एक प्ले-ग्राउन्ड होना चाहिये । दूसरे यह कि काउन्सिल को एबोलिश कर दिया जाय और अगर काउन्सिल को एबालिश नहीं कर सकते तो वहां टीचर्स और ग्रेजुएट्स की कांस्टुएन्सी समाप्त होनी चाहिए ताकि पालिटिकल दखल शिक्षा जगत पर न रहे । और दूसरी चीज यह है जो यह क्लास लेस सोसाइटी बनाने के लिए पब्लिक स्कूल्स हैं, इनको समाप्त किया जाये । क्योंकि एक तरफ तो आपकी यह संस्थायें हैं और दूसरी तरफ जो देहात के स्कूल है, देहात के बच्चे हैं । इसी सिलसिले में मैंने एक बात उठाई थी पिछले साल । शायद अभी उसमें कोई प्रोग्रेस भी नहीं हुआ होगा । ओबरा के पास एक गांव है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बिल्लो । वहां पीपल के पेड़ के नीचे 3 स्कूल चलते हैं । एक तो जिला परिषद् का जूनियर स्कूल है और दूसरा बेसिक स्कूल है और तीसरा हरिजन स्कूल है । जहां तक मैं समझता हूं कि उसमें अभी प्रोग्रेस तो क्या कुछ हुयी होगी । बस इतना जरूर हुआ होगा कि शायद पीपल का पेड़ कटवा दिया गया हो और अब वहां खुला मैदान ही रह गया हो । इसलिए यह 90 प्रतिशत जो देहात से आने वाले बच्चे हैं, जो टाट पट्टे पर बैठकर शिक्षा लेते हैं, इनकी ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए तभी देश में कुछ सुधार हो सकता है और दूसरी चीज यह है कि जो टीचर्स ट्यूशन पढ़ाते हैं उसे इललीगल कर दिया जाय । जैसे मेडिकल में किया गया कोई डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता है । उसी तरह से ट्यूशन को बन्द कर दें । ट्यूशन वही लोग पढ़ायें जो टीचर न हों ।

चौथा पूरी शिक्षा का नेशनलाइजेशन किया जाय । जो यह एक प्रोफेशन बन गया है मैनेजमेन्ट कमेटियां आमदनी का जरिया बन रखी है इसका सारा खर्चा जब चेक सिस्टम से सरकार कर रही है तो इन सब को सरकार टेकअप करे और इस सिस्टम को समाप्त किया जाय ।

पांचवां–आपके इलाहाबाद के अन्दर मान्धवर, यह भ्रष्टाचार से सम्बन्धित है 8 फर्जी स्कूल जो कोई बहुगुणा के नाम पर है कोई जवाहरलाल के नाम है इन फर्जी नामों के साइक्लोस्टाइल करके नीचे दस्तखत करके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट से 1 लाख 30 हजार रुपया वसूल कर लिया गया तो इस चीज को आप समाप्त करें ।

आखिरी चीज मैं माइनारटीज के बारे में कहना चाहता हूं यह उर्दू के सम्बन्ध में भी है, आपने तो उर्दू के बारे में कुछ किया नहीं । प्रोफेसर हूमायूं कबीर ने कहा था—अकलियत वह मजमा है जो रेस, मजहब, जुबान से अक्सरियत से अलग है । आगे उन्होंने कहा अकलियत वह लोग हैं जो अपनी इमतिया अलग रखते हैं और 'अक्सरियत के साथ बोलना पसन्द नहीं करते, और मान्यवर, 1945 में सप्रू कमेटी ने कहा था कि अगर मुल्क का बंटवारा हो गया तो अकलियतों का मसला और नाजुक हो जायेगा जैसा इस समय नाजुक हो गया है । माननीय शिक्षा मंत्री जी से एक बात और कहूंगा कि आप पब्लिक स्कूलों को समाप्त नहीं कर सकती हैं । लेकिन आप इतना कर दें कि जो पब्लिक स्कूल से बच्चे पढ़ कर निकले उनको सरकारी नौकरी में न लिया जाय ।

*श्री कुंवर बहादुर मिश्र—

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सुनियोजित है इसलिये मैं उसका समर्थन करता हू । संविधान की जो भावना है कि 14 वर्ष के प्रत्येक बच्च को हम अनिवार्य शिक्षा देंगे उसके लिये यह बजट कितना महत्वपूर्ण है और कितनी जिम्मेदारी उसकी लेता है । आज तक शिक्षा में काफी सुधार लाने की कोशिश की गई है । शिक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति को विशेष सुविधा देने के प्रयास किये गये हैं उनको छात्रावासों में 18 प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये गये हैं उनकी छात्रवृत्ति में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई है । उनमें 45 प्रतिशत के स्थान सुरक्षित किये गये हैं । यह काम ऐसे हैं जिनको मैं समाजवादी भावनाओं के अनुरूप समझता हूं ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कुंवर बहादुर मिश्र--]

उर्दू की शिक्षा को प्रोत्साहित किया है और उर्दू के अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था की गयी है । मकतबों को जो अनुदान मिला था उसे दुगुना किया गया था । यह सब ठीक है । महाविद्यालयों के क्षत्रों में सेवायोजना और राष्ट्रीय सेवायोजन चलते हैं उसमें रोक और गन्दगी के विरुद्ध अभियान चलाने की योजना है । आपके विद्यार्थी और नौजवान मिट्टी से घृणा करते जा रहे है । हमारा प्रदेश और देश कृषि प्रधान देश है । मैं यह सुझाव देता हूं कि विद्यार्थियों को मिट्टी से प्रेम करना दिखाया जाये और उनका रुझान उसमें किया जाये ।

मान्यवर, पूर्व और माध्यमिक शिक्षा मंहगी है । शिक्षा बजट म शिशु शिक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है और विशेष बात यह है कि एक काम अच्छा हुआ है कि राज्य के 40 हजार विद्यार्थियों को, जो निर्धन वर्ग के हैं उनके लिए पोशाक की व्यवस्था की गई है । मेरा सुझाव है कि कुछ और धन की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

शिक्षा के इस बजट में बुन्देलखण्ड की ओर ध्यान नहीं दिया गया । मैं यह बात खास तौर से कहना चाहता हूं । जो 1979-80 की प्रगति पुस्तिका, आपके माध्यम से मिली है, उसके आंकड़े अगर देखे जायें तो महाविद्यालयों में इलाहाबाद में 20, वाराणसी में 18, मेरठ और गाजियाबाद में मिलाकर 25 और लखनऊ में 19, यह मैदानी क्षेत्र की बात है । पहाड़ी क्षेत्र में-देहरादून में 7, पौड़ी में 6, अल्मोड़ा में 5, नैनीताल में 5 तथा पिथौरागढ़ चमोली में तीन-तीन । बुन्देलखण्ड में ललितपुर में 1, हमीरपुर 3, बांदा 3, जालौन 4 और झांसी में 4 । इसी प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में देखें । वाराणसी में बालक और बालिकाओं के 163, इलाहाबाद में 179, मेरठ में 192, लखनऊ में 105 । पहाड़ी क्षेत्र में पौड़ी में 121, चमोली में 59, अल्मोड़ा 119, पिथौरागढ़ 73, टिहरी 63 और नैनीताल में 96 । बुन्देलखण्ड में ललितपुर में 14, जालौन में 64, हमीरपुर में 38, बांदा में 52 तथा झांसी में 55 । इसको देख कर नतीजा निकाल सकते हैं कि अब भी शिक्षा के बारे में एक बड़ी उपेक्षा हो रही है ।

मान्यवर, हमीरपुर की स्थिति, वहां के विद्यालयों की स्थिति चिन्ता-जनक है । अधिकांश विद्यालयों के भवन नहीं हैं और इस बाढ़ में भवन के नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दे रही है । मौदहा बड़ा कस्बा है । वहां केवल एक लड़कियों का राजकीय हाई स्कूल है और उसकी भी कोई इमारत नहीं है । महोबा सबसे बड़ा टाउन है उसमें एक इण्टर कालेज लड़कियों का है और उसकी भी कोई इमारत नहीं है । भूतपूर्व मुख्य मंत्री जी को जब हमने याद दिलाई थी तो उन्होंने सिमुलर मौदहा तहसील में एक राजकीय स्कूल खोलने की घोषणा की थी । बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक उसे पूरा नहीं किया गया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वहां एक राजकीय स्कूल खोलने की कृपा की जाये । महोबा और मौदहा में डिग्री कालेज नहीं है । वहां डिग्री कालेज जरूर खोलने की कृपा की जाये ।

श्री अधिष्ठाता--

आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री कुंवर बहादुर मिश्र--

आपकी कृपा के लिए धन्यवाद ।

श्री हरदेव--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने जो अवसर मुझे बोलने का दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद और बधाई भी देता हूं। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय एजूकेशन मिनिस्टर ने जो बजट पेश किया है वह जनहित में है। मैं इसको तहे दिल से समर्थन देता हूं। बेसिक एजूकेशन की समस्याओं पर मैं कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बेसिक एजूकेशन प्रा० पा० की वही समस्यायें हैं जो गरीबों की समस्यायें हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है कि यहां की गरीबी और जर्जरता के बावजूद यहां शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। सबसे ज्यादा बजट उत्तर प्रदेश में बेसिक एजूकेशन के ऊपर ही खर्च करना चाहिये। शिक्षा ऐसी चीज है कि जिसके न रहने पर मनुष्य बिना सींघ और पूंछ का पशु है। शिक्षा के आधार पर देश, प्रदेश और समाज की उन्नति की जा सकती है।

बेसिक एजूकेशन म लोगों ने बड़ी चर्चा किया कि अध्यापक काम नहीं करते, अध्यापक समय पर स्कूल नहीं जाते तो मैं बेसिक एजूकेशन से आया हूं, मैं थोड़ा समय कहने का लूंगा। बेसिक स्कूलों में दो तरह के अध्यापक हैं। एक काम करने वाले और दूसरे आराम करने वाले। काम न करने वाले समन्ती विचारधारा के हैं, जो आराम करना चाहते हैं। काम करने वाले अध्यापक घर से 90 किलो मीटर दूर रखे गये हैं, उन्हें समय से वेतन नहीं मिलता। वह रुपये बचा नहीं पाते, अपने घर परिवार को नहीं देख पाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने अध्यापक हैं, गरीब हैं, काम करने वाले हैं, उन्हें 90 किलो मीटर दूर रखा गया है। आराम करने वाले घर पर हैं, जिनको सुविधायें हैं, मेरा निवेदन है कि इस असमानता को माननीय शिक्षा मंत्री जी दूर करायें जिससे गरीब अध्यापक लाभ उठाकर सही-सही काम कर सकें। बेकारों को काम दें।

दूसरे प्रान्तों में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को जो सुविधायें हैं वह हमारे प्रदेश में नहीं हैं। 300 रुपयों में पूरे प्रदेश में अध्यापक नहीं जा सकते और न ही मेहनत से काम कर सकते हैं। उनका वेतन बढ़ावें। अथवा 300 रुपये में यह नहीं हो सकता कि उनसे काम भी लिया जाये और उन्हें 90 किलो मीटर दूर भी रखा जाय। दूर वालों का वेतन बढ़ाया जाय।

बस्ती, देवरिया, बलिया आजमगढ़ में देहातों में लड़कों के प्राइमरी स्कूल हैं, कन्याओं के प्राइमरी जू० हा० स्कूल, हाई स्कूल नहीं हैं। रसड़ा में कोई भी लड़कियों का उच्च स्कूल नहीं है। 25 हजार आबादी के ऊपर एक भी लड़कियों का इन्टरमीडिएट स्कूल नहीं है। जिला परिषद् द्वारा हरिजन को जो पैसा दिया जाता है वह हरिजन विभाग फंड से वह हरिजन विभाग से मिलना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जो चीजें सहायक सामग्री पीड़ित बच्चों के लिये भेजी जाती हैं उनको बेसिक एजूकेशन अधिकारी खा जाते हैं। डाइरेक्टर आफ एजूकेशन यहां पर बैठे हुये हैं उनके पास 62 हजार रुपयों के सम्बन्ध में एक फाइल पुरानी आयी हुयी है। जो कुछ सुविधा दी जाती है वह बच्चों तक पहुंच नहीं पाती है। मैं कहना चाहता हूं कि कमजोर वर्गों के जो लोग देहातों में रहते हैं उनके बच्चों के लिये भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। गरीब के बच्चे को सबसे पहले भोजन चाहिये उसके बाद शिक्षा चाहिय, तो अगर भोजन नहीं है तो वह शिक्षित नहीं बन सकता। इसलिये मैं चाहूंगा कि इन गरीब लोगों के बच्चों को जो 8-9-12 वर्ष तक के हैं बच्चों को समान रूप से भोजन की व्यवस्था हो।

[श्री हरदेव--]]

हमारा क्षेत्र बहुत दिनों से पिछड़ा है वहां पर न स्कूल ही है और न अस्पताल है । लड़कियों के लिये स्कूल की बड़ी ही परेशानी है । मैं शिक्षा मंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि आपके यहां रसड़ा बलिया में लड़कियों का इन्टर मीडिएट स्कूल खोलने के लिये जो दरख्वास्त दी है पड़ी हुयी है । वहां पर लड़कियों के लिये इन्टरमीडिएट स्कूल की व्यवस्था करने की कृपा करें । जयहिंद ।

श्री विजय सिंह राना--

माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी तक मैंने अपने साथियों को, चाहे इधर के बैठने वाले हों चाहे उधर के बैठने वाले हों, सुना । माननीय पंचानन राय ने एक बात बहुत जोर से कहीं, शिक्षा में समाजवाद की बात उन्होंने कही । मैं कहना चाहता हूं और पूंछना चाहता हूं आप लोगों से कि इस देश की शिक्षा में समाजवाद क्या आ सकता है ? जिस देश में पूंजीपति, शिक्षा की नीति निर्धारित करते हैं । और बड़े-बड़े पुस्तक विक्रेता पाठ्यक्रम तैयार करते हों, उस देश में आप शिक्षा में समाजवाद की बात करते है, यह सम्भव नहीं होगा । मैं तो सबसे बड़ी बात यह कहना चाहता हूं कि आप इस देश में समाजवाद को सही शिक्षा का अध्ययन भी नहीं कर सकते हैं । जब मैं एम० ए० म पढ़ता था तो मैंने प्रयास किया समाजवाद को पढ़ने का तभी हमें मालूम पड़ा कि हमारे यहां पोलिटिकल साइंस, इकोनामिक्स के विद्यार्थियों को समाजवाद पढ़ाया जाता है अंग्रेजी और अमेरिकन लेखकों की किताबों के माध्यम से इस देश में हम समाजवाद पढ़ेंगे, अंग्रेजी और अमेरिकन लेखकों की किताबों के माध्यम से और करेंगे समाजवाद की बात ।

मैं कहना चाहता हूं कि देश का दुर्भाग्य है कि हमें समाजवाद के लिये भी दुनिया के समाजवादी लेखकों--मार्क्स, एंजिल और लेनिन की किताबें पढ़ने को नहीं मिलतीं । जो बड़े-बड़े लेखक हैं उनकी पुस्तकें बी० ए० और एम० ए० में आप नहीं पढ़ सकते हैं । समाजवादी पुस्तकों पर प्रतिबन्ध है । मैंने माओत्से तुंग की लाल किताब को पढ़ना चाहा तो पता चला कि लाल किताब पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है । आश्चर्य है इस देश में माओत्से तुंग की लाल किताब पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है लेकिन अंगड़ाई, भरी हुयी जवानी, दहकते अंगारे जैसी न जाने कितनी सेक्सी किताबें खुले बाजार में मिलती हैं । पूंजीपतियों का शिकंजा पाठ्यक्रम और शिक्षा नीतियों पर कसा हुआ है । जब तक पूंजीपतियों के अनुसार शिक्षा की नीतियों को तय करेंगे तब तक इस देश में, शिक्षा में समाजवाद की बात सम्भव नहीं होगी ।

इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी के पठन पाठन को बन्द कीजिये अगर यह चालू रहा तो मैं कहना चाहता हूं कि इस देश की प्रतिभा का पलायन हो जायगा । मैंने अभी विनय कुमार राय कामत की पुस्तक यू० एस० इन्फ्लूएंशन इन इंडियन एजूकेशन पढ़ी । उससे पता चला कि डालर के प्रलोभन ने इस देश की जड़े खोखली कर दी हैं । यहां यह हो रही है कि हिन्दुस्तान के पैसे से हिन्दुस्तान के स्कूलों में अंग्रेजी के माध्यम, अमेरिका के लिये इंग्लैंड के लिये इंजीनियर, डाक्टर और बड़े-बड़े शिक्षाविद तथा शिक्षा शास्त्री तयार किये जा रहे हैं । यही स्थिति यहां के अंग्रेजी स्कूलों की है । इन स्कूलों ने इस देश में बुर्जुआ क्लास पैदा किया है और बुर्जुआ क्लास अंग्रेजी के माध्यम से इस देश का शोषण कर रहा है इसलिए वह अंग्रेजी का आज तक पक्षधर बना है । यही नहीं महोदय, अंग्रेजी स्कूलों ने देश म आज तक समाजवाद नहीं जागृत होने दिया ।

हिन्दुस्तान के स्कूलों की यह दशा हो गयी है कि उनमें बड़े–बड़े अधिकारियों और पूंजीपतियों ने अंग्रेजी को रट इसलिये लगा रखी है कि उनके लड़के आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में आ सकें। यदि इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया होता तो मैं मान्यवर, बताना चाहता हूं कि इस देश में किसानों, मजदूरों के लड़के भी आई० ए० एस० और पी० सी० एस० में आ सकते थे यदि अंग्रेजी पर प्रतिबन्ध लगा दिया होता। अंग्रेजी केवल भाषा है, माध्यम है विचारों को व्यक्त करने का। अंग्रेजी को पढ़ने के बाद किसी की प्रतिभा में विकास नहीं होता है, इसलिये हिन्दुस्तान में इसको बन्द कर देना चाहिये। यही नहीं, महोदय, हिन्दुस्तान में अंग्रेजी पढ़ने के बाद हिन्दुस्तान का आदमी देशभक्त भी नहीं रह जाता है, यहां फरवरी, 1976 की बात है। इस देश में यहां इसी प्रदेश में, लखनऊ यूनिवर्सिटी के अन्दर एक लोक प्रशासन विभाग है उसमें इंग्लैंड की ब्राइटन शिक्षा संस्था से, प्रोफेसर डाक्टर डेविस को बुलाया गया। डाक्टर डेविस का सरकारी प्रोग्राम बना और वह यहां आय, जनता के पैसे से। यहां आने के बाद उनका स्वागत किया गया। स्वागत समारोह में लखनऊ यूनिवर्सिटी के एक व्यक्ति ने कहा कि हिन्दुस्तान की स्थिति बिगड़ गयी है, इसलिये हिन्दुस्तान को ठेके पर कुछ दिनों के लिये अंग्रेजों को दे दिया जाना चाहिये। तो यह अंग्रेजी लिखे पढ़े लोगों की भावना है। इसलिये दुख होता है यह सुनकर। इससे जाहिर है कि अंग्रेजी पढ़ने के बाद लोगों में देशभक्ति नहीं रह जाती है। इसलिये यदि शिक्षा का यहां विकास करना है, शिक्षा के माध्यम से जनता में प्रतिभा लानी है तो अंग्रेजी का पलायन करना पड़ेगा, बिना इसके गरीब, किसान और मजदूर का बेटा आई० ए० एस० और पी० सी० एस० नहीं बन सकता है। और जब वह आई० ए० एस० और पी० सी० एस० नहीं बन सकता तो जनता की समस्यायें दूर नहीं हो सकती हैं।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़े–बड़े लोग बैठे हैं उनकी मोहम्मद तुगलक की तरह बातें होती हैं। यहां पहले व्यवस्था थी कि बेसिक शिक्षा, जिला परिषदों और नगरपालिकाओं के प्रबन्ध में चलती थी लेकिन कुछ दिनों बाद जिला परिषदों और नगर पालिकाओं से वापस ले ली गयी। उसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद् को दी गयी और अब प्रस्तावित है कि बेसिक शिक्षा नगरपालिकाओं और जिला परिषद् को दे दी जाय। इसी तरह पहले आवाज उठी कि हाई स्कूल और इंटर के स्थान पर हायर सेकेन्डरी स्थापित करें लेकिन वह योजना समाप्त हो गयी। इसके बाद 10 प्लस 2 प्लस 3 फारमूला आया और उस पर हजारों रुपये खर्च कर दिये गये लेकिन वह योजना भी कहीं पड़ी हुई है।

मान्यवर, महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा के बारे में जोर दिया और आचार्य विनोवा भावे, डा० जाकिर हुसैन उसका समर्थन करते रहे। किन्तु जब डा० जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने कहा कि इस देश को बुनियादी शिक्षा इस देश की समस्याओं को हल नहीं कर सकती है। इसी तरह मान्यवर, सेमिस्टर प्रणाली को लागू किया लेकिन कुछ दिनों बाद उसको तोड़ दिया। इसी तरह आगरा यूनिवर्सिटी ने तिमाही और छमाही के अंक वार्षिक परीक्षा में जोड़कर पास होने की बात उठी लेकिन उसको कुछ दिनों बाद समाप्त कर दिया गया। तो मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से और मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आपकी शिक्षा की नीति क्या है। पहले एक नीति बनाते हैं और बाद में उसको

[श्री विजय सिंह राना--]

तोड़ देते हैं। पलट देने के बाद समस्याओं का कोई स्थायी हल वे नहीं ढूंढ़ पाते हैं।

(इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

महोदय, एक बात अध्यापकों की कही गयी कि अध्यापक पढ़ाते नहीं हैं। यह सही है। पर इस देश में आचार्य रजनीश, महेशयोगी, बालयोगेश्वर, जयगुरुदेव आदि न जाने कौन-कौन से महात्मा और सन्त हैं जो एयर कन्डीशन मकान में बैठ कर योग की शिक्षा पढ़ायेंगे और गांव का अध्यापक फटे कपड़े पहन कर शिक्षा देगा। यह सम्भव नहीं है। जब रोजगार अध्यापक का साथ नहीं देता है तो अध्यापक रोजगार का साथी नहीं रह गया है। वर्तमान परिस्थितियों ने अध्यापक के ध्यान को विचलित कर दिया है। इसलिए वह भी अच्छा फर्नीचर खरीदना चाहता है, अच्छा मकान खरीदना चाहता है। यह सारा काम उसके वेतन से नहीं हो पाता है। वह ट्यूशन करता है अपने काम के बाद या तो खेती करता है या दुकानदारी करता है। उसका जो सेकेन्डरी काम था वह फर्स्ट बन जाता है और फर्स्ट काम सेकेन्डरी हो जाता है। महोदय, मैं चाहता हूं कि इस सारी स्थिति का एक निराकरण है कि इस शिक्षा को बगैर जन-जीवन के साथ जोड़े काम नहीं चल सकता।

एक बात कहूंगा विद्यार्थियों के बारे में। महोदय, बात बिल्कुल साफ है लोग कहते हैं खाली दिमाग खुराफात का घर है। विद्यार्थी को आपने दिया क्या है। डिग्रियों की बोझ उसके पीठ पर लाद कर उसे सड़क पर खड़ा कर दिया है। वह सड़क पर रोजगार हेतु घूमता फिरता है। खाली बैठा हुआ आदमी शांतिपूर्वक कैसे बैठ सकता है। एक विक्षोभ की भावना विद्यार्थी से ले कर किसान, मजदूर, अध्यापक के दिमाग में पनप रही है। जब तक मैं कहता हूं, आप इस भावना को, उसके हृदय से नहीं निकालेंगे तब तब उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के विद्यार्थी को आप अनुशासन सम्पन्न नहीं बना सकते। इसीलिए विद्यार्थी समाज पर अनुशासनहीनता का दोष अकारण है, व्यर्थ है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप का समय समाप्त हो गया है।

श्री विजय सिंह राना--

एक अंतिम बात कहता हूं, "अब तो इस तालाब के पानी को बदल दे, कमल के ये फूल मुरझाने लग हैं" यह कह कर मैं चाहता हूं कि इस देश की शिक्षा पूरी तरह से बदल दी जाय।

*श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

माननीय, मैं अपने सब साथियों को, पक्ष और विपक्ष दोनों को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने जो कन्सट्रक्टिव सजेशन दिये उसके लिए मैं आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शिक्षा मन्त्री जी एक निवेदन करूंगा। आप 15 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी मैं 14 मिनट में ही समाप्त कर दूंगी । आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । माननीय, अभी मैंने तकरीर सुनी खास कर विपक्ष की ओर से । उन्होंने 30 वर्ष के बारे में कहा कि कुछ हुआ नहीं । तीन वर्ष का जिक्र भी उन्हें करना चाहिए था । पिछले 33 वर्षों से जो हमारी शिक्षा प्रणाली चली आ रही है चाहे उस में कितने ही ड्रा बैक्स क्यों न हों, इन 33 वर्षों में हमारे स्कूलों से, हमारे विश्वविद्यालयों से, हमारे इंजीनियरिंग कालेजों से जो लड़के निकले हैं यह बात आप को माननी पड़ेगी कि उन्होंने विश्व ख्याति प्राप्त की है । हमारे देश ने पिछले 33 वष में विज्ञान में, टेक्नालाजी में, मेडिकल लाइन में, राजनीति में, दर्शन शास्त्र में, साहित्य रचना में, सोसियल वक में जो विभूतियां उत्पन्न की हैं उन्होंने पूरे विश्व की आंखों को चकाचौंध किया है । विज्ञान में हम किससे कम हैं ? हमारे बच्चे उन्हीं विद्यालयों से निकल कर पूरी दुनिया में तहलका मचाये हुए हैं और दुनिया की राजनीति में उन्होंने नया मोड़ दिया है ।

दूसरे जो शिक्षा प्रणाली है इस प्रदेश में वह बहुत गर्व करने की बात है । इस शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत लगभग 12 लाख छात्र-छात्राएं हाई स्कूल और इंटरमीडियेट यूनिफार्म तरीके से परीक्षा पास करते हैं । अपने कालेज में जब मैं परीक्षा का संचालन कर रही थी तो अमेरिका से एक लेडी आई थी । उसने कहा कि यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि लाखों की तादाद में आप यूनिफार्म तरीके से परीक्षा का संचालन करती हैं, ऐसी चीज दुनिया में शायद ही कहीं मिलेगी । मैं जानती हूं इसमें बहुत सी कमियां हैं लेकिन रचनात्मक सुझावों से ही उनको दूर किया जा सकता है और सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं तथा लड़कों के भविष्य को उज्ज्वल बना सकते हैं ।

प्राविधिक शिक्षा के बारे में कुछ बड़े अच्छे सुझाव आये लेकिन शायद माननीय विधायकों ने मेरी स्पीच गौर से नहीं सुनी । मैं उनकी जानकारी के लिये कहना चाहती हूं कि भवन निर्माण पर 6·25 लाख तथा साज-सज्जा के लिये 13 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । इससे जो कमी साज-सज्जा में पालिटेक्निक्स में है वह काफी हद तक दूर हो जायगी । 74 के ऐक्ट के अन्तर्गत रेगुलेशंस बनाये जा रहे हैं और सेवा नियमावली लोक सेवा आयोग के अनुमोदन हेतु भेज दी गयी है ।

जहां तक प्राइमरी शिक्षा की बात है मैं पहले ही निवेदन किया था कि प्राइमरी स्कूलों में हमारे यहां हमेशा ही साज-सज्जा की कमी रही लेकिन मैंने यह भी कहा था कि जो आधार शिला है वह मेज कुर्सी नहीं है, वह अध्यापक है । हमारे पास ढाई लाख अध्यापकों की फौज है । अध्यापकों की शान के खिलाफ बहुत सी बातें कही गयी-। उनके दोषों पर काफी कहा गया लेकिन गुणों के बारे में कोई प्रकाश नहीं डाला गया और उनके गुणों पर भी प्रकाश डाला जाता तो दिल को कुछ तसल्ली होती । यह वही अध्यापक हैं जिन्होंने कभी किसी के आगे अपने हाथ नही पसारे । लेकिन महात्मा गांधी के सत्य तथा अहिंसा के उसूलों को गांव-गांव पहुंचाया । यह वही अध्यापक हैं जिसने कबीर की वाणी को अपने छात्रों के द्वारा सुदूर गांव-गांव के छप्पर तक पहुंचाया । वैसे साज-सज्जा के सम्बन्ध में मैं आपको सूचित करना चाहती हूं कि टाट-पट्टी के लिये 170 रुपया हर विद्यालय को दिये जाते हैं । अब इस साल

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--]

साज-सज्जा के लिये 500 रुपया प्राइमरी स्कूल तथा 1,हजार जूनियर हाई स्कूल को यानी कुल 14 लाख रुपये का प्राविधान अलग से किया गया है 170 रुपये के अलावा । वहां पहुंचाने में बड़ी दिक्कत होती ह इस सामान को तो इस साल यह व्यवस्था की गयी ह कि पंचायत उद्योग के निदेशक के जरिये यह सामान इन स्कूलों में पहुंच जायगा ।

मान्यवर, जो पुराने भवन हैं, जर्जर अवस्था में हैं उनका नवीनीकर हम कर रहे हैं । ऐसे 260 प्राइमरी और 66 जूनियर स्कूल हैं । इस तरह से धीरे-धीरे सब काम होते हैं । प्रगति की ओर हम बढ़ रहे हैं, बढ़ते जायेंगे लेकिन फिर मैं कहती हूं कि अगर भवन नहीं हैं तो इस बात को लेकर हम स्कूल को बन्द नहीं करेंगे । हम पेड़ के तले स्कूल चलायेंगे । आपको क्या ऐतराज है । हम स्कूल अवश्य चलायेंगे ....

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल वाजपेयी--

आप लोग मंत्री जी को सुनने के बाद ही कहें ।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया शान्ति रखें । उन्हें बोल लेने दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अभी यहां पर परीक्षाओं की बात हुई । मास कोपीइंग हुआ करती थी और धड़ाधड़ हुआ करती थी । मैं कहती हूं कि मास कोपीइंग, जो डिग्री कालेज और हाई स्कूल इन्टरमीडिएट की सप्लीमेंटरी परीक्षायें, जो इस समय हुई हैं, उसमें बिलकुल समाप्त कर दिया है और हमें विश्वास है कि अगले साल हम बिलकुल भी मास कोपीइंग का मौका नहीं देंगे । ध्यान से सुनें....

(व्यवधान)

मैं चैलेंज करती हूं और मैंने खुद जाकर देखा है, परीक्षाओं में खुद गई भी हूं कमरों में गई हूं, एक-एक मेज और एक-एक लाइन देखी है । मुझे कोई चक्कू छूरी नजर नहीं आयी और न ही कोई डंडा नजर आया । एक लड़के के पास एक पुरजी निकली । मैंने कहा कि लाओ यह पुरजी । वह हाथ जोड़कर बोलने लगा कि मेरी नहीं है दीदी जी । कोई चाकू छुरे की बात मुझे नहीं दिखाई दी । वह एक साल पहले की बात होगी । वह दिन लद गये। अब तो हमारे छात्रों को अभिमान है अपनी कलम पर और जिसको अपनी कलम का अभिमान है वह चाकू छुरा नहीं रख सकता ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

इन्होंने चाकू छुरे चलाये, इसीलिये इनको याद आ रहा है....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

एक सुझाव आया है पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का.....

(व्यवधान)

जो अच्छी-अच्छी सूचनायें हैं उनको तो सुनें। इसका अपनी कांस्टीटुयेन्सी में जाकर प्रचार करें। पिछड़ी जातियों के लिये जो छात्रवृत्तियां हैं वे समाज कल्याण के बजट में हैं। उनका प्राविधान उस मद में किया गया है। फिर भी हमने 2.90 लाख रुपये का प्राविधान किया है। नौकरियों में 15 प्रतिशत आरक्षण का प्राविधान उनके लिये किया गया है। श्री पंचानन राय जी ने किताबों के बारे में कहा तो जो गरीब लड़के हैं उनके लिए हमने बुक बैंक की स्थापना स्कूल और कालेजज में की है जिसके द्वारा रोटेशन में किताबें दिया करते हैं।

चयन के बारे में हम क्रांतिकारी कार्य कर रहे हैं। मैंने अपने भाषण में शायद कहा था या मैं कहना भूल गयी डिग्री कालेज के टीचर्स के चयन के लिए एक विधेयक यहां आने वाला है, परिषद् में तो पास हो चुका है हम देखेंगे कि उसको कितना आप लोग सपोर्ट करते हैं। उसके अन्तर्गत जो डिग्री कालेज के टीचर्स हैं उनका चयन कालेज में न होकर एक आयोग द्वारा किया जायेगा जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के अन्तर्गत होता है ताकि जो कालेजेज में भ्रष्टाचार है वह न हो।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी घड़ी आपका साथ नहीं दे रही है।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मेरी घड़ी तो इन्होंने फास्ट कर दी इसलिए इसको इसमें से काट दें। तो चयन में जो भ्रष्टाचार की बात है उसको दूर करने के लिए हम विधयक ला रहे हैं जो आपके सामने आयेगा।

अभी परीक्षाफल के बारे में एक विधायक ने कहा कि तीन लाख परीक्षाफल अभी रुके हुए हैं। पता नहीं वह कहां सपना देख रहे हैं या हम देख रहे हैं। लेटेस्ट फीगर्स जो हैं उनमें हाई स्कूल में .3100 और इंटर में 4300 यानी 12 लाख छात्रों में से 7 हजार का परीक्षाफल अभी आना है। इसका कसूर हमारा नहीं है बल्कि पोस्टल कठिनाई की वजह से है बंडल जो हैं वह मिसप्लेस हो गय जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मैं विश्वास दिलाती हूं बच्चों के हित में, आपके डर से नहीं, जल्दी ही हम उनका परीक्षाफल घोषित कर देंगे।

आजमगढ़ के बारे में कहा गया कि वहां एक विश्वविद्यालय खोला जाय। बड़ा सुन्दर प्रपोजल आया है लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि वहां पर 14 विद्यालय हैं। फिर टेक्निकल एजूकेशन की बात आई तो उसके लिए पालिटेक्निक्स चल रहे हैं लेकिन हमारे स्कूलों में भी काष्ठकला, टेलरिंग, कृषि, शिल्पकला वगैरह की

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--]

शिक्षा दी जाती है । इसमें भी हमने सर्वे करने का निश्चय किया है कि आगे क्या कदम उठा सकते हैं और अपनी शिक्षा में क्या टेक्निकल शिक्षा के बारे में प्रोग्राम रख सकते हैं ।

अंत में मैं कहना चाहती हूं यहां पर शिक्षा के राष्ट्रीयकरण की बात हुई तो वह विषय विचाराधीन है । इतना मैं बता दूं कि हम उस ओर कदम बढ़ा रहे हैं । अभी जो विधेयक आयेगा उसमें परीक्षा की भी बात है आप उस विधेयक का कितना समर्थन करते हैं यह देखने की बात है "हाथ कंगन को आरसी क्या" जिसके द्वारा जितनी भी प्रबन्ध समितियां हैं, उनके ऊपर हमारा नियन्त्रण हो जाएगा ....

(व्यवधान)

ताकि वहां के भ्रष्टाचारी प्रबन्धकों को भी हम नियन्त्रित रख सकें, कालेज की प्रापर्टी की सुरक्षा कर सकें और कमेटी होते हुए भी अपना नियन्त्रण करके कालेज को बर्बादी से बचाएं । जहां तक इंटरमीडिएट कालेज के टीचर्स का सवाल है, उनकी सर्विसेज को सेन्ट्रलाइज्ड करने का विचार कर रहे हैं, यह चीज हमारे विचाराधीन है । इन शब्दों के साथ, म अपने सभी माननीय सदस्यों से अपील करती हूं और आशा करती हूं कि वह हमारे बजट का समर्थन करेंगे ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

जनपद बलिया के प्राइमरी और माध्यमिक स्कूलों के जो अध्यापक हैं, वह आमरण अनशन करने जा रहे हैं अपनी कुछ मांगों के सम्बन्ध में, उस पर आप क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष--

एक निवेदन है, मंत्री जी काफी लम्बा चौड़ा भाषण दे चुकी हैं । इसलिए जो जानना चाहते हों, उनसे अलग से जान लीजिए, लेकिन इस वक्त समय न लीजिए ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

बलिया जनपद में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का प्राविडेन्ट फण्ड ....

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मैं आश्वासन देती हूं, जो उनकी मांगे कानून के अन्तर्गत होंगी, उनकी हम अनदेखी नहीं करेंगे ।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर भैय्या--

एक हमें सूचना देनी है, बलिया में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापक कल से आमरण अनशन करने जा रहे हैं । शासन द्वारा दी हुई सुविधाओं को कटौती हो रही है । तो मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह उसमें क्या कार्यवाही कर रही है ?

(शिक्षा मंत्री के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मंत्री जी, बैठिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 33--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 33--शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,45,57,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 108--शिक्षा विभाग-ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 108--शिक्षा विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,83,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34--प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने

[श्री उपाध्यक्ष--]

के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,02,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 109--प्राविधिक शिक्षा विभाग--ऋण और अग्रिम के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 109--प्राविधिक शिक्षा विभाग--ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाय

श्री उपाध्यक्ष--

आज नियम 51 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुयीं जिनमें से एक सूचना सर्व श्री दलगंजन सिंह, श्री कुबेर भंडारी और श्री राधेश्याम वर्मा की स्वीकृत हुयी है जो दिनांक 17-9-80 को स्थान बलदाऊ चौक, कोतवाली उरई, जनपद जालौन में छात्रों के बीच हुए संघर्ष में पुलिस द्वारा पिटाई से एक व्यक्ति की मृत्यु से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है । शेष सूचनायें सर्वश्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, थम्मन सिंह, नन्द किशोर सिंह और फखरे आलम की अस्वीकृत की गयी हैं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, लखनऊ युनिवर्सिटी में जो लाठी चार्ज हुआ था, उस पर आपने आज वक्तव्य देने के लिए निदेश दिए थे लेकिन वह आज सदन में नहीं आया । तो मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिए कौन सी तारीख निर्धारित की गयी है । मान्यवर, वह एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न था ।

श्री उपाध्यक्ष--

उसके लिए अभी कोई तारीख निश्चित नहीं की गयी है लेकिन जल्द ही वह वक्तव्य दिलाऊंगा ।

जनपद लखनऊ, तहसील मलिहाबाद में बेहटा नाला नाव दुर्घटना में कतिपय छात्रों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

दिनांक 9-9-80 को मध्याह्न लगभग 12 बजे ग्राम खड़ौहा में स्थानीय नाव पर, जिसकी क्षमता 20 व्यक्तियों की है, जनता हायर सेकेन्ड्री स्कूल, खड़ौहा

के लगभग 47 छात्र मल्लाह द्वारा मना करने पर भी जबरन बेहता नाला पार कर रहे थे । नाव का संतुलन अव्यवस्थित होने के कारण छात्रों ने नाव के बाहर नदी में कूदना शुरू कर दिया । छात्रों की इस बाल सुलभ चंचलता के फलस्वरूप नाव डूब गयी । इस दुर्घटना में 5 छात्रों की डूबने से मृत्यु हो गयी । इन पांचों छात्रों के शव दिनांक 10-9-80 को निकाले जा चुके हैं । मृत छात्रों का विवरण निम्न प्रकार है :—

1—श्री बिजय बहादुर सिंह पुत्र श्री अनिरुद्ध सिंह, निवासी जमोलिया ।

2—श्री रईस अहमद पुत्र श्री शब्बीर अहमद, निवासी अहमदाबाद, लटौली ।

3—श्री वहीद अहमद पुत्र श्री अब्बास अली, निवासी अहमदाबाद, लटौली ।

4—श्री बिनेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम कुमार गुप्ता, निवासी अहमदाबाद ।

5—श्री राम किशोर पुत्र श्री मोहन लाल, निवासी लसोइया ।

ग्राम खड़ौहा, तहसील मलिहाबाद से 8 किलोमीटर दूर है । तहसील मुख्यालय मलिहाबाद में इन्टरमीडिएट कालेज स्थित है तथा ग्राम खड़ौहा में हायर सेकेन्ड्री स्कूल है । मलिहाबाद पक्की सड़क पर है परन्तु ग्राम खड़ौहा जाने के मार्ग में नाला पड़ता है । यह नाला वर्ष में प्रायः सूखा रह कर यातायात योग्य बना रहता है । केवल वर्षा के दिनों में नावों की आवश्यकता पड़ती है । इस वर्ष जनता हायर सेकेन्ड्री स्कूल, खड़ौहा जुलाई व अगस्त मास में पूर्णतया बन्द था और ग्रीष्मावकाश के बाद 8 सितम्बर, 1980 को प्रथम बार खुला । दिनांक 9-9-80 को नाव दुर्घटना हो जाने के कारण यह विद्यालय दिनांक 13-9-80 तक के लिये प्राधानाचार्य द्वारा बन्द कर दिया गया था और दिनांक 15-9-80 को पुनः खोला गया ।

इस वर्ष भीषण बाढ़ की अवधि 21-8-80 से 26-8-80 तक राहत कार्य में 2 स्थानीय नावें अधिगृहीत करके 30 रु० प्रतिदिन किराये पर राहत कार्य में लगायी गयीं । भीषण बाढ़ की अवधि में बेहता नाला का पाट 400 मीटर हो गया था । उस समय इन नावों ने प्रतिदिन 10 चक्कर लगाकर राहत कार्य सम्पादित किया था । उक्त अवधि में 2 नावों से अधिक नावों की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । दुर्घटना के समय नदी का पाट 20 मीटर चौड़ा था और 2 स्थानीय नावें आने जाने के लिये उपलब्ध थी । दुर्घटनाग्रस्त तथा दूसरी नाव जो निरन्तर घाट पर आवागमन हेतु उपलब्ध रही है, 16 फिट से अधिक लम्बी तथा सही स्थिति में है ।

मृतक छात्रों के परिवारों को 1,000 रु० प्रति परिवार की दर से नियमानुसार सहायता धनराशि का वितरण करा दिया गया है ।

श्री भीखालाल—

क्या राजस्व मंत्री जी को ज्ञात है कि यह स्कूल नाले की चपेट में आता है और आने विद्यार्थी नाले को पार करके आते हैं, तो इसको देखते हुये क्या इस

[श्री भीखा लाल--]

नाले पर कोई पुल बनवाने की कृपा करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना फिर न हो सके ?

श्री भानुप्रताप सिंह--

इस पर विचार करेंगे ।

श्री नन्दकिशोर सिंह--

जो धनराशि एक-एक हजार रुपये की दी गयी है, यह देखते हुये कि यह बहुत कम है, क्या इसे 10 हजार करने की कृपा करेंगे मंत्री जी ?

श्री भानुप्रताप सिंह--

इसके लिये तो नियम बने हुये हैं जिसके अनुसार यह सहायता दी जाती है ।

श्री ख्वाजा हलीम--

वह नियम क्या हैं जिसके अनुसार यह सहायता दी जाती है, आखिर और दुर्घटनाओं में 5-5 और 10-10 हजार रुपये तक दिये जाते हैं ?

श्री भानुप्रताप सिंह--

दैवी आपदाओं, सूखा, बाढ़, भूस्खलन और बादलों से बिजलों आदि गिरने पर प्रति परिवार एक हजार रुपये की सहायता के नियम है । (व्यवधान)

श्री छतरसिंह--

यह तो दुर्घटना है, दैवी आपदा कहां है ?

श्री भानुप्रताप सिंह--

बाढ़ दैवी आपदा में ही आती है ।

श्री शंकर सिंह--

बयान में कहा गया है कि बैलेन्स गड़बड़ हुआ । लड़के जो तैरना नहीं जानते वे तो नाव से चिपक कर बैठेंगे ही । वह इस तरह की कोई कार्यवाही नहीं करेगा जिससे कि अपने आपको डुबोये, दूसरे की जिन्दगी खतरे में डाले । तो इसमें नाव डुबोने का कारण जो है या तो नाव पुरानी होगी या कहीं अधिक सवारियां रही होंगी, तब डूबी होगी । तो इन तथ्यों की जांच पुनः माननीय मंत्री जी करायेंगे ? नाव की जो दुर्घटना हुई है माननीय मंत्री जी उसका समय भी बतला दें ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्रीमन्, यह 12 बजे दिन की बात है । दूसरा प्रश्न आपने कहा कि नाव पुरानी तो नहीं थी ।

(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह--

12 बजे से स्कूल जाने का कौन सा समय था ? मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं आया। माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि वह दुर्घटना किस कारण से हुई, उसकी उचित जांच दुबारा करायें ? उसके डूबने का वास्तविक कारण क्या ह ? नं0 (2) उसका समय देखें और उस पर यह निष्कर्ष निकालें कि उसका समय स्कूल की छुट्टी का या स्कूल जाने का समय जो है, मेल खाता है अथवा नहीं ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्रीमन्, समय तो बारह बजे हैं, जिससे जाहिर है कि यह स्कूल से वापस आने का समय हो सकता है। नाव पुरानी है या नई इस बात का मैं जांच कराऊंगा और एसा लगता है, बच्चे स्वभाव से चंचल होते हैं और उनकी उछल-कूद की वजह से उसका संतुलन जो था, वह बिगड़ गया और नाव उलट गयी और डूब गयी। भविष्य में ऐसे आदेश दे दिये गये हैं कि जहां कहीं ऐसे आवागमन हों, जिसके लिए नावें जहां हों उनकी क्षमता दर्शाने के लिए उनकी एक सतह पर निशान लगा दिया जाय ताकि यह पता चल जाय कि उस पर क्षमता से अधिक लोग बैठ रहे हैं या क्षमता भर।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि, जैसा उन्होंने स्वयं वक्तव्य में स्वीकार किया है कि नाव का संतुलन अव्यवस्थित हो गया, उसके बाद बच्चों ने चंचलतावश नाव हिलाया-डुलाया और डूब गयी। यह भी हो सकता है कि नाव चलाने वाला व्यक्ति जो हो, वह अनाड़ी हो। क्या माननीय मंत्री जी यह आदेश देने की कृपा करेंगे कि वर्षा के दिनों में इस नाले पर सरकार की नाव, सरकारी नियंत्रण में चले और उसकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाय ? नं0 (2) जो आर्थिक सहायता की बात कही गयी है राजस्व विभाग के नियमों से 1 हजार रुपया दिया है, माननीय मुख्य मंत्री जी के कोष से 10 हजार रुपये उनके परिवार वालों को दिलाने का कार्यवाही करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

श्रीमन् वहां पर नावें सरकारी नियंत्रण में चलें, इसके लिए शासन प्रयत्न करेगा और माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं उनसे निवेदन कर दूं कि कृपा करके माननीय मुख्य मंत्री जी के लिए एक आप उनको या जैसा उचित समझें पत्र भेजवा दें, मैं भी उनसे आग्रह करूंगा कि उस पर कृपा करके वह विचार कर लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, यह शासन की जिम्मेदारी है, शासन की गैर जिम्मेदारी की वजह से वह सब हयात हुए हैं। शासन इसके लिए इन्तजाम करे।

श्री किरनपाल सिंह---

मान्यवर, इस वक्त इसी सदन की राय जान ली जाय कि डूब कर मरने वाले बच्चों के परिवार वालों को 10 हजार रुपये मिलें या नहीं, यदि इस सदन द्वारा 10 हजार रुपये मंजूर हो जाता है, तो 10 हजार रुपये दिया जाय और अगर न राय हो, तो 1 हजार रुपये ही रहने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आप सुझाव रख रहे हैं । यह तो प्रश्न पूछने का समय है ।

श्री फखरे आलम--

मुआविजा देने के बारे में मैं सुझाव रखना चाहता हूं । और वह यह है कि जो मुआविजा दिया जाय वह ऐसा हो जो आदमी मरा है, जो बच्चा मरा है, उसके तमाम हालात को देखते हुए, दिया जाय जैसा कि फटल ऐक्सीडेंट्स ऐक्ट या जैसे मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट में प्राविजन हैं । यानी यह देखना चाहिए कि जो व्यक्ति मरा है उसकी उम्र कितनी थी, वह कितने साल तक जिन्दा रहता और उस पीरियड में कितना पसा पैदा करता और कितने आदमियों को प्रोवाइड करता । यह हिसाब लगाइये । (व्यवधान) वह तो करोड़ों रुपया पैदा करता । उसका अगर अन्त नहीं होता । यह बड़ा जरूरी है । आप फैटल ऐक्सीडेंट्स ऐक्ट में जिस तरीके से प्राविजन दिया गया ह उस प्राविजन के मुताबिक कम्पेन्सेशन दें । एक हजार या दस हजार कम्पेन्सेशन दे दें यह कोई कम्पेन्सेशन नहीं हैं । कम्पेन्सेशन उसके कोन्सुरेट होना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न हुआ या सुझाव ?

श्री फखरे आलम--

दोनों हो सकते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

सुझाव नहीं होना चाहिए ।

श्री मोहन सिंह--

वह आपके दल के नेता हैं । आप उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शासन में प्रश्न उपस्थित कर दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

जब कोई इस कुर्सी पर बैठा होता है तो उसका कोई दल नहीं होता । मेरे दल का कोई नेता नहीं है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पुल अगर बना होता तो उन बच्चों की दुर्घटना नहीं होती । सरकार की बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है । क्या माननीय मंत्री जी तुरन्त पुल बनवाने की व्यवस्था करेंगे ताकि ऐसी घटना न घटे ?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय विष्ट जी के प्रश्न का उत्तर दे ही दें ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

जैसा माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है मांग आने पर हम विचार करेंगे ।

आलम बाग, थाना कृष्णा नगर, लखनऊ निवासी श्री आर० के० शर्मा, इन्जीनियर की पत्नी श्रीमती शीतल दानी की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त---)

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 11-9-1980 को मृतक श्रीमती शीतल दानी शर्मा के पुत्र श्री रमेश शर्मा द्वारा सायंकाल साढ़े पांच बजे थाना कृष्णानगर में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई गई थी कि स्कूल से लौटने पर उसने अपनी मां को घर में मरा पड़ा पाया । रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर चोटें और खून निकलने का भी उल्लेख था । रिपोर्ट में यह भी लिखाया गया कि कथित हत्या किसी परिचित व्यक्ति द्वारा की गई है और रमेश यादव पर संदेह व्यक्त किया गया । इस सूचना पर अपराध संख्या 560, धारा 394/302 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया । रमेश यादव तथा उसके साथी से पूछ ताछ की गई है । अब तक की जांच से हत्या का कारण विदेशी मुद्रा होना नहीं पाया गया है । खून से लगा कोई गड़ासा पुलिस को बरामद नहीं हुआ है । मृतकों के बच्चों की देखभाल उनके पिता द्वारा की जा रही है । श्री शर्मा के घर पर दो पुलिस कान्सटेबिल तैनात हैं । मामले में विवेचना प्रचलित है ।

श्री हरिवंश राय---

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो रिपोर्ट आयी है वह बिलकुल तोड़मरोड़ कर आयी है । मृतक खुद ईराक में इंजीनियर हैं । उनके घर काफी पैसा और जेवरात थे उनकी स्त्री को गड़ासे से काट कर, गड़ासा रसोई घर में फेंक दिया था और मुलजिम उनके पास, जो बजाज स्कूटर थी, उसको चाहते थे, और जो विदेशी मुद्रा थी वह चाहते थे । न पाने के कारण उनकी हत्या की गयी । मैं जानना चाहता हूं कि जब नामजद रिपोर्ट है तो गिरफ्तार किया गया या नहीं ?

श्री ब्रह्म दत्त---

मान्यवर, इसमें जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दी गयी है इसमें विदेशी मुद्रा का कोई जिक्र नहीं है । नामजद की बात इसमें नहीं की गयी है । उसमें लिखा हुआ है कि ऐसा मालूम होता है कि हत्या मेरे किसी परिचित व्यक्ति द्वारा मुहल्ला शृंगार नगर के रहने वाला रमेश यादव द्वारा की गयी है । इस लिए इस सिलसिले में उनसे पूछ-ताछ की गयी है और वहां चाय के बर्तन पाये गये । मालूम होता है कि उन अपराधियों ने चाय वगैरह वहां पी है । उन बर्तनों पर कुछ निशान पाये गये हैं उनको ले लिया गया है और अपराधों के फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए गये हैं । इसकी रिपोर्ट आ जाने पर आगे की कार्यवाही की जायेगी ।

श्री हरिवंश सहाय---

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा और जहां तक मुझे जानकारी मिली है कि घटना के शुरू में ही कार्यवाही दो दिन तक ठीक-ठीक चली है । लेकिन अब मुल्जिमान पुलिस को मिलाकर केस को दबवाना चाहते हैं और उनके पति बाहर हैं । तो क्या माननीय मंत्री जी मामले की निष्पक्ष जांच कराने और उन बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था हेतु कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

इंजीनियर साहब वापस आ गये हैं ईराक से और जांच का काम भी प्रभावशाली ढंग से हो रहा है और उनके घर की सुरक्षा जैसा कि मैंने पहले वक्तव्य में कहा था कि दो कांस्टेबिल तैनात हैं ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं, जो पोस्टमार्टम हुआ है उसकी रिपोर्ट में मौत का क्या कारण दिया है और कितनी चोटें हैं और हत्या की चोटें कैसी हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास है और इसमें जो विवरण दिया हुआ है वह बहुत लम्बा है । अगर आप कहें तो मैं पढ़ दूं ।

अनेक सदस्य--

केवल मौत का कारण बता दें ?

श्री ब्रह्म दत्त--

'दि काज आफ डेथ इज शाक एण्ड ब्रेन हैमरेज ।' खून का बहना और मस्तिष्क का फट जाना ।

श्री नन्द किशोर सिंह--

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि श्री शर्मा के घर पर केवल दो-तीन दिन तक तो पहरा रहा और अपराधीगण पुलिस से सांठ-गांठ कर रहे हैं । ऐसी जानकारी मुझे मिली है । तो क्या माननीय मन्त्री जी उनके घर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने की कृपा करेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मोती लाल देहलवी--

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस अभियुक्त पर संदेह व्यक्त किया गया है और उसे कितने समय तक रिमाण्ड पर रखा गया है और उसकी जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है । नं० दो यह कि जैसा कि अभी श्री हरिवंश सहाय ने उद्घाटित किया कि इसकी जांच में गोल-माल किया जा रहा है । तो इन सब हालात को देखते हुए क्या इस मामले की जांच सी० आई० डी० को देने का कष्ट करेंगे ?

श्री ब्रह्म दत्त--

जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अपराधियों के फिंगर प्रिंट्स ले लिये गये हैं और अगर उनसे मिल गये तो आगे की कार्यवाही की जायेगी और यदि पुलिस सफल नहीं होगी तब इसके लिए आगे सोचा जायेगा ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, मैं तो यह जानना चाहता था कि किस पर संदेह व्यक्त किया गया, उसे कितने दिनों तक रिमाण्ड पर रखा गया या नहीं रखा गया और यदि रखा गया तो कब तक के लिए रखा गया ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, जहां तक हमारी जानकारी है कि रिमान्ड तो गिरफ्तारी के बाद होती है और रमेश यादव जिस पर संदेह किया गया है, वह और उसका साथी बी0 ए0 की परीक्षा ढाई बजे दिन से शिया कालेज में दे रहा था और ऐसी हालत में उन्हें कैसे गिरफ्तार किया जा सकता था। फिंगर-प्रिंट्स उनके ले लिये गये हैं। और इसकी रिपोर्ट आने पर विचार किया जायेगा और उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री फखरे आलम--

क्या माननीय मन्त्री जी ने इस बात का पता लगवाया था कि उनके हसबेन्ड कहां के रहने वाले हैं और उनका मायका कहां था? इससे सारा मामला साफ हो जायेगा 24 घंटे के अन्दर।

श्री ब्रह्म दत्त--

अगर मायके और ससुराल से भेद खुलता हो तो पता लगवायें।

उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, 1980 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980†

(5 बजकर 20 मिनट)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, 1980 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, जो अध्यादेश जिन परिस्थिति में निर्गत किया गया और बाद में थोड़े समय बाद उसमें थोड़ा परिवर्तन करके विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, यह इस बात को याद दिला रहा है कि उत्तर प्रदेश में इमरजेन्सी बिना घोषित किये गये, आपात कालीन स्थिति लागू की जा रही है। अभी मान्यवर, राष्ट्र विरोधी तत्व निवारण विधेयक पारित किया गया है और 2-3 दिन बाद मान्यवर, उत्तर प्रदेश आवर्तक सेवा विच्छिन्ता निवारण विधेयक आने वाले हैं। उसके अन्तर्गत सभी क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को किसी भी क्षेत्र में हड़ताल करने पर या हड़ताल का प्रचार करने वालों पर या उसको संगठित करने पर, रोक लगाई जा रही है। उसके अन्दर सारी बातों पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है।

मान्यवर, इसमें ऐसे प्राविधान दिये गये हैं इन प्राविधानों को मिला जाय तो यह ज्ञात होता है कि आज प्रत्येक व्यक्ति शासन के पकड़ में है किसी भी समय किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताये निरुद्ध किया जा सकता है। इसकी जितनी निन्दा की जाय वह कम है। यह विधेयक हमारे संविधान में दिये गये हमारे मौलिक अधिकारों की स्वाधीनता को संकुचित करता है और इसलिए इस विधेयक की जितनी निन्दा की जाय वह कम है। क्योंकि

---

†दिनांक 17 सितम्बर, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

मैं आपके सामने वह साक्ष्य, वह तथ्य रखूंगा जिससे सरकार को जो ताकत मिली है उस ताकत का दुरुपयोग किया जा रहा है। किसी राष्ट्र के खिलाफ काम करने वाले के भारत की अखण्डता को नुकसान वाले के खिलाफ इसे प्रयोग नहीं किया जायेगा बल्कि इसका प्रयोग राजनीतिक प्रतिद्वन्दियों के खिलाफ किया जायेगा। मान्यवर, इस विधेयक में जो प्राविधान किया गया उसको आप देखें। इसकी धारा 3 में परिभाषा दी गई है इसकी दूसरी पंक्ति को आप देखें इसमें है मान्यवर, राज्य की सुरक्षा के या लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल किसी रीति से कोई कार्य करने से उसे रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध किया जाय। मान्यवर, मुझे तो कोई परिभाषा नहीं लगती है यह इतनी वायड टर्म में है। मान्यवर किसी भी आदमी पर किसी भी समय आरोप लगाया जा सकता है कि यह व्यक्ति लोक व्यवस्था को संकट पैदा कर रहा है, लोक सुरक्षा के लिए संकट पैदा कर रहा है यह आरोप लगाकर उसको निरुद्ध किया जायेगा।

मान्यवर यह अधिकार आप जिलाधिकारियों को दे रहे हैं। मान्यवर यही नहीं उनको यह भी अधिकार दे रहे हैं कि वह 5 दिन के अन्दर अपनी रिपोर्ट दे और उसके बाद आरोप पत्र जारी कर दें। आरोप पत्र जारी करने में किसी तथ्य को, जिसे वह गोपनीय समझता है बताना उचित नहीं समझता है वह आरोप पत्र में नहीं बताया जायेगा, उसको कुछ बातें बता दी जायेगी। निरुद्ध किये गये व्यक्ति को अपनी सफाई देने के लिये पूरे तथ्य भी नहीं बताये जायेंगे। इसमें मान्यवर, उसको यह भी अधिकार नहीं है कि वह वकील के जरिये कोई विधिक कार्यवाही कर सके। जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया गया है उसे सारे आरोपों की जानकारी नहीं होगी। तो वह जवाब क्या देंगे, अपनी बात का जवाब भी नहीं दे पाते और उसको निरुद्ध कर दिया जायेगा। इसको इतना विवेकहीन बना दिया गया है कि बिल्कुल अन्धा-धुन्ध, जिसको चाहो पकड़ लो। अगर किसी ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध करने के आदेश दे दिये जायें जिसके लिए जिलाधिकारी को अधिकार न हो, तो क्या होगा।

इसको देखें, कोई भी निरुद्धादेश इसलिए भी मान्य नहीं होगा अगर वह अस्पष्ट है, अस्तित्वहीन है या असंगत है या ऐसे व्यक्ति से संबंधित या निकट से संबंधित नहीं है आदि। ये ऐसे हैं, इतनी बड़ी ताकत हमने जिलाधिकारियों को दे दी है कि वह किसी के बारे में निरुद्धादेश जारी कर सकते हैं। इसमें न्यायपालिका की इतनी अवमानआब की गई है कि वह कल्पना के बाहर है। आज निरुद्ध करन की व्यवस्था सरकार को 82-83 में है कि कार्यवाही के लिए आवेदन दिया जाता है। न्याय दण्डाधिकारी उसकी नियुक्ति पर, अस्तित्व पर विचार करता है। इसमें व्यवस्था है कि फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट को केवल सूचना दे दी जायेगी। 82-83 की कार्यवाही करने, निरुद्ध करने ये सब काम जिलाधिकारी या जो अवर मैजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर हैं, उनको दे दिया गया। जो व्यवस्था मीसा के अन्दर भी नहीं थी, वह निन्दनीय व्यवस्था इसमें कर दी गई है कि जो फरार होगा उसको 3 साल तक की सजा देने का अधिकार जिलाधिकारी को दे दिया गया है। जुडिशियरी में जाने की आवश्यकता नहीं है। आदेश कैसे दिया जायेगा। मान्यवर, अपने घर में कोई बैठा है, व्यापार में जहां वह लगा है, फाइल में आदेश हो गये, निरुद्ध करना है।

इसके साथ मान्यवर, एक और व्यवस्था कर दी गई है सलाहकार मण्डल गठित किया जायेगा। इसमें वर्किंग जजेज नहीं हैं। उन जजेज का प्राविधान किया गया है

जो रिटायर्ड हैं । मैं इस बात का पक्षधर हूं कि किसी भी रिटायर्ड जज को किसी भी जगह नहीं एप्वाइंट करना चाहिये क्योंकि जैसे ब्यूरोक्रेसी को कमिटेड बना दिया है उसी तरह जुडिशयरी को बना दिया जायेगा । जजेज को प्रभाव डाला जा रहा है कि अगर कमिटेड रहे, मेरे कहे के अनुरूप कार्य करते रहे तो आपको बोर्ड में, कमीशन आदि में आयोग में रख दिया जा रहा है । और इस तरह उनको भी प्रलोभन दिया गया है ।

मैं पक्षधर हूं कि यह मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात करने वाला है इसका निरनुमोदन किया जाना चाहिए । इसके पेश किये जाने की कोई जरूरत नहीं है । इसके जनमत के लिए परिचालित करना चाहिए । प्रवर समिति के लिए भी पक्ष में नहीं हूं क्योंकि प्रवर समिति में वही दिये जाते हैं जिनको सिद्धान्तः हम स्वीकार करते हैं और केवल मेरिट पर विचार करना होता है । इसके प्रारम्भ से अन्त तक दोषों से भरा हुआ है । इसलिए इसको जनमत के लिए भेज देना चाहिए ।

जिलाधिकारियों को इतने बड़े अधिकार दिये गये हैं कि उसके 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं और वह अपने राजनीतिक विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए है । मैंने पहले सदन में कहा था कि जो भी 91-95 पकड़े गये उसमें 61 आदमियों के बारे में सरकार ने आरोप स्वीकार नहीं किया । इसका साफ मतलब है कि सरकार स्वीकार करती है कि जिनके खिलाफ आरोप लगाये गये हैं उनमें गलतियां थीं । सरकार ने संस्तुति नहीं की । अगर मान लिया जाये कि अगर कोई आदमी फर्जी एफ0 आई0 आर0 लाज कराता है और बाद में पता चलता है कि गलत हो गया तो उसके खिलाफआई0 पी0 सी0 में मुकदमा कायम हो सकता है । जिलाधिकारी अगर किसी को बन्द कर दें, तब आप देख लें । राज्य सरकार को छोड़ दिया, हाई कोर्ट को छोड़ दिया । अगर इतने दिन कोई जिलाधिकारी किसी को व्यक्तिगत आधार पर बन्द रखता है तो उसके लिए कोई प्राविधान नहीं है । कोर्ट में नहीं जा सकता ।

यहां पर यह चर्चा हुई थी कि 400 लोग होमगार्ड के पकड़ गये । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि के0 के0 सिंह ने एक पत्र अपने जिले के डी0 ओ0 को लिखा था जिसमें अनुदेश दिये गये थे कि हमें जानकारी मिली है कि कुछ होम गार्ड गायब हो गये हैं । आप पता लगाइये कि कौन-कौन से होम गार्ड गायब हुए हैं । अगर यह पत्र आपकी पत्रावली में है, आप इसे देखें । मेरी निश्चित जानकारी है कि इस तरह का पत्र के0 के0 सिंह ने लिखा था । पवन कुमार के खिलाफ जो एफ0 आई0 आर0 लिखा गया था उसमें स्वीकार किया गया था । मैं जानना चाहता हूं कि के0 के0 सिंह के खिलाफ क्या हुआ । पवन कुमार जैन का समाचार दिया गया । समाचार प्रसारित हुआ । मैंने कहा कि पब्लिसिटी की जरूरत थी । के0 के0 सिंह पहले पी0 डी0 एक्ट में बन्द कर दिये गये । मुरादबाद में हरिओम शर्मा बन्द कर दिये गये । माननीय रियासत हुसैन ने चर्चा की थी हरिजनों से अल्पसंख्यकों से झगड़ा हुआ था । झगड़े के सम्बन्ध में भाषण देने का आरोप लगाया गया । पहली बात वह थे ही नहीं । अगर मान लीजिये कि ये तो 26 जून के बाद जुलाई निकल गया, अगस्त निकल गया, कोई बात नहीं हुई उनको गिरफ्तार नहीं किया गया । अब वह पी0 डी0 एक्ट में पकड़े जाते हैं । [illegible] नारोला साहब हैं । 31 जन को अब चुनाव हुए थे, उस समय घटना हुई थी, उन पर अब पी0 डी0 ऐक्ट लगाया जाता है । उनके कारण अब तक कोई हिंसा नहीं हुई । उनको ढाई महीने के बाद पकड़ा ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूं। इस सदन के सदस्य रह चुके हैं सोनकर जी, उनको पकड़ा गया। माननीय सदस्य यहां बैठे हैं उनको पता होगा कि 17 तारीख को वहां मीटिंग हुई, उन्होंने उसमें भाषण दिया था। कोई हिंसा नहीं उमड़ी। उनको पकड़ने का कारण क्या था कि उन्होंने कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष को हराया था। इनको 21 तारीख को पकड़ कर थाने में डाल दिया गया। खाना नहीं दिया गया, पानी नहीं दिया गया। उन्होंने दरोगा से पानी मांगा, उन्हें गाली दी थी। उन्हें कैन्ट लिये जा रहे थे। रास्ते में उनके परिवार का आदमी मिला, उसने खाना पानी दिया। उनपर आरोप लगाया गया कि 21 तारीख को वह हिन्दुओं की सभा में भाषण दे रहे थे। अब मैं जानना चाहता हूं कि 21 तारीख को मौका 12 बजे दिखाया गया है। 6 बजे वह कोतवाली में थे, लेकिन 12 बजे भाषण देना दिखाया गया है। अगर 12 बजे भाषण दिया तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस समय कर्फ्यू लगा था तो 12 बजे सभा कैसे हो गयी। 5 सिपाही कहते हैं कि हमने भाषण सुना और सभा होते देखा। तो जब सभा हो रही थी और कर्फ्यू लगा था तो पकड़ा क्यों नहीं गया। भाषण देन के समय क्यों नहीं रोका गया? तो जो आरोप दिए गये हैं वह बिल्कुल झूठे हैं।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में हेबियस कारपस पेटीशन नं0 7041 आफ 1980, यह मामला माननीय मो0 हामिद हुसेन तथा मा0 हरकौली के सामने गया। जिसमें लर्नेड जज न सरकारी वकील को बुलाया और कहा कि आप काउण्टर एफीडेविट दीजिये। तो उनको चार बार काउन्टर एफीडेविट देने का मौका दिया गया लेकिन वह काउन्टर एफीडेविट दाखिल नहीं कर पाये, क्योंकि सरकार के पास कोई प्रमाण ही नहीं था एक दिन सरकारी वकील साहब माननीय न्यायाधीश बताते हैं कि हमारे यहां टाइपराइटर ठीक नहीं है, स्टेनों ठीक नहीं है इसलिये काउन्टर एफीडेविट नहीं दे पाया। माननीय न्यायाधीश ने इस सम्बन्ध में कहा

The liberty of the person cannot be curtailed in this fashion

इस तरीके से किसी आदमी को जो आजादी है उसको समाप्त नहीं किया जा सकता। और जब चौथी बार काउन्टर एफीडेविट नहीं दे सके तो माननीय न्यायाधीश ने छोड़ दिया। माननीय न्यायाधीश कहते हैं :--

In these circumstances, we do not grant any further time to learned Addl. Govt. advocate for filing counter affidavit.

ऐसी परिस्थिति में हम विद्वान सरकारी वकील जो हैं उनको आगे मौका नहीं देना चाहते हैं। माननीय न्यायाधीश ने इस बात को कहा है कि 21 तारीख को जिस दिन भाषण देने का आरोप लगाया गया है इस तथ्य से साफ है कि वह 21 तारीख को पुलिस कस्टडी में थे। तो मैंने जो इस विधेयक की विशेष बातें हैं उनको बताया। किस तरह से इसका सहारा लेकर प्रत्येक व्यक्ति की नागरिक आजादी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जो सत्तारूढ़ दल है वह इमरजेंसी और आपातकालीन स्थिति का आदी हो गयी है। उसके बगैर यह काम कर ही नहीं सकते हैं।

आज देश में 2-3 महीनों से जनता इस बात को देख रही है कि हर मोर्चे पर सरकार असफल रही है। आम आदमी के नागरिक अधिकार को खत्म करने के लिए यह लाया गया

हैं । मोहन सिंह जो इस बात पर बोल रहे थे, लखनऊ विश्वविद्यालय के बारे में जो बातें आयीं, मुझे जानकारी है कि वहां विद्यार्थियों के साथ लाठी चार्ज किया गया और जेल में सुपीरियर क्लास नहीं दिया गया । उनके साथ क्रिमिनल्स जैसा व्यवहार किया गया है । उनको गंदे कंबल दिये गये, अपने कपड़े तक उनको नहीं ले जाने दिया गया ।

मैंने कहा था कि यह सरकार जो असमाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है । आज चीनी के बारे में सभी जानते हैं कि सरकार ने उसका अपने हाथ में व्यापार ले लिया है । आज 10-12 रुपए में चीनी नहीं मिल रही है । कालाबाजारियों ने उसकी होर्डिंग कर रखी है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है । लेकिन राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इसका प्रयोग किया जायगा । जैन को पकड़ा जायगा लेकिन के0 के0 सिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जायगी । उपाध्यक्ष महोदय, आपने निर्देश दिया था कि वहां के कमिश्नर के खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी लेकिन आज तक सदन को इसकी जानकारी नहीं दी गयी है कि कमिश्नर साहब के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है । सरकार नौकरशाहों के चंगुल में फंस गयी है ।

जनतांत्रिक अधिकार और जनतांत्रिक व्यवस्था को ठप किया जा रहा है, मीसा नहीं लगा है लेकिन मीसा जैसी स्थिति पैदा हो गयी है । जो लोग संसदीय कार्य पद्धति और जनतन्त्र, लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं, वह हर व्यक्ति इस काले कानून का विरोध करता है ।इसलिए मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव पर बल देता हूं कि अध्यादेश जो है उसका अननुमोदन किया जाय और जिन परिस्थितियों में काउन्सिल की तारीख बढ़ाकर अध्यादेश लाया गया है वह और भी निन्दनीय है । इसलिए मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मद संख्या 15, मुख्य मंत्री ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इस पर बहुत लोग बोलना चाहते हैं । कार्य मंत्रणा समिति के प्रस्ताव को तो हम लोगों ने मान लिया था कि 4 घंटे इस पर चर्चा होगी लेकिन इस पर तो पूरे दिन चर्चा होनी चाहिए थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात पहले से तय हो गयी है कि विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव तथा अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प दोनों को एक साथ लिया जायेगा ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने अपना संकल्प दिया है और मैंने अलग से अपना संकल्प दिया है । उनके तर्क अलग हैं और हमारे तर्क इसमें अलग हैं । इसलिए हमको आप समय दें । मैं अपने प्रस्ताव के प्रस्तावक के रूप में खड़ा हुआ हूं । मैंने सबसे पहले संकल्प दिया था । हमारे पास उनके लिए अलग से तर्क हैं । पूरे प्रदेश की आजादी को खतरे में डाला जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको मैं बोलने का पूरा मौका दूंगा । मुख्य मंत्री को पेश कर लेने दें ।

(संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने पर)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मंत्री जी जो विधेयक पेश करने जा रहे हैं उसमें मेरी वैधानिक आपत्ति है ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

इस संकल्प पर जब तक वोटिंग नहीं हो जाती तब तक इनकी ओर से विधेयक नहीं पेश किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

जो प्रक्रिया अपनायी जाती है वह अपनायी जा रही है । मुख्य मंत्री जी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे उसके बाद अपना संशोधन लेंगे ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, धारा 125 को देखें जिसके अनुसार मंत्री जी प्रस्ताव पेश नहीं कर सकते हैं, यह मेरी वैधानिक आपत्ति है ।

मान्यवर, आपकी अनुमति से मेरी वैधानिक आपत्ति यह है कि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में दिया गया है कि इस राज्य में हाल में हुई दुःखद और अप्रिय घटनाओं को दृष्टि में रखते हुए, राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के लिए यह आवश्यक समझा गया कि किसी व्यक्ति को राज्य की सुरक्षा के या लोक व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रतिकूल कोई कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से, उसे निरुद्ध करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया जाय ।

मान्यवर, मैंने सुबह पूछा था कि--सरकार ने सदन के पटल पर इस विधेयक से सम्बन्धित कोई कागज रख उनमें किसी अप्रिय घटना के सम्बन्ध में यह विधेयक लाया जा रहा है । धारा 125 देखें, "विधेयक के पुरःस्थापन के उपरान्त कोई भी सदस्य यह मांग कर सकेगे कि ऐसे पत्रों की प्रतिलिपियां, यदि कोई हों, जिन पर विधेयक आधारित हो और जो गोपनीय न हों, सदन की मेज पर रख दी जाय" सदन के पटल पर रखा जाना आवश्यक है, मैं मांग करता हूं कि जिस अप्रिय घटना के कारण यह विधेयक लाया गया वह घटना कौन कौन सी हो सकती है उससे सम्बन्धित पत्र रखे जायं । मंत्री जी से किसी ने बुरा, भला कह दिया है जिसकी वजह से हमें बन्द करना चाहते हैं । जो तथ्य इस सम्बन्ध में हैं वह हमें सुबह नहीं मिले । आखिर किस घटना के आधार पर यह इतना बड़ा कानून ला रहे हैं, सबकी स्वतंत्रता को खत्म कर रहे हैं । जब तक यह उसे पेश नहीं करते तब तक इसको स्थगित रखा जाय और इसको पेश करने की अनुमति न दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने पढ़ा कि यदि विधेयक किसी पत्र पर आधारित हो। यह विधेयक घटना पर आधारित है। इसलिए प्रश्न नही उठता।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

घटना का कोई जिक्र हो पत्र के रूप में...

श्री उपाध्यक्ष--

यह पत्र पर आधारित होता तो पत्र पाते...

श्री राम स्वरूप वर्मा--

घटना तो पत्र बनेगी। किस घटना पर आधारित है...

श्री उपाध्यक्ष--

हर घटना पत्र में नहीं बनती। अगर वह पत्र पर आधारित होती तो आपको पत्र की प्रतिलिपि मिलती। घटना पर आधारित है तो वह पेश करेंगे।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

इतना बड़ा कानून बनाने का क्या कारण सरकार के पास है? आप इस पर व्यवस्था दें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने व्यवस्था दी। जैसा आपने पढ़ा उसके अनुसार यदि यह विधेयक किसी पत्र पर आधारित होता तो वह पत्र आपको अवश्य प्राप्त होता। चूंकि यह घटना पर आधारित है उसका पत्र से कोई ताल्लुक नहीं है और घटना पत्र के रूप में नहीं लाई जा सकती आपके सामने। इसलिए उसका प्रश्न नहीं उठता।

*श्री अम्मार रिजवी--

उपाध्यक्ष जी, माननीय राम स्वरूप वर्मा जी सब कुछ जानते हुये कितने अनजान बने हुये हैं यह काबिले तारीफ है।

उपाध्यक्ष जी, जिस दिन 16 सितम्बर, 1980 को इसकी अनुज्ञा माँगी गई थी उस समय कुछ संवैधानिक आपत्तियां इस सम्बन्ध में उठाई गई थी। पहले मैं कुछ उस सिलसिले में बात करूंगा।

पहली बात यह कही गयी थी कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान से अनुच्छेद 245 के विरुद्ध हो। यह पहली आपत्ति यहां पर सम्मानित सदस्य द्वारा उठाई गई थी। श्रीमन्, मैं आपका ध्यान अनुच्छेद 245 की तरफ ले जाना चाहता हूं जहां पर यह कहा गया है कि जो संविधान की धारायें उनके तहत

Parliament may make law for the whole or any part of the territory of India

, संसद पूरे हिन्दुस्तान के लिए कानून बना सकती है,

and the Legislature of a State may make laws for the whole or any part of the State.

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अम्मार रिजवी--]

और जो हमारी विधान सभा है वह किसी भी अपने प्रदेश के हिस्से के लिए कानून बना सकती है ।

इस सम्बन्ध में, श्रीमन्, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा अब यह जो हमारी स्टेट लिस्ट है जिसके अन्दर यह दिया गया है कि कौन-कौन वे विषय होंगे जिन पर हमारी प्रदेशीय सरकार कानून बना सकती है । उसमें पहला जो लिखा है वह है पब्लिक आर्डर यानी शांति व्यवस्था । हमारी जो मौजूदा सिविल मशीनरी है उसके मदद के लिए पब्लिक आर्डर लाने के लिए कोई भी कानून बना सकती है । इसी के साथ-साथ श्रीमन्, कनकरेन्ट लिस्ट है उसमें दिया हुआ है

Preventive detention for reasons connected with the security यानी जहाँ पर स्टेट की सिक्यूरिटी को किसी तरह का खतरा हो,

the maintenance of public order, or the maintenance of supplies and services essential to the Community persons subjected to such detention. अगर हम अपने प्रदेश में

कोई ऐसी व्यवस्था महसूस करते हैं कि जहां पर किसी को गिरफ्तार करने या किसी को डिटेन करने की जरूरत हो जाती है तो उस पर कानून बनाया जा सकता है । तो पहले श्रीमन् जो एतराज था कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो संविधान के अनुच्छेद 245 के विरुद्ध हो उसके बारे में कहना है कि जो शर्तें अनुच्छेद 245 में रखी गई हैं, जो कन्डीशन उसके अन्दर हैं, उन्हीं के ऊपर पूरी तरह से आधारित करते हुए यह बनाया गया है ।

दूसरा एतराज माननीय, यह था कि विधेयक के खंड 10 द्वारा सेवा निवृत्त न्यायधीश को एडवायजरी बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाना संविधान के अनुच्छेद 22 के प्रतिकूल है । अब 22 अनुच्छेद जो है उसे आप देखें जो इस प्रकार है :

No law providing for preventive detention shall authorise the detention of a person for a longer period than two months unless an advisory board constituted in accordance with the recommendations of the Chief Justice of the appropriate High Court has reported before the expiration of the said period of two months that there is in its opinion sufficient cause for such detention.

कोई भी कानून आपको इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी आदमी को आप दो महीने से ज्यादा कैद में रख सकें जब तक कि एक सलाहकार समिति जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सलाह से बनाई गयी हो और उसने यह सलाह न दी हो कि इस आदमी को कैद में रखना प्रदेश के हित के लिये जरूरी है । आगे यह लिखा है

Provided that an advisory board shall consist of a chairman and not less than two other members, and the chairman shall be serving Judge of the appropriate High Court and the other members shall be serving or retired Judges of any High Court

बशर्ते चेयरमैन जो होगा वह हाई कोर्ट का सर्विंग जज होगा और बाकी जो दो जज होंगे वे किसी हाई कोर्ट के कार्यरत जज होंगे या सेवा निवृत्त जज होंगे । इस तरह से आप देखें कि यह जो प्राविधान दिया गया है यह संविधान में दिया गया है और ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपनी तरफ से की जा रही है । एक

तरफ हम संविधान की बात करते हैं और उसकी कसम खाते हैं दूसरी तरफ संविधान के खिलाफ बात करते हैं ।

एक सदस्य--

आप संविधान की कसम नहीं खा रहे हैं बल्कि उसकी हत्या कर रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी--

अब आप संविधान के अनुच्छेद 21 को भी जरा पढ़ लें जो इस प्रकार है :

no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law

किसी व्यक्ति को उसकी स्वतन्त्रता से या उसकी जान से अलग नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका निर्णय प्रक्रिया अथवा विधि द्वारा स्थापित न हो जाय । यह एतराज किया गया था उस समय कि यह विधेयक सदन में नहीं लाया जा सकता । अब आप देखें कि इस समय जो मौजूदा परिस्थिति थी जिसके लिय यह विधेयक सदन के सामने लाया गया था उसकी जानकारी बहुत से माननीय सदस्यों को नहीं थी । प्रदेश में रहते हुए हम इतने बेखबर हैं कि हमको यह पता नहीं कसे यह यहां आ सकता है ? मैं यह समझता हूं कि संविधान में ये चीजें दी हुई हैं और जो कुछ इसमें दिया हुआ है वह संविधान से लिया गया है ।

(व्यवधान)

जहां तक भारत की प्रभुता तथा अखंडता का सवाल है देश की आजादी से बड़ी कोई चीज नहीं है । भारत वर्ष का रहने वाला हर आदमी आजाद है, इस प्रदेश का रहने वाला हर आदमी आजाद है और हम उनकी आजादी की रक्षा करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं लेकिन यह आजादी देश की आजादी से टकरायेगी तो उसके ऊपर हम आजादी को वरीयता नहीं दे सकते । इस विधेयक में बहुत सी बातें कही गयी हैं । माननीय गुप्ता जी ने जो कहा उसका उत्तर मैं बाद में दूंगा । लेकिन इतना बतला दूं कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र उन्होंने किया । न स्टेट आफ एमरजेंसी है और न किसी की आजादी खतरे में हो गई है । मान्यवर, 16 तारीख को यह आया था और आज तक 18 आदमी इसके तहत अन्दर हुये हैं पूरे प्रदेश में । आप ख्याल करें । सारे केसेज जो थे वे 99 थे और प्रदेशीय सरकार ने उन सब को छोड़ दिया । यह कहना कि हर चीज में इमरजेंसी नजर आती थी, तो इस तरह की कोई बात नहीं है । हमें पूरा विश्वास है कि संविधान में दी गयी धाराओं का पालन करते हुये प्रदेश के अन्दर जो शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के इच्छुक होंगे वे इस विधेयक का स्वागत करेंगे ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 को जनता की राय जानने के लिये तीन मास तक परिचालित किया जाय । मान्यवर, मैं पहले ही इस विषय में तर्क

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---]

प्रस्तुत कर चुका हूं लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और जैसा मैंने कहा था इस विधेयक से मैं शत प्रतिशत सिद्धान्ततः खिलाफ हूं क्योंकि यह डाइरेक्टली जनता की भावनाओं को स्पर्श करता है और उसकी स्वाधीनता को करटेल करता है, साथ ही असंवैधानिक तरीके से लाया जा रहा है। इसलिये जब तक जनता की राय न जान ली जाय तब तक इस पर सदन में विचार नहीं किया जा सकता है। साथ ही श्रीमन्, जो विधेयक जनता की आवश्यकताओं पर कुठाराघात करता हो, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयकों को अध्यादेश के जरिये लागू करना परम्परा के खिलाफ है। जनता की राय जान लेनी चाहिये थी। माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि देश की अखण्डता, प्रभुता और शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के लिये यह जरूरी है।

मान्यवर, शब्दों के आवरण में जाने की जरूरत नहीं है। इस सदन के इधर बैठने वाले माननीय सदस्यों की भावनायें उधर के बैठने वाले माननीय सदस्यों की भावनाओं से कम नहीं है। हम भी देश की अखण्डता और प्रभुता को अक्षुण रखने के लिये और उनके लिये शान्ति व्यवस्था कायम रखने के लिये सब कुछ करने के लिये तैयार हैं। लेकिन शब्दावरण से संविधान की धाराओं को दुहाई देकर जनता की इच्छाओं की हत्या करना उचित नहीं है। इसलिये मैं पुनः इसका शत प्रतिशत विरोध करता हूं और जनमत जानने के लिये राय लेने के अपने प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं।

श्री भोलालाल---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे। मान्यवर, आज हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण दिवस है कि ऐसा काला कानून जो हमारे संविधान में दिये हुये मौलिक अधिकारों की हत्या करते हुये पास हो रहा है। मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय गुप्ता जी ने कहा कि इमरजेन्सी डेक्लियर की गई हो या नहीं हमारा प्रदेश धीरे-धीरे इमरजेन्सी की तरफ बढ़ रहा है। इस विधेयक को लाने में जो कारण बताये गये हैं कि प्रदेश म कुछ ऐसी घटनायें घटी हैं जिनसे प्रदेश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया है और जो व्यक्ति ऐसा पाया जाय कि उसने प्रदेश की सुरक्षा तथा लोक व्यवस्था को खतरा पहुंचाया है तो उसे इस विधेयक के जरिये निरुद्ध किया जा सकता है।

मान्यवर, हमारे देश और प्रदेश में आई० पी० सी०, सी०-आर० पी० सी० और तमाम ऐसे व्यापक कानून मौजूद हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी गिरफ्त से नहीं बच सकता है। इसके बावजूद भी इसी प्रदेश में गुंडा ऐक्ट मौजूद है जो कि इसी सरकार ने पास किया जो इसी विधेयक की परिभाषा में आता है। कानूनों से भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध किया जा सकता है। हमारे प्रदेश में राष्ट्र विरोधी अधिनियम भी मौजूद है जिसमें अभी दो दिन पहले संशोधन हुआ है। एक और नया कानून आ रहा है मजदूरों की सार्वजनिक हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाने का। मैं आपके माध्यम से रिजवी साहब से कहूंगा कि एक और अधिनियम बना दीजिये कि विरोधी दल विधायक निरोधक विधेयक जिसमें सब को उठा कर जेलों में डाल दीजिये फिर निरंकुश शासन कीजिये। यहां पर जितने भी विरोधी दल के माननीय सदस्य हैं उनके खिलाफ आई० पी०

सी०, सी० आर० पी० सी० में केस चल चुके हैं उन्हीं को मामला बना कर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कितने कानून बना लें, कितने ही जहरीले तीर आप अपने तर्कस में रख ले लेकिन जब तक राजनीतिक स्तर पर कमजोरी रहेगी तब तक न प्रदेश की रक्षा कर सकेंगे और न लोक व्यवस्था कर सकेंगे। अगर हमारी राजनीतिक शक्ति ब्यूरोक्रेसी के मुकाबले में कमजोर होगी तो हम चाहे कितने भी कानून बना लें न हम प्रदेश की रक्षा कर सकेंगे और न लोक व्यवस्था कायम कर सकेंगे। आज हमारे प्रदेश की राजनीतिक शक्ति नौकरशाही के सामने कमजोर हो रही है इसी वजह से न यहां लोक व्यवस्था है और न प्रदेश की रक्षा हम कर पा रहे हैं।

माननीय मुख्य मन्त्री जी क्यों इस्तीफा दे रहे हैं और फिर क्यों उनके पैर सीधे करके, तेलमालिश कर खड़े किये जा रहे हैं यह हमारी पोलिटिकल कमजोरी है। वह किन्हीं कारणों से हो जिनको आपको ढूंढना है, कुछ कारण तो हम भी जानते हैं कि यह तो कुर्सियों का अंतर्द्वंद चल रहा है उसके कारण राजनीतिक कमजोरी है। जब तक यह राजनीतिक शक्ति मजबूत नहीं होगी तब तक ब्यूरोक्रेसी उन हथियारों का सही उपयोग नहीं करेगी उनका मिसयूज ही होगा। मुख्य मन्त्री और रिजवी साहब आपने भी कहा कि हम जो कानून बना रहे हैं उसका मिसयूज नहीं होगा। मेरी पूरी आशंका है कि इसका दुरुपयोग होगा और इसका प्रयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिये किया जायेगा मजदूरों के खिलाफ किया जायेगा। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण यही है कि आपने जो असीमित अधिकार जिलाधीशों को दिये हैं उनका वह दुरुपयोग करेंगे आप भले ही न करें अपने स्तर पर लेकिन जो 98 लोगों को बन्द किया गया जिनमें 80 मामलों में शासन ने पुष्टि नहीं की वह इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आज कैसे इसको रोक लेंगे।

आपने इसमें असीमित अधिकार दे रखे हैं। चार्जेज कितने भी तथ्यहीन हों वह सही समझे जायेंगे और यह भी समझा जायेगा कि यदि जिलाधिकारी ने अपना समाधान कर लिया होगा। ऐसा कानून कभी मान्यवर, आपने देखा नहीं होगा जिसको कल्पनाओं पर बनाया गया हो। इसमें यह भी अधिकार दे दिया गया है कि यदि कारण न भी बतायें तब भी निरूद्ध कर सकते हैं। मामला सलाहकार बोर्ड में जायेगा जिसमें हाईकोर्ट के सेवारत या सेवा निवृत्त जज होंगे अगर वह जजों का फैसला हो गया और निरुद्ध करने के आदेश रद्द कर दिए और व्यक्ति को छोड़ दिया गया तो जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया है, जोकि बोर्ड से भी सूपर पावर वाला बना दिया गया है, कि अगर किसी टैक्निकल वजह से अदालत ने छोड़ दिया तो वह दुबारा बन्द कर देगा। तो ऐसे असीमित अधिकार दिए गए हैं जिनका दुरुपयोग होगा यह आशंका हमारी निर्मूल नहीं है कि इसका प्रयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के लिए होगा। राजनैतिक नेताओं के खिलाफ होगा, ट्रेड यूनियन नेताओं के खिलाफ होगा, मजदूरों के खिलाफ होगा।

एक मामला गाजियाबाद का हमारे सामने आया था, उसे हमने 4 तारीख को मुख्य मन्त्री के सामने पेश किया था। मैं स्वंय जाकर उनसे मिला था कि वहां पर एक मजदूर नेता को समाज विरोधी निवारक अध्यादेश के तहद बन्द कर दिया गया है। मुख्य मन्त्री ने हमें सुना और पत्र पढ़ा और उनकी मुद्रा से मालूम हुआ कि वह काफी इससे चिन्तित हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। आजकल ट्रेड यूनियन नेताओं के खिलाफ मामला बनाने में कितनी देर लगती है। गाजियाबाद जैसे शहर में जहां पर उद्योगपतियों को पुलिस और प्रशासन का पूरा संरक्षण मिलता है, उनके गुण्डे मजदूरों के ऊपर आक्रमण करते हैं और मजदूरों

[भीखा लाल—]

तथा मजदूर नेताओं को उलटे झूठे आरोपों के अन्तर्गत बन्द कर दिया जाता है, उन पर फर्जी मुकदमें चलते हैं । मुझे पता नहीं मेरे उस मामले में क्या हुआ ? कभी मुख्य मन्त्री के यहां से जवाब आ जाता था--आपका पत्र प्राप्त हुआ, उसको दिखलवा रहे हैं । लेकिन इस बार यह जवाब भी नहीं मिला है और यह भी नहीं मिला कि अन्तिम रूप से उसमें क्या हुआ.....

(व्यवधान)

शायद मुख्य मन्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए यह हुआ ।

श्री अम्मार रिजवी--

आप उसका नाम बता दें ?

श्री भीखा लाल--

थान सिंह इनका नाम है और यह कोई साधारण मजदूर नेता नहीं है । यह राजनीतिशास्त्र में एम० ए० है और एक कालेज में अध्यापक रह चुके हैं । इसलिए मुझे शंका है कि इसका दुरूपयोग होगा और जिलाधिकारी इसका दुरुपयोग करेंगे । अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल हो, तो यह कोई बुरी चीज नहीं है । मैं मुख्य मन्त्री जी से और इस सरकार से जानना चाहता हूं कि इसमें तो अब तक 16 आदमी नजरबन्द हैं । कौन नहीं जानता कि प्रत्येक जिले में दर्जनों लोग हैं, जो पेशेवर कातिल हैं, किसी से रुपया मिलने पर किसी का भी कहीं कत्ल कर सकते हैं, सैकड़ों पेशेवर डकैत पड़े हैं, जिनपर 15/15, 20/20 डकैतियों के केस चल रहे हैं और सजा पाए हुए हैं । कितने ही ब्लैक मार्केटियर्स और चोरबाजारिये मौजूद हैं और तमाम समाज विरोधी लोग हर जिले में मिल जायेंगे, जो औरतों का अपहरण करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं और उनसे पेशा करवाते हैं । ऐसे लोग पकड़े गए होते तो 16 नहीं 16 सौ होते । लेकिन उनको पकड़ा नहीं गया है, उनको तो प्रोटेक्शन इस सरकार का और उनको पुलिस का मिला हुआ है । ऐसे ही लोग आजकल इस सरकार के और उनकी पुलिस के इन्फार्मर लोग हैं, विश्वासपात्र लोग हैं । ऐसे लोगों को पकड़ा नहीं जायेगा । केवल बेगुनाह और राजनैतिक लोगों को बेबुनियाद आरोपों पर पकड़ा जायेगा ।

एक बात विचारणीय और है । सरकार ने 80 मामलों की पुष्टि नहीं की और दो छोड़ दिए गए लेकिन जिलाधिकारी ने तो इनकी इज्जत मिट्टी में मिला दी । 15 दिन तो जिलाधीश उसको जेल में रख ही लेंगे और जिस क्षेत्र में वह रहता है वहां उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और इज्जत मिट्टी में मिल जायेगी कि यह प्रचारित हो जायेगा कि यह समाज विरोधी आदमी है । इस चीज को सरकार वापस नहीं कर सकती है, वह उसका पुष्टि करे या न करे । सरकार इन जिलाधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करेगी, इसका इसमें कोई प्राविजन नहीं है । जो पकड़ कर बन्द किया जाता है, पुष्टि न होने पर उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा की क्षति के लिए कम्पेंसेशन दिये जाने का इसमें कोई व्यवस्था नहीं है । यह ऐसा कानून लाया जा रहा है जो हमारे नागरिक अधिकार हैं, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे संविधान में प्राविधान हैं, उनका हनन करते हैं । कोई व्यक्ति अगर नजर बन्द होता है तो उसको अदालत में जाकर अपने पक्ष प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया जायेगा और जो चार्जेज लगेंगे, वे गुप्त रखे जायेंगे ।

सलाहकार बोर्ड के सामने कोई अपनी बात नहीं रख सकेगा यह कमजोर सरकार है, उसमें नौकरशाही इस हथियार का बहुत से राजनैतिक कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मजदूरों और मजदूर नेताओं के विरुद्ध इस्तेमाल करके उन्हें इस कानून के तहत जेल के सींखचों में बन्द कर देगी । इसलिए मैं मांग करता हूं कि इस कानून को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये, इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को प्रस्तुत करता हूं ।

*श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, मैं इस विधेयक का मजबूती से विरोध करता हूं और इसलिए विरोध करता हूं क्योंकि यह संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और जन विरोधी काला कानून है । इससे तानाशाही की बू आती है । आपके संविधान की इक्कीसवीं धारा में किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा विहित प्रक्रिया को पूरा किए बिना उसकी शहरी आजादी को छीनने का किसी को अधिकार नहीं है । जहां पर इस बात की व्यवस्था है वहां पर धारा 22 में निरोध नजरबन्दी का भी कानून दिया गया है और जब यह संविधान की धाराओं में जुड़ने लगा तो संविधान के निर्माताओं ने कहा था कि 22वीं धारा का दुरुपयोग किया जा सकता है । उस समय कदाचित सदस्यों ने भी यही राय व्यक्त की थी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी जब निवारक नजरबन्दी कानून प्रस्तुत किया उस समय की कांग्रेस पार्टी आज की सी नहीं थी राष्ट्रीय धारा से ओत-प्रोत थी । इसलिए कि महावीर त्यागी जैसे व्यक्ति ने इसके विरोध में विचार व्यक्त किए थे । यदि कांग्रेस पार्टी के उस पीढ़ी के इस समय होते तो वे भी इस विधेयक का विरोध करते । इस कानून का प्रयोग न केवल अपनी पार्टी के विरोधियों के प्रति ही प्रयोग होगा बल्कि अपने दल के अन्दर भी जो लोग विरोधी हैं, उन पर भी इसका प्रयोग किया जायेगा ।

माननीय मोरार जी भाई ने अनशन किया था कि इस कानून का राजनैतिक लोगों के विरुद्ध प्रयोग नहीं होना चाहिए और कांग्रेस के लोगों ने और स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि यह तस्करों के खिलाफ किया जायेगा, राजनैतिक लोगों के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं किया जायेगा लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मोरारजी भाई सहित 35 हजार व्यक्तियों को सुरक्षा अधिनियम के तहत जेल में डाला गया और न केवल विरोधियों को ही बल्कि श्री चन्द्र शेखर जैसे व्यक्ति के साथ कई लोगों को बन्द कर दिया गया । मुझे तो यहां तक शंका है कि इस विधेयक के अन्तर्गत अगर लखनऊ में शिया सुन्नी झगड़ा हो जाये तो माननीय अम्मार साहब आपको भी गिरफ्तारी हो जायेगी । आपकी पार्टी ने ही आन्तरिक सुरक्षा कानून बनाया था । अप्रैल के महीने में आसाम की सरकार ने भी इस प्रकार का कानून बनाया था लेकिन वहां की हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया था । आप इसके उपबन्धों का निरीक्षण करें । संविधान की जो धारा 22 है, उससे बाहर जाकर कुछ उपबन्ध इसमें बनाये गये हैं । इस विधेयक की धारा 16 में दिया हुआ है कि राज्य सरकार किसी समय निदेश दे सकती है कि निरोध आदेश के अनुसरण में निरुद्ध किसी व्यक्ति को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए या तो बिना शर्त, या निदेश में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों पर, जैसी वह व्यक्ति स्वीकार करे, छोड़ा जा सकता है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहन सिंह---]

और किसी समय उसका छोड़ा जाना रद्द कर सकती है। इसमें शहरी आजादी को हमेशा-हमेशा के लिए कर्टेल करने की बात कही गई है। जब आन्तरिक सुरक्षा कानून बना था तो उसमें भी अनुरक्षण भत्ते का प्राविधान किया गया था कि अगर ट्रायल के बिना किसी व्यक्ति को बन्द करें। उसके अनुरक्षण भत्ते का कोई प्राविधान इसमें नहीं किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की कई नजीरें ऐसी हैं कि अगर किसी व्यक्ति की नाजायज तरीके से आजादी को खत्म किया जाता है तो उसके लिये सरकार को हरजाना देना होगा। लेकिन आप इसमें लिख रहे हैं कि "इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये आशयित किसी कार्य के लिये राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।" इस अधिनियम से दुरुपयोग के दरवाजे खुल गये हैं। आपने कई आदमियों को इसके अन्तर्गत बन्द किया और अब केवल 18 बन्द हैं जेल के अन्दर, जो बाकी जो आपने बन्द किये और बाद में छोड़े, तो जिन लोगों को बेगुनाह बन्द किया गया, उनकी शहरी आजादी को खत्म किया गया, आखिर क्या वे हरजाने के हकदार नहीं हैं ?

इसलिये माननीय, मैं कहना चाहता हूं कि इस की साफ-साफ मंशा अपने दल के अन्दर अपने विरोधियों को तथा विरोधी दलों के आदमियों को गिरफ्तार करके जेल भेजने की है। आखिर ऐसे लोगों के लिये, असामाजिक तत्वों के लिये, पहले से ही कानून बने हुये हैं, उसके अन्तर्गत आप पकड़ सकते हैं।

आप कहते हैं कि एक सलाहकार परिषद् होगी। वह क्या करेगी, उसको तो आपने कोई अधिकार ही नहीं दिये हैं। जो यह सलाहकार परिषद् होगी वह केवल इतना विवेचन कर सकेगी कि जो जिलाधिकारी द्वारा निरुद्ध करने की कार्यवाही की गयी है वह इस अधिनियम की परिधि में आती है या नहीं। इसके अतिरिक्त उसे और कोई अधिकार नहीं होगा। दिये गये आरोप-पत्र के तथ्य सही हैं या नहीं, उस व्यक्ति का पिछला इतिहास कैसा रहा है, इसको देखने का उसे अधिकार नहीं होगा। उसे किसी कोर्ट आफ ला में भी जाने का अधिकार नहीं होगा। जिस व्यक्ति से भी निजी दुश्मनी होगी उसको बन्द कर दिया जायेगा। ऐसे कई उदाहरण, माननीय, देखने में आये हैं। मैं अपने साम्यवादी मित्रों से कहना चाहता हूं, उन्होंने पहले इमरजेन्सी के वक्त सरकार का साथ दिया था, पर जब सी० पी० आई० के लोगों को गिरफ्तार किया गया तो उनके कान खुले। आप को कहना चाहिये कि इस सरकार को यह अधिकार देने के लिये हम कतई तैयार नहीं हैं।

मैं माननीय, अभी मुरादाबाद गया था। मुरादाबाद में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मैं 19 तारीख को गया था। वहां 2 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया और 2 आर० एस० एस० के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मैंने कहा कि इसमें आर० एस० एस० के लोगों का तो हाथ दिखता नहीं, उन्होंने कहा, आपके अधिकारियों ने, कि चूंकि हमने 2 मुसलमानों को गिरफ्तार किया था इसलिये 2 आर० एस० एस० के लोगों को गिरफ्तार करना जरूरी था संतुलन कायम करने के लिये। इलाहाबाद के अन्दर स्वयं मुख्य मन्त्री जी जानते हैं और यहां पर बैठे हुए तमाम लोग जानते हैं, श्याम सूरत उपाध्याय जी जानते हैं' अशोक कुमार जी जानते हैं और भी लोग जानते हैं और मुझको

ठीक से याद है जब मुस्लिम लीग का सम्मेलन हुआ, मोहम्मद मेहदी एक ऐसे व्यक्ति थे कि मुस्लिम लीग खत्म होनी चाहिए । लेकिन उस व्यक्ति को इस अध्यादेश के अन्दर निरुद्ध करने का काम किया गया है । जो आदमी साम्प्रदायिक सद्भाव के लिए जीवन भर लड़े, उसको जिलाधिकारी यह कह दे, उसको साम्प्रदायिक कह कर बन्द कर दिया जाय । यह शासन के लिए कलंक की बात है और यह सारा कलंक रोजमर्रा इस शासन के द्वारा दोहराया जा सकेगा ।

अगर इस प्रदेश में लोकतंत्र की रक्षा करना है, क्योंकि मुझको इस बात की खुशी है, जिस दिन यह कानून रखा जा रहा था, उस दिन मैंने जो संवैधानिक सवाल उठाया था, उसका संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जवाब तो दिया आपकी पीठ से, जिस दिन यह अध्यादेश पेश किया जा रहा था, मैंने कुछ ऐसे सवाल रखे थे जिसके बारे में आपकी पीठ से कुछ निर्णय आया था, लेकिन जब विधान सभा सत्र में थी, जब विधान परिषद् की बैठक बुलाई जा चुकी थी, ऐसी परिस्थिति में क्या इस कानून को स्थापित करना संविधान की मंशा के अनुरूप है ? किसी भी कोर्ट आफ ला में, किसी भी हाई कोर्ट आफ जूडिकेचर के सामने एक मिनट आपका यह कानून ठहरने वाला नहीं है । जहां तक इसको जनतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी होने का, जहां तक तानाशाहीतंत्र होने का सवाल है, जेल का जो कानून है, जेल मैनुअल बना हुआ है अंग्रेजों के जमाने में, कि निरुद्ध बंदियों को किस तरह रखा जायेगा । इसके लिए कोई प्राविधान नहीं है । आपने जो डी0 आई0 आर0 का कानून बनाया, उसमें रखने की कुछ अलग से धारा जोड़ी गयी, लेकिन इसमें जिनको निरुद्ध करेंगे, क्या श्रेणी उनकी होगी, सिद्ध दोष बन्दी होंगे, ट्रायल बन्दी होंगे, इसका कोई प्राविधान इसमें नहीं है और यही कारण है कि जितने राजनैतिक बंदियों को रोका गया, सबको साधारण श्रेणी के कैदियों में रखने का काम किया गया है । इसलिए यह व्यापक नहीं है, इसकी परिधि सीमित है और संविधान की धारा 22 के अन्तर्गत जो नजरबंदी कानून बनाने का अधिकार है, उस दायरे का अतिक्रमण और बाहर जाकर यह बना हुआ है । तानाशाही के प्रवेश के द्वार खोलने वाला है । इसलिए कांग्रेस की आत्मा से एक पुकार और एक शक्ति पैदा होनी चाहिए और पूर्व अनुमानों के हिसाब से इस विधेयक का विरोध होना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी अपना विरोध व्यक्त करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जो यह विधेयक ला रहे हैं, यह समाज विरोधी, लोकतंत्र विरोधी और जनतंत्र विरोधी है । इनको उस इतिहास की ओर देखना पड़ेगा जो बहुत समय अभी नहीं बीता है, केवल 3-4 वर्ष पहले जो आपातकालीन स्थिति इस देश के अन्दर लगाई गयी थी, उस आपातकालीन स्थिति में किस प्रकार के लोगों को निरुद्ध किया गया था, क्या वह देशभक्त लोग नहीं थे ? क्या उन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष नहीं किया था और ऐसे लोगों पर यह जो नौकरशाही के माध्यम से किस प्रकार के आरोपों को लगा कर उनको निरुद्ध किया गया था । आज बहुत से ऐसे उदाहरण सामने मौजूद हैं और उसकी जनता ने, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप एक जो उस समय के बाद चुनाव हुआ था, उसमें जो फैसला किया गया था कि उत्तर प्रदेश के अन्दर 85 के 85 स्थानों पर इस प्रकार के कानून लगाने वाले लोगों को पराजय आ करके दिया था और उस पराजय को देने के बाद

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--]

जो यह विधान सभा और लोक सभा के चुनाव हुए थे, आज जो लोग इस विधेयक को ला रहे हैं उन्होंने जनता में वादा किया है कि देश के अन्दर और प्रदेश के अन्दर लोकतन्त्र की हत्या करने वाला काला कानून, देश की प्रधान मन्त्री इंदिरा गांधी ने स्वयं कहा है कि यह एक भूल थी जो इस प्रकार के कानून बना कर लोग को निरुद्ध किया गया था। हाल में जो प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं उसके कारण किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तलवार चलाने की आवश्यकता नहीं है। तलवार चलाने से लोकतन्त्र का हत्या हो जायगी। पहले से कानून बने हुए हैं, आई० पी० सी०, सी० आर० पी० सी० और दूसरे कानून हैं जिनका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन आप ऐसे लोगों पर तलवार चलाना चाहते हैं जो आपके राजनीतिक विरोधी हैं।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अभी एक हफ्ते पहले, माननीय मन्त्री ने कहा है कि इस विधेयक का दुरुपयोग नहीं होगा, गरौठा में एक डकैती पड़ी। एक विद्यार्थी जिसने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया था उसको एस० ओ० ने थाने पर बुलाया और जिसके खिलाफ उसने रिपोर्ट दी, उन्हीं को थाने में बुला कर उसके सामने भयंकर रूप में पीटा और पीटने के बाद उस पर चार-पांच लोगों से झूठी रिपोर्टें लिख कर जेल भेज दिया।

मैं पूछना चाहता हूं कि आज माननीय सदस्य बैठे हुए हैं इस प्रकार जानबूझ कर नौकरशाही जो कितनी भ्रष्ट और बेईमान हो गयी है वह नौकर-शाही जिस प्रकार की रिपोर्ट लगा कर राज्य सरकार को संस्तुति करेगी तो राज्य सरकार किससे जांच करायेगी? अगर संतुष्ट नहीं होगी तो जांच करायेगी। तो वही अधिकारी जांच करेंगे। फिर कौन सा रास्ता होगा कि निरुद्ध किया जाने वाला व्यक्ति सही दृष्टि से निरुद्ध किया जा रहा है। माननीय मन्त्री के पास कौन सा रास्ता होगा। उसको सफाई का मौका तो मिलेगा नहीं। जो जिलाधीश को अधिकार दिया जा रहा है कि फरार व्यक्ति को बिना मैजिस्ट्रेट की अदालत में सारी बात को सुने हुए केवल सूचना मात्र पर तीन महीने की सजा और आर्थिक दंड दिया जा सकता है। मान लो आप किसी को निरुद्ध करना चाहते हैं वह मौजूद नहीं है, उसको पता नहीं है लेकिन आपातकालीन स्थिति में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं और इस तरह की शिकायतें शासन की फाइलों में मौजूद होंगी, जिसमें पुलिस अधिकारियों ने, जिला अधिकारियों ने घर की सम्पत्ति लूटने का उन पर इल्जाम लगाया और जब वह पकड़ में नहीं आया, तो घर के अन्दर घुस कर सामान लूट कर चले गये। मैं मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि इस प्रकार अन्याय करने की सुविधा दी गयी है। यह विधेयक घोर अलोकतांत्रिक है और जन हत्या करेगा।

मैं एक बात और कह कर समाप्त करूंगा। जो यह कहते हैं कि हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, मैं साफ-साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि कल के आने वाले लोक सभा और विधान सभा के चुनावों में जिसमें संभावना है कि राजीव गांधी और स्वयं मुख्य मन्त्री जी विधान सभा के चुनाव में लड़ने वाले हैं, क्या सरकार आश्वासन देने को तैयार है कि जो प्रभावशाली विपक्षी होंगे, जिनके कारण वे चुनाव हार सकते हैं, ऐसे लोगों को निरुद्ध नहीं किया जायेगा, और इसके लिए इस विधेयक में कौन सी व्यवस्था की गयी है?

मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर एक परिवार की सरकार और एक ही परिवार का शासन बना रहा तो किसी भी प्रकार से या किसी बहाने से विरोधियों को जेल के अन्दर ठूंस दिया जाएगा और इस प्रकार का विधयक लाया जा रहा है, जिसमें काला कानून बनाया जा रहा है। और इस बात का मैं पूरी तौर पर समर्थन करता हूं कि बिना जनता की इजाजत के और बिना जनता की राय के बनाना जनमत के विरुद्ध होगा। फिर भी यदि यह कानून बनता है तो देश के अन्दर फिर से यही नारा लगेगा कि 'सच कहना अगर बगावत है, तो समझे हम भी बागी हैं'।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और मैं माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

(शेम शेम की आवाजें)

मान्यवर, जो कि हमारे माननीय नेता भारतीय जनता पार्टी ने अभी कहा कि इस विधेयक पर पब्लिक ओपिनियन लिये बगैर इसे नहीं लाना चाहिए। यह बात उन्होंने बहुत सही कही। आज जनता उसी इमरजेंसी के जमाने की याद कर रही है और बराबर कहते सुनी जा रही है कि इमरजेंसी रहने से देश में नियंत्रण और समाज विरोधी तत्वों पर नियन्त्रण अच्छा रहा। यह जो आप लोगों के कारण भय और आंतक का वातावरण हर जगह फैल रहा है ला-ले सनेस का वातावरण जो फैल रहा है, यह सब आप लोगों के कारण फैल रहा है। खासकर जनसंघ वालों की वजह से फैल रहा है। और जहां तक संवैधानिक आपत्ति की बात है। हमारे संसदीय कार्य मन्त्री जी ने जो अपने भाषण में कहा और संविधान के अनुच्छेद 245 और 22 को पढ़ कर सुनाया। उसमें यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यह जो कानून बना है। वह संविधान की एक रूह और आत्मा के मुताबिक और अभी तक उधर के जितने लोग भी बोले, उसमें किसी ने भी नहीं कहा कि जो माननीय संसदीय कार्य मन्त्री जी ने अनुच्छेद का हवाला दिया है, वह गलत है। इसके बारे में किसी ने भी नहीं कहा। और न ही संविधान में ही कहीं कोई बात लिखी है कि यह कानून संविधान की रूह के खिलाफ है। अभी माननीय सदस्य कम्युनिस्ट पार्टी भी बोले उन्होंने भी इस पर कुछ नहीं कहा कि संविधान के खिलाफ है। यह कानून ठीक है।

(व्यवधान)

अभी हाल में बिजली वालों ने हड़ताल कर दी। कोई असिस्टेंट इंजीनियर वहां दुर्घटना से मर गया। मुझे ठीक तरह से यह नाम मालूम नहीं है। पर यह जरूर मालूम है कि 5 लाख रुपया उत्तर प्रदेश सरकार से मांगा जा रहा है, उस मृतक के कम्पेन्शसन के रूप में। और यह भी कहा गया कि 5 लाख यदि सरकार नहीं देगी तो सारे बिजली घरों को बन्द कर दिया जायेगा। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप यही चाहते हैं कि हर जगह हड़ताल हों, हर जगह काम बन्द हो जाएं और प्रदेश की कानून व्यवस्था को भंग किया जाय और क्या आप लोग यही चाहते हैं कि प्रदेश में करोड़ों रुपय का रेवेन्यु का लास हो, इन

[सुरेन्द्र सिंह चौहान---]

बन्द रहें । (व्यवधान) और आप क्या यह चाहते हैं कि इस प्रकार से प्रदेश के अन्दर अराजकता फैलती रहे । और क्या आपको प्रदेश की उन्नति से जरा भी लगाव नहीं है और नय नये षडयन्त्रों द्वारा सरकार को बदनाम ही करना है । लोकतन्त्र की आपको जरा भी परवाह नहीं है और जनता की परवाह आपको बिल्कुल नहीं है । जनता का अगर थोड़ा भी दर्द आपको होता तो इस प्रकार इस कानून का विरोध न किया होता ।

(व्यवधान)

(श्री यदुनाथ के खड़े हो कर बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य आप बैठें, माननीय सदस्य जो बोल रहें हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान---

माननीय उपाध्यक्ष जो मैं निवेदन करूंगा कि यह प्रदेश के हित में, देश के हित में, इस प्रदेश की शान्ति और व्यवस्था के हित में है और देश की अखण्डता बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि यह कानून पारित किया जाय । मैं तो कहूंगा कि सभी माननीय सदस्यों को इसका समर्थन करना चाहिये, सहयोग करना चाहिये, यदि देश और प्रदेश से लगाव है अगर राष्ट्र से लगाव है तो यह कानून पारित करायें, धन्यवाद ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

मान्यवर, जो यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है यह संविधान विरोधी एवं लोकतन्त्र विरोधी के अतिरिक्त.....

(एक माननीय सदस्य के खड़े होने पर श्री हरी किशन श्रीवास्तव के बैठ जाने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष---

श्री हरी किशन जी, आप बोलें ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

मान्यवर, मैंने कहा कि यह विधेयक संविधान विरोधी लोकतन्त्र विरोधी के अतिरिक्त मानवता विरोधी है । मैं इस कारण मानवत विरोधी कह रहा हूं कि संसार के जो भी जुरिसप्रडेंस हैं उसका एक मूलभूत आधार है । मैं माननीय संसदीय कार्यमन्त्री जी से इस बात को जानना चाहूंगा जब वह उत्तर दें तो इस पर प्रकाश डालें जो मैं कहने जा रहा हूं, इसको बतायें । जब किसी व्यक्ति को दण्ड दिया जाता है तो दण्ड देने की वांछनीयता का तात्पर्य होता है, तात्पर्य यह होता है कि दूसरे व्यक्ति उसको देखें और सीखें । दण्ड पाने वाले स्वयं अनुभव करें कि इस प्रकार का आचरण भविष्य में न करें जिससे पुनः दण्ड मिले । इस

विधेयक में धारा 9 की उपधारा (2) है उसके अन्तर्गत यह कहा गया है कि अगर लोक हित में समझा जायेगा तो कारण भी नहीं बताया जायगा। निरुद्ध व्यक्ति को आप कारण नहीं बतायेंगे कि उसे क्यों दण्डित किया जा रहा है तो उसका प्रभाव उस पर या दूसरों पर क्यों पड़ेगा कि इस प्रकार का आचरण दुबारा न करें जिससे उससे ऐसा अपराध दुबारा घटित न हो इस कारण जो जुरिसप्रुडेंस के आधार के विपरीत है।

अब मान्यवर, मैं संविधान का एक पैरा पढ़ कर सुना रहा हूं। मान्यवर, यह भारत का संविधान है लेटेस्ट छपा है--स्वतन्त्रता प्राप्ति के बहुत पहले ही यह मान लिया गया था कि जनता द्वारा बनाए गए संविधान में कुछ अधिकारों की गारंटी की घोषणा होनी चाहिए। इस प्रकार दिसम्बर, 1927 में कांग्रेस के ऐतिहासिक मद्रास अधिवेशन में जब पहली बार स्वराज्य की मांग की गई तो कार्य समिति को यह अधिकार दिया गया कि वह भारत के लिए स्वराज्य का एक संविधान तैयार करे, जिसका आधार अधिकारों की घोषणा हो। पंडित मोती लाल नेहरू की अध्यक्षता में समिति ने संविधान का जो प्रारूप तैयार किया उसमें उसकी धारा 4 में दिए गए उन्नीस मूल अधिकारों की व्यवस्था थी। तत्पश्चात 1931 में कराची में हुए अधिवेशन में वह प्रसिद्ध संकल्प पारित हुआ जिसमें कांग्रेस पार्टी की यह नीति घोषित की गई कि वह नागरिकों को मूल अधिकारों की स्पष्ट गारन्टी दिलाएगी। ऐसी दिशा में यह स्वाभाविक था कि जब 1949 में संविधान को अन्तिम रूप दे कर अंगीकार किया गया तो उसमें अनेक मूल अधिकारों की व्यवस्था थी। उसमें सुनिश्चित किया गया उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को यह शक्ति प्रदान की गई कि वे इन अधिकारों की रक्षा करें और यदि कार्यपालिका कोई ऐसा काम करे या कोई ऐसा कानून बने जो मूल अधिकारों का उल्लघंन करता हो तो उसे अमान्य घोषित करें। यही नहीं, विश्व के अन्य देशों से आगे बढ़ कर उसमें यह भी व्यवस्था की गई कि उसको अधिकार होगा कि वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय, अर्थात् उच्चतम न्यायालय, में आरम्भ में ही जाकर इस बात पर आपत्ति करे कि उसके मूल अधिकार को कम किया गया है या उसके लिए कोई ऐसा खतरा है।

मान्यवर, यह भारत सरकार द्वारा छपा लेटेस्ट संविधान की प्रति है। इसको मैंने पढ़ा है, आप भी पढ़ लें। यह बात कही जा रही है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा, मंत्रि परिषद् में नम्बर दो के मंत्री माननीय ब्रह्म दत्त जी यहां आकर बैठे थे। अच्छा होता कि वे यहां पर उपस्थित होते। 1975 में जब विधान परिषद् के सदन में भाषण देकर निकला तो मुझको ऐसे ही काले कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। मैं लखनऊ कारागार में था। श्री ब्रह्म दत्त जी को भी मालूम हुआ कि इसी कानून के अन्तर्गत जेल में चले आ रहे हैं। एक अन्य राज्य मंत्री श्री चन्द्रमोहन सिंह नेगी भी इसी तरह जेल में आ गये और कहने लगे कि श्रीवास्तव जी रात में उन्हें ऐसी जगह रखा गया कि मच्छरों ने शरीर भर में काटा है उन्होंने बताया कि बड़ी विनती के पश्चात् उन्हें निकाला गया और हथकड़ी लगाकर बहर सुलाया गया। आज के मन्त्री आपातकाल में शिकार हुए थे। मैं बता देना चाहता हूं कि वर्तमान कानून में कोई भी कमी नहीं है, कानून में धारा 151, 107, 116 सी० आर० पी० सी० है और आई० पी० सी० तो बहुत बड़ा है। कोई भी जुर्म होता है आप उसको दण्डित कर सकते हैं लेकिन निरुद्ध करने की बात जो है, वह मानवता विरोधी है परन्तु यदि यह अधिकार किसी को दे भी दें और उसे पूरा कारण बताया

[श्री हरीकिशन श्रीवास्तव---]

जाये और उसके पश्चात् यह अधिकार सुरक्षित हो कि वह व्यक्ति न्यायालय में जाकर न्याय पाने का अधिकारी रहेगा तो कोई आपत्ति नहीं है । कृपया बतायें रामलाल पुत्र प्यारे लाल के विरुद्ध कोई शिकायत हो गयी परन्तु रामलाल पुत्र दुलारे को निरुद्ध किया गया और रामलाल पुत्र दुलारे को कारण नहीं पता है तो इनके प्रति न्याय कैसे होगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

जवाब मैं दूं ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

मान्यवर, सम्बोधन तो आपको ही करता हूं । आशा करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इसका उत्तर अपने उत्तर में देंगे । ऐसे ही निर्दोष व्यक्तियों को निरुद्ध कर दिया गया और उनको कारण भी नहीं बताया गया तो हम को बतायें कि वे व्यक्ति क्या करें ? वे न्याय के लिए कहां जा सकते हैं या नहीं, कोई ऐसे व्यक्ति की फरियाद सुन सकता है या नहीं, फाइल पर जो भी कारण हों उन्हीं पर तो बोर्ड निर्णय लेगा । गलत कारण है या सही ये कौन बतायेगा ? तो इस तरह की व्यवस्था इस विधेयक में इसमें की गई है जैसे कि मैं समझता हूं कि ऐसा जन विरोधी कानून कभी अंग्रेजों ने भी नहीं बनाया था । इसका मुझे दुःख है स्वतंत्र देश में अभी पौने तीन साल हुए जनता पार्टी का शासन राज्य करता था, उसमें उसे कोई भी कानून बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी ।

अन्तिम बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं । मान्यवर, इस देश में इमरजेंसी में इसका मिलता जुलता कानून मेन्टेनेन्स आफ इन्टर्नल सिक्योरिटी ऐक्ट के अन्तर्गत सेक्शन 16-ए बढ़ा दिया गया था । उसके अन्दर भी यही बात थी कि निरुद्ध व्यक्ति को कारण नहीं बताया जायेगा और जैसे ही इमरजेंसी समाप्त होगी, वह धारा स्वतः समाप्त हो जायेगी । जिस दिन तक श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मन्त्री रहीं उस दिन तक इसकी आवश्यकता थी और जैसे ही उनकी हार की घोषणा होती है कि आन्तरिक खतरा समाप्त हो जाता है, 4 बजे प्रातः इमरजेंसी खतम कर दी जाती है । तो वह क्यों उसी समय समाप्त कर दी गयी ? क्या उस समय आवश्यकता नहीं रही ? इसका केवल तात्पर्य यह था कि गद्दी पर बने रहने के लिए, अपने दल या दल के बाहर के राजनीतिक लोगों को जेल में डालने के लिए इस तरह के कानून की आवश्यकता थी । मैं भविष्यवाणी किये दे रहा हूं कि थोड़े दिनों में शासक दल के लोगों को भी जेल में बन्द किया जायेगा । इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि आप हमारे संकल्प का समर्थन करें, संशोधन का समर्थन करें । इन शब्दों के साथ मैं इस समाज विरोधी तत्व निवारण अध्यादेश, इस काले कानून का, जो संसदीय कार्य मन्त्री ने, मुख्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है, का विरोध करता हूं ।

(व्यवधान)

श्री लोकमणि---

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो यह समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक प्रस्तुत किया है सदन के सामने, इसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं ।

कारण क्या है । कारण यह है मान्यवर, आप के माध्यम से मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जिस प्रकार हमारे भाई शान्ति से सुनते रहे उसी तरह से आप लोग भी सुनें । यह तो विचारों का आदान-प्रदान है । होगा वही जो होना है । आप भी जानते हैं ।

मान्यवर हमारे देश की आजादी की लड़ाई, स्वतन्त्रता की लड़ाई का उद्देश्य यही था कि देश में समाज और शासन कुंठित, विघटित हो गया था । समाज और शासन के दोषों का उन्मूलन करने के लिए कांग्रेस अपनी नीतियों पर आगे बढ़ रही है । हम लोग इन्हीं नीतियों और कार्यक्रमों पर चलकर अपने उद्देश्यों पर बहुत आगे पहुंचे थे ।

(शोर)

विपक्ष में बैठे माननीय सदस्यों के द्वारा सन् 77 में नाटक किया गया । वह नाटक ऐसा था जिसमें चक्रव्यूह की रचना की गयी थी । जिस प्रकार कौरवों ने अभिमन्यु के वध के लिए चक्रव्यूह की रचना की । विरोधी दल जानते थे कि संगठन सम्भव नहीं है लेकिन उसी प्रकार अभिमन्यु रूपी इन्दिरा के वध के लिए उन्होंने चक्रव्यूह की रचना की । और जनता को गुमराह करने को जनता पार्टी का गठन किया और यह लोग अपनी नीति में सफल हो गये, लेकिन वह क्षणिक सफलता थी । क्योंकि इनका कर्तव्य यह था कि शासन मिल गया है, देश की जनता और प्रदेश की जनता ने प्रबल बाहुल्य प्रदान किया है, तो देश की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति करते । लेकिन इन्होंने देश की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं की । कैसे पूरी करते जिनके आगे आंखें होती हैं वह पीछे की चीज देखते हैं । इनके नेताओं ने पीछे की ओर देखना शुरू किया कि इंदिरा गांधी ने क्या किया है और संजय गांधी ने क्या किया है ? इसको देखने में यह लगे रहे और देश को नहीं देखा । देश में जो समाज विरोधी तत्व थे, जो चोर और डकैत थे, पूंजीपति और जमाखोर थे वह देश की जनता को प्रदेश की जनता को ढाई वर्ष तक लूटते रहे और यह लोग बदले की भावना में उलझे रहे ।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको भय लग रहा है आपातकालीन का, मीसा का । सन् 77 में इनके शासन में मीसा नहीं था, आपातकालीन स्थिति नहीं थी । मैं सन् 77 का इनके बदले की भावना का भुक्त भोगी हूं । मेरे बच्चों का 3 साल से मकान का झगड़ा चल रहा था जनता पार्टी के विधायक श्री श्री 108 राधेश्याम शर्मा से, वह दोनों अदालतों से हार चुके थे और सन् 74 में उनकी हाई कोर्ट की रिट दायर हो चुकी थी । जब रिट दायर हो गयी और चुनाव में, जनता पार्टी का शासन आ गया और वह विधायक चुने गये तो उन्होंने दिन दहाड़े 50-60 आदमियों को लेकर मेरी मौजूदगी में मेरी कोठी पर हमला किया और अनधिकृत कब्जा करने की चेष्टा की । राम नरेश जी यहां उस समय मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे थे और हमारे यहां कलेक्टर त्रिपाठी जी थे । उनके पास राम नरेश यादव जी का टेलीफोन जाता था कि इनको गिरफ्तार करो । मान्यवर, अपराधी ये लोग हमला करें और 395 का मुलजिम हमको बनाया जाय, डकैत हमको बनाया जाय । वह मामला आज भी जज के यहां विचाराधीन चल रहा है । मीसा का दुरुपयोग आप लोग करते हैं । हम तो गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले हैं हम बदले की भावना का विरोध करते हैं ।

मान्यवर, मैं केवल एक और निवेदन करना चाहता हूं आज देश जिन परिस्थियों म चल रहा है वह सब आपकी जनता पार्टी की देन है ।

[श्री लोकमणि--]

आप ढाई साल तक व्यवस्था नहीं कर पाये और आज कहते हैं कि इस पर जनता की राय ले लो। एक महीने का अवसर दो। जनता ने हमको इसलिये भेजा है, हम लोग जनता की भावना के प्रतीक हैं कि देश जिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उससे देश को मुक्ति दिलायी जाय। तो मेरा मान्यवर, केवल यह निवेदन है कि देश को बचाने हेतु समाज विरोधी तत्वों का निवारण किया जाय। मान्यवर, चोरों, डकैतों के बाप को भी बख्शा नहीं जायगा। देश में जो अशांति, हिंसा फैली है उसके दमन की आवश्यकता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि आज-ही इस विधेयक को पारित कर दिया जाय तो अच्छा हो।

श्री ओम प्रकाश रिछारिया--

अध्यक्ष जी, मैं आपका बड़ा अभारी हूं जो आपने समाज विरोधी तत्व निवारण विधेयक पर बोलने का समय दिया है। मैं कहना चाहता हूं कि क्या ऐसी स्थिति मौजूद है जिसमें इसकी आवश्यकता महसूस हुयी, शायद है। मैं कुछ समय के लिये प्रदेश और देश की सीमाओं से बाहर जाना चाहता हूं। पाकिस्तान के टी० वी० रेडियो, वायस आफ अमेरिका और मास्को रेडियो, बी० बी० सी० और ईरान के रेडियोज को कुछ दिनों के लिये सुनें तो जो उनका प्रसारण है उससे साफ जाहिर होता है कि हमारे प्रदेश में और देश में ऐसे तत्व मौजूद हैं जिनके लिये ऐसे कानून की आवश्यकता थी। जैसे पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर एक फिल्म दिखायी गयी जिसमें मुरादाबाद के ईदगाह में सुअर को दिखाया गया। मैं जानना चाहता हूं कि वह टेलीविजन की फिल्म वहां कैसे पाकिस्तान कैसे पहुंच गयी।

वायस आफ अमेरिका, रेडियो से यह कहा जाता है कि पी० ए० सी० में आर० एस० एस० का एक तबका मौजूद है जो अपने संदेशों द्वारा उससे बगावत कर देने के लिए कहता है। तो अमेरिका को यह कैसे मालूम हुआ। वह सुनियोजित तरीके से पुलिस वरसेस पब्लिक इस देश में एक आन्दोलन खड़ा कर देना चाहते हैं जिससे देश कमजोर हो। इन सब बातों से एक बात साफ जाहिर है कि इस देश में ऐसे तत्व मौजूद हैं जिससे वह विघटनकारी तत्व पनप सकते हैं इसके लिए यह विधेयक जरूरी है। चूंकि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा रहता है कि वह विघटनकारी तत्व है बल्कि उसके कार्यों से ही पता चल सकता है। उदाहरण के लिये जार्ज फर्नान्डीज को जब गिरफ्तार किया गया था तो देश में खलबली मच गयी थी और इन्दिरा गांधी के खिलाफ जार्ज फर्नान्डीज ने यह कहा था कि इन्दिरा गांधी गलत हैं। लेकिन जब वह 1977 में मंत्री हुये तो उन्होंने सारे आरोप लोकसभा में स्वीकार किये थे जब कि जो कांग्रेस ने आरोप लगाये थे उनको लोग गलत कहते थे। उदाहरण के लिये रेलवे की चक्का जाम स्ट्राइक हुई तो जब कांग्रेस ने कहा कि स्ट्राइक विदेशियों के इशारे पर हुई। तो यह कहा गया कि कांग्रेस और इन्दिरा गांधी को विदेशियों के और सी० आई० ए० का हाथ होने की बात कहने की आदत सी हो गयी है। लेकिन जार्ज फर्नान्डीज ने लोकसभा में इस बात को इस तरह से कहा कि मेरा उन दिनों माओत्सेतुंग से पत्र-व्यवहार होता था और उक्त पत्र स्मृति-पत्र होते थे। जार्ज फर्नान्डीज पर दूसरा आरोप यह था कि क्या रेलवे स्ट्राइक के लिये उनको विदेशियों से धन मिला था, तो फर्नान्डीज ने लोकसभा में स्वीकार किया कि जापान के मजदूरों ने धन दिया था।

मान्यवर, इसी तरह डायनामाइट कांड हुआ । तो इस पर जार्ज फर्नान्डीज ने लोकसभा में उसको माना और कहा कि किसी देश में सरकार को बदलने के लिये इस तरह की अराजकता जिसमें रेलवे पुल उड़ाना जायज ह । इसलिये क्या कोई यह मान सकता था कि जार्ज फर्नान्डीज ऐसे महान मजदूर नेता होने के नाते इस तरह से विदेशियों से सम्बन्धित होंगे और पहले क्या इनके ऊपर जो आरोप लगाये गये थे उनको कोई सत्य मान सकता था ? इसलिये मान्यवर, आज क्या इन परिस्थितियों में, जैसे कि अपने प्रदेश में जो माहौल हो रहा ह जिससे सारी दुनिया की शक्तियां इंटेरेस्ट ले रही हैं, इस बात की संभावना नहीं है कि एक बहुत बड़ी अराजकता फैला देने के लिये यह सब अपने प्रदेश में किया जा रहा हो। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय कारण हैं, लेकिन उनमें इस समय मैं जाना ठीक नहीं समझता हूं । इसलिये मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो सम्मानित सदस्य इस कानून के तहत उनको यह डर लग रहा है कि ऐसा न हो कि उनके खिलाफ ऐसा किया जाय, तो मैं इस सम्बन्ध में रामायण की पंक्ति सुनाना चाहता हूं :—

जाकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरत देखी तिन तैसी ॥

और चोर की दाढ़ी में तिनका वाली कहावत चरितार्थ होती है ।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो शान्ति से रहना चाहते हैं और जिन्हें शान्ति से रहने की आदत है तो शायद उन्हें डर की बात नहीं है । विपक्ष के नेता ने अभी डकैतों की बात कही, अराजक तत्वों की बात कही । तो उनको संदेह था कि वह समाज में कहीं भी हों उनके ऊपर झूठे आरोप लगाकर उनको बन्द किया जाता है । तो मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि 1977 के बाद जो समय आया उसमें पशु चोर थे और पुलिस की 8 नम्बर की लिस्ट के डकैत भी थे । तो उन्हीं में से कुछ लोग समाज विरोधी कार्य करते हुये पकड़े जायेंगे, तब कहा जायेगा कि यह गलत आदमी को पकड़ लिया । लेकिन पुलिस की ब्लू बुक एक दिन में नहीं बना ली जाती है, उसके पीछे एक लम्बी प्रक्रिया होती है और निश्चित रूप से जो उससे सम्बन्धित होंगे, समाज विरोधी कार्य करते रहे होंगे, उनको डरने की निश्चित रूप से आवश्यकता है लेकिन अभी जितने व्यक्ति इस सम्बन्ध में बोले हैं कोई ऐसी बात नहीं थी, पता नहीं क्यों भय खा रहे हैं ।

इन शब्दों के साथ जो राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने संशोधन रखा है उसके प्रति एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी जो हम लोग चुनाव लड़े हैं इस चुनाव का भी मेन मुद्दा भी विपक्ष के लोगों ने यही बनाया कि यदि हम लोग जीत गये तो इमरजेन्सी लगेगी और इसके बाद भी जनता ने हमको वोट दिया । इसके माने यह है कि जनता निश्चित रूप से यह चाहती है कि इस प्रदेश में शान्ति, अमन चैन बने रहे और अराजक तत्व पनप न सकें । धन्यवाद ।

श्री यदुनाथ—

मान्यवर, आपने मुझे इस विनी मीसा काला कानून लाने के विरोध में जो बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं भी 19 महीने मीसा में बंद रहा और जिस इजलास से मीसा की शुरुआत हुई, जिस इजलास में श्री राजनारायण ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध याचिका दायर की थी उस श्री जगमोहन लाल सिन्हा के इजलास को आज भी मैं फेस कर रहा हूं । आज भी अदालत में जाता हूं । लोग भारतीय संविधान का हवाला दे देते हैं सत्ता पक्ष के, विपक्ष के । भारत के संविधान को 30 साल हो चुके हैं । एक मित्र अभी बोल

[श्री यदुनाथ--]

रहे थे कि पेकिंग रेडियो सुन रहे हैं, बी0 बी0 सी0 सुन रहे हैं, वाइस आफ अमेरिका सुन रहे हैं । 16 अगस्त, 80 को अध्यादेश के रूप में यह आया । अख्तार रिजवी साहब मुख्य मंत्री जी की तरफ से यह काला कानून लाना चाहते हैं । हमारा कहना यह है कि मिलिटरी इनके हाथ में नहीं है, जल सेना, थल सेना इनके हाथ में नही है । हमारे देश में शांत युद्ध, कोल्ड वार का खतरा है, जब यह मीसा, काला कानून बना कर के हमारे नौजवानों को बंद करेंगे तो उस समय नौजवानों की जरूरत होगी ।

भारत के संविधान के निर्माता बाबा भीमराव अम्बेदकर, डा0 राजेन्द्र प्रसाद, पंडित जवाहर लाल ने मीसा के विरुद्ध कहा था । मैं एक केमिकल इंजीनियर हूं । लोवर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाते-जाते फेड अप हो चुका हूं । कभी-कभी मेरे मन में आता है कि पिकरिक एसिड बम बना कर चीफ जस्टिस की अदालत में रख दूं । संविधान का हवाला दिया जाता है । संविधान की सारी बातें की जाती है । तीस साल तक वही सड़क, वही चीज चलती जाती है । रोटी, कपड़ा और मकान । बुनियादी सवाल तो नहीं हल हो पा रहा । इमरजेन्सी लगा करके, मिनी मीसा लगा करके आज भी हमारे विरोधी दल पर अत्याचार किये जाते हैं । मैं एक केमिकल इंजीनियर हूं । जनता कहती है कि विधान सभा सर्वोच्च है, पार्लियामेंट सर्वोच्च है । जनता इनसे ऊब चुकी है । मैं एक केमिकल इंजीनियर हूं । मेरा मन करता है कि पिकरिक एसिड बम विधान सभा स्पीकर के सामने रख दूं । धमाका हो । लोग आंसू बहाते हुए, नाक छींकते हुए चले जायं और विधान सभा भंग हो । मिनी मीसा लाने के बजाय विधान सभा भंग कर दी जाय और पुनः उत्तर प्रदेश में चुनाव कराये जायं । मैं गारण्टी देता हूं कि आप 6 से ज्यादा सीट नहीं पायेंगे । इमरजेन्सी के बाद क्या हालत थी ? पूरी हार आपकी हुई । इस बार जबरदस्ती करके, वोटों में बेईमानी करके, अफसरशाही के बल पर, 306 सीटें जीत लाये । सदन के एम0 एल0 ए0 की हैसियत से मुझे जानकारी है कि मुख्य मंत्री जी सदन में अनुज्ञा नहीं प्राप्त की । उन्होंने कहा कि सदन की अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये वह हाई कोर्ट में जाने वाले हैं जब कि वह सदन के नेता होते हुए भी न एम0 पी0 हैं और न एम0 एल0 ए0 हैं । उनको 9 दिसम्बर के पहले चुनाव कराना होगा । यह सदन अल्पमत की सरकार का है । यह सरकार श्रीमती इन्दिरा गांधी के बैसाखी के बल पर चल रही है । संजय गांधी का जो स्मारक शान्ति वन के पास बनाया गया था आज वह भी समाप्त हो गया (व्यवधान) यह काला कानून सत्ता पक्ष ला रहा है । इसका नतीजा आप देखेंगे कि इस सरकार के जाने में 6 महीने लगें या अधिक से अधिक 85 में जब चुनाव होंगे तब जायगी । 85 में आप देख लीजियेगा कि इसका क्या हश्र होगा ? 35 साल की उम्र में 41 बार जेल गया हूं । बंगला देश की ढाका जेल में रह चुका हूं । इमरजेन्सी में बनारस की जेल में, नैनी जेल में और बरेली जेल में रखा गया था । कमलापति त्रिपाठी रेल मंत्री हैं उनके इशारे पर, मुख्य मंत्री के इशारे पर लोग बन्द हो सकते हैं । हरीकृष्ण श्रीवास्तव ने सही कहा था कि ब्रह्मदत्त जी जेल गये तो उनको चुरुट पीने की आदत थी । उनको वहां चुरुट की जरूरत पड़ी लेकिन जेल में वह नहीं मिल सका । जेल में गांजा, भांग तथा चरस नहीं मिल पाता है । मंत्री बनने पर उनको चरस मिलने लगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

चरस नहीं चुरुट कहिए ।

श्री यदुनाथ—

ठीक है चुरुट ही सही । अम्मार रिजवी साहब से मेरा कहना है कि वह जन भावनाओं का आदर करेंगे । उनको मालूम होना चाहिए कि जिस समय पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था और श्रीमती गांधी ने 71 में बंगला देश को मान्यता दी थी और इसे नेशनल इश्यू बना कर हमारा सहयोग मांगा था तो हमने उनका साथ दिया था । इस मिनी मीसा के लगने पर हम लोग जेल जाने के लिये हर समय तैयार हैं और हम ही नहीं उत्तर प्रदेश की 10 करोड़ जनता में ज्यादा से ज्यादा लोग जेल में रहने के लिए तैयार हैं । मेरा मान्यवर यह कहना है कि यह सारा सी० आर० पी० सी० और आई० पी० सी० पुराना हो चुका है । भारत का संविधान भी पुराना हो चुका है । 26 जनवरी, 50 का हमारा संविधान बना है । तीस साल हो चुके हैं और 20 साल में जमाना बदल जाता है । इसके आज बदलने की जरूरत है । यह संविधान अमेरिका और इंगलैंड के संविधान की नकल है और तीस साल से पंच वर्ष इसमें हो रहा है । इसको बदलने की जरूरत है भले ही यह डा० राजेन्द्र प्रसाद अथवा बाबा साहब अम्बेदकर द्वारा बनाया गया हो।

यह संविधान उन देशों की नकल है जो साम्राज्यवादी तथा पूंजीवादी देश हैं । आप देखें मान्यवर, इस विधेयक में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कार्पस की भी व्यवस्था नहीं है जबकि पहले के मीसा में इसकी व्यवस्था थी । जस्टिस चतुर्वेदी के सामने हमें डी० आई० आर० ट्रायल के लिये बुलाया गया था मीसा में निरुद्ध होते हुए अनुरक्षण भत्ता भी, लेकिन इसमें कहीं भी ट्रायल की कोई व्यवस्था नहीं है । दूसरे सी–आर० पी० सी० के अनुसार 6 महीने में 14, 14 दिन पर रिमांड डेट की व्यवस्था है लेकिन इसमें यह व्यवस्था भी नहीं है । इसमें आदमी 6 महीने तक निरुद्ध रहेगा चाहे वल्दियत कुछ भी हो, अरोप भी उस पर न हो । अभी बतलाया गया कि 96 लोग पकड़े गये और 80 को छोड़ दिया इसी से, अफसरशाही कितना गलत कार्य करती है आपको मान्यवर पता चल जायगा । अगर शिया सुन्नी का संघर्ष हो तो सुन्नी मिनिस्टर होने पर शिया पकड़े जायेंगे । और शिया मिनिस्टर होने पर सुन्नी पकड़े जायेंगे । ऐसे ही बैकवर्ड तथा फार्वर्ड मिनिस्टर होने पर स्थिति उत्पन्न होगी । इस तरह की बातें प्रदेश के सामने आयेंगी लेकिन आज भी इन्द्रा गांधी के आस–पास मंडरा रहे हैं और मीसा की बात कर रहे हैं ।

इस सरकार को जनता को स्वाभिमान है हमें भी 70 करोड़ की जनता का स्वाभिमान है और इस काले कानून के जरिये नहीं है । रिजवी साहब इस काले कानून को लाकर हमें निरुद्ध कर सकते हैं हम निरुद्ध होने के लिये तैयार हैं । हममें हिम्मत है । निश्चित रूप से मैं सरदार पटेल, जवाहर लाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जाकिर हुसेन और भगत सिंह ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनको बता देना चाहता हूं । (व्यवधान) । एक चीज अन्त में बता देना चाहता हूं कि सुभाष चन्द्र बोस आज भी जिन्दा हैं . . . ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठें, आप का समय समाप्त हो गया ।

श्री यदुनाथ—

रसिया की जेल में वे बन्द हैं । कोई प्रधान मंत्री यह नहीं कहता कि नेता जी को वहां से वापस करो ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बिना इजाजत के बोल रहे हैं ।

श्री जंग बहादुर--

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो विधेयक आया है उसका समर्थन मैं करता हूं । आज देश में नजरबन्दी कानून की आवश्यकता है । यह सब स्वीकार करेंगे कि इस प्रदेश का शासन चलाने के लिये और यहां पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जो भी कानून बनाने की आवश्यकता होगी जनता के हित के लिये उसको करना चाहिए । आज जो स्थिति प्रदेश के अन्दर है बावजूद इसके कि तमाम प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन वस्तुओं के मूल्य में दिनोदिन वृद्धि हो रही है । चीनी की प्रदेश में उतनी कमी नहीं है आर्टिफिशियल कमी तथा बाजार से चीनी गायब कर 10/12 रुपये किलो तक बाजार में ब्लैक में बिक रही है । इस तरह से जो शांति व्यवस्था के लिये चीजें जरूरी हैं, उनके अभाव से ऐसी चीजें हुआ करती ह । मुझे याद है जब एकबार एमरजेन्सी लगी थी उसके पूर्व गुन्डागर्दी इस तरह से बढ़ गई थी कि लड़कियों का स्कूल से घर लौटना मुश्किल हो गया था . . . (व्यवधान) कोई व्यक्ति बाजार में अपनी बहू बेटी के साथ सिनेमा नहीं जा सकता था। हजरत गंज की घटनायें आप लोगों को याद होंगी । लड़कियां आती जाती थीं तो गुंडे उनको खींच कर ले जाते थे । माननीय जय प्रकाश जी का मैं बड़ा आदर करता था, आज भी उनके प्रति हृदय में सम्मान है । उन्होंने आह्वान किया फौज में आदेश न मानने और विद्रोह करने के लिये आम सभाओं में भाषण किया । छात्रों को दिल्ली में प्रदर्शन करने का । जौनपुर का एक उदाहरण मैं आपके सामने लाना चाहता हूं । वहां असामाजिक तत्व बड़े-बड़े व्यापारियों के पास गये और कहा कि हमें दिल्ली जाने के लिये बस दो । जबरदस्ती उनसे 2 हजार, 5 हजार, 10 हजार रुपया मांगा । वे बेचारे दौड़कर कोतवाली में गये और वहां पर यह कहा गया कि मामला तय कर लो ।

इसी तरह से विद्यालयों में स्कूलों के अन्दर आज कोई अनुशासन नहीं रह गया है । कल कारखाने व्यवस्थित नहीं चल पा रहे हैं हड़तालों के कारण उत्पादन नहीं हो पा रहा है इम्तिहान ठीक से नहीं हो पा रहे हैं । कीमतें बढ़ रही हैं । चोर बाजारी का बाजार गर्म है जय प्रकाश जी के आवाहन पर दिल्ली में जो प्रदर्शन किया गया खाने के बर्तन भी कानपुर रेलवे कैन्टीन से जाने वाले लूट ले गये । ऐसी स्थिति में इमरजेन्सी लगानी पड़ी ताकि देश में शांति व्यवस्था कायम रहे । मैं जौनपुर से आज भी आता हूं तो देखता हूं कि जगह-जगह पर चेन पुलिंग होती है, पाइप लाइन काट दी जाती हैं । शांति व्यवस्था कायम रहे, अमन चैन रहे, जनता सुरक्षित रहे इसलिये यह विधेयक लाया गया है । मैं स्वीकार करता हूं कि कभी-कभी इसका सही ढंग से उपयोग नहीं हुआ है । कभी-कभी कुछ गलत चीजें भी हुआ करती हैं । मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह की गलती नहीं होगी इस प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो पायेगी इस प्रकार का आश्वासन आपको मिलना चाहिये और यह कानून इस प्रदेश के लिए हमारे लिये और आपके लिये हितकर है, इसको बनाने की नितांत आवश्यकता है । यह जो जनता के बीच में तीन माह इसको घुमाने की बात कही है इसका मैं विरोध करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं, बोलने के लिये नहीं खड़ा हूं । आपातकालीन स्थिति के घाव अभी भरे नहीं हैं यह सब लोग जानते हैं । आज

इस विधेयक को आड़ में जो कुछ बातें सत्ता पक्ष की तरफ से आ रही हैं उससे लगता है कि आपतकाल की प्रस्तावना तैयार की जा रही है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि क्या यहां पर आपातकाल की व्यवस्था तैयार करने का अनुमति दी गयी है या संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहां आता है जिस पर मैं अपनी व्यवस्था दूं ।

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बात निर्विवाद सत्य है कि यह जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है यह केवल मात्र राजनैतिक विरोधियों को दबाने के लिए और कुचलने के लिए प्रस्तुत किया गया है । मान्यवर उसके कुछ उदाहरण हैं यहां पर जो सवाल के उत्तर आये हैं उससे साफ है कि यह सरकार तस्करों के खिलाफ नहीं बल्कि तस्करों की मदद करने वाली है और ऐसी ही यह विधेयक है । जिस तरह के वक्तव्य के उत्तर यहां आये हैं उनसे सिद्ध होता है कि यह सरकार समाजद्रोहियों की सहायता करने वाला है, यह बात काफी उजागर हो गयी है । यह सत्य है कि यह विधेयक, काला कानून जनता की सुविधा के लिए नहीं है, जनता को राहत देने के लिए नहीं है बल्कि 1975 की तरह गद्दी को बचाने के लिए लाया गया है । मान्यवर, अभी सत्ता पक्ष के विधायक जो कह रहे थे कि पाकिस्तान रेडियो, वाइस आफ अमेरिका, बी0बी0सी0 यह बोलता है । तो मैं नहीं जानता कि वह कांग्रेस दल के अलावा भी किसी और संगठन से संबंध रखते हैं जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान सुनना जरूरी हो । क्या राज इसमें हैं (व्यवधान) मैं कहना चाहता हूं कि लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी को जब गिरफ्तार किया गया था तो उन्होंने एक वाक्य कहा था 'विनाश काले विपरीत बुद्धि' मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का विधेयक लाकर कांग्रेस ने जाहिर किया है कि उनकी बुद्धि को लकवा मार गया है और पिछली गलती से कोई सबक नहीं लिया । मैं कहना चाहूंगा कि (व्यवधान) जनता पार्टी ने ढाई साल में केवल यह गलती की कि जो विरासत में मिले मीसा का प्रयोग आपके खिलाफ नहीं किया वर्ना आप आज यहां पर नहीं होते, जेलों में होते । जनता सरकार ने ऐसा नहीं किया क्योंकि (व्यवधान) आपकी तरह से हमने कभी शासन को नहीं चलाना चाहा ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य, कल आप अपना भाषण जारी रखेंगे । इस समय 7 बज कर 20 मिनट हो रहे हैं, दो घंटे का समय समाप्त हुआ । अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 20 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

22 सितम्बर, 1980

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 572 पर)

श्री राम सुन्दर सिंह शेरे, भूतपूर्व सहायक कृषि निरीक्षक, हरदोई के प्रतिवेदन, दिनांक 28–2–1977 में श्री आत्मा राम, तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध लगाये गये 16 आरोपों का संक्षिप्त विवरण ।

आरोप––

1––यह कि तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, श्री आत्माराम द्वारा श्री रामसुन्दर सिंह शेरे, भूतपूर्व सहायक कृषि निरीक्षक को दिये गये मूल आरोप-पत्र तथा अनुपूरक आरोप पत्रों में लगाये गये आरोप काल्पनिक हैं ।

2––यह कि मूल आरोप पत्र में आरोप संख्या 2 (स) जो बिना पूर्व स्वीकृत अवकाश पर चले जाने आदि के सम्बन्ध में है, असत्य है ।

3––श्री आत्मा राम, तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी द्वारा उच्च आदेशों की अवहेलना करके श्री सिंह का बीज भंडार का चार्ज अनियमित रूप से श्री मेवा लाल वर्मा, सहायक कृषि निरीक्षक को दिलाया जाना ।

4––श्री मेवालाल वर्मा को अनियमित रूप से चार्ज दिलाया जाना ।

5––जिला कृषि अधिकारी, हरदोई ने उच्च आदेशों की अवहेलना करके द्वेषता एवं हठतावश उन्हें माह फरवरी, 1973 से अनियमित रूप से निलम्बित रखा ।

6––जिला कृषि अधिकारी ने श्री सिंह के विरुद्ध अनियमित रूप से गबन के चार्ज के सम्बन्ध में एफ० आई० आर० दर्ज कराई तथा उच्च आदेशों की अवहेलना की ।

7––यह कि जिला कृषि अधिकारी द्वारा श्री सिंह के ऊपर श्री मेवा लाल वर्मा, सहायक कृषि निरीक्षक को चार्ज न देने का तथा उनके विरुद्ध आदेश अवहेलना का उल्टा आरोप लगाया गया है, जो असत्य है ।

8––यह कि तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी द्वारा उनके विरुद्ध महा आँकिक, उ० प्र० इलाहाबाद के सम्प्रेक्षण के समय अनुपस्थित रहने का त्रुटिपूर्ण आरोप लगाया गया है ।

9––तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी द्वारा श्री सिंह के ऊपर यह आरोप कि उन्होंने सम्बन्धित रिकार्ड्स को वापस नहीं किया, गलत है ।

10––तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी द्वारा श्री सिंह के ऊपर लगाया गया यह आरोप कि उन्होंने खाद, बीज, पेस्टीसाइड्स तथा डेड स्टाक का अपहरण किया, गलत है ।

11––जिला कृषि अधिकारी द्वारा श्री सिंह के ऊपर 113·78 रु० तथा 945·87 रु० के अपहरण के सम्बन्ध में लगाया गया आरोप गलत है ।

12––श्री सिंह ने तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध उच्च आदेशों की अवहेलना करके उन्हें अपने आरोपों के सम्बन्ध में व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर विलम्ब से देने का आरोप लगाया है ।

आरोप--

13--तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी के विरुद्ध नवम्बर, 1972 से वर्ष 1975 तक उन्हें तथा उनके परिवार को त्रस्त करके मानहानि किए जाने का आरोप लगाया गया है ।

14--तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, हरदोई के विरुद्ध कृषि दवा, बीज, यंत्र तथा अभिलेखों के अपहरण कराये जाने का आरोप लगाया गया है ।

15--जिला कृषि अधिकारी (श्री आत्मा राम) के विरुद्ध श्री सिंह के विरुद्ध लगाये गये कतिपय आरोपों के सम्बन्ध में अपने उत्तर में असत्य तथ्य देने का आरोप लगाया गया है ।

16--तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, हरदोई द्वारा उच्च आदेशों की अवहेलना करते हुए इन्वेन्ट्री लिस्ट की अनियमितताओं, धोखाधड़ी, अवास्तविक प्रविष्टियों तथा हेरा-फेरी बीज भंडार, हरदोई के अभिलेखों में सांठ-गांठ तथा उनका अपहरण अनधिकृत रूप से निलम्बन तथा अन्य कई मामलों में असत्य कथन द्वारा श्री सिंह तथा उनके परिवार का उत्पीड़न किया जाना ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 72 का उत्तर पीछे पृष्ठ 675 पर)

सूची-क

क्रम-सं0	मत्स्य पालन सम्बन्धी ऋण ग्रहिताओं के नाम एवं पता
1	सर्वश्री--शमशेर बहादुर सिंह पुत्र श्री ललन सिंह, माटी गांव, सकलडीहा ।
2	चन्द्रशेखर सिंह पुत्र श्री महावीर, माटी गांव, सकलडीहा ।
3	मोती चन्द पुत्र श्री बद्री, लडौरी चोलापुर ।
4	शिवमूरत सिंह पुत्र श्री जयनारायण सिंह, टेकरी चोलापुर ।
5	रामसागर पाण्डे पुत्र श्री राम चरित्र पाण्डे, राजवारी, चोलापुर ।
6	राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र श्री राम धनी सिंह, काफोरिया, चकिया ।
7	रामलखन मिश्र पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण, महागांव, पिण्डरा ।
8	रामकिशुन पुत्र श्री भगौती मिश्र, उन्दी, हरहुआ ।
9	चित्तर सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, इन्द्रपुर, हरहुआ ।
10	लालता पुत्र श्री लुदुर, घोरहा, ज्ञानपुर ।
11	भुलई पुत्र श्री बदलू घोरहा, ज्ञानपुर ।
12	कुवई पुत्र श्री लुदुर, घोरहा, ज्ञानपुर ।
13	विजय बहादुर पुत्र श्री सन्चू, ज्ञानपुर ।

अनुबन्ध 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 36 का उत्तर पीछे पृष्ठ 582 पर)

सूची

जनपद बहराइच के इकौना विधान सभा क्षेत्र में श्रम के बदले खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत पूर्ण किये गये सम्पर्क मार्गों की सूची ।

क्रम-सं0	विकास खण्ड का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	लम्बाई जो बनी
1	2	3	4
			कि0 मी0
1	पयागपुर	1—इटवा हरदास से अटकुइया चक मार्ग	1·000
		2—खटेहना गिलौला मार्ग से खोढ़ा बीज भंडार तक	1·270
		3—गोंडा बहराइच मार्ग से आकापुर	1·661
		4—निरीक्षण भवन भूपगंज से सुभाषनगर कालोनी	1·490
		5—सुभाषनगर कालोनी से कृष्ण नगर कालोनी	1·503
		6—पयागपुर इकौना मार्ग से खुनौरा तक	1·576
		7—पयागपुर गिवदहा मार्ग से कन्जेभरिया तक	1·336
		8—पयागपुर इकौना मार्ग से बड़ागांव	1·230
		9—पयागपुर हुजरपुर मार्ग कांधी कुइंया तक	0·094
2	इकौना	10—बहराइच बलरामपुर रोड से अडवांपर सम्पर्क मार्ग	0·282
		11—कटरा लाल बोझी मार्ग से तेंदुआ पंडित मार्ग	0·280
		12—कटरा लाल बोझी मार्ग पर लम्बहिया मार्ग	0·376
		13—इकौना बहराइच रोड पर 6 बी0 कि0 मी0 से महादेव जगदीश	1·000

1	2	3	4
			कि0 मी0
		14—करारा लाल बोझी मार्ग से रमवापुर डकाही मार्ग	1·00
		15—इटौना बहरा मार्ग पर 5 बी0 कि0 मी0 से [illegible]नरई	1·00
		16—करारा बोझी मार्ग से डकाही सम्पर्क मार्ग	0·00
		17—करारा से कल्यानपुर सम्पर्क मार्ग	1·00
		18—करारा लाल बोझी मार्ग पर लखाही तक	1·00
		19—करारा लाल बोझी मार्ग पर अमारे भरैया मार्ग	1·00
		20—बिलखा से धनुरा मार्ग	3·00
		21—इटौना से सीतलहौरा तक	5·00
		22—धनही से पकड़ मार्ग	2·00
3	विशेश्वरगंज	23—करारा खमुनहां से रड़वरिया सम्पर्क मार्ग	4·00
		24—विशेश्वरगंज से जलालपुर मार्ग	5·80
		25—बरारा गाँव से हरैय्या मार्ग	2·00
		26—रतीपुर से बसनेरा मार्ग	3·00
		योग ..	43·78

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 45 का उत्तर पीछे पृष्ठ 584 पर)

मुरादाबाद जनपद के प्रश्नगत निम्नलिखित विकास खंडों को विकास हेतु आवंटित धनराशि का विवरण

क्रम-सं0	योजना का नाम	विकास खंडों का नाम				
		बनिया खेड़ा	कुन्दर की	राजा का सहसपुर	गजरौला	धनौरा
		रु0				
1	पेयजल योजना					
	वर्ष 77-78	14210·00	14210·0	14210·00	14210·00	14210·00
	वर्ष 78-79	52789·00	52789·00	52789·00	52789·00	52789·00
	वर्ष 79-80	47500·00	47500·00	47500·00	47500·00	47500·00
2	निर्बल वर्ग आवास गृह योजना					
	वर्ष 77-78	..	..	..	..	..
	वर्ष 78-79	..	..	..	..	..
	वर्ष 79-80	62000·00	64000·00	64000·00	64000·00	64000·00
3	भूमि विकास कर					
	वर्ष 77-78	26376·00	26368·00	26368·00	26368·00	26368·00
	वर्ष 78-79	16163·00	16163·00	16163·00	16163·00	16163·00
	वर्ष 79-80	..	..	..	..	..
4	श्रम हेतु खाद्यान्न योजना (मै0 टन0)					
	वर्ष 77-78	..	..	..	..	..
	वर्ष 78-79	25·00	45	45	50	88
	वर्ष 79-80	415	635	745	240	505

पी0एस0यू0पी0—43 वि0सभा—28-9-81—835—(पी0डी0)